

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

काव्यशास्त्रीय निबन्ध

डॉ० वेंकट शर्मा

काच्युशास्त्रीय निबन्ध

डॉ० वेंकट शर्मा

पल्लव प्रकाशन दिल्ली

KAVYASHASTRIYA NIBANDH

Dr. VENKAT SHARMA

©

मूल्य : 90 रुपये / सत्ररण : प्रथम / प्रकाशन वर्ष : 1987

प्रकाशक : पल्लव प्रकाशन, 1458, मालीबाड़ा, दिल्ली-110006

मुद्रक : मानस प्रिटिंग प्रेस, IX/4753, पुराना सीमपुर, दिल्ली-110031

वाव्यशास्त्रीय निवन्ध

डॉ० वेंकट शर्मा

पुरोवाक्

काव्यशास्त्रीय निबन्धों का यह संकलन मुख्यतः शान्दोघ विमर्श तथा रस-मीमांसा जैसे गुणाभीर और विचारणीय विषयों के अन्तर्भाग की प्रेरणा से अनुप्राप्ति है। इसमें प्रथमतः शान्दोघविमर्श के उन प्रभुष पक्षों का शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया गया है जो व्याकरण, न्याय और मीमांसा दर्शन के मुधी-चितकों द्वारा तकनीगत प्रणाली से उद्धाटित किये गये हैं। शब्दग्रह के साथात् प्रतिरूप काव्य साहित्य की रसचर्चणा अर्थप्रतीति की आवश्यकता और उपयोगिता असंदिध है, क्योंकि उसकी प्रविधि के माध्यम से ही हमारा आत्मसवित् रसबोध की मत्त्वोद्देश्यीभूमिका में प्रवेश करता है। उस भूमिका का साधारणीकृत प्रत्यय हमारे भावलोक की अनन्त संवेदनाओं से संसिकत होकर रसदशा की जिस पराक्रोटि तक पहुँचता है, यही ब्रह्मानन्दसविधि काव्यानन्द का लोकोत्तर दोष है। शब्दार्थ प्रतीति की विवेचना के पश्चात् भाव और रस का अन्तर्संबन्ध निरूपित करते हुए उन दोनों के पाश्चात्यिक आश्रयाश्रयि भाव की मीमांसा की गयी है, जिसके अन्तराल में काव्यरस का अनन्त सागर तरणायित होता है। तत्वतः यह ही काव्य का आत्मपद है जिसे तीतिरीय उपनिषद् (2-7) में 'रसो वै सः। रसं ह्येषायं सब्दा आनन्दीभवति' जैसे महाकाव्यों में सूत्रबद्ध किया गया है। उसकी महत्ता और प्रतिपादा से अभिभूत होकर मैंने इन निबन्धों के अनुक्रम में 'रस का स्वरूप और आस्वाद', 'काव्यरस का अधिष्ठान', 'रसों की सुखदुख-रूपता' तथा 'रस-विधि और उनका निराकरण' जैसे विषयों की शास्त्रसम्मत व्याख्या प्रस्तुत की है। इस विवेचना में रस के स्वरूप, आस्वाद, अधिष्ठान, अन्तरापत्ति तथा उसकी निष्पत्ति से संबद्ध विविध मत-मतान्तरों तथा कठापोहों का सारांभित विश्लेषण तथा विवेकसम्मत निर्णय करने की चेष्टा भी उपर्युक्त है, जिसके द्वारा इस तथ्य की उपलब्धि की जा सकती है कि रसानुभूति मूलतः आनन्दविद्यायिनी है अथवा मुख्यतः मुखदुखमयी संवेदनाओं की समन्विति। यह विवेचन मुख्यतः आनन्दवादी आचार्य अभिनवगुप्त तथा उपनिषद्वादी आचार्य रामचन्द्र-गुणचन्द्र जैसे तत्त्व चिन्तकों की मान्यताओं पर आधारित हैं जिन्होंने अपने-अपने द्विटिकोणों से रस मीमांसा के धोत्र में अनेक प्रकार की विचारोत्तेजक सामग्री संयोजित की है। विवेचना के इसी क्रम में कहण रस का आस्वाद पद्धत तथा 'उपनिषद्' विशेष रूप से व्याख्यात हुआ है, जिसे 'एको रसः करण एव' कहने में महाकवि भवभूति को किञ्चिन्मात्र भी सकोच नहीं हुआ था।

सबलन के परवर्ती निवाद वाव्यशास्त्र के संदान्तिक और व्यवहारिक पक्षों के 'तालप्रेल' से सपष्टि हैं जिनम् क्रमशः भवितरम् और शीतरम् का 'रूप विमर्श' तथा उनकी 'आस्वादता एव स्थिति' का विश्लेषण आचार्य रूप गोस्वामी और अभिनवगुप्त की मान्यताओं वे अनुरूप किया गया है। 'प्रबन्ध वाव्य वी रसभि व्यजपता' का उद्घाटन करने में मैंने आचार्य आमन्दवर्धन के विचारों को प्रमुखता दी है क्योंकि इस विषय का तत्त्व चिन्तन बरने में वे अपणी रहे हैं। 'काव्य पुरुष का तत्त्व निष्पन्द' तथा 'विन्समय अयथा काव्यरूढियों' दो विवेचना में आचार्य राजेश्वर वी 'काव्यमीमांसा' सर्वाधिक प्रामाणिक समझी जाती थी, अतः इन निवन्धों का कल्पवर उनकी मान्यताओं के अधिक अनुरूप है। 'ससृत काव्यशास्त्र का दैनारिक विवास' तथा 'नाट्य शास्त्र का व्याख्यान' मेरी अधीन उपलब्धिया का परिणाम है। सबलन के अन्तिम दो निवन्ध 'वाव्य सजंना' में प्रतिभा का 'महरत्र' तथा 'भारतीय जीवन दर्शन और वाव्य' विनुद्द विवेचनात्मक तथा परिचयमूलक हैं, जिनमें इस बात का विश्लेषण किया गया है कि वहि प्रतिभा ही वाव्य सजंना की मूल शक्ति है, जिसका अनन्त प्रसार 'भारतीय जीवन दर्शन और वाव्य' के अनु-परमाणुओं में भी सञ्चलित हुआ है। सक्षेप में इस सबलन के ये ही प्रमुख विचारदण्ड हैं, जिन्हे पद्धति निवन्धों वी एकावती में सम्प्रयित कर मैंने इसे 'काव्यशास्त्रीय निवन्ध' वी अभिधा से अलगृहत किया है।

फोटो रोड, वागर चौक,
जोधपुर (राजस्थान)

पैरुद शर्मा

अनुक्रमणिका

1. शान्दोष विमर्श	9
2. भाव और रस का अंतर्गम्बन्ध	64
3. रस का स्वरूप तथा आस्वाद	76
4. काव्य-रस का अधिष्ठान	97
5. रमों की मुत्रदुखरूपता	107
6. रस-विधि तथा उनका निराकरण	120
7. भक्ति-रस का हप-विमर्श	130
8. शांत रस की आस्वादता और स्थिति	147
9. प्रबंध कार्यों की रसधिव्यंजकता	163
10. संस्कृत काव्यशास्त्र का वैचारिक विकास	174
11. काव्य पुरुष का तत्त्व निष्पंद	183
12. नाट्यशास्त्र का काव्याध्यान	190
13. कवि समय अथवा काव्य रूदियाँ	202
14. काव्य सर्जना में प्रतिभा का महत्व	209
15. भारतीय जीवन दर्शन और काव्य	225

शाव्दबोध विमर्श

शाव्दबोध परिचय

भारतीय साहित्य में शाव्दबोधविमर्श अथवा काव्यार्थप्रतीनि का विवेचन अन्यतं व्यापक एवम् गम्भीर दृष्टि से किया गया है। उसका मुख्य सम्बन्ध व्याकरण, न्याय और मीमांसा संज्ञक शास्त्रों से है जिनमें क्षमशः पदो, प्रमाणों और वाच्यार्थों का विशेषण विशेष रूप से होने के कारण उन्हें 'पदशास्त्र', 'प्रमाणशास्त्र', और 'वाच्यशास्त्र' भी कहा जाता है। शाव्दबोध में इन तीनों शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, अतः इन तीनों शास्त्रों के निष्णात् विद्वान् 'पद-व्याक्य-प्रमाणन्' की गौरवमयी उपाधि से विभूषित किए जाते हैं। अन्य शास्त्रों में तो वाचक और सद्वक संज्ञक दो प्रकार के शब्द माने गए हैं, किन्तु साहित्यशास्त्र में उन दोनों के साथ 'व्यंजक' नामक तृतीय शब्द जोड़कर उनकी तीन संक्षाएँ निर्धारित कर दी गई हैं। शब्दों की इस 'अमवदता' का भी एक विशेष कारण है। 'वाचक' शब्द मुख्यार्थ का बोधक है अतः उसे सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। 'लालणिक' शब्द वाचक शब्द के आग्रित रहता है अतः उसे द्वितीय स्थान पर रखा गया है और 'व्यंजक' शब्द में वाचक और लक्षक नामक दोनों प्रकार के शब्दार्थ अपेक्षित होते हैं, अतः वह तृतीय स्थान का अधिकारी है। यद्यपि व्यंजक शब्द की विवेचना काव्येतर शास्त्रों में नहीं हुई है तथा प्रायः वाच्यशास्त्र का तो वह सर्वस्व है यद्योकि उसी के आधार पर कालांतर में व्यानिमिदान्त की प्रतिष्ठा हो सकी है। यो तो वाचक, लक्षक और व्यंजक नामक तीनों शब्द-प्रकार शाव्दबोधविमर्श के अन्तर्गत विवेचित किए जाते हैं, किन्तु तत्त्वतः वे शब्द के भेद न होकर उसकी उपाधियाँ हैं। इसका कारण यह है कि वृत्तिभेद से एक ही शब्द कही वाचक हो सकता है तथा कही लक्षक तथा व्यंजक भी रह सकता है। इस बात को इस उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है कि जिस प्रकार एक ही व्यक्ति उपाधि-भेद से भिन्न-भिन्न स्थलों और परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व रखता है, उसी प्रकार एक ही शब्द अनेक प्रकार के प्रयोगों में विविधरूपा शक्तियों से अभिहित किया जा सकता है। उपाधि-इत भेद से

शब्दों की विविधता की भौति उनके अर्थों के भी हीन प्रवार हैं, जिन्हें श्रमण-वाच्यार्थ, सक्षयार्थ तथा व्याप्यार्थ बताए हैं। बुगारिन भट्ट ने अनुयायी पार्थगारणि मिथ आदि मीमांसक शब्द के उपर्युक्त तीन अर्थों पे अतिरिक्त 'तात्पर्यार्थ' नामक उसका एक चतुर्थ भेद भी मानते हैं। ये मीमांसक 'अभिहितान्वयवादी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन मीमांसकों से विरोधी विचारधारा रखने वाले मीमांसक (प्रभावरणुह तथा शान्तिकनाथ मिथ आदि) 'अभिहिताभिधानवादी' बहनाते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त और भी मीमांसक हैं जो वाक्यार्थ के विषय मे भिन्न-भिन्न मत रखते हैं, ऐनु उनकी प्रिधिनि सामान्य भेणी वो है जल उनके मतों मे उल्लेखनीय वैशिष्ट्य न होते हैं वारण उन्हें प्रमुखता प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि अभिहितान्वयवादी भी मानवों न 'तात्पर्यार्थ' नामक चतुर्थ अर्थ की परिकापना पर अपना अभिगत विवित विद्या है अत इस सर्वप्रथम तात्पर्यवृत्ति और अभिहितान्वयवाद का अभिप्राय स्पष्ट बरना जावायक ममजने है। तदुपरात अवशिष्ट तीन प्रवार के शब्दों और अर्थों की विवेचना वो जागेगी, विवेचन प्रयोग और उपयोग वाच्य-रचना और वाच्य-विवेचना पे सदर्भ मे पद-पद पर विद्या जाता है।

तात्पर्य वृत्ति और अभिहितान्वयवाद

'तात्पर्यवृत्ति' वो पृथक् शब्दित मानने वाले आचार्यों ने वाक्यबोध के लिए अभीष्ट 'आवाक्षा', 'योग्यता' और 'मन्त्रिधि' मतक विविध वाच्य-धर्मों की अनिवार्यता पर वल देवर उन तीनों के बोग मे उमसा अभित्तव स्पीसार विद्या है। उनका बहना है यि आवाक्षा, योग्यता तथा मन्त्रिधि के वारण पदार्थों का अन्वय होने पर जो वाक्यार्थ प्रपट होता है, वह उक्त तीनों पदार्थों से प्रयत् एवम् विशिष्ट रूपरूप बनता है, जिसे वेवल, तात्पर्यवृत्ति द्वारा ही घोषणम्य विद्या जा रकता है। वग्नुत तात्पर्यवृत्ति का वाच्य अभिधा आदि शब्द-वृत्तियों द्वारा उद्बुद्ध पदों और उनों अर्थों मे पारम्परिक सम्बन्ध प्रदर्शित कर उनों माध्यम से वाक्यार्थ ना जान बराना है जिमका अब यह है यि वाक्यार्थ ही तात्पर्यार्थ है अर्थात् वाच्य ही तात्पर्यार्थ का वाच्य है। तात्पर्यवादियों वो मान्यता का एपटोररण 'पट वरोति' जेने उदाहरणों द्वारा गहन दृग्भृति मे दिया जा गवता है। इन विद्यय मे आदुमीमांस, नैयायिक तथा वैगेडिया जर्जार्यों के अभिमाविशेषत उल्लेखनीय है। मीमांसकों द्वा बहना है यि प्रत्येक वाच्य का पर्यंवमान विद्या-घोष भे होता है अर्थात् प्राप्त वाच्य विगी न जिगी प्राप्त वो विद्या के विषय मे कुछ निर्देश परला है। यदि बोर्ड अक्षिन 'पटम् वरोति' वेमे वाच्य का प्रयोग करतो उमका अर्थ पटरण वर्मे से गम्बद विद्या ही होगा। उवने वाच्य मे 'पटम्' और 'वरोति' नामक जो दो पद हैं, उममे 'वरोति' पद विद्या का वाच्य है तथा 'पटम्' पद 'पट' प्रहृति और 'अम्' प्राप्त ने थना है, जिनसे

योग से 'पट' नामक वस्तु का ज्ञान होता है। 'पटम्' पद में प्रयुक्त 'अम्' प्रत्यय कर्मत्व का वाचक है, अतः 'पटम्' पद का अर्थ 'पटाधित कर्मत्व' अथवा 'पटहण कर्म' है। 'पटम् करोति' वाक्य में जब हमें क्रमशः 'पटाधित कर्मत्व' तथा 'करोति' क्रिया के अर्थ अभिप्ना-शक्ति द्वारा ज्ञात हो जाते हैं तो उन दोनों पदों का पारस्परिक सम्बन्ध प्रदर्शित करने के लिए हमें 'तात्पर्य' नामक स्वतंत्र वृत्ति की परिकल्पना करनी पड़ती है क्योंकि उन दोनों का सम्बन्ध निर्दिष्ट करने वाला कोई भी शब्द उक्त वाक्य में नहीं है। मीमांसकों का कहना है कि तात्पर्यवृत्ति में ही ऐसी शक्ति है जो योग्यता, आकृता तथा सन्निधि द्वारा प्रवृत्त होकर पदों द्वारा वोधित पदार्थों के पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान करा सकती है। उस वृत्ति से वोधित होने वाला अर्थ ही तात्पर्यवृत्ति है, जिसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वाक्य तात्पर्यवृत्ति का वोधक होता है।

तात्पर्यवृत्ति का समर्पन करने वाले अभिहितान्वयवादी आचार्यों के मत में दो वार्ताएँ विशेषन, उन्नेशनीय हैं। उनकी प्रथम मान्यता तो यह है कि पदों के द्वारा 'विशेष' का वोध न होकर केवल 'जाति' का ही वोध होता है। 'पटम् करोति' वाक्य का अर्थवोध निरूपित करते हुए उन्होंने लिखा है कि उस वाक्य में 'पटम्' पद द्वारा 'यह पट' अथवा 'वह पट' जैसा वोध न होकर घटत्व जाति का तथा 'करोति' पद द्वारा सामान्य क्रिया का ही वोध होता है जिनके सामान्य अर्थों की पारस्परिक सम्बद्धता तात्पर्यवृत्ति द्वारा संयोजित की जाती है। इन आचार्यों की दूसरी मान्यता यह है कि तात्पर्यवृत्ति का कार्य पदों में पारस्परिक सम्बन्ध निर्दिष्ट करना न होकर पदार्थों में सम्बन्ध प्रदर्शित करना है। उनका कहना है कि 'पट' प्रहृति और 'अम्' प्रत्यय में जो आश्रयात्मिकाव-सम्बन्ध है, वह तात्पर्यवृत्ति से ज्ञात नहीं होता अपितु प्रहृति और प्रत्यय की समीपता से ही ध्यान में आता है। अभिप्राय यह है कि तात्पर्यवादियों के मत से वाक्यार्थ-वोध में तात्पर्यवृत्ति की सत्ता अनिवार्य है।

दार्शनिक व्रतिपत्ति के दिचार से तात्पर्यवृत्ति से सम्बद्ध अभिहितान्वयवाद का मिदात अत्यन्त जटिल है। उग्मका स्पष्टीकरण करने के लिए विद्वानों ने जिस प्रकार की शब्दावली प्रयुक्त की है, उससे उसकी दुरुहता और भी अधिक बढ़ गई है, किन्तु हमें उग्मके मूलम् विवेचन से विशेष प्रयोगन नहीं है। हम तो यहाँ पर उग्मका सामान्य स्वरूप ही निरूपित करना चाहते हैं जिसमें यह भपट हो सके कि इस सिद्धात के अनुसार वाक्यार्थ का वोध विस्त प्रकार होता है? यह तो एक स्पष्ट बात है कि वाक्यों का निर्माण पदों से होता है और पदार्थों द्वारा ही उनका सात्पर्य समझा जाता है किन्तु प्रश्न यह है कि उस अर्थ-वोध की प्रक्रिया क्या है? अभिहितान्वयवादियों का मत है कि हमें किसी भी वाक्य में सर्वप्रथम पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है। उस प्रतीति के पश्चात् उन पदार्थों का पारस्परिक सम्बन्ध, जो पदों से उपस्थित नहीं हो सका हो, वाक्यार्थ की मर्यादा

से प्रस्तुत होता है। इमवा अभिग्राय यह है कि पहले पदों द्वारा अभिधाशकिन ने पदार्थों वा ज्ञान होता है और तदुपरात वक्ता ने तात्पर्य के अनुसार उनवा परस्पर अन्वय या सम्बन्ध समझा जाता है जिनसे वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। इस प्रकार वाक्यार्थ-बोध के लिए अभिहित पदार्थों वा अन्वय मानने के कारण ही यह मत 'अभिहितान्वयवाद' के नाम से प्रगिढ़ है। इस मत की मुट्ठ विचारणा यह है कि पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध पदों से न होकर वक्ता के तात्पर्य के अनुसार होता है इसलिए उमेर तात्पर्यार्थ कहना समीचीन है। इस प्रकार वा वर्णन-बोध वराने वाली शब्द-शक्ति वा नाम 'तात्पर्यार्थाशक्ति' है जो अभिधा, शक्ति और व्यज्ञा नामक तीन प्रकार की शक्तियों में पृथक् श्रेणी की है। चूंकि शुभाग्नि भट्ट आदि भीमामक व्यज्ञा शक्ति वो नहीं मानते, अतः उनकी दृष्टि से 'तात्पर्यार्थाशक्ति' चतुर्थ शब्द शक्ति न होकर तृतीय शब्द-शक्ति ही है।

आचार्य ममट ने अपने सुप्रसिद्ध काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ 'वाद्य प्रकाश' में अभिहितान्वयवाद का जो परिचय दिया है, वह अपनी विलाप रचना-शीली के पारण युछ दुस्त सा बन गया है। उनके वचन वा सारांश यह है कि पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध पदार्थों द्वारा उपस्थित न होने पर आकाशा, योग्यता और सन्निधि के बल से आधारित होता है जिसे तात्पर्यार्थ कहते हैं। यदि ममट के वचन वा अनुवाद दिया जाय तो वह अनुवाद इस प्रकार होगा—

'जिन पदार्थों का स्वरूप आगे बहा जाएगा, ऐसे (पदों द्वारा अभिहित ने बल) पदार्थों वा आकाशा, योग्यता तथा मन्त्रिधि के बल ने परस्पर सम्बन्ध होने से पदों से प्रतीत होते वाला अर्थ न होने पर भी (तात्पर्य-विषयिगूत अर्थ होने के कारण) विशेष प्रकार वा तात्पर्यार्थरूप वाक्यार्थ प्रतीत होता है, ऐसा अभिहितान्वयवादियों का मत है।'¹

ममट ने उक्त वाचन में आकाशा, योग्यता और मन्त्रिधि सज्जन पदों का जो प्रयोग किया है, वह विशेष महत्व रखता है। आकाशा वा अर्थ है 'शोता का जिजामार्घ', योग्यता वा अर्थ है 'पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध' में बाधा वा अभाव और मन्त्रिधि से तात्पर्य है 'एक ही व्यक्ति द्वारा अविनम्य रूप में पदों का उच्चारण'। अनुसृत वाचन में ये तीन गुण रहने आवश्यक हैं, योग्यता इन विशेषताओं में युक्त होने पर ही वोई पद-नमूह वाक्य बहा जाता है। इन तीनों का सम्बन्ध इस दृष्टि अभिहितान्वयवादी दृष्टि के लिए सर्वप्रथम पदों के केवल कर्त्तव्यत विशेष उपस्थित होते हैं, तदुपरात पदों वो आकाशा, योग्यता और मन्त्रिधि के बल से तात्पर्यार्थाशक्ति द्वारा उन पदार्थों ने परस्पर सम्बन्ध-रूप वाक्यार्थ वा बोध होता है।

1. आकाशार्थोग्यता-मन्त्रिधिवराद्वयमाणस्वरूपाणा पदार्थाना समन्वये तात्पर्यार्थ-विशेषव्युत्पादार्थोऽपि वाक्यार्थं भमुन्मग्नोति अभिहितान्वयवादिनो मतम् ।

अन्विताभिधानवाद के अनुसार वाक्यार्थबोध

'अन्विताभिधानवाद' सिद्धान्त के प्रतिपादक आचार्य प्रभाकर गुरु और शालिकनाथ मिथ्या आदि हैं। उनके मतानुमार अभिहितान्वयवादियों का यह कथन युक्तिसंगत नहीं है कि पहले केवल पदार्थ अभिहित होने हैं और तदुपरात उनका अन्वय होने से वाक्य का अर्थ-बोध होता है। इन आचार्यों के विचारानुमार प्रथमत अन्वित पदार्थों का ही अभिधा से बोध किया जाता है और पदार्थों का अन्वय पूर्व मिद्द होने के कारण 'तात्पर्याद्याशक्ति' वी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। इम विषय का विशेष स्पष्टीकरण करते हुए इन आचार्यों ने लिखा है कि पदों से पदार्थों की जो प्रतीति होती है, वह 'सकेतप्रह' के पश्चात् होती है और संकेत का ग्रहण व्यवहार से होता है जिसका अभिप्राय यह है कि यह सकेत-प्रह केवल पदार्थ में न होकर किसी 'अन्वित पदार्थ' में होता है, अतः अन्वित का ही अभिधान अर्थात् अभिधा से बोध न होने के कारण 'अन्विताभिधान' मानना उचित है न कि 'अभिहितान्वय' मानना। मम्मट ने अन्विताभिधानवादियों का मत 'वाच्य एव वाक्यार्थः इति' मूल द्वारा व्यक्त किया है जिसका अभिप्राय यह है कि पदों द्वारा अन्वित पदार्थों की ही उपस्थिति होती है, अतएव पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध-हृण वाक्यार्थ वाच्य ही होता है, जिसे तात्पर्याद्याशक्ति का अनुवर्ती मानना उचित नहीं है।

शास्त्र-जगत् में अभिहितान्वयवाद की प्रतिष्ठा पहने हुई और अन्विताभिधानवाद को तदुपरात काल में। प्रथम सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादक आचार्य कुमारिल भट्ट हैं तो द्वितीय सिद्धान्त के प्रबत्तंक उन्हीं के शिष्य श्रीप्रभाकर गुरु। कहने की आवश्यकता नहीं कि 'प्रभाकर गुरु' यद्यपि कुमारिल भट्ट के ही शिष्य थे, किन्तु अपनी अलौकिक विवेक-शक्ति के कारण वे आचार्य द्वारा भी समादृत किये गये और उनके लिए 'गुरु' पद एक घटना-विशेष के कारण रूढ़ हो गया। उनकी प्रतिभा से अभिभूत होकर स्वयम् जाचार्य कुमारिस भट्ट ने उन्हे 'गुरु' पद से गांरबान्वित किया था। कालान्तर में 'गुरु' शब्द उनका पर्याय बन गया और उनका मत 'इतिगुरुमतम्' पद से ही उद्धृत किया जाने लगा।

अन्विताभिधानवादियों का मत है कि 'चैत्र गामानम्', 'देवदत्त अस्वमानम्', 'देवदत्त गा नय' अर्थात् 'चैत्र, गाय लाओ', 'देवदत्त, धोड़ा लाओ, देवदत्त, गाय ले जाओ' आदि विभिन्न वाक्यों के प्रयोगों और उनकी क्रियाओं को देखकर ही वालक शब्द-विशेषों से अर्थ-विशेषों का निश्चय करता है, जिसका आशय यह है कि इम प्रकार की अन्वय-व्यतिरेक की पद्धति में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति करने वाला वाक्य ही प्रयोगार्ह होता है। अत वाक्य में स्थित अन्वित पदों का ही अन्वित पदार्थों के साथ संकेत-ग्रहण किया जाता है। इमसे स्पष्ट है कि 'अन्वय-विशिष्ट' अथवा 'परस्परान्वित पदार्थ' ही वाक्यार्थ है न कि 'अनन्वित पदार्थों का वैशिष्ट्य'।

सूत्र रूप से वहा जा सकता है कि यदि अन्विताभिधानवादियों वे मतानुसार 'विशिष्टा एव पदार्था वाक्यार्था' हैं तो अभिहितान्वयवादियों की विचारधारा में 'न तु पदार्थाना वैशिष्ट्यम्' मानना उचित है। व्यावहारिक दृष्टि में हम अन्विताभिधानवादियों का मत ही अधिक युक्तिमग्नत प्रतीत होता है क्योंकि अन्वित पदार्थ ही वाक्यार्थ वे रूप में उपस्थित होते हैं न कि पदार्थ की उपस्थिति वे परचात् उनका अन्वय होता है। यहाँ इन बात दा उल्लेख बरना भी आवश्यक है कि वाक्यार्थ-बोध के जिन दो मतों दा विशेषण 'अभिहितान्वयवाद' और 'अन्विताभिधानवाद' के नाम से किया गया है उनके ममन्वय की चेप्टा भी कठिपय आवाशों ने की है। आचार्य ममट न शब्द-'व्यापार'-विचार' के अन्वर्णन दोनों के समुच्चय वा प्रतिपादन किया है तो आचार्य मुकुल भट्ट न अभिधावृति-मातृका' नामक शब्द भ म इस मिदान्त पर बल दिया है कि या ना पदा या अपना-अपना सामान्यमूल वाक्य अर्थ होता है किन्तु वाक्य ग पदार्थ परन्पर अन्वित ही होते हैं जिसका अभिप्राय यह है कि यदि ऐपान पदों की अपेक्षा न अभिहितान्वयवाद उत्पन्न होता है तो वाक्य की अपेक्षा मे अन्विताभिधानवाद की सिद्धि होती है। इम प्रकार इन दोनों के समुच्चय का मिदान्त हो याहु है। इस विषय मे 'अभिधावृति-मातृकावाद' ने शब्द उत्तेजनीय है—

'अन्वेषा मत तु पदाना तत्त्वाभासान्वयमूर्तो वाच्यार्थं वाक्यस्य तु परस्परान्विन-पदार्था इति पदापेक्षया अभिहितान्वय वाक्यापेक्षया तु अन्विताभिधानम्। एव च तयोः अभिहितान्वयान्विनाभिधानयो नमुच्चय इति।'

'सामान्य-विशेष' मे ही सरेतप्रहु वराने को शक्ति है

'अन्वित पदार्थ म ही सरेतप्रहु हो सकता है, ऐपाल पदार्थ मे नहीं' यह बात तो व्यवहारमहत है, किन्तु शास्त्रवोध की प्रतिक्रिया दो ममन्त्रों के लिए इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है। प्रथम गृह उपस्थित दोना है कि यह अन्वय या सम्बन्ध विस्तीर्ण अर्थ के साथ होता है अपवा सामान्य अर्थ के साथ ? यदि विशेष अर्थ के साथ अन्वित अर्थ मे 'शक्तिप्रहु' माना जाए तो 'साथ लान्पो' भारि के व्यवहार से होने वाला शक्तिप्रहु ऐपाल 'गो-विशिष्ट भानपन' पर्यन्त ही सोमित हो जाएगा और उसमे 'अश्वमानय' जर्थान् घोडा साथो जर्गे प्रपोगो का अर्थज्ञान नहीं हो सोगा। इसका परिणाम यह होगा कि विस्तीर्ण एव अर्थ के साथ अन्वित रूप मे शक्तिप्रहु मानने पर प्रत्येक शब्द का भिन्न-भिन्न वाक्यों मे भिन्न-भिन्न शब्दों के साथ होने वाला प्रयोग जन्म वाक्यों मे प्रयुक्त उभी शब्द मे अर्थ-बोध नहीं बरा ज्येगा। यस्तु नामान्य रूप मे अन्वित अर्थ म ही मवनप्रट माना जा गराता है, किन्तु इस मिदान्त मे विस्तीर्ण प्रवार की जगत्ता वाक्याना मे बनन के लिए यह कहना अधिक उचित है कि यो तो नामान्यत अन्य पदार्थ के साथ

अनिवार्य में ही सकेतप्रहृ होता है, विशेष में अनिवार्य में नहीं, तथापि परस्पर सम्बद्ध पदार्थों के तथाभूत विशेष रूप ही होने से 'निविशेष न सामान्य' इस नियम के अनुगार सामान्य से अवच्छेदित होने पर ही वह सकेतप्रहृ विशेष रूप में परिणत हो जाता है। जन्मिताभिधानवादियों का यह मत यद्यपि रूप में माननीय है, क्योंकि विशेष के बिना कोई सामान्य नहीं रहता और सामान्य रूप में अनिवार्य अर्थ का पर्यावरण भी विशेष में ही होता है। ऐसी परिस्थिति में 'सामान्य विशेष' में ही सकेतप्रहृ मानना समुचित है।

'अतिविशेष' में 'सकेतप्रहृ' मानना उचित नहीं है

सकेतप्रहृ अथवा अर्थवोध वी प्रतिया के विश्लेषण में गामान्य और 'सामान्य-विशेष' के अतिरिक्त 'अतिविशेष' पद का भी उपयोग किया जाता है। यदि सामान्य का अर्थ 'साधारण रूप से अनिवार्य मात्र' माना जाए तो 'सामान्य-विशेष' का अर्थ 'कमत्वादि रूप से अनिवार्य' वहा जा सकता है। उस स्थिति में 'अतिविशेष' का अर्थ होगा 'गो-अश्व आदि श्यवित-विशेष के साथ अनिवार्य'। व्यजनावादियों का मत है कि गामान्य रूप से अनिवार्य अर्थ में सकेतप्रहृ मानने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर तो यह श्यवहार हो जाएगा कि यदि किसी को घड़ा भौंगाना अभीष्ट है और वह 'घड़ा लाओ' कहने के स्थान पर 'वस्तु लाओ' वहे तो उससे आनयन-श्रिया करने वाला श्यवित 'घड़ा लाओ' यह अर्थ नहीं समझ सकेगा। यो तो 'वस्तु' शब्द से सभी वस्तुओं का बोध होने के कारण वहूँ घड़े का भी बोधक हो सकता है, जिन्हुंने 'वस्तु लाओ' इस वाक्य में सामान्य रूप से घट के ग्राहक 'वस्तु' शब्द से काम नहीं चलता। उसके लिए विशेष रूप से 'घट' शब्द का ही प्रयोग करना होगा। इस दोष से बचने के लिए ही अनिवार्याभिधानवादियों ने 'सामान्य-विशेष' में सकेत-प्रहृ माना है। 'अतिविशेष' रूप में सकेतप्रहृ मानना उचित नहीं है, क्योंकि वैगा मानने पर उसमें 'आनन्द' तथा 'व्यभिचार' सङ्कर दोष आ जाते हैं। इस विषय में व्यजनावादियों का कहना है कि किसी वाक्यार्थ में श्यवितरूप 'अनिविशेष' अर्थ अस्मेतित होने से वाक्यार्थ नहीं हो सकता, अतः उसका बोध कराने के लिए अभिधाशक्ति से भिन्न शब्द-शक्ति की आवश्यकता होती है। वस्तुतः वह शक्ति 'व्यजना' ही है, क्योंकि उसी में व्याख्यार्थ की प्रतीति कराने की क्षमता रहती है।

शब्द-शक्ति और अर्थप्रतीति के विविध रूप

प्रयोग अथवा अनुभव से सिद्ध है कि काव्य में प्रयुक्त किए गये प्रायः तीनों प्रकार के शब्दों क्षेत्र अर्थों का व्यञ्जन भी होता है जो वही वाक्यार्थ की व्यञ्जना से व्यक्त होता है तो कहीं लक्ष्यार्थ कि व्यनि से निरूपित किया जाता है। काव्य-साहित्य में ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध होते हैं जहाँ व्याख्यार्थ का भी व्यञ्जन

होता है। इन भिन्न भिन्न अर्थों के व्यञ्जनत्व वा विवेचन न करने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम प्रथमत वाचकादि शब्दों के स्वरूप तथा उनसी शक्तियों से परिचित हो जाएं जिनसे हमें वाच्यादि अर्थों की बोध-प्रक्रिया वा ज्ञान हो सके और उसी गम में शब्द-शक्ति और अर्थ-प्रतीक्षा के विविध रूपों की व्यञ्जनता वा ज्ञान करने में भी सुविधा रहे।

अभिधा-शब्दबोध की प्रमुख शक्ति

शास्त्र-बोध की प्रमुख शक्ति के रूप में अभिधावृत्ति वी महता मभी आचार्यों ने स्वीकार नी है। उस शब्द-शक्ति द्वारा ज्ञान होने वाले अर्थ को अभिधेयार्थ अथवा वाच्यार्थ भी कहा जाता है। शब्द वी प्रमुख शक्ति के रूप में व्याख्यात होने के कारण उसमें अभिहित अर्थ मुख्यार्थ भी बहलाता है। उससे बोधिन होने वाले शब्द की सज्जा 'वाचक' है, जिससे सर्वेतप्रह वो ध्यान में रखत हुए आचार्यों ने अर्थ-प्रतीक्षा के बनेक साधन निरूपित किय हैं।

अभिधा शक्ति, वाचक' शब्द और सर्वेतप्रह अर्थवा अर्थ प्रतीक्षा के साप्तन

अभिधा-शक्ति में सर्वप्रथम वाचक शब्द वा विचार निया जाता है, जिसका सामान्य लक्षण यह है कि वह शब्द अभिधा शक्ति द्वारा साक्षात् सर्वेतित अर्थ व्यक्त करता है।¹ लोक-व्यवहार से प्रकट है कि सर्वेत-यह आदि द्वारा ही शब्द से अर्थ की प्रतीक्षा होती है जिसका अर्थ यह है कि सर्वेत वी सहायता से ही कोई शब्द विभी अर्थ-विशेष का प्रतिपादन करता है। गुलराम् जिस शब्द का जहाँ जिस अर्थ भ अव्यवधान से सर्वेत-प्रत्यक्ष होता है, वह शब्द उस अर्थ का वाचक बहलाता है।

छोटे बालकों वो विस प्रवार मर्वेतप्रह होता है, इस विषय के अनेक उदाहरण लोक-व्यवहार से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जन्मिताभिधानवादियों ने इसका विवेचन विशेष रूप से किया है। उनका मत है कि छोटे बालक जब बड़ों के मुख से कोई वाक्य मुनते हैं और उनके अनुमार अपने अप्नज या अनुचर आदि वो क्रिया करते हुए देखते हैं तो उनके मन पर श्रूयमाण समाइटिवाग्य के समर्टिभूत अर्थ का एक सस्कार बनता है। इस प्रवार भिन्न-भिन्न प्रसारों में अनेक बार वे शब्द-व्यवहारों द्वारा वे शब्दों के पृथक-पृथक अर्थ समझने सकते हैं जिसका तात्पर्य यह है कि व्यवहार से सर्वेतप्रह होता है। सर्वेतप्रह वी उस प्रक्रिया वो 'आवायोद्वाप' वी प्रक्रिया पहते हैं जिसका अर्थ है 'व्यवहार' में एक

1. साक्षात्मवेनित यो अर्थभिधतं स वाचकः (वाच्यप्रकाश 2/7)

शब्द को हटाकर उमके स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करते हुए एक अर्थ के स्थान पर दूसरे अर्थ का अभिनिवेश करना।¹ उदाहरणार्थं यदि कोई उत्तम बृद्ध किसी मध्यम बृद्ध को पुस्तक माने की आज्ञा दे और तदुपरांत पुस्तक रधकर सेषुनी लाने का आदेश दे और मध्यम बृद्ध उसी के अनुगाम किया करे तो उन दोनों प्रकार की क्रियाओं को देखने वाला बालक यथवहार द्वारा समेतप्रह करेगा और वह प्रहृण 'आवापोदाप' की प्रतिया से सम्पन्न होगा। वस्तुतः यह सोक-यथवहार समेतप्रह का प्रधान साधन है।

लोकव्यवहार के अनिवार्य समेत-यथवहार के और भी अनेक साधन हैं जो व्याकरण, उपमान, कोग, आप्तवाक्य, यथवहार, वाक्य-बोध, विद्वति तथा सिद्ध-पद के भानिध्य द्वारा अर्थ-बोध या समेतप्रह करते हैं।¹ नामेश्वर ने अपने प्रमिद पद 'परमनपुमंजूपा' में व्याकरण आदि उपर्युक्त आठों (गाधनों) का विवेचन किया है जिनसे इम बात का पता चलता है कि मरेत का जान किन-किन उपायों अथवा साधनों से होता है? 'व्याकरण' द्वारा होने वाले समेत-ज्ञान के उदाहरण में 'भू सत्तायाम्' आदि धातुपाठ तथा 'साधवतम करणम्' आदि गूढ़ रखे जा सकते हैं जिनसे भू-धातु तथा करण कारक आदि पदों का समेतप्रह व्याकरण द्वारा होता है। 'उपमान' द्वारा होने वाले अर्थ-बोध का उदाहरण 'यथा शीस्तया गवय' है। इसका यह अभिप्राय है कि जो अद्वित गवय को हो जानता है किन्तु गवय (नीलगाय) को नहीं जानता, उमके राम्युष यदि उपर्युक्त वाक्य कहा जाए तो वह उपमान-प्रमाण की महाप्रता से 'गवय' पद का भी समेतप्रह (अर्थ-बोध) कर लेगा। 'कोप' द्वारा किंतु जाने वाले मकेतप्रह के निहण की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि कोपकृत अर्थ-बोध से तो सभी परिचित हैं। 'आवापोदाप' द्वारा होने वाले सकेतप्रह के उदाहरण भाता-पिता और युरुजनों के बावजूद हैं जिनके अनुमार वालक सकेतबोध करता है। 'यथवहार' से होने वाले संकेत-प्रह का विवेचन हम अन्विताभिधानवादियों की मान्यता के स्पष्टीकरण के प्रस्तुत में कर ही चुके हैं। 'वाक्यशेष' से अर्थ-बोध होने का अर्थ है किसी शब्द के अर्थ के विषय में सदैह होने पर आगे आने वाले सदर्थ से अर्थ का निश्चय किया जाना। उदाहरणार्थं यदि कोई यह कहे कि 'यव ना यरु चनाओं' तो श्रोता को 'यव' पद का अर्थ जानने में कठिनाई होती है, किन्तु यव इसी बावजूद के पश्चात् आगे वाले इस बावजूद से कि 'जव अन्य वनस्पतियौ मूर्ख जाती हैं तो भी यव हरे-भरे होते हैं', श्रोता को 'यव' शब्द का अर्थ अदिलम्ब रूप से ज्ञात हो जाता है। 'विद्वति' का अर्थ है विवरण या व्याकरण। यह भी अर्थ-बोध का एक साधन है। उदाहरणार्थं कानिदास की 'अथ नवनसमुत्थं ज्योतिरप्ते रिव द्यौं' नामक

1. शक्तिप्रहं व्याकरणोपमानकोपात्वाक्याद्यवहारतप्य।

वाक्यपद्य शेषादिविवृत्तेवंदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य। (काव्यप्रकाश 2/8)

पक्षित वा अर्थ-बोध हमे मल्लिनाय वा विवृति (व्याख्या) से होता है, जिसमें 'अत्रिनयन समुत्पद्योति' वा अर्थ 'चन्द्रमा' बिया गया है। 'रान्निधि' के द्वारा दिया जाने वाले सर्वेत-बोध वा उदाहरण 'रामभृणी' और 'राम लक्ष्मणी' पद हैं जिनमें प्रयुक्त 'राम' शब्द वे अर्थ नमश बलराम और 'दशरथनन्य राम' हैं। इसी प्रकार 'रामार्जुनी' पद में प्रयुक्त 'राम' वा अर्थ 'परशुराम' है। इन अर्थों वा निश्चय सनिधि-स्थित पदों के बारण ही होता है।

सर्वेतबोध के विषय में दार्शनिक प्रतिपत्तियाँ

'सर्वेतबोध' अथवा शक्तिप्राप्ति का विषय अत्यत रचिकर है। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न दार्शनिक प्रतिपत्तियाँ द्वारा उसकी विवेचना की है। नैयायिका ने 'अस्मात् शब्दादयमयोः बोद्धध्य इति ईश्वरेच्छा सरेत्' द्वारा 'सत्ताओं का सर्वेत ईश्वरेच्छा से उत्पन्न होता है' ऐसा माना है तो नव्य नैयायिका द्वारा प्रतिपादित 'इच्छामात्र सरेत्' के आधार पर यह मिळ होता है कि सर्वेत वी उत्पत्ति म हमारी इच्छा ही बारण होती है। एक्षोट्वादी वैष्णवरणा की मान्यता है कि न तो ईश्वर की इच्छा ही शब्दार्थों से सम्बन्ध विसर्ण वर सर्वती है और न भनुप्य वी रामना ही। वस्तुत पद और पदार्थ में वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध है जिसका निर्माण इतरेतरात्म्याम द्वारा उत्पन्न हुए तादात्म्य के बारण होता है। इस विषय म यद्यपि पतनात्मि वा भ्रत है कि किसी पदार्थ के सदृश वरके उच्चरित शब्द', जिस पदार्थ को लेवर उम शब्द वा उच्चारण बिया गया है, वह उसका अर्थ एक उस शब्द से उस अर्थे का हम जो बोध होता है वह उसका 'प्रत्यय'—ये तीनों एक दूसरे से वस्तुत भिन्न हैं, जिन्हें उनका एक दूसरे पर बधाया होता है, जहाँ तीनों का सहर होने पर (शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतरात्म्यामात्मकर पातजलसूत्र ३/१७) वे एकरूप से भासमान होते हैं। उदाहरणार्थ यदि हीई बधायापद अपने विद्यार्थी वो यह आज्ञा दे कि 'पुस्तव लाओ' तो इस बाक्य को मुनते ही विद्यार्थी वो जो बोध होता है, वह शुतिरूप प्रत्यय वहा जा सकता है। विद्यार्थी जिस वस्तु पर लाता है, वह पदार्थ और उसका यह प्रत्यय एक दूसरे से भिन्न है। पुस्तव-शब्द, पुस्तव-बोध और 'पुस्तव'—पदार्थ एक दूसरे से भिन्न होने पर भी उसी प्रकार एकरूप लगते हैं, जिस प्रकार हम 'गोरिति शब्द गोरित्पर्य , गोरिति जानम्' का अनुभव बरते हैं।

वस्तुत शब्दार्थों का इतरेतरात्म्यात ही सर्वेत है, जिसमें बारण होने याता तादात्म्य ही शब्दार्थगत सम्बन्ध है। वास्तव में जो एक दूसरे से भिन्न है, उनकी अभेद रो प्रतीति होना ही तादात्म्य है। शब्द और अर्थ परस्पर भिन्न होने पर भी अभिन्न रूप में प्रतीत होते हैं। उनमें भेद भास्तवित होता है और अभेद अप्यन्त, पतनात्म्य भेद और अभेद के एकरूप होने पर भी उनमें विरोध नहीं होता। अभिप्राय यह है कि शब्दार्थों वा इतरेतरात्म्यात ही सर्वेत वा स्वरूप है। वह

संवेत समूनिष्टप भी होता है। वैयाकरणों ने संवेत को समृद्धात्मक कह कर यह सत्य निहित किया है कि संवेत का पूर्वग्राम होने से ही अर्थ का बोध नहीं होता, अर्थात् शब्द का साथ उनका स्मरण भी होना चाहिए, क्योंकि संवेत का ज्ञान होने पर भी यदि गृहित न हो तो अर्थ पा बोध नहीं हो सकेगा। यों से आवायों ने वाच्यार्थ में समान सद्यार्थ में भी एक दृष्टि से शब्द का संवेत माना है, जिन्हुंने सद्यार्थ में शब्द का 'अव्यवहित संवेत' होता है, जबकि वाच्यार्थ में शब्द का 'अव्यवहित संवेत'। यसकुल: अव्यवहित संवेत ही मात्रात् संवेत है, अतएव वाच्यार्थ की मात्रात् संकेतिनार्थ भी बहने हैं। जिस शब्द का जिस अर्थ से साधात् संवेत रहता है वह शब्द उन अर्थ का बाबक है और वह वर्ण उत्तर शब्द का वाच्य, अतः उन दोनों में वाच्यवाचक सम्बन्ध है।

संकेतित अर्थ के भेद

जिन संकेतित अर्थ का पूर्व अनुच्छेद में विवेचन किया गया है, उसके भेदों की संख्या के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। वैयाकरणों के अनुसार संकेतितार्थ के 'जाति', 'गुण', 'रिदा' और 'इय' नामक चार भेद हैं तो भीमामकों के मतानुसार संकेतितार्थ का वेवल एक ही रूप है और वह ही 'जाति'। नैयायिकों के मत से संवेत जाति-विशिष्ट इच्छित में निहित है तो बीदों के अनुगमार वह 'अन्यापोह' रूप है। यतिग्रथ नैयायिक उग्र वेवल 'ध्वित-निहित' ही मानते हैं। इन मान्यताओं का विवेचन करने से पूर्व हम यही एक मुख्य संकेत करना चाहते हैं और वह यह है कि संवेत-विषयक भौतों में वैयाकरणों का मत ही साहित्यशास्त्रियों को अधिक सुआहा प्रतीत हुआ है।

भीमामकों के मतानुसार 'जाति' में संवेतप्रह

भीमामकों के मतानुसार संकेतित अर्थ जाति, गुण, क्रिया तथा यदृच्छा रूप नहीं होता, अपितु वह तो केवल 'जाति' में ही रहता है। उनका वर्णन है कि केवल 'जाति' को ही शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त या संकेतप्रह मानना चाहिए। उनकी धारणा है कि जाति-शब्दों के समान गुण, क्रिया तथा यदृच्छा शब्दों में भी 'जाति' में ही संकेतप्रह मानना समीचीन है, क्योंकि 'अनुगत' या 'एकाकार प्रतीति' के बाबण को ही 'सामान्य' या 'जाति' कहते हैं। गुण, क्रिया और यदृच्छा शब्दों में भी जाति का अनुरूपान किया जा सकता है। उदाहरणार्थ हिंग, दुष्ट और शंख आदि शुल्क पदार्थों में 'शुल्क शुकलः' यह अनुगत या एकाकार प्रतीति होती है जिसका कारण 'शुक्लत्व-सामान्य' या 'शुक्लत्व जाति' है। इसी प्रकार गुड और तण्डुल आदि पदार्थों में रहने वाली पाकक्रिया में अनुगत प्रतीति का कारण 'पाकत्व सामान्य' है। इसी प्रकार विभिन्न ध्यायितयों द्वारा उच्चरित यदृच्छा शब्द और प्रतिक्षण परिणाम के कारण विद्यमान उनके

अर्थों में भी 'मामान्य' का अनुसंधान किया जा सकता है। इसलिए जानि-शब्दों के समान गुण और किया आदि में भी सर्वेतप्त मानना चाहिए, क्योंकि जानि ही उन शब्दों का प्रवृत्ति-निमित्त है।

मीमांसकों ने 'जाति' या 'सामान्य' के स्थान में दो बातें आवश्यक बताई हैं—एक सामान्य ही अनुवृत्ति—प्रत्यय अर्थात् एकावार-प्रतीति का कारण होता है (अनुवृत्ति प्रत्ययहेतु सामान्यम् ।) दूसरे बहु नित्य और अनेक में सम्बन्ध होता है (नित्यत्वे सत्यमनेकसम्बन्धत्वमामान्यम् ।) इन लक्षणों के अनुमार शुबलत्व आदि को 'सामान्य' या 'जाति' मानने में किसी प्रवार की कोई बिठाई नहीं होती, क्योंकि भिन्न-भिन्न पदार्थों में रहने वाले 'शुबल' स्पष्ट भिन्न-भिन्न हैं। मीमांसकों का मत है कि भिन्न-भिन्न पदार्थों में रहने वाले शुबलत्व आदि घटों को अभिन्न मानना अनुभवमिष्ट नहीं है क्योंकि प्रत्येक बी प्रतीति में कुछ न-कुछ अन्तर रहता ही है। अत उन्ह तत्त्वत भिन्न मानन हुए ही उनमें अनुगत या एकावार प्रतीति का कारण शुबलत्व-जाति को मानना सुवित्सगत है। इसी प्रवार पाद आदि नियाओं में भी पारमार्थिक भेद होने के कारण उनमें भी पारत्व आदि जाति को प्रवृत्ति निमित्त मानना ही उचित है। इससे स्पष्ट है कि गुण (शुबलत्व) तथा किया (पारत्व) शब्दों में भी जाति को ही प्रवृत्ति-निमित्त मानकर उन्हीं में सर्वेतप्त मिया जाता है।

मीमांसकों ने 'जाति' या 'सामान्य' के स्थान में जिस 'अनेकसम्बन्धत्व' का गम्भावेश किया है, उससे यदृच्छा शब्दों में जानि यों प्रवृत्ति-निमित्त मानने में कुछ बिठाई होनी है, जिन्ह मीमांसकों ने उसके निराकारण का भी उपाय अनुसंधित कर लिया है। कम्तु उनके सम्मुख विरोधी विचारको द्वारा विवेचित यह प्रश्न भी उपस्थित रहा है कि जाति में 'अनेकसम्बन्धत्व' धर्म मानने से यदृच्छा शब्दों का जानित्व सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जाति तो अनेक व्यक्तियों में रहने वाला अनेक सम्बन्धधर्म है जितु पदृच्छा शब्दों में स्फोट स्पष्ट शब्द तथा उसका वाच्यार्थ व्यक्ति-विशेष भी एक है, अत उसमें जाति की वल्यना कैसे बी जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर देने हुए उन्होंने किया है कि उच्चारण करने वाले व्यक्तियों के भेद से शब्दों में एकम् प्रतिक्षण होने वाले बृद्धि या हासस्पष्ट परिवर्तन के आधार पर व्यक्तियों में भी भेद बी बनना बरना सहज सम्बद्ध है। उच्चारण-प्रतिक्षण, 'दित्य' आदि यदृच्छा शब्दों का उच्चारण, वाक्य, नृदृश्यणी और शुद्ध आदि प्राणों अपने-अपने द्वारा भरते हैं जिनके कारण एक ही व्यक्तिवाचक शब्द उच्चारण-भेद के कारण भिन्न-भिन्न या अनेकत्वस्पष्ट होता है, जिन्ह उनमें द्वारा बोधित पदार्थ में अनुगत-प्रतीति करने यानी 'दित्यत्व' आदि जानि बी मामान्य बनना भी बी जा गक्नी है। मीमांसकों ने 'प्रतीतिशरणामिनो हि सर्वं भावा श्रुते चिनिशक्ने' मिदान्त के अनुमार भी यदृच्छा शब्दों का सर्वेतप्त

'जाति' में लिह किया है वर्तोंकि एहमान देतन आत्मा को छोड़कर अन्य समस्त पश्चार्थों में प्रतिष्ठापन परिणाम और परिवर्तन होता है जिससे स्पष्ट है कि उनके कारण पद्मचाता-शब्दों के बाब्याप्यं श्वसियों में भी भेद की कल्पना करने हुए उनमें अनुग्रह-दर्शीति के कारणहप में 'जाति' को माना जा याता है। माराग यह है कि मीमांसकों के मनानुग्रार जाति, गुण, शिक्षा और पद्मचाता पार शब्दों के स्थान पर वेचन 'जाति' में ही शक्ति या संकेतशह रानना पर्याप्त है। मीमांसकों द्वी इम मान्यता का निष्पत्त करने के लिए ही आवायं ममट ने वैयाकरणों द्वी मान्यना के अनुसर 'मरेतिवद्यतुमेंदोनाच्यादि' इहकर उपरो गाय 'जातिरेत या' पद नह भी प्रयोग किया है जो मीमांसकों की मान्यता की ओर मंत्रेत धरता है। ममट वे शब्दों में भीमांसकों के मत का माराग निम्ननिमित्त है—

"हिमुग्रापाद्याप्यदेषु परमाप्यतो भिन्नेषु शुवरादिषु पदवेत्तु शुक्लं शुक्लं इत्यभिन्नामिधानप्रत्ययोत्पत्तिस्तत् शुक्लव्यादि गामान्यम् । गुडतंद्वासादिगवा-दिव्येषमेव पास्तवादि । वालवृद्धुगुडुदीरितेषु दित्यादिशब्देषु च प्रतिशंगं शिव-मानेषु दित्यपद्येषु वा दित्यत्वापात्तीनि मर्वेण शम्भाना जातिरेव प्रवृत्तिनिमित्त-प्रित्यन्ते ।"

कहुने को अवश्यकता नहीं कि ममट ने उक्त विवेचन में 'अन्य' एवं का प्रयोग मीमांसकों के लिए किया है जिनके विचारों के प्रति उन्हें आस्था नहीं थी और जिनका उहोने उत्तरदा के लिए यहाँ किया है।

नैयायिकों और थोड़ों के सकेतप्रह-विद्यम अभिपत

संकेतशह के सम्बन्ध में नैयायिकों का मत भीमांसकों से भिन्न है। उनका कहना है कि सकेतप्रह न तो केवल जाति में ही गाना जा सकता है और न केवल व्यक्ति में ही। केवल व्यक्ति में ही सकेतप्रह मानने से उसमें 'आनन्द्य' और 'व्यभिचार' नामक दोष आ जाते हैं तो केवल जाति में शक्तिशह (सकेतप्रह) मानने पर शब्द में केवल जाति ही उपस्थिति हीने के कारण व्यक्ति का दोष नहीं हो पाता। परं जाति में शक्ति मानसर आक्षेप में व्यक्ति का दोष किया जाता तो उनका शब्द-बोध में अन्वय नहीं हो सकेगा क्योंकि 'शाद्दी हि आकाश्च शब्देनैव पूर्वते' के अनुमार शब्द-शक्ति से सम्बन्ध वर्ष का ही शब्द-बोध में अन्वय हो सकता है। ऐसी स्थिति में नैयायिकों का मत है कि व्यवत्याकृतजातियमतु पदार्थः (ग्यापसूत्र २,२,६८) के अनुग्रार जाति तथा आकृति में भिन्न, विगिष्ट व्यक्ति-पद से ही सकेतप्रह किया जाता है।

बीड़ दर्जन के अनुग्रार शब्द का अर्थ 'अपोह' या 'अनद्यमावृति' है। उनका मत 'क्षणभंगवाद' पर रिपत है जिनका आग्रह यह है कि संसार के समस्त पदार्थ

क्षणिक हैं, अतः 'सामान्य' जैसे विसी नित्य पदार्थ की वत्पना नहीं की जा सकती। वे भीमासकों द्वारा प्रतिपादित अनुगत-प्रतीति का बारण 'अपोह' को मानते हैं। उनका अपोह 'तदिमलभिन्नत्व' का पर्याप्त है जिसका अर्थ यह है कि दम घट-व्यक्तियों में 'घट घट' इस प्रकार की जो अनुगत-प्रतीति होती है उसका बारण 'अपट-व्यावृत्ति' या 'घटभिन्नभिन्नत्व' है। प्रत्येक घट-अघट अर्थात् घट-भिन्न मन्मूर्ण जगत् से भिन्न है इसलिए उसमें 'घट घट' यह एक लो प्रतीति होती है। बीजों के मत में 'अपोह' ही शब्द का अर्थ होता है और उसी में सर्वेतप्रह मानना चाहिए।

वैयाकरणों का अभिमत

सर्वेतप्रह के विषय में वैयाकरणा ने जो अभिमत व्यक्त किया है, वह वाव्यशास्त्रियों को भी मान्य है। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने 'चतुष्टयो च शब्दाना प्रवृत्ति, जातिगदा, गुणशब्दा, त्रियाशब्दा, यदृच्छा शब्दाश्चतुर्था' लिख वर शब्दों के चार प्रकार (जाति, गुण, त्रिया और यदृच्छा) गाने हैं। व्यक्ति में जक्षित मानने पर उपर्युक्त चारों प्रकार का शब्द-विभाग नहीं बन सकता अतः व्यक्ति के उपाधिभूत जाति, गुण, त्रिया और यदृच्छा रूप धर्मों में ही सर्वेतप्रह मानना उचित है। महाभाष्यकार का मत है कि 'गो शुक्लश्चत्वाऽदित्य, वर्षात् 'सफेद रंग की चलती हुई दित्य नामक गाय' वाक्य में जाति-शब्द वे रूप में 'गो' पद का, गुण-शब्द के रूप में 'शुक्ल' पद का, त्रिया शब्द के रूप में 'चतुर्थः' पद का और यदृच्छा शब्द के रूप में 'दित्य' पद का प्रयोग होने से यह स्पष्ट है कि शब्दों की प्रवृत्ति चार प्रकार की होती है। इस विषय में आचार्य मम्मट ने भी विविध उपोरम्भिति द्वारा पहरी भिन्न वर्तने की चेष्टा की है कि सर्वेतप्रह वा आधार व्यक्ति नहीं, अपिनु उसके उपाधिभूत पूर्वोक्त चारों धर्म ही हैं। यहाँ पर प्रमाण वेवल दृष्टना ही है कि वया सर्वेतप्रह के लिए जाति, गुण, त्रिया और यदृच्छा नामक चारों पदार्थों की सत्ता मानना आवश्यक है? इसका उत्तर हम इस विषय का तत्त्वपूर्ण विमर्श वरने ही देना उचित समझते हैं।

सर्वेतप्रह वा तात्त्विक विमर्श

व्यावहारिक दूष्टि में विचार वर्तने पर इस विषय पर गहरा ही बोध किया जा सकता है कि रागार में आनन्दन तथा अपनन्दन आदि रूपों में जितनी भी अर्थ-त्रियाएँ की जाती हैं, उन सबका निर्वाहक व्यक्ति ही है और वही सब प्रकार के प्रवृत्ति-निवृत्ति-स्वरूप व्यवहार वर्तने की क्षमता रखता है। इससे स्पष्ट है कि मूलत व्यवहार द्वारा होने वाला सर्वेतप्रह व्यक्ति में ही श्वीकार किया जाना चाहिए। गम्भीरतापूर्वक विचार वर्तने पर वह मान्यता भी निर्दोष और तमुचित नहीं जान पहती, वर्णोंविद् इसको मानने पर उक्त मिद्दाल में 'आनन्द' तथा

'व्यभिचार' संशक दोष था जाते हैं। आनन्द दोष की स्थिति का आधार यह है कि यदि किसी व्यक्ति-विशेष में ही सकेतप्रह माना जाय तो उस दशा में शब्द दोषारा केवल उस व्यक्ति-विशेष की उपस्थिति होगी जिसमें सकेतप्रह किया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि एक 'गो' शब्द से प्रतीत होने वाली सभी 'गो-व्यक्तियों' में पृथक्-पृथक् भकेतप्रह मानना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप अनत शक्तियों की कल्पना करनी होगी। वस्तुत, 'आनन्द' दोष या यही अभिप्राय है। यदि इस दोष से बचने के लिए यह कहा जाय कि समस्त व्यक्तियों में अलग-अलग सकेतप्रह मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दो चार व्यक्तियों में ही व्यवहार से सकेतप्रह हो जाना है और शेष व्यक्तियों का बोध सकेतप्रह के बिना भी होता रहता है तो भी उचित नहीं है क्योंकि इस स्थिति में 'व्यभिचार-दोष' आ जाता है। व्यभिचार वा अर्थ ही है 'नियम का उल्लंघन'। प्रस्तुत विवेचन में व्यभिचार अथवा नियम के उल्लंघन को बात उभय समय उपस्थित होजानी है जब हम यह मान लेते हैं कि गो शब्द से गो-व्यक्तियों का बोध बिना सकेतप्रह के ही हो जाता है। व्यक्ति में सकेतप्रह मानने में एक कठिनाई यह भी है कि व्यवहारिक दृष्टि से तो घर्तमान देश और काल के गो इत्यादि व्यक्तियों में भले ही सकेतप्रह हो सके किन्तु भूत, भविष्य और देशातर या वालांतर के समस्त गो-व्यक्तियों में सकेतप्रह सम्भव भी नहीं है, इसलिए व्यक्ति में सकेतप्रह नहीं हो सकता।

तो फिर सकेतप्रह किसमें माना जाय? इसका सौधा सा उत्तर यह है कि व्यक्ति के उपाधिभूत धर्म, जाति, गुण, क्रिया और मद्दृष्टा शब्दों में। वैयाकरणों की भाँति मम्मट ने भी उपाधि के दो रूप माने हैं— १. वस्तुधर्म और २. वक्ता-की यदृच्छा से सन्तुष्टिरूप। वस्तुधर्म भी दो प्रकार का है— १. सिद्ध रूप २. माध्यरूप। सिद्धरूप के दो भेद हैं— १. पदार्थ का प्राणप्रद या जीवनाधार्यक रूप और २. विशेषता के आधान का हेतु-रूप। इनमें से पहला अर्थात् पदार्थ का प्राणप्रद मिद्ध धर्म 'जाति' वहलाता है। वाक्यपदीयकार भर्तृहरि ने भी लिखा है कि "गो स्वहपत, न गो होती है और न अ-गो। वह तो गोत्व जाति के माध्यम से गो वहसाती है"। इसका अभिप्राय यह है कि किसी वस्तु के प्राणप्रद जीवनाधार्यक धर्म का ही नाम 'जाति' है।

वस्तु का विशेष आधान-हेतु-सिद्ध-धर्म 'गुण' कहलाता है क्योंकि शुक्ल आदि गुणों के वारण में ही सत्ताप्राप्त वस्तु अपने मजातीय अव्य पदार्थों से विशेष भिन्नता प्राप्त करती है। उदाहरणार्थ 'गो' के साथ सयुक्त किया गया गुणवाचक 'शुक्ल' विशेषण अन्य गायों की अपेक्षा उसकी विशेषता अथवा उसका भेद सूचित करता है। साध्यरूप वस्तुधर्म 'दात्र अदि पक्काने के लिये चूहा' जलाकर उस पर बटलोई रखने की किया से लेकर उसके उतारने पर्यान्त आरे-पीछे किया जाने वाला पूर्वापरीभूत समस्त किया-कलाप' 'किया पद से वाच्य होता है। 'हित्य' आदि किसी व्यक्ति-विशेष के वाचक रूढ़ि शब्दों का (स्फोट की पूर्वप्रदर्शित क्रिया

वे अनुसार पूर्वपूर्वणमुभवजनित सत्सार महत्त चरम यर्ण वे ध्यण से) अन्त्य बुद्धि (चरम यर्ण वे श्रेष्ठ) से गृहीत होने वाला (गकार, औकार और विगर्जनीय आदि वे नाम वे) भग्भेद से रहित (विना भग्भ मे बुद्धि मे एक साथ उपस्थित होने वाला पदरपोट रूप) स्वरूप वो दक्षता वो अपनी स्वेच्छा द्वारा 'डिल्फ' आदि पदार्थों मे (उसके बानक) उपाधि रूप से सञ्जिवाट विद्या जाना है। अर्पात् विसी पदार्थ या व्यक्तिविशेष वा नाम रखने वाला व्यक्ति इह सज्ञारूप शब्द वा इस अर्थ वे साथ सम्बन्ध स्थापित कर देता है वि यह व्यक्ति इस नाम वे बोधित होगा। इम प्रकार यह इह सज्ञारूप यदृच्छात्मक शब्द होता है। इस प्रवार मम्मट वे अनुसार मनेतप्त व्यक्ति वे उपाधिभूत जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा आदि धर्मों मे होता है।

वर्णित विवेचन से स्पष्ट है वि वस्तु वे प्राणप्रद धर्म वा नाम 'जाति' और उसके विशेष आधान-हेतु धर्म वा नाम 'गुण' है। विशेषिक दर्शन इस मान्यता वा विरोध करता है। उसका मत है वि 'शुनन' आदि 'रूप' वे यमान परिमाण दो भी 'गुण' मानना चाहिये। वह 'परिमाण' 'अणु' और 'भृत्' नाम से दो प्रवार वा होता है जिनमें 'परम' शब्द जोड़कर उसके चार भेद दिये जा सकते हैं। उनमें 'परम अणु परिमाण' वेवल परमाणु-सत्तत पदार्थ अववा पृथ्वी आदि इस्यों वे अविभाज्य और सूक्ष्मतम अवयव मे रहता है जो 'परमाणु' रूप सूक्ष्मतम पदार्थ वा प्राणप्रद धर्म है न ति विशेषाधान वा हेतु। इस प्रकार वैयाकरणों के अनुसार 'परमाणु परिमाण' जाति शब्द मिल होता है, विन्तु विशेषिक दर्शन में उसे गुण माना गया है। वैयाकरणों और साहित्य भास्त्रियों वा मत है वि वस्तुत 'परम अणु परिमाण' जातिवाचक शब्द ही है, विन्तु जिस प्रकार लोक में अन्य अर्थों में प्रसिद्ध 'गुण' और 'बृद्धि' आदि शब्दों वा व्याकरणशास्त्र में विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, उसी प्रकार विशेषिक दर्शन में भी 'परम अणु परिमाण' दो गुणों के अन्तर्गत समाविष्ट तिया गया है। आचार्य मम्मट ने इसी सिद्धान्त पो 'परमाण्वादीनानु गुणमध्यपाठात् पारिमाणित गुणत्वम्' तथा 'गुण-क्रिया यदृच्छाना वस्तुत् एव रपाणामप्याशयभेदाद् भेद इव अन्यते' वृत्ति द्वारा विवेचित तिया है और अन्त मे अनन्त यह निळें दिया वि यद्यपि शुनन आदि गुण और पात्र आदि क्रियाएँ भिन्न भिन्न पदार्थों मे भिन्न भिन्न रूपा मे दृष्टिगोचर होती हैं, विन्तु उनका यह भेद पारमायित न होतर औपाधिक मात्र है। उनका तो स्पष्ट मत है वि जिस प्रकार विभिन्न गो व्यक्तिया म से एव व्यक्ति मे 'सवेतप्त' मानने वे 'आनन्द्य' तथा 'व्यभिचार' दोष आ जाते हैं, उसी प्रकार शय, हिम और दुष्ट आदि मे आधित शुनन आदि गुण और पात्र आदि क्रियाओं मे भेद देखकर उनमे आनन्द्य तथा व्यभिचारी दोष वा आरोप नहीं करना चाहिये। क्योंकि शुनन आदि गुणों और पात्र आदि क्रियाओं वा भिन्न भिन्न पदार्थों मे

प्रदर्शित होने वाला भिन्न-भिन्न रूप वास्तविक न होकर उपाधिभाव है। उन्होंने 'यथैकस्य मुख्यस्य द्वंग-भुकुर-त्तेसाद्यात्मवनभेदात्' द्वारा अपने कथन की पुष्टि की है जिसका आशय यह है कि जिस प्रकार तत्त्वावार, दर्पण और तंत्र आदि के आलम्बन से एक ही मुख का उसके प्रतिविम्बों में भेद-सा प्रतीत होता होता है, उसी प्रकार गुण आदि में प्रतीत होने वाला भेद भी अपाधिक है। अतः आचार्य मम्मट के मत से गुण आदि में संकेत प्रहृ मानने में आनन्द्य तथा व्यभिचार नामक दोषों की कुछ भी सम्भावना नहीं मानी जानी चाहिये।

शक्तिप्रहृ की व्यावहारिक प्रतिक्रिया

शक्तिप्रहृ के सामान्य उपायों का विवरण वाचक शब्द की विवेचना के अन्त-गत दिया जा सका है। यहाँ बेबत एक बात और उल्लेखनीय है और वह यह है कि छोटे बालकों के लिये तो संकेत का एकमात्र साधन व्यवहार ही है, किन्तु बड़े व्यक्तियों के लिये व्याकरण और उपमान आदि भी संकेत प्रहृ के साधन हो सकते हैं। शक्तिप्रहृ की व्यावहारिक प्रक्रिया को पादटिणी में उद्धृत कारिकाओं¹ से स्पष्ट बोधगम्य किया जा सकता है। उन कारिकाओं में मुख्य बात यही कही गई है कि संकेतप्रहृ में प्रत्यक्ष, अनुमान और अर्थापत्ति नामक त्रिविधि प्रभावों का उपयोग होता है। संकेतप्रहृ अथवा अर्थवौश करते समय बालक अनुमान और अर्थापत्ति की प्रक्रिया से भले ही परिचित न हो, किन्तु ये प्रभाव भी यथाप्रसंग उसके ज्ञान में सहायक होते ही हैं। उत्तम बृद्ध द्वारा आदिष्ट और मध्यम बृद्ध द्वारा अनुपालित किया जो प्रत्यक्षतः देखता हुआ बालक मध्यम बृद्ध की 'गवायन' आदि चेष्टाओं का अर्थापत्ति आदि प्रभावों से निश्चय करके अखण्ड वाक्य और अग्रण वाक्यार्थ के वाच्यवाचकभाष-सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त करता है।

मुद्यार्थ और अभिधाशक्ति

शब्द का साक्षात् संकेतित अर्थ ही मुद्यार्थ है। जिस प्रकार शरीर के अन्य भागों अथवा अवयवों के पूर्व हमारा सर्वप्रथम ध्यान मुख-घाग की ओर आकृष्ट होता है, उसी प्रकार शब्द का मुद्यार्थ भी वह अर्थ है जिसकी ओर हम अन्य अपों के पूर्व अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। जिस मुद्य व्यापार के कारण मुद्यार्थ का बोध होता है उसे 'अभिधा' शक्ति कहते हैं। अभिधा के सक्षण में

1. शब्द बृद्धाभिधेयाश्च प्रत्यक्षेणात् पश्चति ।

श्रीतुरुच प्रतिपलन्त्वमनुमानेन चेष्ट्या ॥ 1 ॥

अन्यथा अनुपपत्यातु बोधेच्छवितं द्वयधेतिमकाम् ।

अर्थापत्या अवबीघेत सम्बन्धं त्रिप्रमाणकम् ॥ 2 ॥

'मुद्य व्यापार' शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा 'अभिधा' और 'अभिधा-मूलव्यंजना' का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। बात यह है कि अभिधा में तो केवल एक ही मुद्य व्यापार रहता है, जिन्हें अभिधा-मूलव्यंजना में मुद्य व्यापार के अतिरिक्त एक अमुद्य व्यापार भी होता है जिसका कार्य मुद्यार्थ पे साप-नाप अप्रशृत अर्थ का भी बोध कराना होता है। यों तो शब्द का दूसरा अर्थ भी उस शब्द का स्वतन्त्र रूप से मुद्य अर्थ ही होता है, जिन्हें वह प्रशृत न होने के बारण वही शब्द-व्यापार अमुद्य होता है। अभिधा वृत्तिमातृका में मुद्यार्थ तथा अभिधा का विवेचन इस प्रकार किया गया है—

शब्दव्यापाराद्यस्य वगतिन्तस्य (अर्थस्य) मुद्यत्वं । म हि यथा सर्वेभ्यो
हस्तादिभ्यो अवपदेभ्यः पूर्वमुखमवलोकयते, तद्वदेव रार्देभ्यः प्रतीयमानेभ्यो
अर्थान्तरेभ्यः पूर्वमवग भ्यते। तस्मात् "मुखमिव मुद्य" इति शाखादिभ्योयत्तोन
मुद्य शम्देवभिधीयते ।'

काव्य प्रबागवार मम्पट ने भी 'स मुद्यार्थों, तद्वमुद्यो व्यापारो अस्या
भिधोन्न्यते' द्वारा यही धात प्रपट भी है कि वह साक्षात् सर्वेतित अर्थ ही मुद्य
अर्थ वहलाता है और उसका बोध कराने में इस शब्द का जो व्यापार होता है,
वह अभिधा-व्यापार या अभिधा-शक्ति के नाम से अभिहित किया जाता है।
कारिका ने प्रयुक्त 'स' पद का अर्थ साक्षात् सर्वेतित और 'अस्य' पद का अर्थ
'शब्द का' प्रहण करना चाहिए। वस्तुत अर्थ के जो भेद (वाच्य, स्त्रा और
ध्याय) वहे जाते हैं, उनमें वाच्यार्थ ही मुद्यार्थ है क्योंकि 'मुखमिव मुद्य' के
विपरीक्षा में ज्ञायादिभ्यो य (5-2-103) मूल से 'य' प्रत्यय होकर इस शब्द की
सिद्धि होती है।

अभिधा शक्ति या वाचक शब्द के भेद

अभिधा शक्ति के तीन भेदों (१. योग २. रुदि और ३. योग रुदि) की चाँति
वाचकशब्द में भी तीन भेद (१. योगिक, २. रुद और ३. योगरुद) हैं। 'योगिक'
शब्दों में अवयव-शक्ति होती है जिसका अभिप्राय यह है कि जिन प्रहृति प्रत्ययों
से योगिव शब्द बनता है, उनमें अर्थों से उस शब्द का अर्थ मुगुद्द रहता है।
'पाठ्य' 'पाचन,' 'सौमित्र' और 'गोगिक' जादि शब्द इनी प्रपार के शब्द हैं।
'रुद' शब्दों में अवयव-शक्ति नहीं होती। इनमें केवल गमुदाय शक्ति ही रहती
है जिसका आशय यह है कि यदि उन शब्दों के प्रहृतिप्रत्ययरूप अवयव रिये
जाएं तो उनमें अर्थों से इन शब्दों के अर्थ का कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इन
शब्दों का सर्वेत इनके योग से बढ़ न होकर उनके वर्ण-मगुदाय से ही बढ़ होता
है। 'मण्डस' और 'आण्डन' जादि शब्द इनी थेजी के हैं। इनके अतिरिक्त
'योगरुद' शब्द ये हैं जिसका अर्थ उनके प्रहृति-प्रत्ययों के अर्थ से मुमन्द तो
रहता है, जिनमें अर्थ भी व्याप्ति रुदि से गोगित हो जाती है। 'पवज्ज'
और 'वशोज्ज' जादि शब्द योगरुदि हैं जिसका स्पष्टीकरण 'पवज' शब्द की

व्युत्पत्ति द्वारा इस प्रकार किया जा सकता है कि यों तो पंक अर्थात् शीघ्र में 'ज' अर्थात् 'जायमान' पदार्थ पंकज कहलाता है जिसका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थं यक में उत्पन्न होने वाले किसी भी पदार्थ, जन्मु अथवा कोटाणु के लिए पटित हो सकता है, किन्तु व्यवहार में रुढ़ि ने 'पंकज' का अर्थ 'कमल' के लिये ही सीमित कर दिया है। इस उदाहरण में अभिधा-शक्ति के योग और रुढ़ि नामक दो भेद एकत्र हो गये हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि योगरुढ़ि शब्दों में अवयवशक्ति और समुदाय-शक्ति दोनों का ही योग रहता है। विद्वानों ने शब्द का योगिकरुढ़ि नामक चतुर्थ भेद भी माना है। ऐसे शब्दों में दो अर्थ होते हैं— १. योगिक और २. रुढ़ि। इसका उदाहरण 'उद्भिद् शब्द है। जब 'उद्भिद्' वा अर्थ 'वनस्पति' लिया जाता है तब तो वह योगिक शब्द है, किन्तु जब उसका अर्थ एक 'योग-विशेष' से लिया जाता है तो वह अर्थं रुढ़ि से प्राप्त होने के कारण 'रुढ़ि' कहलाता है। 'योगरुढ़ि' और योगिक रुढ़ि शब्दों में यह अन्तर है कि 'योगरुढ़ि' शब्द में योग से प्राप्त अर्थं रुढ़ि से सीमित हो जाता है, किन्तु योगिकरुढ़ि में योगिक अर्थ और रुढ़ि अर्थं स्वतन्त्र रहते हैं। काव्य में प्रयुक्त किये जाने वाले वाचक शब्दों के इन चारों रूपों का यथाप्रसंग ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि काव्य के शब्दार्थबोध की प्रक्रिया में इनका ज्ञान होना परम प्रयोगनीय है। जब तक शब्द का चर्चापूर्ण ज्ञान नहीं होना, तब तक न तो उसकी शक्ति का ही बोध हो सकता है और न ही इस बात का पता चलता है कि उसका विस्तार किस प्रकार दीर्घतर तथा दीर्घतम रुप में हो सकता है। शब्दार्थबोध की प्रक्रिया में इस विषय की अत्यधिक उपयोगिता है।

लक्षणा शक्ति शब्दबोध की द्वितीय दृष्टि

'लक्षणा' का रूप और उसके अस्तित्वभूत कारण

काव्यार्थ-बोध में अभिधा के पश्चात् जिस शब्द-शक्ति का उपयोग किया जाता है, उसे लक्षणा-शक्ति कहते हैं। इस शब्द-शक्ति की आवश्यकता उस समय पड़नी है जब काव्य के मुख्यार्थ-बोध में वाधा आती है और वाक्य के अन्य पदों के साथ उसका निर्वाचन अन्वय न होने के कारण तात्पर्य की उपर्याप्ति नहीं हो पाती। उस स्थिति में रुढ़ि अथवा प्रयोजन द्वारा मुख्यार्थ से सम्बद्ध किसी अन्य अर्थ की प्रतीति की जाती है। साहित्य-शास्त्र में उस अन्य अर्थ को लक्ष्यार्थ तथा उसकी बोधिका शक्ति को लक्षणाशक्ति कहा गया है। लक्षणाशक्ति के व्यापार के लिये मुख्यार्थ बाध, लक्षणार्थ को मुख्यार्थ के साथ सम्बन्ध तथा रुढ़िया प्रयोजन में से अन्यतर, इन तीन कारणों की आवश्यकता पड़ती है। विद्वानों ने 'लक्षणा' शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से की है। एक व्याख्या के अनुसार 'यथा' शब्द-

शक्त्या अन्योऽर्थों सहयतेसा लक्षणा' अर्थात् जिस शब्द शक्ति से अन्य अर्थ लक्षित हो वह लक्षणा है तो दूसरी व्याख्या में अनुसार 'अन्यार्थप्रतिपत्ति हेतु शब्द-व्यापारो लक्षणा' अर्थात् मुख्यार्थ से भिन्न विसी अन्यार्थ की प्रतिपत्ति का हेतु शब्द-व्यापार लक्षणा कहलाना है। कुछ विद्वानों ने लक्षणा की व्याख्या 'मत् सहयते यत् प्रतिपाद्यते सा प्रतिपत्तिरेव लक्षणा' भी की है, किन्तु वह मुश्किल प्रतीत नहीं होती क्योंकि प्रतिपत्ति (ज्ञान) का नाम 'लक्षणा' न हो नर शब्द की शक्ति का नाम 'लक्षणा' है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमिद मीमांसक कुमारिल भट्ट द्वारा निरूपित इतोऽवार्तिक ('अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते') के आधार पर व्याख्याकारी ने 'प्रतिपत्ति' और 'लक्षणा' की एक ही समझ दिया था जबकि वास्तविकता तो यह है कि इस प्रकार का आशय मीमांसादर्शन में भले ही गुणगत माना जा सके, उन्नु शाहित्यशारण में उसका गठटन नहीं दिया जा सकता। आचार्य मम्मट ने शब्द के उस बारोपित व्यापार को लक्षणा कहा है जो मुख्यार्थ का वाध अर्थात् अन्य या तात्पर्य की अनुपपत्ति होने पर, उस मुख्यार्थ में साथ लक्षणार्थ या अन्य अर्थ का सम्बन्ध होने पर हृष्टि अथवा प्रयोजन विशेष से लक्षित होता है। लक्षणा शक्ति के द्वारा ही वह अन्य अर्थ लक्षित दिया जाता है। लक्षणा का निरूपण चरते हुए मम्मट ने लिया है—

मुख्यार्थवाधे तद्योगे रुद्धितो अथ प्रयोजनात्
अन्योऽर्थों सहयते यत् सा लक्षणारोपिता चिया ॥¹

लक्षणा का मुख्य बारण 'मुख्यार्थवाध' है। मुख्यार्थवाध की व्याख्या 'अन्यवानुपपत्ति' तथा 'तात्पर्यनिनुपपत्ति' के अनुसार दो प्रकार में की जाती है। उदाहरणार्थ 'गगाया घोया' का मुख्यार्थ है गगानदी में अमीरों की पल्ली अर्थात् पीसियों की बस्ती। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय सी गगा की घारा पर आमीरपल्ली का होना सम्भव नहीं है जिमना अनिवार्य यह है कि इस उदाहरण का अन्यथा अनुपपत्ति है और उसे उपपत्ति बनाने के लिए हमें 'गगा' पद को लक्षणा शक्ति द्वारा 'तट' स्वर्ग अर्थ का बोधन मानना पड़ता है। इस मात्र के अनुसार अर्थ की अनुपपत्तता बो लक्षणा- शक्ति की आवश्यकता का प्रथम हेतु माना गया है।

मुख्यार्थ वाध का अर्थ तात्पर्यनिनुपपत्ति मानने वाले विद्वानों ने लक्षणाशक्ति का विवेचन कुछ भिन्न प्रकार से किया है। इस प्रकार का दृष्टिकोण सेवर चलने वाले विद्वानों में आचार्य नारेशभट्ट प्रमुख हैं। उन्होंने 'परमानुपमजूया' नामक ग्रन्थ में 'तात्पर्यनिनुपपत्ति' को ही लक्षणा का चीज हेतु मानते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि यदि अन्यवानुपपत्ति को ही लक्षणा का चीज माना

जाय तो 'काकेभ्यो दौपि रद्धयताम्' जैसे प्रयोग में लक्षणा नहीं हो सकती क्योंकि इस प्रयोग में सब पदों का अन्वय सम्भव है जिसके कारण इसमें अन्वयाननुपपत्ति के लिए कोई अवकाश ही नहीं है। नारोशभट्ट के अनुसार 'काक' पद का लक्षणागत अर्थ 'दध्युपथातक' है जिसे स्वीकार किये बिना वक्ता के तात्पर्य की उपपत्ति नहीं हो सकती, अतः अन्वय में बाधा न होने पर भी 'काक' पद के मुद्द्यार्थ से काम नहीं चलता और लक्षणा का आथर्व सेना आवश्यक ही जाता है जिसका अभिप्राय यह है कि 'अन्वयाननुपपत्ति' को लक्षणा का बीज न मानकर 'तात्पर्यननुपपत्ति' को लक्षणा का बीज मानना समुचित है।

लक्षणा के भेद

रुदि और प्रयोजनवत्ती लक्षणा

काव्य शास्त्र के आचार्यों ने रुदि अथवा प्रयोजन से होने वाली लक्षणा का स्पष्टीकरण 'कर्मणि कुशलः तथा 'गगायां घोप' आदि प्रयोगगत उदाहरणों द्वारा किया है।' कर्मणि कुशलः में प्रयुक्त 'कुशल' शब्द की मूल व्युत्पत्ति है 'कुशान्' लाति आदते वा इति कुशल, अर्थात् जो कुशों को लाता है, वह कुशल है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार कर्मणि कुशलः जैसे उदाहरण में प्रयुक्त 'कुशल' शब्द का कुशों के लाने से कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः उसके मुद्द्यार्थ में बाधा आती है। वैसी स्थिति में 'कुशल' पद का रुद्धिपरक अर्थ 'दक्ष' लेना पड़ता है। इसी प्रकार 'गगायां घोप' इत्यादि प्रयोगों में गगापद के जल प्रवाह रूप मुद्द्यार्थ आदि में "घोप" आदि का आधारत्व सम्भव न होने से मुद्द्यार्थ में बाधा आती है और सामीक्ष सम्बन्ध मानकर उसका अर्थ ग्रहण गगा के किनारे अहीरों की वस्ती करना पड़ता है। उम अर्थ बोध में गगा के शीत्य तथा पावनत्व आदि घर्म प्रयोजनीभूत है जिनके प्रतिपादन 'स्वरूप प्रयोजन से मुद्य अर्थ से अमुद्य अर्थ सक्षित होता है। शब्द का वह व्यवहितार्थ, विषयक आरोपित व्यापार 'लक्षणा' कहलाता है। प्रयोजनवत्ती लक्षणा का विवेचन करने के लिए प्रायः सभी आचार्यों ने 'गगायां घोप' वाक्य का आधार ग्रहण किया है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि काव्य शास्त्र ने जिस प्रकार 'ध्वनि' तथा 'चतुष्पदी, शब्दाना प्रवृत्ति, के सिद्धान्त व्याकरण-शास्त्र से ग्रहण किये हैं, उसी प्रकार 'गगाया घोप' का सुप्रसिद्ध उदाहरण भी महाभाष्यकर पतञ्जलि द्वारा प्रयुक्त 'पुयोगादार्थ्यायाम्'। (4-148-सूत्र में 'गगाया घोप' तथा 'कूपे गर्गकुलम्' जैसे लक्षणा के दो उदाहरणों से लिया गया है। इस विषय में काव्यशास्त्र व्याकरणशास्त्र का अत्यधिक अहणी है।

लक्षणा के अन्य दो भेदः

उपादान लक्षणा— 1. लक्षणा के अन्य दूष्टि से मुद्य दो भेद हैं—उपादान लक्षणा तथा 2. नक्षण लक्षणा। जहाँ शब्द अपने अन्य को सिदि के लिए अन्य

अर्थ का आक्षेप बना सेता है तथा सदम् भी इना रक्ता है, वही उपादान लक्षणा होती है। चूंजि उसमे मुख्यार्थ का भी उपादान या प्रहृण रहता है, अत उसे उपादान लक्षणा बहा जाता है। इस लक्षणा का प्रसिद्ध उदाहरण है, 'वृता प्रविशति' अर्थात् भाले प्रवेश कर रहे हैं। इस उदाहरण मे बुन आदि पदों द्वारा अपने अचेतन हृष मे प्रवेश किया की सिद्धि के लिए अपने से समुक्त अर्थात् बुतधारी पुरुषों का आक्षेप द्वारा बोध बराया गया है, अत स्वार्थ का परित्याग किये बिना ही अन्य अर्थ का प्रहृण होने से यही उपादान लक्षणा है।

उपादान लक्षणा के स्वरूप के विषय मे बाब्यशास्त्रियों और भीमासत्रों की दृष्टि मे मौलिक विभेद है। प्रसिद्ध भीमासत्र मुकुलभट्ट ने 'अभिघावृत्तिमातृत्वा' मे 'गोरनुबन्ध्य' तथा 'पीनो देवदत्त दिवा न भुक्ते जैसे उदाहरणों मे उपादान लक्षणा मानी है जिसना मम्मट आदि बाब्यचार्यों ने विरोध किया है। मुकुल भट्ट का कहना है कि 'गोरनुबन्ध्य जैसे वैदिक प्रयोग मे उपादान लक्षणा माननी इसलिए उचित है कि गो शब्द का बाब्यार्थ 'गोत्व' जाति होता है और उस जाति मे बन्धन अथवा आलम्भन हृष किया सम्भव न होने के बारण मुख्यार्थ का बाध होता है। अत गो शब्द बन्धन के साथ अपने गोत्व जाति हृष की अन्य सिद्धि के लिए व्यक्ति का बोध आक्षेप किया से बराता है। उनके मठा-नुसार 'पीनो देवदत्त दिवा न भुक्ते' इस उदाहरण मे दिन मे न खाने बाला देवदत्त मोटा हो सकता है, यह बात साधारणत सम्भव नहीं है। अत मुख्यार्थ का बाध होने पर यह बाब्य अपने अन्य की सिद्धि के लिए आक्षेप द्वारा रात्रि भोजन का बोत्व कराता है, अत इसमे उपादान लक्षणा है।

आचार्य मम्मट ने मुकुलभट्ट के दोनों उदाहरणों का खट्टन किया है। उनका भत है कि 'गोरनुबन्ध्य', 'मे विसी भी प्रकार उपादान लक्षणा नहीं हो सकती क्योंकि इस उदाहरण मे लक्षणा के प्रयोगक हेतुओं मे मे न को यही कोई विशेष प्रयोगन ही है और न यह रुद्धि हो है। वस्तुत व्यक्ति के बिना जाति नहीं रह सकती, इसलिए इस उदाहरण मे अविनाभाव के बारण जाति ने व्यक्ति का अनुमान-आक्षेप किया जाता है जिसके बारण इस उदाहरण मे विसी भी प्रकार की लक्षणा हो नहीं मानी जा सकती। मम्मट ने मुकुलभट्ट के दूसरे उदाहरण मे भी उपादान लक्षणा स्वीकार नहीं को है। उनका वर्णन है कि 'भीमासत्र' विद्वान् अर्थवानी वाक्यों की प्रासगिकता मे लक्षणा मानने के साथ-साथ पूरे वाक्य मे भी लक्षणा मान सेते हैं जिसके अनुमार 'पीनो देवदत्त- दिवा न भुक्तेवादी' मे भले ही उपादान लक्षणा निरुप बरने की चेष्टा की जाय कितु बास्तव मे यही उपादान लक्षणा न होकर अर्थापति है। 'देवदत्त मोटा रहा है वितु दिन मे नहीं खाता है' इस वर्णन मे उनके रात्रि-भोजन का बोध लक्षणा द्वारा न होकर शुलार्थापति अपवा अर्थापति द्वारा किया जाता है। भीमासत्रों के भत से अर्थापति का लक्षण ही

"अनुपपद्यमानार्थदग्निनात् तदुपपादकोभूतार्थान्तरकरपनं" है जिसके अनुसार 'अर्थ पति' उस प्रमाण का नाम है जिसके द्वारा किसी अनुपपद्यमान अर्थ को देख कर उसके उपपादक अर्थ को बतलाना कि जाती। उपर्युक्त उदाहरण में 'देवदत्त मोटा' है, यह अनुपपद्यमान अर्थ है और 'रात्रिभोजन' उसका उपपादकोभूत अर्थ, स्पष्ट है कि यदि देवदत्त न तो दिन में खावे और नरात्रि में तो मोटा नहीं हो सकता। अतः दिन में न खाने वाला अविक्षित रात्रि-भोजन के बिना मोटा नहीं हो सकता, इस बाके का विचार कर यहाँ यही कहना युक्तिसंगत जान पड़ता है कि उक्त उदाहरण में अनुपपद्यमान अर्थ 'दिवा अभूजान का पीनव' देखकर उसके उपपादक रात्रि-भोजन की 'बतलाना' अर्थापिति द्वारा होती है। मम्मट का वर्णन है कि अर्थापिति को लक्षणा नहीं माना जा सकता, अतः इस उदाहरण में उपादान लक्षणा मानना उचित नहीं है।

लक्षणलक्षणा:

जहाँ किसी वाक्य का कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त दूसरे शब्द की अन्वय सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर अन्य अर्थ का बोधक हो जाता में वहा लक्षणलक्षणा होती है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण 'गंगाया घोप' है जिसहै प्रयुक्त 'घोप' पद के आधेयत्व रूप से अन्वय का उपादान करने के लिए 'गंगा' शब्द अपने 'जलप्रवाह' 'रूप मुद्यार्थ' का परित्याग कर सामीक्ष-सम्बन्ध से 'तट' रूप अन्य अर्थ बोधित करता है। अतएव यह प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा का उदाहरण है। मुकुलभट्ट आदि मीमांसको ने भी 'गंगाया घोप' को ही लक्षण-लक्षणा का उदाहरण माना है और उपादान लक्षणा की भाति उसे उपचारमिथित लक्षणा न मान कर शुद्ध लक्षणलक्षणा कहा है।

'लक्षणलक्षणा' का विवेचन विभिन्न विचारकों, दार्शनिकों और काव्यशास्त्रियों ने विशद रूप से किया है। वेदांत-दर्शन में उसका नाम 'जहृतस्वार्थालक्षणा' भी है जिसका अभिप्राय यह है कि इसमें प्रयुक्त लक्षक पद अन्य पदों की अन्वय-सिद्धि के लिए अपने मुद्यार्थ का परित्याग कर देता है। मुकुल भट्ट ने 'लक्षण-लक्षणा' की सिद्धि के लिए 'गंगाया घोप' का विश्लेषण अत्यत व्यापकता से किया है। उन्होंने 'ताटस्वसिद्धान्त' 'द्वारा जिस रूप में अपने विचारों का प्रतिपादन किया है, वह आचार्य मम्मट को स्वीकार नहीं है। न्याय-दर्शन में लक्षणलक्षणा के उदाहरणरूप 'ड्विरेफ' पद का वाच्यार्थ 'दो रेफ से मुक्त है', किन्तु लक्षणलक्षणा के कारण ही उसका अर्थ 'झमर भमभो जाता है। आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश के अनुवंश उल्लंघन के अनुरूप में शूक्र-संख्या 29 से लक्षण-मूलध्वनि के 'अत्यंतरिरस्कृतवाच्य' नामक भेद का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह इस दृष्टि में 'लक्षणलक्षणा' या जहृतस्वार्थलक्षणा का अत्यत सुदर उदाहरण कहा जा सकता है क्योंकि उसमें किसी अत्यत अपकार करते काले व्यक्ति के

प्रति उसके अपकार से पीड़ित व्यक्ति के भनोभाव घटत र्थम् र्थम् है। उसमें प्रमुक्त 'उपहृत', 'मुजनता', 'सर्वे' और 'मुदितभास्त्व' आदि शब्द अपने मुख्य अर्थों का परित्याग वर अपने से विपरीत अर्थों को लक्षण। द्वाना वौद्धित करते हैं और उनसे 'अपवारातिशय' व्यजित होता है। वह छद 'नक्षण-सदाना' अपवा 'दहर-स्वार्थलक्षणा' का अत्यत उपमुक्त उदाहरण वहां जा सकता है छद निम्नप्रकार है :-

उपहृत वहु तत्र विमुच्यते, मुजनता प्रथिता भदता परम् ।
विद्युदीदूशमेव सदा सर्वे, मुदितभास्त्व तत्र शतदा शतम् ॥

शुद्धा और गोणी लक्षणा

उपादान लक्षणा और लक्षण-लक्षणा को मुकुलभट्ट और मम्मट आदि आचार्यों ने शुद्धा लक्षणा भी वहा है। शुद्धा से मिल लक्षणा का अन्य भेद गोणी लक्षणा है। शुद्धा और गोणी लक्षणाओं वे परस्परभेद धर्म के सम्बन्ध में आचार्यों में मतभेद है। मम्मट ने अनुसार 'उपचार' को उक्त दोनों लक्षणाओं का भेदक धर्म वहा जा सकता है क्योंकि उपचारहीन लक्षणा शुद्धा तथा उपचार-युक्त लक्षणा 'गोणी' नहीं होती है। उपचार वा अर्थ है 'अनवद मिल पदार्थों' जो अतिशय सादृश्य वे कारण उनके भेद भी प्रतीति न होता। 'उदाहरणार्थ दिमी वालक' में उमका श्रीर्य वीर्य आदि वे सादृश्यातिशय वे कारण 'सिंहो माणवव' जैसे प्रयोग किये जाए तो वे प्रयोग उपचारयूक्त अथवा गोण होने वे कारण 'गोणी लक्षणा' वे उदाहरण वत जायेंगे। वहाँ वीर आदर्शता नहीं दि सादृश्य-सम्बन्ध वे अतिरिक्त जहाँ सामीप्य आदि अर्थ बोई भी सम्बन्ध लक्षणा वा प्रयोजक होता है, वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। आचार्य मम्मट ने उपचार के अभिश्वरण और मिथ्यण वो शुद्धा तथा गोणी लक्षणा वा भेदक धर्म माना है।

आचार्य मुकुल भट्ट ने शुद्ध और गोणी लक्षणा वे सम्बन्ध में अपना स्वतंत्र मत व्यक्त किया है। उनके अनुसार उपचार वो 'शुद्धा' तथा 'गोणी' वा भेदक धर्म नहीं माना जा सकता वयोर्वि दोनों प्रकार वीर लक्षणाओं में उपचार वा मिथ्यण हो जाता है जिनके कारण उपचारभित्ति लक्षणों के दो भेद—'शुद्धोपचार' तथा गोणोपचार होते हैं। उन्होंने 'मारोपा' तथा 'साम्यवस्ताना' नाम से उसके अन्य दो भेद मान द्वारा लक्षणा के युक्त छ भेद माने हैं। उनके अनुसार उपचार वा अर्थ है 'अन्य ने तिए अन्य शब्द वा प्रयोग।' जहाँ सादृश्य वे कारण इस प्रवार वा प्रयोग किया जाता है वहाँ गोण उपचार होता है तथा जहाँ सादृश्य मिल वायं-कारणभाव आदि वे कारण अर्थ के तिए अन्य शब्द वा प्रयोग होता है, वहाँ 'शुद्धोपचार' होगा। 'आकुपूनम्' में आयु वे कारणभूत घृत के तिए आयु शब्द वा प्रयोग किया जाता है, अतः इसमें 'शुद्धोपचार' है जबकि 'गोर्वहीव' में वाहोक देवकासो पुरुष में गोर्वे में गद्य जाह्य और मान्दा आदि गुणों का प्रयोग होने से

उसके लिए 'गौ' शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः वहाँ पर 'गौण' उपचार है। यही यह बात उल्लेखनीय है कि मम्मट ने 'उपचार' के स्थान पर 'ताटस्य' को शुद्धा तथा गोणी सक्षणा का भेदकाधमं माना है। उनका कहना है कि उपादान-लक्षणा तथा लक्षणलक्षणा के उदारणों 'बुत्ता प्रविशति' तथा 'गंगायां घोपः') में क्रमशः लक्ष्य तथा लक्षक अर्थों का अधेश्य प्रतीत न होकर भेदक 'ताटस्य' प्रतीत होता है, अतः 'तटस्ये लक्षणा शुद्धा' के अनुसार शुद्धा लक्षणा तटस्य में होती है। अभिप्राय यह है कि मुकुल भट्ठ के अभिमत से शुद्धा लक्षणा में लक्ष्य और लक्षक अर्थों का ताटस्य होता है किन्तु गोणी सक्षणा में लक्ष्य-लक्षक अर्थों का भेद नहीं होता। अतएव मम्मट ने मुकुल भट्ठ के ताटस्य सिद्धान्त का ध्वंद्वन निम्नसिद्धित शब्दों में किया है—

"अनयोर्लक्ष्यस्य लक्षणकम्य च न भेदहृपताटस्यम् ।

तटादीनां हि गगादिशब्दं प्रतिपादेन तत्त्वप्रतिपत्ती हि प्रतिपादयिप्ति प्रयोजन-सम्प्रत्ययः । गंगासम्बन्धमात्रप्रतीती तु 'गगातटे घोपः' इति मुख्यशब्दाभिधानाद्-लक्षणायाः को भेदः ।"¹

सारोपा और साध्यवसाना लक्षणः

शुद्धा लक्षणा के उपादान लक्षणा और लक्षण-लक्षणा नामक दो भेदों का विवेचन करने के पश्चात् यथ हमें यह देखना है कि उनके और कौन-कौन से भेद हो सकते हैं? विद्वानों ने शुद्धा और गोणी लक्षणा के सारोपा और साध्यवसाना नामक दो-दो अन्य भेद भी माने हैं, जिनके माध्य उपादान लक्षणा और लक्षण-लक्षणा नामक दो भेद जोड़ने से लक्षणा के कुल छ. भेद हो जाते हैं। आचार्य मम्मट के शब्दों में 'जहौ आरोप्यमान (उपमान) तथा आरोप-विषय (उपमेय) दोनों शब्दतः कथित होते हैं, वहाँ गोणी सारोपा लक्षणा तथा जहौ विषयी अर्थात् आरोप्यमान उपमेय के द्वारा अन्य अर्थात् आरोप का विषय अर्थात् उपमेय निर्मीण कर लिया जाता है, वहाँ साध्यवसाना लक्षणा होती है।'² उपर्युक्त दोनों भेदसादृश्य से तथा सादृश्य को छोड़कर अन्य सर्वधं से सम्पन्न होने पर क्रमशः गोणी तथा शुद्धा लक्षणा के भेद समझे जाने चाहिए। मम्मट ने 'गौर्वाहीक' भे सारोपा तथा 'गौरयम्' में साध्यवसाना लक्षणा मानी है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है कि प्रथम वाक्य में गौ आरोप्यमान (उपमान) है और वाहीक आरोपविषय अर्थात् उपमेय। इन दोनों का सामानाधिकरण से शब्दतः प्रतिपादन होने तथा दोनों का स्वरूप अनपहुँत रहने के कारण इसमें सारोपा

1. काव्यप्रकाशः द्वितीय उल्लास, पृ० 61

2. काव्यप्रकाशः द्वितीय उल्लास, सूत्र-संख्या 13-14

लक्षणा है जबकि 'गौरेयम्' में आरोपविषय वाहीक ना शब्दतः उपादान नहीं है और वह आरोप्यमान गी द्वारा निर्गीर्ण ही था है, इसलिए यह साध्यवसाना लक्षणा रा उदाहरण है। सादृश्यपूत्रता के बारण ही इन दोनों लक्षणाओं को गीर्णी लक्षणा कहा जाता है। विद्वानों का मत है कि 'गौरेयम्' के स्थान पर यदि 'गौर्जल्यति' रख दिया जाए तो वह साध्यवसाना लक्षणा का अत्यन्त उपरुप उदाहरण हो सकता है।

शुद्धा सारोपा तथा शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा के उदाहरण क्रमशः 'आयुर्धृत' तथा 'आयुरेवेदम्' हैं। प्रथम उदाहरण में आरोप्यमान आयु तथा आरोप-विषय घृत दोनों के अपद्रुत-स्वस्प अर्थात् शब्दतः उपात्त न होने से शुद्धा सारोपा तथा 'आयुरेवेदम्' में आरोप विषय घृत के शब्दतः उपात्त न होने में साध्यवसाना लक्षणा है। चूंकि 'आयुरेवेदम्' में 'इद' सर्वनाम से आरोप-विषय का प्रतीत हो ही जाता है, अत उसके स्थान पर यदि 'आयु पिवामि' कर दिया जाए तो वह साध्यवसाना-लक्षणा का अधिक उपरुप उदाहरण हो सकता है। सादृश्य-सम्बन्ध से होने वाली शुद्धा लक्षणा के जो उदाहरण दिए गए हैं, उनसे मिल सम्बन्ध भी लक्षणा के प्रयोजन हो सकते हैं। जैसे वही तादृश्य से उपचार होता है तो वही स्य स्वाभिभाव-सम्बन्ध से। तादृश्य उपचार में किसी के उपचार से अन्य के निए अन्य के वाचक शब्द का प्रयोग विद्या जाता है। जैसे यह में इन्द्रपूजन के निए वराई हुई 'स्थूला' भी तादृश्य-सम्बन्ध से 'इद' कहलाती है। स्वस्वाभिभाव सम्बन्ध से अन्य शब्द का अन्य प्रयोग होता है जैसे राजा का विशेष उपादान पुरुष भी 'राजा' कहलाता है। इनके अतिरिक्त वही अवयवावयविभाव तथा तात्त्वमय-सम्बन्ध से भी ओपचारिक प्रयोग होते हैं, जिनके उदाहरण क्रमशः 'जग्रहस्त' तथा 'अतद्वा' शब्द हैं। अवयवावयविभाव सम्बन्ध के बारण 'अप्रहृत' अर्थात् हाथ के बेबल अपभाग के लिए 'हस्त' का प्रयोग विद्या जाता है तथा तात्त्वमय सम्बन्ध से बड़ई का वाम बढ़ने वाले अतद्वा (बड़ई से मिल बाह्य आदि) के लिए तथा (बड़ई) शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रवार वाचायं मुकुतभट्ट तथा मम्मट ने लक्षणा के उपर्युक्त छ भेद मानते हैं, जिनकी सद्या बूढ़ि करते हुए साहिमदर्शनवार पिशवनाय ने उन्हें सोलह भी सब्या तर पहुँचा दिया है। पिशवनाय के अनुसार लक्षणा के सोलह भेद मानने का क्रम इस प्रवार है—

लक्षणा

हृदिवलक्षणा		प्रयोजनवतीलक्षणा
उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा		
रारोपा साध्यव सारोपा साध्यव सारोपा साध्य सारोपा साध्यवसाना		

साना	साना	वसाना
शुदा शुदा शुदा शुदा शुदा	शुदा शुदा शुदा	शुदा शुदा शुदा
गौणी गौणी गौणी गौणी गौणी	गौणी गौणी गौणी	गौणी गौणी गौणी

ध्याय को दृष्टि से सक्षणा के भेद

सक्षणा के पश्चात् व्यञ्जना-वृत्ति की विवेचना करने के पूर्व इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि उसके अस्तित्व के सम्बन्ध में आचार्यों में विवेचना की व्यञ्जना-वृत्ति की स्वतन्त्र सत्ता ही स्वीकार नहीं है जबकि मम्मट आदि आचार्य व्यनिवादी दृष्टिकोण के बराबर उसकी अनिवार्यता सिद्ध करते हैं। व्यनिवादी ने प्रयोजनवती सक्षणा में प्रयोजन को व्यञ्जनागम्य माना है जिसका समर्थन करते हुए आचार्य मम्मट ने भी लक्षणामूला व्यञ्जना की प्रतिष्ठा की है। मम्मट का वहना है कि वह सक्षणा रुद्धिगत भेदों में व्यंग्यरहित तथा प्रयोजनमूलक भेदों में व्यंग्यसहित होती है।¹ प्रयोजन का ज्ञान व्यञ्जन-व्यापार से ही होता है, अतः प्रयोजनवती सक्षणा में व्यंग्य का सप्रयोजन होना आवश्यक है। वह व्यग्य प्रयोजन कही गूढ़ तथा कही अगूढ़ होता है। गूढ़ प्रयोजन दुर्जेय तथा सदृदर्यंकगम्य होना है जबकि अगूढ़ प्रयोजन स्पष्ट तथा सर्व-जनमवेद्य रहता है। इस प्रकार व्यग्य की दृष्टि से सक्षणा के तीन भेद हैं—1. रुद्धिगत व्यंग्यरहिता, 2. गूढ़व्यग्या और 3. अगूढ़व्यग्या। सक्षणा का आश्रयभूत शब्द लालिक शब्द कहलाता है। व्यग्यहृष प्रयोजन के विषय में लालिक शब्द का सक्षणा से भिन्न व्यञ्जनात्मक व्यापार होता है। आचार्य मम्मट का अभिमत है कि प्रयोजन-प्रतीति में व्यञ्जना-वृत्ति की सत्ता मानना अनिवार्य है, क्योंकि प्रयोजन-विशेष को प्रतिपादित करने की इच्छा से जहाँ सक्षणा से लालिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ अनुमान आदि अन्य किसी भी साधन से उस प्रयोजनहृष अर्थ की प्रतीति नहीं होती अपितु केवल उसी शब्द से होती है और उसके बोधन में व्यञ्जना के अतिरिक्त शब्द का अन्य कोई व्यापार नहीं हो सकता।² चूंकि उस बोधन में सकेत-प्रहमान नहीं होता, अतः अभिधावृत्ति को प्रयोजन की बोधकशक्ति नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ 'गणायं घोपः' इत्यादि वाक्यों में पाथनता आदि जो धर्म तट में प्रतीत होते हैं, उनमें गणा आदि शब्दों का सकेत-ग्रह नहीं है, अतः अभिधा से उनका ज्ञान नहीं हो सकता। यदि यह कहा जाए कि प्रयोजन की भी सक्षयता होती है तो भी मुक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि सक्षणा के प्रयोजक मुख्यार्थ-

1. काव्यप्रकाश, द्वितीय उल्लास, सूत्र सध्या 18

2. वही—सूत्र-संध्या 23

वाध्य आदि हेतुओं के न होने से लक्षणा भी प्रयोजन की वोधिवा नहीं ही सर्वी। आचार्य ममट वा मत है कि 'गगाया घोप' में मुख्यार्थवाद आदि के बिना भी शैत्य सथा पावनत्व आदि प्रयोजनमा वा वोध हो जाता है, अतः 'गगा' शब्द उस अर्थ के विषय में खलित गति (वाधितां) नहीं है। निष्पत्ति यह है कि उपर्युक्त कारणों से अतां व्यजना-व्यापार वा अस्तित्व स्वीकार करता ही पड़ता है। ममट ने इस विषय में स्पष्ट कहा है—

लक्ष्य न मुख्य, नाप्यत्र वाधो, योग करेन नो ।
न प्रयोजनमेतस्मिन् न न शब्द स्खलिद्गति ॥¹

काच्यार्य में लक्षणा का अतर्वादी

लक्षणा के सामान्य भेदा वा निरूपण करने के पश्चात् इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि काच्य एव काव्यशास्त्र में लक्षणा का जो विवेचन किया गया है, वह निष्ठ लक्षणा का न होनेर मुख्यतः प्रयोजनवती लक्षणा का है। आचार्य ममट न ता लक्षणा का प्रयोजन व्याय अयवा घटनि को ही माना है। प्रयोजनवती लक्षणा सदैव व्यग्रसहित होती है जबकि निष्ठ लक्षणा वा दोनों अभिधा-पर्यन्त सीमित है, क्याकि उसकी पृष्ठभूमि ने व्याय नहीं होता। लक्षणा का प्रयोजन गूढ़ भी ही सकता है और अगूढ़ भी। ममट ने व्याय की अगूढता और गूढना का स्पष्टीकरण बरने के लिए जो उदाहरण दिए हैं, वे उभयं निम्नलिखित हैं—

(अ) श्रीपरिचयाजटाइपि भवन्त्यभित्ता विदायवरितानाम् ।

उपदिशति वामिनीना यौवनमद एव ललितानि ॥

(आ) मुष विसितस्मित वशित्वमिम प्रेक्षित,

समुच्छिति विद्रमा गनिरपास्तसस्या मति ।

उदो मुमुक्षिनमन जपनमसवधोदुर,

वतन्दुवदनातानो तस्तिमोद्गमो मोदत ॥

इन उदाहरणों में व्ययम उदाहरण प्रयोजनवती (व्यायसहित) अगूढ़ व्याय लक्षणा वा है। इसका सरलार्य यह है कि सम्पत्ति वा परिचय हा तो जह बुद्धि भी विद्य चरित वा अनुकरण कर सकते हैं। यौवन का मद ही तो वामिनी स्त्रिया की विलास की जिक्षा देता है। इस छठे में 'उपदिशति' शब्द वा प्रयाग लक्ष्यार्थ म हुआ है। इसका लक्ष्यार्थ यह है कि यौवन के उदयकाल में वामिनी स्त्रिया म विलास वा प्रस्तुरण स्वत ही ही जाता है और उसके लिए विसी भी प्रकार के प्रयाग की आवश्यकता नहीं होती। महीं लक्षणा वा वाधारभूत व्याय

उतना ही स्पष्ट है जितना बाध्यार्थ, अतः यह अगूढ व्याघ्र का उदाहरण है।

द्वितीय उदाहरण गूढ व्याघ्र का है। इस पद में विकसित चकिति, समुच्छिति, आपासन, मुकुलित, उद्दुर, उद्गम और मोहते शब्द लक्ष्यार्थ में प्रयुक्त हैं एवम् उनका आधारभूत प्रयोजन व्याघ्र है जो बेवल सहृदयदमग्राह्य होने के कारण प्रयोजनवती लक्षणों के गूढव्याघ्र नामक भेद का सूचक है। इस छंद में प्रयुक्त लालित शब्दों के मुद्यार्थवाद, लक्ष्यार्थ, मुद्यार्थपोग और व्याघ्र-प्रयोजन की व्याप्ति काव्यवाचना से परिपत्र युद्धि वाले सहृदयों के मानस में ही उद्भुद हो सकती है।

गूढव्याघ्र का एक अन्य उदाहरण प्रदीपकार का निम्नलिखित छंद है, जिसमें मलिनयति, कवलयति, स्थगयति और तिरयति शब्द लक्ष्यार्थ में प्रयुक्त हैं—

चकोरीपाडित्यं मलिनयति दृग्भंगिमहिमा,
हिमांशोरहैतं कवलयति वस्त्रं मृगदृगः ।
तभोवैदग्ध्यानि स्थगयति कचः कि च वदनं,
कुहूकंठीकंठघनिमधुरिमाणं तिरयति ॥

अभिप्राय यह है कि काव्य का उत्तम भेद गूढव्याघ्र ही है वयोर्कि उसमें अगूढ व्याघ्र की अपेक्षा अधिक सौन्दर्य होता है। अगूढ व्याघ्र मध्यम ऐणी का काव्य है, क्योंकि उसमें बाध्यार्थ की सी प्रतीति होती है। मम्पट ने दोनों का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है—‘कामिनी-कुच कलशवत् गूढं चमत्करोति, अगूर्दतु स्फुटतमा बाध्यापभानं इतिगुणी-भूतम् एव।’ वस्तुतः काव्य में गूढता होनी चाहिए पर वह ऐसी न हो कि उसके प्रति सहृदय का आकर्षण ही समाप्त हो जाए। काव्य के गूडागूढव्याघ्र का निर्दर्शन निम्नलिखित छंद में अत्यन्त रमणीयता से प्रस्तुत किया गया है—

नानधीपयोधर इवातितरा प्रकाशो,
नो गुर्जरीस्तन इवातितरा निगूढः ।
अर्थो गिरामपिहितः पिद्वितश्च कश्चित् ।
सौभाग्यमेति मरहद्दटवधूकुचाभः ॥

व्यंजना-वृत्ति-शब्दबोध की तृतीय शक्ति

‘व्यंजना’ वृत्ति एक स्वतंत्र शक्ति है

काव्य के शब्दबोध तथा अर्थग्रहण कराने की तृतीय शब्द-शक्ति का नाम ‘व्यंजना’ है, जिसे स्वतंत्र वृत्ति सिद्ध करने के लिए एक प्रमाण दिए जाते हैं।

इस बात का उल्लेख तो किया ही जा सकता है कि प्रयोजन को लक्ष्यार्थ मानना सम्भव नहीं है और यदि व्यजना विरोधी ऐसा मानवर उसके लिए प्रयोजन में भी बोई अन्य प्रयोजन सिद्ध करने की चेष्टा करें तो भी उचित नहीं वहाँ या सपता, क्योंकि उस स्थिति में वह दूसरा प्रयोजन भी लक्ष्य होगा और फिर उसके सिए तीसरे तथा तीसरे के लिए चौथे प्रयोजन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके बारण वहाँ 'अनवस्था दोष' हो जाएगा। वस्तुतः वह अनवस्था दोष ही मूलशयवारी है और उनकी आशका से भी प्रयोजन को लक्ष्यार्थ नहीं माना जा सकता। इतना ही नहीं, प्रयोजन विशिष्ट में भी लक्षणा नहीं हो सकती क्योंकि विशिष्ट-नाक्षणा वा सिद्धन्त मानने पर 'गगाया घोप' के अन्तर्गत लक्षणात्मक ज्ञान का विषय 'तट' और उसके फल शैत्य या पावनत्व भी पृथक्-पृथक् मानने होंगे, जिनके बारण उनकी उत्पत्ति समवाल में सम्भव न होगी। वस्तुतः प्रयोजन-सहित शैत्य और पावनत्व आदि के बारण विशिष्ट तीर को लक्ष्यार्थ मानना युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि नैयायिक और भीमोसक दोनों ही क्रमशः अनुव्यवसाय सिद्धात तथा ज्ञातता सिद्धात के बल पर ज्ञान के विषय और उसके फल को पृथक्-पृथक् मानते हैं जिनके आधार पर भी प्रयोजन-महित तट आदि को लक्ष्यार्थ मानना उचित नहीं वहाँ जा सकता। अभिप्राय यह है कि विशिष्ट में लक्षणा हो ही नहीं सकती और तट आदि स्वप्न लक्ष्यार्थ में जो पावनत्व आदि 'विशेष' है, वे अभिधा, नात्पर्य और लक्षणा से भिन्न व्यापार द्वारा गम्य हैं। अतः व्यजन, शोत्रन तथा व्यजन आदि शब्दों ने वाच्य वहे जाने वाले उस व्यापार को व्यजना-व्यापार ही मानना चाहिए।¹ इस मान्यता के अनुसार लक्षणामूला व्यजना की स्थिति स्वतः सिद्ध होती है।

व्यजना-वृत्ति के भेदः

प्राची व्यजना— व्यजनावादियों के अनुसार व्यजना-वृत्ति के दो भेद हैं—
 1. शास्त्री व्यजना और 2. आर्थी व्यजना। शास्त्री व्यजना के दो प्रकार हैं— 1. अभिधामूला व्यजना 2. लक्षणामूला व्यजना। लक्षणामूला व्यजना का निरूपण लक्षणावृत्ति के प्रशंग में किया जा सकता है। अतः अब हमें अभिधामूला व्यजना का स्पष्टीकरण कर इस चर्चा वा समाप्त बरना है। आचार्य मम्मड ने उस शब्द-व्यापार को अभिधामूला व्यजना बताया है जो संयोग आदि द्वारा अनेकार्थक शब्दों के वाचनत्व के विसी एवं अर्थ में नियन्त्रित हो जान पर उससे भिन्न अवाच्य अर्थ की प्रतीति करने वाला हो।² आचार्य

1. तटादी ये विशेषा पावनत्वाद्यस्त्रे चाभिधातात्पर्यनक्षणाप्यो व्यापारानरेण गम्या। तच्च व्यजनाप्रवन्न द्योतनादि शब्दवाच्यमवश्यमेविनव्यम्। (रात्प्रवाग्द्विनीय उल्लान-नूनवृत्ति-31)

2. अनेकार्थ्य शब्दस्य वाचनत्वे नियन्त्रिते।

संपोगादैवताच्यार्थं धीरुदव्यापृतिरजनम् ॥ (वही-नून शब्दा 33)

मतूर्हरि ने अनेकार्थक शब्दों का एकार्थ में नियंत्रण करने के चतुर्दश कारण निर्दिष्ट किये हैं जो निम्नतिवित कारिकाओं में अंकित हैं:-

संयोगो विप्रयोगच साहृचयं विरोधिता ।

अर्थं प्रवरणं लिंगं शब्दस्यान्यभ्यसन्निधिः ।

सामर्थ्यंमोचिती देशः कामो व्यक्तित स्वरादयः ।

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृतिहेतवः ॥

मतूर्हरि ने वाक्यपदीय में उपर्युक्त चतुर्दश कारणों को एकार्थनियामक हेतु बहा है, क्योंकि वे सब अनेकार्थक शब्द के अर्थं वा नियंत्रण न होने पर विशेष अर्थ में नियंत्रणवोध कराने के कारण बनते हैं। इन सबके उदाहरण निम्नतिवित हैं :—

1-2. संयोग और विप्रयोग की नियामकता—कोश के अनुभार 'हरि' शब्द के अनेकार्थवाची है, किन्तु 'सशंखचतुर्हरि' कहने पर संयोग से तथा 'अशंखचतुर्हरि' कहने पर विप्रयोग से दोनों का अर्थ 'विष्णु' रूप में नियंत्रित होता है।

3-4. साहृचयं-विरोध क. नियामकता-'राम-लक्ष्मण' पद के प्रयोग में साहृचयं कारण राम-लक्ष्मण दोनों शब्दों का दशरथ के पुत्र में नियंत्रण होता है और 'रामजून' कहने से राम और अर्जुन शब्दों की विरोधिता के कारण उनके अर्थ क्रमशः 'परंगुराम' और 'कालंबीयंअर्जुन' अर्थ में नियंत्रित होते हैं।

5-6. अर्थं-प्रकरणकी नियामकता—'सप्ताह से पार उतरने के लिए 'स्थाणु' का भजन कर, इस प्रयोग में 'स्थाणु' शब्द प्रयोजनरूप अर्थ के कारण 'शिव' अर्थ में नियंत्रित हो जाता है। इसी प्रकार 'देव सब जानते हैं' 'इस वाक्य में अनेकार्थक 'देव' शब्द 'आप' अर्थ में नियंत्रित हो जाता है।

7. लिंग की नियामकता—'मकरध्वज' कुपित हो रहा है' इस उदाहरण में लिंग अर्थात् कोषरूप चिह्न से 'मकरध्वज' पद 'कामदेव' में नियंत्रित हो जाता है, यद्यपि मकरध्वज पद के 'समुद्र' और 'ओषधिविशेष' अर्थ भी होते हैं।

8. शब्दसन्निधि की नियामकता—'पुरारिदेव' के प्रयोग में अनेकार्थक 'देव' शब्द 'पुराराति' रूप अर्थ शब्द के सन्निधान के कारण 'भगवान शंकर' के अर्थ में नियंत्रित है।

9. सामर्थ्य की नियामकता—'कोकिल मधु से मरा हो रहा है', इस वाक्य में कोकिल को मरत करने का सामर्थ्य केवल वसत में होने के कारण 'मधु' शब्द-सामर्थ्य-वश 'वसत श्वलु' अर्थ में नियंत्रित हो गया है।

10. औचित्य की नियामकता—'पलो का मुख' 'तुम्हारी रक्षा करे' इस उदाहरण में, अनेकार्थक 'मुख', शब्द औचित्य के कारण 'साम्मुख्य' अर्थवा 'अनुकूलता' का व्यंजक है।

11. देश की नियामकता—'पहाँ 'परमेश्वर' शोभित होते हैं' इस वाक्य में राजधानी रूप देश के कारण अनेकार्थक 'परमेश्वर' शब्द 'राजा' अर्थ में नियन्त्रित है।

12. वात की नियामकता—'चित्रभानु' चमत्करण रहा है, तहाँ अनेकार्थक 'चित्रभानु' शब्द दिन में 'सूर्य' अर्थ में और रात्रि में 'अग्नि' अर्थ में वात के कारण नियन्त्रित हो जाता है।

13. एवं इन की नियामकता—'गिरो भाति' इस वाक्य में नर्पुसकलिग में प्रयुक्त हुआ अनेकार्थक 'मित्र' शब्द व्यक्ति अर्थात् लिंग के कारण 'मुद्रण' अर्थ में नियन्त्रित हो दया है। यदि इसी 'मित्र' शब्द वा प्रयोग पुलिंग में किया जाय तो वह 'सूर्य' अर्थ में नियन्त्रित हो जाता है। सस्तृत में 'मित्र' शब्द का प्रयोग पुलिंग तथा नपुसकलिग में किये जाने पा व्यावरणसम्मत विधान है।

14. स्वरभेद के प्रभाव से नियामकता—'इन्द्रशनु' आदि प्रयोगों में वेद में ही स्वर अर्थविशेष वा बोधक होता है वास्तव में नहीं। अतएव उसके सौकिंव उदाहरण नहीं मिलते धिर भी इसका उल्लेख करना आवश्यक है। महाभाष्यकार ने शुद्धशब्दों के प्रयोग की निदनीय वहा है क्योंकि उसके कारण भी अर्थ में एभी-जभी अनर्थता आ जाती है। पतञ्जलि ने महाभाष्य में लिखा है—

दुष्टं शब्दं स्वरतो वर्णतो ना, मिद्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।

स वागचो यजमानं हिनस्ति, यथेन्द्रशनुः स्वरतो अपराधात् ॥

अभिप्राय यह है कि सयोग आदि द्वारा अन्य अर्थ की बोधिता का निवारण हो जाने पर भी अनेकार्थक शब्द जो वहीं दूसरे अर्थ का प्रतिपादन करता है वही उसका नियन्त्रण हो जाने के कारण उसमें अभिदा हो सकती है। वही मुख्यार्थवाद आदि के अभाव में सदाचारा भी नहीं हो सकती अतः व्यजना-व्यापार अथवा वृत्ति की सत्ता मानना अनिवार्य है।

आर्यो व्यजना—आर्यो व्यजना वाच्य, लक्ष्य और व्याय नामक तीन प्रवार वे अर्थों की व्यजनता पर आधारित होती है। उसमें बदना, योद्धा, वानु, वाच्य, वाच्य, अन्यसनिधि, प्रत्तात्र देश और वात के वैशिष्ट्य के कारण प्रतिभासाली सहृदयों वो अन्यार्थी प्रतीति करने वाला अर्थ-व्यापार रहता है। शास्त्री व्यजना में शब्द ही मुख्य रूप से व्यजक होता है, और अर्थ की उसमें सहबाहिता रहती है, किन्तु आर्यो व्यजना में अर्थ के मुख्य स्पष्ट से व्यजन होने पर उसमें शब्द की सहायिता होती है। यहाँ पह वात व्यायाम में रखने याप्त है कि शब्द-प्रभाव से अन्य अर्थ, अर्थात् अर्थों को व्यक्त करता है, जिसका एक अभिप्राय यह भी है कि अनुमान आदि अन्य प्रभावों से वैद्य अर्थ व्यंजक नहीं होता। प्रायः समस्त आचार्यों ने आर्यो व्यजना के उपर्युक्त दराओं प्रकार का कियेवत कर इस वात का स्पष्टीकरण किया है कि उनमें आर्यो व्यजना का स्वरूप इस

किस प्रकार समन्वित है। संशोध में इतना कहना ही पर्याप्त है कि कभी वक्ता अथवा बोद्धा के वैशिष्ट्य में व्यजना का अंतर्भुव रहता है तो कभी काकु के वैशिष्ट्य में। आचार्यों ने काकु की परिमाणा 'मिनकष्ठव्यनिधीं काकुरित्यमिधीयते' की है जिसका अभिप्राय यह है कि एक विशेष प्रकार की वृत्तिविन अथवा 'बोलने का लहजा' काकु है जिसके वैशिष्ट्यमें काव्यार्थ बोध में व्यजना-वृत्ति का आधय लेना पड़ता है। यो तो आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश के पंचम उल्लास के अन्तर्गत काव्यादित अर्थ में गुणीभूतव्याय काव्य माना है, किन्तु उसके पूर्व वे तृतीय उल्लास में यह वात भी लिख चुके हैं कि जहाँ काकु से लम्ह अर्थं वाच्य को मिहि का अग होता है वहाँ व्यनिकाव्य न होकर गुणीभूतव्याय काव्य ही होता है, ऐसी शंख नहीं करनी चाहिए। उनका मत है कि प्रश्नमात्र से भी काकु भी विद्याति हो सकती है और उससे व्यंग्यार्थ आदिता नहीं होता। इस विषय में मम्मट ने निखा है—

“न च वाच्यसिद्धयं गाकुरिनि गुणीभूतव्यं व्याप्तवं शंखम् । प्रश्नमात्रे णापि
काकोविंश्चान्तेः ।”
(काव्यप्रकाश तृतीय उल्लास)

जिस प्रकार वक्ता और बोद्धा के वैशिष्ट्य में आर्थी व्यजना के पृथक्-पृथक् दो भेद किये गये हैं, उसी प्रकार वाक्य और वाच्य के वैशिष्ट्य से भी उसके पृथक्- पृथक् भेद माने जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि कहीं-कहीं एक ही उदाहरण दोनों भेदों का निरूपक बन जाता है। वक्ता और बोद्धा के प्राधान्य की विवेदा की भाँति वाक्य और वाच्य का प्राधान्य भी विवादित हो भक्ता है। अन्यसन्निधि, प्रस्ताव (प्रकरण) और काल के वैशिष्ट्य में भी आर्थी व्यजना व्यनित होती है जिसके प्रभूत उदाहरण शुंगार रस राता नायिका-भेद-प्रयोग काव्य-कृतियों में उपलब्ध होते हैं। कभी-कभी चेष्टा के वैशिष्ट्य में भी व्यंजकता रहती है। इस प्रकार आर्थी व्यंजना के इस प्रकारों में न केवल वाच्य अर्थं की ही व्यंजकता व्यनित होती है, अपितु वाच्य के समान लक्ष्य तथा व्यंग्य अर्थं भी व्यंग्य हो सकते हैं। आचार्य मम्मट ने 'काव्यप्रकाश' के तृतीय उल्लास में वाच्य अर्थ की व्यंजकता के दसों प्रकारों के अभ्यास उदाहरण देकर इस विषय को मुखोधरूप में प्रस्तुत किया है। याँ तो एक ही उदाहरण में दो लीन या उनसे अधिक भेदों को एक ही स्थान पर निरूपित किया जा सकता था, किन्तु इस प्रकार के पृथक्-पृथक् उदाहरण देने से काव्य-भाष्यकों की जिजासा का परिशमन अधिक व्यापकता स हो सका है!—

व्यंजना वृत्ति ही व्यनि-भेदों की प्रतीति कराती है

आचार्य मम्मट ने व्यंजना की अपरिहायता पर बहुत अधिक बल दिया है। उनका तो यह सुदृढ़ विश्वास है कि व्यजना के अतिरिक्त ऐसा अन्य कोई भी उपाय नहीं है जिसके द्वारा व्यनि के भेदोंपरेदों की प्रतीति की जा सके।

उन्होंने ध्वनि के 'वाच्यतानह' तथा 'वाच्यतानसह' नामक दो भेद मान कर 'वाच्यतासह' वो 'विचित्र' तथा 'अविचित्र' नामक दो भेदों में विभक्त किया है। उन्वें मतानुसार विचित्र तथा अविचित्र भेदों का अतभाव वरमान 'असत्तार ध्वनि' और 'वस्तु ध्वनि' में दिया जा सकता है। वहने के लिए तो 'वाच्यतात्तहविचित्र' ध्वनि का जलवाररूप है जिन्होंने ऐसा मानना केवल व्याप्ति-शमण-न्याय में ही उचित है क्योंकि उसमें भी व्यग्य की सज्ञा प्रधान होने के बारप उन्होंने व्यग्यार्थ अलवार न होकर जलवार्य ही होता है।¹

रसादिध्वनि का अर्थ सदैव 'व्यग्य' होता है

मध्यम के अनुगार 'रसादिव्यव अर्थं तो मध्यम में भी वाच्य नहीं हो सकता। यदि उसे वाच्य माना जा तब तो वह रस अथवा भगवादि शब्दों द्वारा ही अभिधाशवित से वाच्यरूप में व्यक्त हो सकता है। रति और शृगार आदि इन्होंने से उमे अभिधाशवित द्वारा वाच्य वहना समूचित नहीं है, क्योंकि उन इन्होंने वा प्रयोग होने पर भी तब तक रस की प्रतीति नहीं हो सकती जब तक विभाव आदि का प्रयोग उनकी अनुभूति न करा दे। वस्तुतः विभाव आदि के व्यवहार ही रसादि की प्रतीति होती है, यह बात अन्वय-व्यतिरेक में निर्दिष्ट है।² इसमें स्पष्ट है कि रसादिध्वनि या अर्थं सदैव व्यग्य होना है। लक्षणा के प्रयोजन हेतुओं (मुख्यार्थ-व्याघ आदि) के न होने से वह लक्षणीय वर्द्धी लक्षणागम्य भी नहीं हो सकता। अभिधाशनाध्वनि में असलव्यवरमव्यव रासीरूप अर्थं की प्रतीति के लिए तो व्यज्ञा वृत्ति की स्वीकृति अनिवार्य है ही उसमें अनिरिक्त लक्षणामूला ध्वनि के अर्यान्तरमवमित वाच्य और अत्यतिरस्तृतवाच्य नामक जो दो भेद माने जाते हैं, उनमें भी व्यवहार-व्यापार द्वारा ही व्यग्यार्थ प्रतीति होती है। राच तो पह है कि इन दोनों भेदों में वस्तुमात्रव्यव व्यग्य के विना लक्षणा हो ही नहीं सकती क्योंकि उनमें व्यग्य प्रयोजन न हो तो वही लक्षणा के लिए भी कोई अवसर नहीं है। अभिधाशनाध्वनि का असलव्यवरमव्यव अर्थात् रसादि ध्वनि नामक भेद तो पूर्णतया 'अवाच्यतानह' होता है जो निम्नों भी स्पृति में वाच्य न रहने कर सर्वत्र व्यग्य ही होता है।

1. वाच्यप्रकाश भाष्यवार आचार्य विश्वेश्वर, पृष्ठ शत्र्या 216 -

2. रसादि लक्षणमन्वर्थं, स्वप्नेऽपि न वाच्य । न हि रसादिव्यवदेन शृगारादि गद्देन वा अभिधीयते । न चाभिधीयते । तत्प्रयोगे-पि विभावाप्रश्नेऽत्याऽप्रतिपलेभन्दप्रयोगे-पि विभावाप्रतिप्रयोगे तस्य प्रतिपत्तेऽप्यव्यतिरेकाम्या विभावादयभिधानद्वारेण्व प्रतीयते, 'इति निष्क्रीयते । तेना असी व्यग्य एव । मुख्यार्थवाप्राद्यमावान्तं पुनर्लक्षणीय ।

यह बात हम पहले ही कह चुके हैं। यहाँ पर इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक है कि अभिधारूला संतत्यत्रमव्यंग्य नामक ध्वनि के जो तीन भेद (शब्द शब्दयुत्य, अर्थात् नयुत्य और उभयशक्तियुत्य) किये जाते हैं, उनमें भी व्यजना-वृत्ति की सत्ता मानना अनिवार्य है। आचार्य ममट ने अत्यन्त विद्वत्तायूर्ण विधि से इस विषय का विवेचन किया है।

ध्यजनावृत्ति का विस्तार

व्यजनावृत्ति का विस्तार लक्षणामूलाध्वनि के दो भेदों, अभिधारूला संतत्यत्रमव्यंग्यध्वनि के विविध प्रकारों और असंतत्यत्रमव्यंग्यध्वनि के रसादि ध्वनिहृषीं तक ही सीमित नहीं, अपितु उनमें भीमासकों की तात्पर्यवृत्ति से आगे भी व्याप्त किया जा सकता है अभिहितान्वयवादियों ने अभिधा-शक्ति से केवल पदार्थों की उपस्थिति बदला कर पदार्थों के परम्परसर्गरूप वाक्यार्थ की प्रतीति के लिए 'तात्पर्याद्विया शक्ति' मानी है जो एक प्रकार से अर्थ-बोध की सीमा है, किन्तु यह सीमा साहित्यशास्त्रियों को गमन्य नहीं है। इसका कारण यह है कि तात्पर्यवृत्ति में वाक्यार्थ की प्रतीति होने के पश्चात् भी व्याप्त्यार्थ का बोध करने के लिए व्यजना-वृत्ति की आवश्यकता बनी ही रहती है, क्योंकि केवल अभिधा-वृत्ति से उनमें बोध्य या वाच्य नहीं कहा जा सकता। आचार्य ममट ने अन्विताभिधानवाद के अनुमार अर्थ-बोध की सीमा का विवेचन कर अतः यह निप्कंय निकाला है कि विधिरूप वाक्यार्थ से नियोगारूप व्याप्त्यार्थ तथा नियोधरूप वाक्यार्थ से प्रतीत होने वाले विधिरूप व्याप्त्यार्थ की प्रतीति कराने के लिए भी व्यजना-वृत्ति की सत्ता मानना अनिवार्य है।

भीमासक और व्यंजनावादी आचार्यों द्वारा व्यजना-वृत्ति वा लंडन-महान

प्रायः सभी भीमासकों ने व्यजना-शक्ति का विरोध किया है। 'अभिधा-वृत्तिमातृका' नामक प्रथ के लेखक मुकुल भट्ट का मत है कि शब्द-शक्तियों में केवल अभिधा और लक्षण ही प्रतिपाद्य हैं और उनमें भी अभिधा-वृत्ति अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि लक्षण-वृत्ति का अत्याव उमी में किया जा सकता है। अभिहितान्वयवादी और अन्विताभिधानवादी आचार्यों के मत तो विवेचित किये हो जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त भीमासकों का एक अन्य मत और भी है जो 'निमित्तिकानुग्राहण निमित्तानि कल्प्यन्ते' द्वारा यह आशय व्यक्त करता है कि व्यंजनावादियों का अभिप्रेत 'व्याप्त्यार्थ' भी शब्द से प्रतीत होता है, अतः शब्द के अतिरिक्त उभका कोई निमित्त नहीं हो सकता। कारक और ज्ञापक रूप से निमित्त के जो दो प्रकार होते हैं, उनमें शब्द को कारकरूप-निमित्त नहीं कहा जा सकता। मुकुलभट्ट का मत है कि शब्द में अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति केवल अभिधारूपा है और शब्द से व्याप्त्यार्थ की जो प्रतीति होती है, वह शब्द के

अभिधाव्यापार द्वारा ही होती है। अभिप्राय यह है कि इन मीमांसकों की दृष्टि से भी व्यजना-व्यापार की कल्पना निरर्थक है।

व्यजनावृत्ति के विरोधियों में नाट्यमून के व्याख्याता और बुमारिल भट्ठ के अनुयायी मीमांसक आचार्य भट्ठ लोलट भी प्रमुख हैं। उनका मत है कि विवर प्रवार एवं ही बार छोड़ा हुआ वाण श्रमण जथु वा ववच-भेदन, वशास्थल-विदारण और प्राण-विमोचन करता है, उसी प्रधार एवं ही बार उच्चारण विद्या हुआ शब्द एवं ही व्यापार से श्रमण वाच्य, लक्ष्य और व्यग्य वहे जाने वाले तोनो अर्थों वा बोधव तो सप्तता है। वे गो ग्रिथिं में शब्द गे ग्रिन्ड-ग्रिन्ड शक्तिर्थी मानने वी त्रोई आवश्यकता नहीं है। भट्ठ लोलट ने अपने मत वे समर्थन में 'यत्पर शब्द म शब्दार्थ' द्वारा एवं अन्य-युक्ति प्रस्तुत की है, जिसका अर्थ यह है कि जिता अर्थ वा बोध करने वे निए शब्द वा प्रयोग विद्या जाता है, वही उस शब्द वा अर्थ होता है। उनका बहना है कि सभी अर्थ अभिधा द्वारा ही उपस्थित होने हैं और वाच्यार्थ-बोधन के अतिरिक्त लक्ष्य या व्यग्य संशक अर्थों वा बोध करने के लिए जिन शब्दों वा प्रयोग विद्या जाता है, वे शब्द भी मूलत वाक्य ही होते हैं। मते ही उनसे अन्य अर्थों वी प्रतीति हो जाए। अत अभिधा वो 'सोऽप्यमिषोग्विदीर्घं दीर्घं दीर्घंतरो व्यापार' मानना ही उचित है।

व्यजनावादियों ने अनेक तर्फों और विधियों वा काधार लेहर भट्ठ सोलट वी मान्यता वा खड़न लिया है। भट्ठ लोलट आदि मीमांसकों ने 'यत्पर शब्द म शब्दार्थ' इस 'तात्पर्यवाचो युक्ति' वा यह अर्थ निकाला या कि लक्ष्य और व्यग्य आदि समस्त अर्थों को वाच्यार्थ ही मान नेना चाहिए। यह मान्यता आदि व्यजनावादियों वो स्वीकार नहीं है। उनका मत है कि 'यत्पर शब्द म शब्दार्थ' वा आशय यह समझा जाना चाहिए कि जिस अप्राप्त अग्र के बोधन में विधि-वाक्य वा तात्पर्य होना है, वही उग्र विधिवाक्य वा विशेष या प्रतिपाद्य अर्थ है। उम वाक्य वा यह तात्पर्य कदाचित नहीं हो सकता कि लक्ष्यार्थ और व्यग्यार्थ आदि शब्द के बीच वाक्यार्थ ही होते हैं। परिएसा होता तो बुमारिल भट्ठ आदि मीमांसक स्थानावृत्ति का प्रतिपादन नहीं करते। व्यजनावादियों वा वहना है कि भट्ठ लोलट आदि विचारकों ने 'तात्पर्यवाचो युक्ति' वे आधार पर 'यत्पर शब्द म शब्दार्थ' से व्यग्यार्थ वो वाच्यार्थ गिर्द करने वा जो प्रग्राम विद्या है वह मूर्यंतापूर्ण है। मम्मट ने ऐसे मीमांसकों के लिए 'तेऽप्यतात्पर्यंतास्तात्पर्यवाचोयुक्ते देवानाप्रिया' आदि आश्रीशव्यजन शब्द प्रयुक्त दिये हैं, जिनमें विद्यूद-जनसुनभ शालीनता वा अभाव है। कहने वी आवश्यकता नहीं वी 'देवाना प्रिय' वा मुक्यार्थ देवताओं वा प्रिय है और इसी अर्थ वे नारण बोड मतानु-यायी मध्याद अशोक ने अपने नाम वे पूर्व इसे उपाधिकृप मे धारण लिया था, जिन्हु पानातर मे धार्मिक विद्वेष वे वारण वातिवारने 'देवाना प्रिय इति च मूर्ये' लिया वर उसे 'मूर्यं' अर्थ मे रुद बर दिया। मम्मट ने भट्ठ लोलट आदि

विचारकों के लिए 'देवाना प्रिय' के हृष्ट अर्थ का ही प्रयोग किया है, जिससे स्पष्ट है कि वे उनकी तात्पर्यबोधक युक्ति का दृष्टिकोण सर्वथा मूख्यतापूर्ण मानते थे।

भम्मट ने 'तात्पर्यवाचों युक्ति' का अभिग्राय स्पष्ट करने के प्रकरण में 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थं' तथा 'भूतभव्यायोपदिश्यते' इत्यादि दो विशेष-वाक्य उद्धृत किये हैं। उनका कहना है कि भीमासकों ने इन पदों की जो विवेचना की है, उमे तात्त्विक रूप से बोधगम्य करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि सिद्ध पदार्थों का विधान अनर्थक होने के कारण मुद्द्य रूप से गाय्यभूत विधान का ही विधान किया जाता है। यो तो प्रत्येक दशा में जो विधेय होता है, उसी में वाक्य के अन्य पदार्थों का तात्पर्य होता है, किन्तु जिस अर्थ में तात्पर्य होता है उसका वाचक शब्द वाक्य में अवश्य उपात्त होना चाहिए। इसका अभिग्राय यह है कि वाक्य में उपात्त किसी एक शब्द के अर्थ में ही वाक्य के अन्य पदों का तात्पर्य होता है। शब्दत् अनुपात अर्थ में तात्पर्य नहीं होता और व्यायार्थ का वाचक कोई शब्द वाक्य में उपात्त नहीं होता, अतः 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थं' का नियम उस पर घटित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में व्यायार्थ की प्रतीति किसी भी प्रकार अभिधा में सम्भव नहीं है और उसकी प्रतीति के लिए व्यजना-वृत्ति को स्वीकार करना ही पड़ेगा। भम्मट ने तो यहीं तक लिखा है कि आचार्य भट्ट लोलट आदि विचारकों ने जिस रूप में व्यजना को अभिधा-व्यापार सिद्ध करने का प्रयास किया है, वह मूलतः न तो भीमासा-दर्शन के ही अनुकूल है और न उसमें व्यावहारिक संगति ही है। सच तो यह है कि जो शब्द किसी वाक्य में आते हैं, उनमें से ही किसी एक अर्थ में वाक्य का तात्पर्य हो सकता है, अन्य रूप में नहीं। चूंकि व्यजनावादी जिस अर्थ को व्यग्य कहना चाहते हैं उसका वाचक कोई भी शब्द वाक्य में उपात्त न होने के कारण उसमें तात्पर्य नहीं हो सकता; अतः भट्ट लोलट ने 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थं' की युक्ति के आधार पर जिस रूप में व्यायार्थ को तात्पर्य विषय मान कर उमे वाच्यार्थ कहा है, वह युक्तिसंगत नहीं है।

आचार्य भम्मट का तो यह स्पष्ट मत है कि 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थं' के नियमानुसार उसी अर्थ में सात्पर्य माना जा सकता है जिसका वाचक कोई शब्द वाक्य में विद्यमान हो। यदि किसी वाक्य में वाचक शब्द उपस्थित नहीं है और किसी अन्य प्रकार से अर्थ की प्रतीति हो जाती है तो वही तात्पर्यनिर्णयक नियम घटित नहीं होता। उन्होंने भीमासावादी आचार्यों के इस मत का खण्डन किया है कि अनुपात शब्द के अर्थ में ही तात्पर्य होता है। 'विषय भद्र मा चास्य गृहे भुक्या' अर्थात् 'विषय भले ही खा लेना किन्तु इसके पर में भोजन मत करना' इस वाक्य से भीमासावादियों ने 'विषय भद्र' आदि

वाक्य का जो तात्पर्य या वाच्यार्थं निकाला था वह मम्मट को स्वीकार नहीं है। उनका तो कहना है कि उपर्युक्त वाक्य में 'चपार' का प्रयोग दोनों वाक्यों की एकवाक्यता के मूलनार्थं है और उसके पथम भाग 'विषय भक्ष्य' का जो यह तात्पर्य निवासता है कि शब्द के पर में भोजन करना विपभद्रन से भी बुरा है, इसलिए 'उसके पर में मत चाही' वह उपात्त शब्द के अर्थ में ही होता है, अनुपात्त शब्द के अर्थ में नहीं।¹

वाक्यों में अर्थ-निर्णय के विषय में भीमातत्त्वों और व्यजनावादियों में प्रश्न विरोध है। दोनों दिव्याधाराओं के विद्वान् अपनी अपनी युक्तियों के आधार पर निजी पृष्ठ का समर्थन करते हैं। उपर्युक्त 'विषय भक्ष्य मा चास्य गृहं भुक्ष्य' वाक्य की तात्पर्य-बोध करने की प्रतिया के विषय में उनमें मतभेद नहीं है। भीमातत्त्वों ने व्यजनावादियों के इस वाक्य के सम्बन्ध में निष्पत्ति इन विद्वान्त का घटन बिया है कि इन दोनों वाक्यों में एकवाक्यता है। उनका बट्टा है कि 'एन तिद्व्यात्यम्' इस नियम के अनुसार इन वाक्यों की एकवाक्यता सिद्ध नहीं होती परोक्ष। इसमें 'भक्ष्य' तथा 'भुक्ष्य' नामक दो प्रियापद प्रयुक्त हुए हैं। इन दो तिद्वन्त प्रियापदों से पठित वाक्यों में दोना के प्रधान और स्वतन्त्र वाक्य होने से उनका अगागिभाव नहीं हो सकता। इससे यह निष्पर्यं निवासता है कि व्यजनावादियों का वह मत ठोक नहीं है, जिसमें उन्होंने दोनों वाक्यों की एक-वाक्यता मानी है।

भीमातत्त्वों के उपर्युक्त तर्क को पूर्वपक्ष के रूप में उपरिथत करते हुए मम्मट वादि व्यजनावादियों ने उसका घटन नियम है। उनका मत है कि उपर्युक्त वाक्यों को पृथक्-पृथक् मानना युक्तिगत नहीं है, परोक्ष देशा परते पर वाक्य या अर्थ सर्वथा अनुपस्थित हो जाता है। बाहुत यह 'गुद्दृहृदायक्य' है जिसके बारें उसके अगागिभाव की पर्याप्तता दिए दिन। उसका अर्थ निवास ही नहीं सकता। इन दोनों वाक्यों की एकवाक्यता टोने के कारण ही 'उपात्तसर्वं शब्दस्यार्थतात्पर्यम्' इस नियम की समर्पित सिद्ध हो सकती है। निष्पर्यं यह है कि व्यव्यार्थबोध के लिए अभिधा ते भिन्न व्यजनावृत्ति मानना अपरिहार्य है। उन्होंने अपने पक्ष की समुचित परते हैं। लिए थोर भी युक्तियाँ उपलिखित की हैं। उनमें से एक युक्ति या उदरण उल्लेखनीय है, जिसका रपटीकरण इसी के पक्षात् दिया गया है—

"यदिच शब्दभूतोरनेतर वाक्यार्थो लभ्यते तावनि शब्दस्याभिधेय व्यापार, तत् कथं 'शाहूण पूर्वस्ते जान', 'शाहूण एन्या ते गमिष्ठो' इत्यादी इर्पशोकादी-नामपि न वाच्यत्वम्? इस्माच्च लक्षणा? लक्षणीदः कथं दीर्घदीर्घतराभिधा-व्यापारेण्यं प्रतीक्षिष्ठे। गमिति च शुक्तिनिदाशदशरणश्चानसामाप्याना पूर्यं पूर्ववलयता च मात्र? इत्यनिवासाभिधानवादं पि विष्वरपि गिद्ध

ध्यान्यत्वम् ("")

"और यदि यह कहा जाए कि शब्द के अवण के पश्चात् जितना भी अर्थ प्रतीत होता है, उस शब्दके शब्द का केवल अभिधा-व्यापार ही कार्य करता है तो 'हे ब्राह्मण तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ है,' 'हे ब्राह्मण, तुम्हारी अविवाहिता कन्या अभिषी हो गई है', इत्यादि वाक्यों में उनके गुणते से उत्पन्न होने वाले व्रत्यशः हृष्टे तथा शोक आदि को भी वाच्य क्यों नहीं मानते हो? और लक्षणा भी क्यों मानते हो? लक्षणीय अर्थ में भी इच्छानुसार दूर तक चलने वाले दीर्घ दीर्घतर अभिधा-व्यापार से ही लक्षणार्थ की भी प्रतीति सिद्ध हो जाने से व्यजना के समान लक्षणा का मानना भी आवश्यक नहीं है। साथ ही साथ मीमांसादर्शन में प्रतिपादित श्रुति, लिङ, वाक्य प्रकरण, रथान और समाख्या नायक प्रमाणों के समवाय में पूर्वपूर्व की बलवत्ता क्यों म नी जाती है? अभिप्राय यह है कि शब्द अवण के पश्चात् यदि सभी अर्थों की प्रतीति केवल अभिधा-व्यापार रे ही सभव हो तो न तो लक्षणा-व्यापार की ही आवश्यकता है और न श्रुति आदि प्रमाणों की, किन्तु ऐसा तो मीमांसक भी नहीं मानते। अत सभी दृष्टियों से व्यजना की सिद्धि अनिवार्य है। अन्विताभिधानजाद में भी 'निशेषचदन' आदि उदाहरणों में निषेधरूप वाच्यार्थ से प्रतीत होने वाले विधिहृष की व्यंग्यना सिद्ध होती है।"

आचार्य मम्मट ने मीमांसा-दर्शन के 'वलावलाधिकरण' नायक प्रमुख सिद्धात को पूर्वपात्र के हृष में विवेचित कर अत में यह निर्णय किया है कि यदि शब्द-प्रमाण के पश्चात् प्रतीत होने वाले समस्त अर्थ को एक ही अभिधा-व्यापार से बोधित होने वाला अर्थ माना जाए तो उम अर्थ की प्रतीति में पौरीपूर्ण का कोई क्रम ही नहीं बनता और उम स्थिति में श्रुति आदि इह प्रमाणों में किया गया वलावला का निर्धारण भी व्यर्थ हो जाता है, जिसमें मीमांसावादियों का यत खंडित हो जाता है। अत सभी दृष्टियों से व्यजना-व्यापार की सिद्धि स्वीकार करनी ही पड़ती है।

काव्यशास्त्रीय प्रक्रिया से व्यजना की सिद्धि

मम्मट ने साहित्यशास्त्र को प्रक्रिया की दृष्टि से भी व्यजना-वृत्ति का अस्तित्व सिद्ध किया है। उन्होंने काव्यप्रकाश के पंचम उल्लास में 'कुरु रचिम्' आदि पदों के वैपरीत्य में अश्लीलता दोष का उल्लेख कर अर्थात् 'कुरु रचिम्' पद को 'रचिकुरु' करने से 'चिकु' (योन्दंकुर अधवा भग्नासा-हृष) का अर्थ निवृत्ति कर यह वलावला है कि इन पदों में से किसी भी पद का अश्लील अर्थ वाच्य नहीं है तो फिर केवल अभिधावृति से ही अश्लील अर्थ की प्रतीति की ये हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने यही सकेत किया है कि इस

अर्थ की प्रतीति में अभिधा ने अनिरिक्त सिगो अन्य अर्थवोधक वृत्ति को स्वीकार करना ही पड़ेगा और वह वृत्ति में पल व्यजना-वृत्ति ही हो सकती है क्योंकि उसी के द्वारा 'चिकु' शब्द में 'योन्यकुर' का अर्थ छवित होता है जो अन्य पदार्थों के साथ अन्वित न होने पे वारण चाल्यार्थ नहीं हो सकता।¹ नाम्यारवादिताभो ने इस प्रकार के प्रयोगों को बजेनीय निटपिन करते हुए उन्हें अश्लील अर्थ का व्यजन माना है जिसमें अभिधा के अनिरिक्त व्यजना-वृत्ति को अर्थवोध की पृथक् वृत्ति के रूप में स्पीकार करना ही पड़ता है। मम्मट ने इसी प्रकार में व्यजनावृत्ति के समर्थन में एक अन्य प्रमाण प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार नित्य और अनित्य दोपो की व्यवस्था तभी बन सकती है जब वाच्यवाच्यभाव के अतिरिक्त व्यगद् व्यजनभाव की सत्ता मानी जाए।² उनका मत है कि ऐसा न मानने पर 'च्युतसमृति' आदि नित्यदोष तथा 'भुतिप्रदुत्त्व' आदि अनित्य दोषों का विभाग सम्भव ही नहीं हो सकता। वन्नुत व्यगद्व्यजनभाव को पृथक् मानने पर ही व्यजनावृत्ति द्वारा भिन्न-भिन्न रूपों के अनुकूल या प्रतिकूल होने के आधार पर नित्य और अनित्य दोषों की व्यवस्था बन सकती है अतः उसकी सत्ता गवाईन सुझाहा है। उन्होंने गुणव्यवस्था के द्वारा भी व्यजना-वृत्ति की सिद्धि की है। ऐसा वरने के लिए उन्होंने कुमारसभव के पचम रूप का एक सुप्रसिद्ध श्लोक³ उद्दत् करते हुए लिखा है कि उस श्लोक में शिव के बाचक 'पिनाकी' आदि शब्दों के स्थान पर 'वपाली' जैसे शब्द का प्रयोग होने के बारण उसमें अपेक्षा-कृत अधिक वाच्यानुगुणित्व का गाया है जिसपा हेतु व्यगद्व्यजनभाव ही है। परिदेशी न माना जाए तो बाचकरूप ने रामी शब्दों की ममान स्थिति होने के बारण विसी विशेष पद के प्रयोग में थोड़ी विनाशन चमत्कार हो ही नहीं सकता। वन्नुत 'वपाली' शब्द का प्रयोग ही उबल श्लोक के चमत्कार का मूल बारण है। ही, यह वात ध्वनि है कि इस प्रकार या चमत्कारजन्म अनुभव देवल तत्वाभिनिवेशी सदृश बन हो रखने के हैं, तभी तो विसी विचारक ने उचित ही कहा है—

विवि वरोति वाच्यानि पदितो वेति तटम् ।

पाद्यं तु चराठिग्यं पतिर्नागाति नो पिता ॥

व्यगद्व्यजनभाव की मिदि में एक प्रमाण यह भी दिया जा सकता है कि

1. मिच 'तु ग र्वि' द्वारा पड़ो देवरीत्ये याव्यान्त्योत्तीम् वथ दुष्टत्वे नह्यशाम्योऽथः पर्यान्तरविक्षण इत्यनभिष्ठेष एवेति एवमादिपर्ति-त्यान्यस्यात् ।

2. याज्ञव्रताग पचम उत्ताम, पृ० ८० २५ ।

3. दृष्ट गत गम्भ्रनि गोवर्नीयता गम्भागम श्रावन्तप्या रपान्ति ।

पृ० ८ या नातिमी च तपागस्त्वमस्य तोतस्य य नेत्ररोमुदी ।

वाच्यार्थ तो अपने निश्चित स्वरूप के कारण भी उन्होंने के प्रति एकमय हो होता है, किन्तु प्रतीयमान अर्थ प्रकरण-विशेष के बचता और 'बोद्धों' की सद्वायता से भिन्न-भिन्न स्वप्न धारण कर सेता है। 'गतोऽतमस्तु' अर्थात् 'भूयं अस्त हो गया' आदि वाच्यों का वाच्यार्थ तो सर्वथा एक सा ही होना चाहिए, किन्तु इसी वाच्य का प्रयोग यदि युद्धोन्मुख रौनिक करते हैं तो उससे शत्रुओं पर आक्रमण करने का ध्यान्यार्थ निवापत्ता है और यदि कोई दूनी करे तो वह नायिका के अभिसरण-व्याप्ति का व्याय दोनिल करती है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न व्यक्तिन प्रकरण-विशेष की भिन्नता के कारण उक्त वाच्य से भिन्न-भिन्न व्यग्रायों का बोध करते हैं जिससे स्पष्ट है कि वाच्यार्थ और व्यग्रार्थ भी मध्या में भेद हो जाने के कारण भी व्यग्रार्थ की सत्ता वाच्य से, भिन्न, हप में स्वीकार करनी पड़ती है।

आचार्य मध्मट ने गाहुल्यशास्त्र में दीजित गुण-दर्शन तथा प्रकरण आदि के विचार की दृष्टि से तो व्यंजनागाधक हेतुओं का विवेचन किया ही है, गाय ही साथ वाच्य और व्यग्र के विविध भेदों में भी वाच्यार्थ और व्यग्रार्थ का विभेद स्पष्ट करने की चेष्टा की है। उन्होंने बतलाया है कि कभी-कभी वाच्यार्थ में संभय उपस्थित होने पर व्यग्रार्थ के स्वरूप में भेद आ जाता है तो कभी-कभी वाच्य और व्यग्र के नियोग और विधिरूप होने से भी दोनों में स्वरूप-भेद हो सकता है। वाच्य और व्यंग्य का यह स्वरूप-भेद भी व्यजना की सत्ता निर्द करने में एक प्रमाण है। मध्मट ने वाच्य और व्यग्र के भेदगाधक विभिन्न कारणों का उन्नेतर कर अन्त में यही तथ्य प्रतिपादित किया है कि व्यजना-वृत्ति के अभाव में व्यग्रार्थ की प्रतीति मिठ की ही नहीं जा सकती। उनके निष्पण द्वारा जिस प्रकार वाच्यार्थ और व्यग्रार्थ का भेद न्यपट हुआ है उसी प्रकार वाचक और व्यंजक शब्दों का भी अन्तर व्याख्यात किया गया है। उनका तो स्पष्ट मत है कि 'वाचक शब्दों को अर्थ की अपेक्षा होती है जिसके कारण वे केवल सकेतित अर्थ का ही बोध करा सकते हैं, किन्तु व्यंजक शब्दों को अर्थ की आवश्यकता नहीं होती जिसके कारण वे सकेतपूर्व के बिना भी किसी भी अर्थ का बोध करा सकते हैं। इससे मिठ है कि वाचकत्व और व्यंजकत्व एक नहीं हैं अपितु उनकी सत्ता पृथक्-पृथक् है। उन्होंने यह भी बतलाया है कि काव्य-कृतियों में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें व्यग्रार्थ की प्रतीति तो होती है किन्तु तात्पर्यविपरीभूत अर्थ नहीं होता। ऐसे अतात्पर्य विपरीभूत अर्थ की प्रतीति केवल व्यजना-वृत्ति द्वारा ही की जा सकती है। इसका उदाहरण गुणी भूतव्यंग्य का एक भेद 'असुदर व्यंग्य' है जिसमें व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होने हुए भी वाच्यार्थ के ही चमत्कारयुक्त होने से उभों में चरम विश्वासित होती है। ऐसे स्थलों पर उस व्यग्रार्थ को तात्पर्य-विपरीभूत अर्थ भी नहीं कहा जा सकता, अतः उसकी प्रतीति के लिए व्यंजना-

वृत्ति स्वीकार परनी ही पड़ेगी बयोधि बैबल जमिया मे वही पर काम नहीं जन सहता। माराण यह है कि आचार्य मम्मट ने व्यजना-वृत्ति की पृष्ठ सत्ता मिछु करने के लिए विभिन्न प्रकार की दार्शनिक और नाहिंत्यकाम्प्रीय प्रतिपत्तियों का महके विमर्श प्रभुत दिया है जिनके कारण उन्ह 'ध्वनिप्रभवापनपरमाचार्य' की मम्मानपूर्ण उपाधि से बसहृत दिया जाना है। व्यनुत उन्हें बानदवधं द्वारा निहित ध्वनि-सिद्धान् थो नवर्खनना प्रदान थी, है जिनके मम्मुख विरोधी विचारकों का स्वर अत्यन्त मट हो गया है।

व्यजनावृत्ति सक्षमागम्य भी नहीं है

अभी तब व्यजनाचार्दिया द्वारा प्रतिपादित युक्तियों द्वारा यह तथ्य प्रतिपादित करने की गई कि जमियावृत्ति से व्यग्यार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। लेव इम विषय का विवेचन करना अवगिष्ट है कि व्यग्यार्थ को नक्षमागम्य मानना युक्तिमय है या नहीं? इस विषय म लक्षणाचार्दिया का मत है कि व्यजनाचार्दी आचार्य अपनी व्यजना को मिहि के लिए सद्या, प्रतीति, बात और अपदेश आदि का भद्र निर्दिष्ट करत हुए बाल्यार्थ से व्यग्यार्थ मे जो विसेपतारे निर्दिष्ट करत हैं वे सब नक्षमा मे विद्यमान हैं, अतः व्यजना नामक पृष्ठ वृत्ति स्वीकार करने की ओर जारी जाती है कि बाल्यार्थ नियतत्प्र मे एक ही होता है और व्यग्यार्थ नाना प्रकार ये हो सकते हैं, उसी सिद्धान के अनुसार सद्यार्थ म भी जर्थ नानात्मक मिछु दिया जा सकता है जिसके कारण व्यजना का स्वतन्त्र जन्मित्र मानना व्यर्थ सा प्रतीत होता है। लक्षणाचार्दियों का यह भी यथा है कि व्यग्यार्थ का महत्वपूर्ण और विद्यार्थ्य आदि व्यपदेश-विशेष का हेतु वहाँ उसके आधार पर व्यजन को पृष्ठ वृत्ति मिछु करने का प्रयत्न भी उत्तिर नहीं है, कर्दीकि व्यग्यार्थ के समान लक्ष्यार्थ भी अद्यान्तरनवर्मिनवाच्य और अत्यन्तिरहस्यताच्य आदि एष विशेष व्यपदेश का हेतु हो सकता है। उनका तीसरा तर्थ यह है कि जिस प्रकार व्यग्यार्थ की प्रतीति शान्दी व्यजना और जार्थी व्यजना के रूप मे गद्द लक्ष्य अर्थ दाना मे ही हो सकती है, उसी प्रकार सद्यार्थ मे भी हो सकती है, जब व्यजना को स्वतन्त्र वृत्ति मानना अनुचित है। अपना चतुर्थ तर्थ प्रभुत करते हुए उनका यह भी वपन है कि व्यग्यार्थ की प्रतीति मे प्रकरणादि मे भट्टायता मिलती है, उसी प्रकार लक्ष्यार्थ मे भी उनकी आवश्यकता रहती है और दानो का एक ही प्रयोजन होते हैं कि कारण सद्यार्थ से ही व्यजना का काम चर जाना है, क्या उसे पृष्ठ वृत्ति करो माना जाए? माराण यह है कि लक्षणाचार्दी आचार्यों को दृष्टि मे सद्यार्थ वृत्ति द्वारा ही गमन्त्र प्रकार का व्यग्यार्थबोध दिया जा सकता है।

लक्षणाचार्दी आचार्यों ने उपर्युक्त जिन चार हजारों के आधार पर व्यजना-वृत्ति

को लक्षणागम्य कहा है, वे तर्क व्यंजनावादियों को स्वीकार नहीं हैं। उन्होंने उनके तर्कों को पूर्वपूर्ण के इस में प्रस्तुत कर प्रतिक तर्क का युक्तिपूर्वक खड़न करते हुए व्यजना-वृत्ति की प्रतिक्रिया की है। उनका कथन है कि लक्ष्यार्थ में भी नानात्म हो सकता है, किन्तु धनेकार्यक मध्य के वाच्यार्थ के समान वह प्राय नियन्त्रणस्थ ही होता है जबकि व्यग्यार्थ तो प्रकरण-विशेष आदि के कारण कही नियत सम्बन्ध वाला भी हो सकता है और कही अनियतसम्बन्ध अथवा परपरित सम्बन्ध वाला भी। सच तो यह है कि मुख्यार्थ के साथ सम्बन्ध न रखने वाला अर्थ लक्षण द्वारा बोधित किया हो नहीं जा सकता, जबकि व्यजना-वृत्ति के लिए इस प्रकार वा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उन्होंने लक्ष्यार्थ और व्यग्यार्थ में दूसरा अन्तर यह बताया है कि लक्ष्यार्थ की प्रतीति मुख्यार्थवाद के बिना हो ही नहीं सकती, किन्तु व्यग्यार्थ निए इस प्रकार की कोई अनिवार्यता नहीं है। उसमें वाच्यार्थ नियन्त्रण होने पर भी व्यग्यार्थ विधिस्थ हो रक्ता है और उसकी प्रतीति मुख्यार्थ की वाच्य के बिना भी सम्भव है। ऐसी स्थिति में व्यजना-वृत्ति का अस्तित्व निराप ही लक्षणावृत्ति से भिन्न है। लक्षणावृत्ति से व्यजना-वृत्ति के बिंदु या तीसरा आधार यह है कि अनेक बार काव्यार्थबोध की प्रक्रिया में ऐसा भी देखा जाता है कि लक्षण में भी फल या प्रयोजन का बोध करने के लिए व्यजना वा आश्रय लेना पड़ता है, जिससे व्यजना का पार्यक्य और प्राधान्य मिछ होता है। जायार्द्दन ममट ने काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लास के 23वें सूत्र 'फले शब्दैकगम्भे अत्र व्यंजनानापरा किया।'—द्वारा यही तथ्य प्रतिपादित किया है। व्यंजनावादी आचार्यों ने लक्षण से व्यजना का पार्यक्य मिछ करने का एक प्रथल तर्क यह भी दिया है लक्षण अभिधा की पुच्छभूता है, किन्तु व्यजना में मुख्यार्थवाद आदि की कोई अपेक्षा न रहने के कारण वह लक्षण से भिन्न है। इन विवेचित कारणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जिनसे लक्ष्यार्थ और व्यग्यार्थ का अन्तर निर्दिष्ट होता है और हम यह कह सकते हैं कि व्यजना लक्षणाल्प नहीं है। वे कारण इस प्रकार है—

1. लक्षण के पश्चात् व्यग्यार्थ की प्रतीति देखी जाती है।
2. लक्षण के बिना अभिधा के अवलम्बन से भी अभिधामूला व्यजना सम्बन्ध हो सकती है।
3. व्यंजना न तो अभिधा की अनुआमिती है और न लक्षण की ही, वज्रोंकि अबाचक वर्णों के द्वारा भी उसका स्वस्वपबोध होता है। इसका यह अनिप्राप है कि साधारणतया पद ही किसी अर्थ के बाचक होते हैं, न कि वर्ण, किन्तु व्यजना में केवल वर्ण भी किसी अर्थविशेष के व्यजक हो रक्ते हैं।
4. अभिधा तथा लक्षण का सम्बन्ध तो केवल शब्द तक ही सीमित है,

विन्तु आजना वेवल शब्दानुमारणो ही नहीं है। इसका एक प्रमाण यह है कि अशब्दस्वरूप बदाया आदि में भी अभिप्राय-विशेष की व्यजना बरते ही परम्परा न वेवल अत्यन्त प्राचीन ही है अपिन्तु आज भी चिरनवीन है।

अभिप्राय यह है कि व्यजनावादिया ने व्यजना-व्यापार को अभिधा, तत्पर्य और सक्षण नामक नीता वृत्तिया का अतिकर्त्ता और 'ध्वनन' आदि का पर्याप्त माना है जिसके दिन वाद्य का अर्थवौध नमूर्णशील्या दिया ही नहीं जा सकता। वस्तुत ध्वनन-व्यापार के कारण ही वाद्य की उच्चावचता का नियंत्रण लिया जाता है। उसको गुरता और महिमा को स्वीकार करते ही व्यजनावादियों ने ध्वनि को और उसमें भी विशेषत रसादि ध्वनि को वाद्य की आत्मा माना है।

अखडार्थतावाद और व्यगनावृत्ति

व्यजनावृत्ति का समर्थन वाद्यशास्त्रियों ने वदातिया और वैष्णवरणों द्वारा प्रतिपादित अखडार्थतावाद का भी सहन किया है। अखडार्थतावाद के बनुसार सभी वाक्यों को 'पदारथमर्गंगोचरप्रतीतिजनक' मानना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि वाणी के विशाल वाड़्-मय में ऐसे वाक्य भी उपलब्ध होते हैं, जिनका प्रयोगन समर्गविषयक पतीति वराना नहीं होता अपिन्तु जो अखड़ हृष्ट से अर्थ की प्रमिति वराते हैं। वेदात-दर्गन के बनुसार अखडार्थत्व का सक्षण है—‘ससर्गंगोचरप्रमितिजननन्य अखडार्थत्वम्।’ वदातिया का मत है कि अखडार्थ वाक्यों में मुख्यतः लक्षण-वाक्यों की गणना की जा सकती है। सक्षण-वाक्यों को अखडार्थ वाक्य मानने का मुख्य जापार प्रश्न और उम्बों प्रत्युत्तर का साहचर्य मिहान है। इसका अभिप्राय यह है कि जिन विषय में प्रश्न दिया जाए, उसी विषय में उत्तर दिया जाए। लक्षण-वाक्य की संवेदन वही उपयोगिता यह है कि वह किसी पदार्थ के स्वरूप को जिज्ञासा होने पर उसका प्रत्युत्तर स्वरूपमात्र-विषयक देता है। उदाहरणार्थ यदि योई यह प्रश्न वरे कि ‘कर्तमश्चन्द्र’ अर्थात् चन्द्रमा कोन सा है? तो उसका उत्तर होगा ‘प्रहृष्टः प्रकाशश्चन्द्र’ अर्थात् प्रहृष्ट प्रकाश वाला चन्द्रमा है। इस उदाहरण में प्रश्न भी स्वरूपविषयक है और उसका उत्तर भी स्वरूपविषयक, अत यह लक्षण-वाक्य है। त्रिस वाक्य में प्रश्न तीन स्वरूप-विषयक होता है जिन्हें उत्तर मसर्गंपरव, यहाँ सक्षण-वाक्य न होकर सामान्य वाक्य होता है। सक्षण-वाक्य की विशेषता यह है कि वह ‘ससर्गंगोचर-प्रतीति’ का जनक न होकर ‘ससर्गंगोचरप्रमिति’ का उत्पादक होता है। वस्तुत सक्षण-वाक्य में प्रश्न के स्वरूप के अनुमार ही उपरे उत्तर का स्वरूप होता है अन्यथा वहाँ पर ‘आग्रान् पृष्ठः चोविदारान् आचर्णे’ वाली वटायत घटित हो जाएगी। वेदातिया ने मतानुमार ‘तत्त्वमसि’, ‘सीम्य देवदत्त’ आदि वाक्य इनी प्रवार के अखडार्थ वाक्य हैं।

कुछ वेदातियों ने 'अष्टार्थं वाक्यं' की व्याख्या प्रकारान्तर से की है। उनका मत है कि साधारण वाक्यों में क्रियाकारणभाव को स्वीकार कर उसका अर्थबोध खण्डरूप में किया जाता है क्योंकि उसमें क्रियाकारक आदि वा विशेषण अनेक खण्डों द्वारा होता है जबकि 'अष्टार्थं वाक्यं' में क्रियाकारक आदि रूप में वाक्य पा वाक्यार्थ का विभाग नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण 'श्रहूम सत्यं जगन्मिथ्या' नामक वेदानुत्सिद्धान्त है जिसके अनुसार यह सत्य जगत् और उसमें प्रतिभागित नानात्व ही मिथ्या है। इस मिद्धात धर्मधिभिराव तथा क्रियाकारकभाव का भी मिथ्यात्व होने से पारमाप्तिक रूप में अभिधा, लक्षणा और व्यजना आदि की भी सत्ता नहीं मानी जा सकती यद्यपि व्यावहारिक रूप में अभिधा और लक्षणा की सत्ता मात्र है। माहित्यशास्त्रियों ने लक्षणा के भेदों में उपादान लक्षणा (अजहल्लक्षणा) और लक्षणलक्षणा (जहल्लक्षणा) नामक दो प्रमुख भेद माने हैं, किन्तु वेदातियों ने उनके अतिरिक्त 'जहदजहल्लदाणा' नामक एक और भेद जोड़कर उसे 'मागत्यागलक्षणा' से भी अभिहित किया है। उनके मतानुसार 'तत्त्वमसि' इत्यादि महावाक्यों की व्याख्या के लिए अभिधावृत्ति के अतिरिक्त अजहल्लक्षणा, जहल्लक्षणा और जहदजहल्लक्षणा नामक तीन अन्य वृत्तियाँ स्वीकार करनी आवश्यक हैं क्योंकि इन चार भागों का आधय लेकर ही उन महावाक्यों की व्याख्या की जा सकती है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि वेदातियों के मतानुसार परमार्थ में तो श्रहा को छोड़कर सब कुछ ही मिथ्या है, किन्तु व्यवहार में अन्य पदार्थों की भांति अष्टार्थार्थं वाक्य आदि की भी सत्ता है। उनका कथन है कि 'अत्य ज्ञानमनंत ब्रह्म', 'एकमेवाद्वितीय ब्रह्म', 'तत्त्वमसि' तथा 'अहंब्रह्मात्म' इत्यादि महावाक्यों से उत्पन्न होने वाली अखड़ बुद्धि से निप्राह्म परब्रह्म ही वाक्यों का अर्थ होता है, अतएव वही इन वाक्यों का वाक्यार्थ है। वे वाक्य ही अखड़ ब्रह्म के वाचक हैं। अभिप्राय यह है कि इन वाक्यों के अर्थबोध के लिए व्यजना-व्यापार की कोई आवश्यकता नहीं है।

वाक्यार्थबोध के विषय में वेदातियों की अपनी स्वतंत्र उपपत्ति है। उन्होंने 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों को परब्रह्म के बोधक वाक्य कहा है। इन वाक्यों से उत्पन्न अखड़ बुद्धि के द्वारा परब्रह्मात्मक अखड़ ज्ञान होता है। उस ज्ञान से अखड़ वाक्य का ही प्रमाण है और उसके पद और वर्ण आदि विभाग कल्पनामात्र हैं। उनका कहना है कि 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों का अर्थ करने में 'संसर्गं' का कोई उपयोग नहीं है। उनका अर्थबोध अखण्डकरस अर्थात् स्वागतादिभेदशून्य है। उनमें स्वतंत्र पदों के अन्यथा (अभिहितान्वयवाद) तथा विशिष्ट पदार्थों के अस्तित्व (अन्वितामिधानवाद) का कोई आवास ही नहीं होता।

1. संसर्गंवा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संपतः।

अखण्डकरसत्वेन वाक्यार्थो विद्युपो मत् ॥ (वाक्यवृत्त)

वेदातियों के इस मत को 'अध्याद्वुद्दिनिग्रहो वाच्यार्थं एव वास्य', वास्यनेत्र च वाचकरम्' के सूत्र मे निष्ठा दिशा वा सहना है। मध्मट आदि आचार्यों ने उनके सिद्धान्त का नैत्यरित्यादादातिै पदरदार्थवचना वतंश्चैवेति' आदि वाक्यो द्वारा खड़न बरतो हुए वाच्यार्थ है जिसे वेदानी भी व्यवहारे भट्टनग्न¹ जैसे तिज्ञान वे अनुसार व्यवहारदण्डा मे जगत् द्वीप दृश्यमान स्थिति स्त्रीवार बरते हैं जिसके लिए उन्हें भी पठ-पदार्थं वी वर्तपना इस्ली पढ़ती है। ऐसी दण्डा मे निष्पेष्यवाक्य मे तिधिष्प अर्थ की प्रतीति आदि होने से अख्यार्थं वाक्यो मे भी व्यवहार्यूति सिद्ध होती है।

वेदातियों की भाँति वैयाकरण भी अख्यार्थवादी हैं। उन दोनों की मान्यताओं मे वेचन इतना ही अन्तर है जिसे जहाँ वेदानी अध्याद्व और अद्वितीय अद्वात्त्व को महत्व देते हैं, वहाँ वैयाकरण एवमान स्फोट्हप शब्दद्वय को मानते हैं। वैयाकरणों वा मत है जिसे पद मे वर्णों और वाक्य मे पदों को पृथक्-पृथक् नहीं माना जा सकता।¹ उनकी दृष्टि से अख्याद्वुद्दिनिग्रहो स्त्री॒ द्व॑ ही वाक्यव मे वाक्यार्थ है जोर वही सत्य है। व्याकरणशास्त्र मे ऐसे वास्य वा जो पदरदार्थविभाग या प्रहृतिप्रत्ययविभाग विद्या जाता है वह वेचन द्वुत्तिदण्डा तब ही सीमित है और वा प्रभानामात्र है। इस विषय मे आचार्य भर्तृहरि ने उचित ही रहा है जिस प्रकार 'वाहृणवम्बल' पद मे समस्त पद वा तो अर्थ है, जिन्तु वाहृण शब्द वा वोई पृथक् अर्थ नहीं है, उसी प्रकार विसी भी वाक्य मे समस्ति हरे से तो उँ वाचन वा अर्थ होता है जिन्तु पृथक्-पृथक् पदों का वोई अर्थ वही होता। वैयाकरणों ने इसी को 'अख्याद्वाक्यार्थता वा सिद्धान्त' कहा है। उनका मत है जिस तन्त्रदृष्टि से अख्याद वाक्यार्थ हीते हुए भी पठतिप्रत्यय आदि वा जो विभाग विद्या जाता है, वह वेचन वाक्यों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ही। यदि नोई इस वाक्य वा प्रयोग करे जि 'देवदत्त जाता है' तो हमें इस वाक्य से देवदत्त सम्बन्धी गमन भी अख्याद प्रतीति होगी। उस प्रतीति मे देवदत्त, उसका गमन और उन दोनों वा परम्पर सम्बन्ध जैसी खड़ प्रतीति का कुछ भी अन्त न रहेगा। ही, उस अख्याद प्रतीति वा जब हम दिस्तेपण रखें तो हमें उन पद, प्रहृति और प्रयोगों की भी वल्यना बरतनी पड़ेंगी जिनकी तत्त्वतः वोई सत्ता ही नहीं है। अभिप्राय यह है जि जिस प्रकार वोई साधक भागमान द्वंद्वते ये मानक्रमण बरता हुआ अतिम और तात्त्विक एवता वा बोध बरते लेता है, उसी प्रकार यद, प्रहृति और प्रत्यय आदि वे वात्यनिक मार्ग से गमन करते हुए विद्यार्थी भी अतन् वाक्यहा वा आवलन बरता है। वस्तुतः अख्याद स्फोट ही शब्दद्वय है जोर शास्त्रों म जा विविध प्रक्रियाएँ बणित की गई हैं, वे केवल

1. पदेन वर्णी विद्यन् दर्जेष्ववयवा न च।

वावशात् पदानामत्यत प्रतिवेसो न वाचन ॥ (वैयाकरणभूषण)

अविद्या का ही विवेचन करती है। इस विषय में हम वाक्यपदीयकार भर्तुहरि की उन कारिकाओं को उद्धृत करना चाहते हैं जिनमें उन्होंने इस विषय का विश्लेषण किया है—

द्वाहृणो यथा नास्ति कश्चिद् द्वाहृणकम्बले ।
देवदत्तादयो वावये तथैव म्युनिरथंका ॥
उपाथोः शिष्यमाणानां वालानामुपनालना ।
असरमे वत्मनि रिपत्वा तत सत्यं समीहने ॥

नैत्याधिक आचार्य और व्यजना-बृति

प्रसिद्ध नैत्याधिक आचार्य महिमभट्ट ने अपने सुप्रसिद्ध प्रथ 'व्यक्तिविवेक' में मुख्यतः न्याय-प्रतियोगी का अवलम्बन कर व्यजना को अनुमान के अत्यंत सिद्ध करने की चेष्टा की है। उनका सर्वत्र यही प्रयत्न रहा है कि अन्य आचार्यों ने जहाँ कहाँ भी वाक्य में व्याख्यार्थ का प्रतिपादन किया है, वहाँ पर न्यायमत द्वारा अनुमान की ही सत्ता प्रतिष्ठित की जाए। व्याख्याध्यअकभाव को वे न्याय की प्रतियोगी तो निरुपित करना अधिक युक्तिसंगत समझते हैं। अनुमान की प्रतियोगी के मुख्य दो अंश हैं— 1. व्याप्ति और 2. पक्षधर्मता। 'हेतु' और 'साध्य' का साहचर्य नियम 'व्याप्ति' है। उदाहरणार्थ 'जहाँ-जहाँ धूम्र होता है, वहाँ-वहाँ अग्नि होती है', यह धूम्र और अग्नि का साहचर्य नियम है और इसी 'व्याप्ति' को 'अनुमान' का मुख्य भाग कहा जा सकता है। अनुमान का दूसरा अंग 'पक्षधर्मता' है जिसका लक्षण है 'सन्दिग्ध-साध्यवान् पक्ष'। पक्षधर्मता में साध्य हस्तिया अवस्था में रहता है। उदाहरणार्थ जब तक पर्वत में अग्नि की सिद्धि नहीं हो जाती, तब तक 'सन्दिग्धसाध्यवान्' होने से इस अनुमान में पर्वत 'पक्ष' कहलाना है। इस 'पक्ष' में धूम्ररूप 'हेतु' का रहना आवश्यक है अन्यथा 'व्याप्ति' का ज्ञान रहने पर भी पर्वत पर अग्नि की सिद्धि नहीं हो सकती। धूम्र आदि रूप 'लिंग' को पर्वतरूप पक्ष में स्थिति को ही 'पक्षधूम्रता' कहते हैं। इस प्रकार अनुमान के लिए 'व्याप्ति' और 'पक्षधर्मता' की अनिवार्यतः आवश्यकता है।

अनुमान में जो 'लिंग' या 'हेतु' होता है उसमें तीन घर्मों का रहना आवश्यक है जो इस प्रकार है— 1. पक्षमत्व, 2. सपक्षमत्व और 3. विपक्ष-व्यावृतत्व। इन तीनों के लक्षण क्रमशः 'सन्दिग्ध-साध्यवान् पक्ष.', 'निश्चित-साध्यवान् सपक्ष.' तथा 'निश्चितमाध्याभाववान् विपक्ष.' हैं। इनको उदाहृत करने के लिए कहा जा सकता है कि अग्निविपक्ष अनुमान में पर्वत 'पक्ष' है, उसी अनुमान में महानस या रसोईधर 'सपक्ष' है, क्योंकि उसमें साध्य अग्नि की सत्ता निश्चित रूप में रहती है। महाहृदय या सरोबर विपक्ष है क्योंकि उसमें साध्य अग्नि का अभाव निश्चित रूप से रहता है। 'पक्ष' तथा 'सपक्ष' में शुद्ध हेतु का रहना परमावश्यक है। विपक्ष में उसका अभाव रहता है। इन तीनों

ते युक्त हेतु ही 'शुद्ध हेतु' वहलाला है अन्यमा इन तीनों में से जिसी एवं धर्म वीं न्यूनता होने पर वही 'हेत्वाभास' हो जाता है। इस प्रकार 'व्याप्ति' तथा 'पदाधर्मता' युक्त एवं विहृनविशिष्ट 'लिङ' से 'लिङी' का जान होता है जिसे 'अनुमान' कहते हैं। महिमभट्ट वीं मान्यता है कि व्याय वर्थ वीं प्रतीति भी 'व्याप्ति' और 'पदाधर्मता' के बिना नहीं हो सकती, अत व्यग्रव्यजवाचाय वीं प्रतीति भी अनुमानरूप ही सिद्ध होती है।

महिमभट्ट न काव्यशास्त्र में अत्यन्त परिच्छिद्ध उदाहरण¹ द्वारा यह गिर्द बरने वा प्रयास किया है कि इस उदाहरण में व्यजनावादिया ने जिस निषेधरूप अर्थे वो व्यायायां भाना है वह वस्तुत अनुभिति अर्पात अनुमानजन्य प्रतीति वा ही विषय है। व्यजनावादियों का भत है कि इस उदाहरण ने जिस नायिका ने अपने उपर्युक्त में मिलने के लिए जो योजना बनाई है, उसके अनुमार 'भ्रम धारिक' पद यद्यपि विधि रूप है क्योंकि उसमें यह कहा गया है कि 'हे धारिक, आप निश्चिन्त होकर भ्रमण करें क्योंकि गोदावरी के बच्छकुञ्ज वासी सिंह ने श्वान वो भार डाला है' जिन्हुंने यह दाच्य व्यायायां के द्वारा निषेधरूप में पर्यंतसित हो जाता है। इसका यह अभिप्राय है कि 'हे धारिक, आप भूल कर भी इधर न जाना चाहोरि' सिंह न जो दशा श्वान वो है, वह जिसी दिन आपवी भी ही सहती है। महिमभट्ट ने उक्त उदाहरण में गोदावरी के बिनारे पर धा²। वा के भ्रमणामात्र वा वोध बराने के लिए 'व्यतिरेकव्याप्ति' वा आधार लेते हुए यह सिद्ध किया है कि गोदावरी का तट, पदावणित भीठ धारिक वे घ्रमण व योग्य नहीं हैं। महिमभट्ट ने भ्रमणनिषेध वीं सिद्धि प्रतिज्ञा या साक्ष्य, हेतु या राधन, व्यतिरेकव्याप्ति सहित उदाहरण, उपर्युक्त और विगमन नामक पचाववद वाच्य में अनुमान द्वारा वीं है और बतलाया है कि प्रस्तुत छन्द ये भ्रमण निषेध वीं प्रतीति व्यतिरेकी अनुमान द्वारा ही होती है, अत उससे लिए व्यजना-व्यापार वीं कोई आदर्शवत्ता नहीं है।

व्यजनावादी व्याचाये मध्यम ने महिमभट्ट वीं मान्यता का खटन किया है। उनका गत है कि महिमभट्ट ने जिसे 'हेतु' भाना है वह हेतु न होकर 'हेत्वाभास' है क्योंकि महिमभट्ट द्वारा प्रतिपादित हेतु में हेत्वाभास वे 'अनेकान्तिक' 'विरुद्ध' और 'स्वस्त्रासिद्ध' भान्त तीना नक्षण विद्यमान हैं। महिमभट्ट ने 'गिरेपतिष्ठिय' वो 'भीरुभ्रमणायोग्यत्वं' सिद्ध बरने के लिए जिस 'हेतुरूप' में प्रस्तुत किया है, वह वस्तुत अनेकान्तिक हेत्वाभास है। इस उदाहरण में विरुद्ध हेत्वाभास वा आधार धृत है कि 'वह धारिक तुते से ढरने पर भी बार होने में सिंह से नहीं ढरता है।' विरुद्ध हेत्वाभास वा दारण यह है

1 भ्रम धारिक विश्वासत ग श्वान मारितात्मन।

गोदानदीक्ष च्छकुञ्जवासिना हृतसिद्धेन॥

कि गोदावरी तट पर सिंह की विद्यमानता बेवल वचन से सिट है और उसमें प्रत्यक्ष तथा अनुमान का कोई आधार नहीं। नायिका का वह कथन या वचन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि अर्थ के साथ वचन का जो प्रतिबन्ध अर्थात् वचन में जिस अर्थ की प्रतीति हो, वह अर्थ अवश्य रहना चाहिए। चूंकि नायिका के वचन में इस प्रकार की 'व्याप्ति' नहीं है, वह इसमें 'स्वहपासिद्ध हेत्वाभास' आ ही गया है। इस प्रकार इन लीनों हेत्वाभासों के कारण अनुमान द्वारा साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में इस छंद के अर्थबोध के लिए व्यजनावृत्ति का मानना आवश्यक है। ममट ने अपना निषेद्ध निम्नलिखित हप में व्यक्त किया है—

"अत्रोच्यते । भीहरपि गुरोः प्रभोर्वा निदेशेन, प्रिया अनुरागेण, अन्ये चैवभूतेन हेतुना सत्यपि भयकारणे भ्रमनीत्यनैकातिको हेतुः । शुनो विभ्यदपि बीरवेन मिहान्न विभेतीति विहदोऽपि । गोदावरीतीरे मिहसदभाव प्रत्यक्षादनुमानद्वा न निरिचतः, अपितु वचनात् । न च वचनस्य प्रामाण्यमस्ति अर्थनाप्रतिबद्धादित्य-मिद्रमच । तत्कथमेवं विद्यादेनोः साध्यसिद्ध ।" (काव्यप्रकाशः पचम उल्लास, पृष्ठ-261)

ममट ने 'नि शेषच्युतचन्दनदादि' उदाहरणों में भी अनैकातिक हेत्वाभास की सिद्धि कर महिमभट्ट द्वारा प्रतिपादित अनुमानगमक हेतु का खंडन किया है। उनका मत है कि उस उदाहरण में 'अघम' पद की सहायता से ही 'चन्दनच्युति' आदि का व्यंजकत्व मिट्ट हो जाता है और उसके लिए प्रत्यक्ष या अनुमान प्रभाव की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस उदाहरण में भी पूर्वबत् स्वहपासिद्ध हेत्वाभास विद्यमान है जिससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अर्थबोध के लिए व्यजना-व्यापार ही भुग्नात्मा है और अनुमान के अन्तर्गत उसका समावेश करना समुचित नहीं है। ममट और महिमभट्ट आदि आचार्यों ने जिस छंद को माध्यम बनाकर क्रमशः व्यजना-वृत्ति और अनुमान वीं सिद्धि करने का प्रयत्न किया है, वह इस प्रकार है—

नि शेषच्युतचन्दनस्तनतदं निर्मुद्वरागोऽधरो,
नेत्रे दूरमनजने पुलकिता तन्वी तवेय तनु ।
मिद्यावादिनि द्रुति वाघवजनस्याज्ञातपीडागमे,
यापी स्नतुमितो गतासि न पुनस्तस्याध्मस्यान्तिकम् ॥

रस और शब्द-शक्तियों का सम्बन्ध

शब्द की त्रिविधि शक्तियों का विवेचन करने के पश्चात् इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि रस और शब्द-शक्ति में परस्पर क्या सम्बन्ध है? रस और शब्द-शक्ति में वाच्यवाचकभाव मानना युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि उनका

आवेदन वाचक शब्दों द्वारा नहीं होता। काव्योपवृहित शृगारादि रसों के प्रवर्णन में त तो शृगारादि शब्द होते हैं और न रत्पादि भी ही अभिधा रहती है, अन्य अभिधा शब्दित वो उनके परिपोष वा वारण नहीं माना जा सकता। यदि काव्य-कृतियों में शृगार और रत्पि आदि शब्दों का प्रयोग भी होता है तो भी इस वे निष्पादक उनके अभिधानमात्र नहीं होते, अपितु विभावादि ही होते हैं। इनी प्रकार लक्षणलक्षणभाव को भी इस वा भूल नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके सामान्य अभिधायक नक्षकपद वा भी वाव्यादि में प्रयोग नहीं होता सप्तान लक्षित-लक्षण से ही इस की प्रतिपत्ति भी जा सकती है। 'गगादा पोष' की भावित नाटवादि में यह सभव नहीं है कि नायवादि वाच अपने अर्थ से स्खलित होकर किसी अशन्तिर वे उपलक्षन बन जायें। वस्तुतः उपलक्षन वा प्रयोग वही पिया जाता है, जहाँ कोई न कोई निमित्त व्यथवा प्रयोजन रहता है। वाच्यत्वमात्र से इस निष्पत्ति भी सम्भावना मानने पर तो यह भी स्वीकार करना पढ़ेगा कि अन्युत्पालन चित्त वाले अरमिवजन भी काव्य वा रसास्वादन परने में समर्थ हैं। वस्तुत निर्मलमनोभूतुर वाले सहृदयों को ही रसानुभूति होती है, जब इस विवेचन आचार्योंने वाच्य से भिन्न तथा अभिधा और सक्षणा से व्यक्तिगत व्यज्ञलक्षण वाले शब्दव्यापार में ही रसास्वारी का भूल उत्त स्वीकार किया है। निश्चय ही इस प्रतिपत्ति परे वाच्यप्रतिपाद्य नहीं कहा जा सकता। आचार्य घनजय ने इस विमर्शे के अन्तर्गत इस वात वा स्पष्ट उल्लेख किया है कि 'जिस प्रवार वाच्य व्यथवा शब्दों में ध्यक्ति और प्रवरण आदि से बुद्धिस्थ कोई किया वारपो से पुक्क होकर वाक्यार्थ बन जाती है, उसी प्रकार स्थायीभाव भी जब विभाव, अनुभाव और सचारी भावों से युक्त होता है तो वह भी वाच्य का वाक्यार्थ बन जाता है।' यो तो पौरपेष तथा अपौरपेष आदि सभी प्रवार के वाच्य वार्यपरव छोड़ते हैं, किंतु वाच्यपरव शब्दों वा वार्यत्व उत्तम आनन्दानुभूति होता है, इस तथ्य की महत्ता असदिग्ध है।

वाच्य-रस के भास्वादन में ध्यजना वृत्ति ही एकात्तत अनिवार्य तथा है

वाच्य रस के भास्वादन में व्यजना वृत्ति भी स्वीकृति अनिवार्य है क्योंकि रसादि के बोध में जहाँ अभिधा, तात्पर्य और लक्षण मन्त्र दृतियाँ विद्यात हो जाती हैं, वहाँ न्युनूर्ध दृति के साथ में व्यजना का अस्तित्व स्वीकार करना ही पड़ता है। ध्यजनावादी आचार्योंने रसास्वाद और रसचरण में अदिन्देश्य सम्बन्ध निर्हित कर चर्दणा तथा अभिव्यजना को एवं ही बन्धु कहा है। वस्तुतः रसरूप वाच्य के परमार्थ में अभिधा तात्पर्य और लक्षण मन्त्र वृत्तियों में वाम नहीं बल मन्त्र वा क्योंकि विभावादि का माध्यारणीरण उनके सामर्थ्य-

का विषय नहीं है। रसनारूप प्रतीति के अभ्युदय में केवल व्यंजनात्मक ध्यनन-व्यापार ही समर्थ है क्योंकि उमी के द्वारा सहृदय सामाजिकों का मानस कविसमर्पित विषयों में तल्लीन हुआ करता है। आनन्दवधान ने महाकवियों की वाणी से निष्पदित जिग कला-मरणवती का सस्तव किया है, वह प्रतिभाविशेष के रूप में स्फुरित होने वाली व्यजना-शक्ति ही है। उम शब्दिन के द्वारा ही वस्तु, असकार अथवा रमभावादिस्प व्याप्तार्थ का बोध किया जाता है, क्योंकि अभिधा शक्ति का सामर्थ्य तो सकेतित अर्थ के बबबोध पर्यन्त ही होता है। बन्तुत, विभावादिस्प वाच्यार्थ तथा रमभावादिस्प व्याप्तार्थ एकरूप नहीं हो सकते, क्योंकि यदि ऐसा होता तो 'रति शृगार' आदि पदों के द्वारा ही रसभावादि की निष्पत्ति हो जाती। सच तो यह है कि समुचित रसायोजनाविहीन किसी शब्दार्थ-ग्रन्दर्भ के लिए 'यह शृगाररग है' इत्यादि उकितयों द्वारा ही रतिचर्वण इत्यादि नहीं हो सकती। केवल व्यजना-व्यापार में ही काव्यशब्दों का रसादिममपेणसामर्थ्य उपस्थित करने की शक्ति होती है। शब्दों का वाचकाधित सौन्दर्य जब व्यजनाधित सौन्दर्य में परिणत हो जाता है, तभी काव्य-रम की अनुभूति होती है। काव्य और रम का पारस्परिक सम्बन्ध तभी समझा जा सकता है जब व्यंजना-वृत्ति का अस्तित्व स्वीकार किया जाय। अभिहितान्वयवादी आचार्यों द्वारा समर्थित तात्पर्य-वृत्ति में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि वह व्याप्तार्थ का बोध करा सके क्योंकि तात्पर्य-वृत्ति का कार्यव्यापार एकमात्र संसार अथवा वाच्यधटक पदों के पारस्परिक सम्बन्ध अथवा पदार्थों के परस्पर अन्वयमात्र में ही भमाप्त हो जाता है, जबकि व्याप्तार्थ परस्परान्वित अर्थ से सर्वेषा विलक्षण प्रकार का होता है। इतना ही नहीं, तात्पर्य-वृत्ति के पश्चात् भी लक्षणा शक्ति को भी मानना अनिवार्य हो जाता है, अतः केवल उसके द्वारा व्यंग्यार्थविद्य की वात तो किसी भी प्रकार युक्तिसंगत नहीं मानी जा सकती। यहाँ यह वात भी व्यान में रखने योग्य है कि कुछ अभिधावादी आचार्यों के मतानुसार अभिधा के दीर्घ-दीर्घतर व्यापार में भी व्यजना का अंतर्भवित किया जा सकता है, किन्तु वह भी उचित नहीं है। पदि अभिधा के दीर्घदीर्घतर व्यापार को ही सब कुछ गान लिया जाय तो लक्षणा व्यापार की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती, किन्तु अभिधावादियों ने लक्षणा-व्यापार का भी तो अस्तित्व स्वीकार किया है जो विरोधमूलक है। अभिधा के दीर्घदीर्घतर-व्यापार की दृष्टि से तो अनेकानेक प्रसगी में यथा 'हे शाहूण, तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ है और तुम्हारी कन्या को गर्भ रह गया है' आदि प्रयोगों में मुखप्रसाद और मुखमालिन्य आदि चिह्नों द्वारा हर्ष और शोक का ज्ञान भी अभिधेय ही माना जायगा जबकि वह लक्षणा-वृत्तिवेद्ध होता है। आचार्य अभिनवगुप्त ने इस अभिवाद का खंडन अत्यत प्रबल शब्दों में किया है।

रसानुभूति के लिए व्यंजना-वृत्ति को स्वीकृत करना इसलिए भी आवश्यक

है कि अभिधा और सद्गता वृत्तियों का प्रयोगन से प्रत्यक्षादि अनुभवों के पूर्व सिद्ध वस्तुओं का ज्ञान मात्र वराना होता है जब वि रसहृष्ट चल्लु अनुभवों के पूर्वान्तर नहीं कही जा सकती। सद्गता द्वारा रसानुभूति वी सभावना न होने का एक कारण यह भी है कि उत्तरता में मुख्यार्थवादादिरूप हेतु वा सद्गता वृत्ति है जबकि रसहृष्ट वाक्यार्थ में मुख्यार्थवादादिरूप हेतुओं की ओरै मध्यावना ही नहीं होती। नूंकि रम एवं रमना 'रमना' व्यवहा चर्चणा-रूप व्यापार में मर्वया अभिन्न होता है अतः उनके सिद्धार्थ अभिधा और सद्गता के लिए अभीष्ट वाच्यवाच्क और सद्गतवाच्क भावहृष्ट मन्दवन्ध भी अपेक्षित नहीं रहता। सद्गता शक्ति वा सच्चरण 'गगाया घोष' आदि ऐसे प्रयोगों में होता है, जहाँ प्रयुक्त शब्दों के अर्थों वा अन्वयवोध निष्पत्ति होने के समय ही अनुपस्थितिवश वाचित हो जाता है, जब वि रसात्मक वाक्यों की व्यजना में मुख्यार्थवादादि के लिए ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अभिप्राय यह है कि सद्गता द्वारा रसादिरूप व्यव्यार्थ के अवबोध की कल्पना जस्तमव है और 'गगाया घोष' आदि प्रयोगों में शैत्य-पादवन्तवादि रूप हृदगत जो प्रयोगन सद्गतावेद्य माने जाते हैं, के प्रयोगन-परम्परा के अनुसंधान में अनवस्था-दोष से दूषित सिद्ध विये वा सहने हैं। अतः रस वो अनमित्येय और अनश्य भानना ही युक्तिसंगत है क्योंकि रस तो 'रस्यमानतामात्रासार' पदार्थ है जिसे वाच्यार्थ और सद्गतवाच्यार्थ की परिधि में भावद नहीं दिया जा सकता।

पूर्व-परिचयदेशों में अभिधा, सद्गता और व्यजना नामक जिन तीन शब्द-शक्तियों वा विवेचन विया गया, उनमें अभिधावृत्ति सर्वतो स्वतत्र और स्वपूर्ण है। उसे किसी अन्य वृत्ति का आधार अभीष्ट नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शब्द का बाचन तो होता हो है। सद्गता और व्यजना वी स्थिति अभिधा से भिन्न है। सद्गता के लिए मुख्यार्थवाद आदि निमित्तों की उपस्थिति आवश्यक है क्योंकि उनके विना सद्गता हो ही नहीं सकती। साथ ही साथ, अभिधा वा वार्य ममाज ही जाने के पश्चात् तात्पर्य की दृष्टि से जब वक्त मुख्यार्थ अनुपस्थिति सिद्ध नहीं होता तब तब सद्गता वो ओरै अवगत ही नहीं मिन्नता। लाक्षणिक शब्द होने के पूर्व किसी शब्द वा वाच्यवाच्क होना आवश्यक है क्योंकि जब उसका वाच्यार्थ ही तात्पर्य की दृष्टि में वाचित होता है, तभी उसमें साधारणताआती है। माध्यारणतया ओरै भी एव शब्द एक ही समय में वाचन और साधारणिक नहीं हो सकता, क्योंकि वाच्यार्थ की अनुपस्थिता से ही तो साधारणिक अर्थ की उपस्थिति होती है जिसे स्वान में रखकर विद्वानों ने सद्गता वो 'अभिधापुच्छभूता' कहा है। इन दोना शब्दगतियों के पश्चात् ही व्यजना-शक्ति वा विषय आता है जो अभिधा और सद्गता नामक दोनों वृत्तियों पर अवलम्बित है। जब तब अभिधा और सद्गता वृत्तियों अपना-अपना वार्यसम्बादन पर निवृत्त नहीं होती,

तद तक व्यंजना वी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। व्यंजक होने से पूर्व शब्द का वाचक और-लक्षणिक होना आवश्यक है, वयोंकि शब्द का केवल व्यजकत्व असम्भव है। व्याख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में एक मुच्य उल्लेखनीय अतर यह है कि लक्ष्यार्थ कभी वाच्यार्थ के राय नहीं आता जब कि व्याख्यार्थ की स्थिति सदैव वाच्यार्थ के अपवा लक्ष्यार्थ के साथ ही सम्भव है। आचार्यों ने व्यजना-वृत्ति का लक्षण निर्धारित करते हुए उचित ही कहा है कि जब अभिधा, तात्पर्य तथा लक्षणा शक्तियाँ अपना-जपना कार्य सम्पन्न कर दीर्ण हो जाती हैं, तब केवल व्यंजना-वृत्ति द्वारा ही अर्थ की प्रतीति होती है। व्यंजनावृत्ति का दोनों शब्द और अर्थ पर्यन्त व्याप्त है जब कि अभिधा का दोनों वाच्यार्थ पर्यन्त, लक्षणा का लक्ष्यार्थ पर्यन्त और तात्पर्य का अन्वय पर्यन्त। इन तीनों से परे रहकर सहृदय जब अर्थ-प्रतीति करता है तो केवल व्यंजना-वृत्ति के द्वारा ही कर सकता है। जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है कि व्यजना केवल शब्द की ही वृत्ति न होकर अर्थ वृत्ति भी है; अभिधामूला व्यंजना और लक्षणामूला व्यजना शब्द-व्यंजनाएँ हैं जिनसे परे अर्थ-व्यजकता आती है। अर्थ की व्यजकता के अनेक निमित्त हैं जिनमें वक्त या श्रोता का वैशिष्ट्य, विशिष्ट स्वर में किया गया वाक्य का उच्चारण, प्रकरण तथा देश और काल आदि का वैशिष्ट्य मुच्य है। इन कारणों से वाच्यार्थ से मिन्न अर्थ-व्यजना होती है जिसकी प्रतीति केवल प्रतिभाजुप् रसिक को ही होती है। प्रतिभाजुप् रसिक का ही पर्याय 'सहृदय' है जिसकी नयनवोन्मेवपशलिभी प्रज्ञा में व्याख्यार्थ की प्रतीति का सामर्थ्य होता है। साहित्यशास्त्र में प्रतिभा का अर्थ वासना भी है जिससे सुवासित हृदय काव्य-व्यजना का सम्यक् बोध कर रस-प्रतीति की अनुभूति करते हैं। काव्यशास्त्रियों ने वैयाकरणों को व्याख्यार्थ-प्रतीति अथवा रस-प्रतीति का अधिकारी नहीं माना है। अभिनवगुप्त ने 'प्रतिपत् प्रतिभासहकारित्वम् अस्माभिद्योतनस्य प्राणत्वेन उक्तम्' द्वारा यही संकेत किया है कि 'केवल शब्दज्ञान के बल पर काव्यार्थ को समझाना असम्भव है।' प्रदीपकार तथा अन्य आचार्यों का भी ऐसा ही अभिन्नत है। उनके विभायनुसार 'सवासन' अर्थात् प्रतिभावान् व्यक्ति को ही काव्य अथवा नाट्यादि में रसप्रतीति होती है और निर्वासन अथवा प्रतिभाहीन दर्शकों की नाट्य-नृह में उपस्थिति पापाण और दीवारों के समान है।¹ 'साहित्यचूडामणि' में

- प्रतिभाजुपामित्यनेन नवनवोन्मेवपशलिनी प्रज्ञा प्रतिभा वा वासना इत्युच्यते तस्याँ सत्यामेव वष्टृवैशिष्ट्यादिसत्त्वेऽपि व्याख्यप्रतीति। इति प्रतिपादितम्। अतएव वैयाकरणानां न तथा रसप्रतीति। तथा चोक्तम्-सवासनानां नाट्यादौ रसस्यानुभवो भवेत्। निर्वासनास्तु रंगान्तः वैश्म कुण्ड्याशम-सनिघ्राः।

भी यह तत्व बुद्धि भिन्न शब्दावली में निरूपित हुआ है जिसका आशय यह है कि 'वाचार्थ' को तो पामरण भी अनायास समझ सेते हैं, बिन्दु व्यग्रार्थ-बोध का वेदाध्य तो वेवल परिमित जग्धिकारियों में ही होता है।¹ आचार्य भग्नट ने भी 'शन्द-यापारविचार' में अतर्गत प्रश्नावेमत्य तथा वेदग्रन्थ का व्यग्रार्थ-संवेदन के लिए बावरपक माना है। उन्होंने शब्द को संकेत की सहायता से बाचक, मुछ्यार्थवाद आदि निमित्तों से लक्षक, पदधर्मनिवार्यविरेच आदि की सहायता से अनुमापक तथा प्रतिभा के वेमत्य एवं वेदग्रन्थ के परिचय तथा प्रवरण आदि की सारेकना से व्यजक माना है।² वस्तुत शब्द के व्यजना-व्यापार का ही नाम 'व्यनि' है जिसने इस रूप को काव्य की आत्मा कहा गया है। परमल-शुभमजूपाकार आचार्य नारायण भट्ट ने भी प्रतिद्वंद्व तथा अप्रमिद्व सज्जक शक्तिनि-हृषि की प्रतिष्ठा वरते हुए अप्रमिद्व अर्थ को नहृदयसंवेद्य नहृ कर उस सत्कार-विशेष को व्यजना कहा है जो वक्ता तथा प्रवरण आदि की विशेषताओं का बोध वक्ताने के पश्चात् प्रतिभावान् सहृदय को बुद्धि में शब्द अथवा अर्थ की सहायता से उद्बुद्ध होना है।³ उन सत्यारविशेष की पूर्णता इसप्रतीति में ज्ञात होती है और वह वेवल वाच्याध्ययन से ही प्रदाशित नहीं होता, अपितु नाट्यदर्शन से भी प्रतीतिग्रन्थ वनता है तभी तो अन्या मृगाद्या वदादेश अभिप्राया व्यक्ति' जैस प्रथोग नायिका की चेष्टाओं द्वारा अर्थ की व्यञ्जकता सिद्ध करत है।

निष्पर्यं यह है कि व्यजनावादी आचार्यों ने मीमांसको, वेदातिथों, नैयायिका और वैयाकरणों आदि विभिन्न वर्तना-विशेषियों ने भल तो पूर्वपक्ष के हृषि म उपन्यित वरते हुए उनका मुदोमूर्ख यड़न किया है। उनका तो पूर्ण विराग है कि व्यजना के अभाव म बोई भी काव्य-हृति सारम और

1. पामरप्रभूतयोऽपि वाच्यार्थमनायागादवयुपाल्ने, व्यग्रसंवेदनवैद्यन्थे तु विभिन्निवेदाधिकारिण ।

2. प्रज्ञावैनल्पवैद्यन्थप्रस्तावादिविधायुज ।

अभिधानकथणायोगी द्यग्योऽर्थं प्रधितोप्वने ॥

यथा मनेतंग मुख्यार्थादिवितपेन च महायेन अभिधायकी लक्षवाच, यथा वा पदाध्यमन्यव्यवनिरेति महग्न विवक्षाया अनुमापक तथा प्रतिभाविदाध्य-परिचयप्रस्तरादिज्ञानसांक्षो वाचनोनक्षणश्च व्यव्यग्रर्थम् व्यनिशन्दी व्यनक्ति ।

3. न यु व्यजना का पदार्थ, उच्चते । मुख्यार्थव्यवनिरेत्पदोथग्नव, मुख्यार्थ-मन्नार्थागवध्नाधारण प्रगिदाप्रमिद्विषयक् वस्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञान प्रतिभाद्युद्युद्युद्य, सत्वारविशेषो व्यजना ।

चमत्कारपूर्ण बन ही नहीं सकती। वस्तुत कवियों की वाणी में ही कुछ ऐसा अलौकिक रचना-विधान होता है जिसके द्वारा वे विद्याकरणों और दार्शनिकों की अपेक्षा विशिष्ट गौरवपूर्ण म्यान रखते हैं। उन्हे जिस अर्थ में काव्य-संसार के प्रजापति और 'कविमनीषी परिभूः स्वयम्भूः' कहा गया है उसके मूल में उनके अभिव्यजन का व्यंजना-व्यापार का कौशल ही प्रमुख है। व्यजना-शक्ति के द्वारा ही काव्य में रसोद्रेक होता है और उसका आस्याद 'द्रह्यानन्द-सहोदरत्व' की उपलब्धि करता है। विद्वानों ने काव्यगत व्यंजना का महत्व निष्पित करते हुए उसे काव्य का सर्वस्व माना है और कवियों की गरिमा का समर्थन करने के लिए उसे परमेश्वर का रूप प्रदान किया है। इस विषय में निम्न-लिखित छन्द दृष्टव्य है:—

व्यंग्यप्रधानाभिनवैवभग्नी मुण्ड्यार्थवाधः परमः प्रकर्यः ।
वक्रोक्तयो यथ विभूषितानि सा काचिदन्वा सरणिः कवीनाम् ॥1॥
स्तोतु प्रकृता श्रुतिरीश्वर हि न शाविदक प्राह न ताकिं वा ।
द्यूते तु तावत् कविरित्यभीक्षण काष्ठा ततः सा कविता परा नः ॥2॥

2

भाव और रस का अंतर्संबन्ध

वाय्मान्दाद के विभाग में भावों और रसों का सम्बन्धोपर एक उल्लेख अन्तर्संबन्ध का परिचान प्रदर्शन करता है। इनमें अकाल ने न तो रस-क्रियेका का विवेद ही विद्या जा नहीं है और न वाय्मान्दाद को निरुद्ध भवन्दिवान्वित राता शास्त्रोद्धर्मिता ही प्रदात की जा सकती है। नियून वाय्मशास्त्र के आकारों से भवन्दुर्ग के एक्ट्रेडिव विवेदत वो सुधूर आदार इन वर उपरा भग-प्रपाठन विद्या है जो क्राद्ध शम्भोर और किरारणीय है। उल्लेख विभाग ने इस दात वा प्रदा अनुग्रह ही विवेद एवं विषय वो वाय्मोरण ने विवेद क्रोधिक परिवर्तन ये तथा जन्मव प्रकार वो नवीनाकों के आदार पर इनमें अन्दरूनी के नियन्ता यहीं हैं रखते हैं। भावों और रसों का अन्तर्संबन्ध निर्धारित वर्ते हुए उल्लेख उल्लेख जा नक्षण निर्धारित विवेद है दर्शन द्वारा उल्लेख पर अधिकृत है तथा उल्लेख उल्लेख द्वारा द्वारा दर्शन होता है। इन अन्दर में उल्लेख विवेदित भाव-प्रपाठन भावनाद्वया भाव-विवेद भावों वा रस के विविधों, भावों और रसों का तात्त्वज्ञवृष्टि भावेम्भव विषय विचार अन्दर उल्लेख है।

‘काद’ के सङ्गणनारूप में उल्लेख

कानान्वयना ‘काद’ का लक्षण निर्धारित बर्ता कर्त्तव्य है। यदि यह बहुत बाहर विविधों और उन्मुक्तादों के अनिरिक्त वो रसों के व्यवहार ही अद्यता उल्लेख रस व्यवहार हो वे भाव हैं तो जो उन्मुक्ति नहीं है, एवं वे रसों के व्यवहार वाय्म को पदादनी में इन लक्षण के अविवाहित दोष भावाना है। इन यह यह अस्ति नहीं है विवेद वे व्यवहार-वो जर्म होते हैं न विश्व, पर यादनन्दनुद्देश दावद में उन्न लक्षण वो जीवायात्रि वैते हो जाती हैं? इनका उत्तर यह है विवेद घोटे हो जाता है रस-व्यवहार हो विनु उल्लेख द्वारा व्यवहार की रस-व्यवहार माने जाते हैं।¹ उल्लिकार के वो व्यवहार वो जो नाइन्द्रा व्यवहार माना

1. अम्बदोषो व्यवहारवेऽस्तु रसो अस्त्रान्तराध्य ।

एक्षम्य व्यवहारे तदन्तर्य नहुत्तरिता ॥

है जिसके अनुमार अर्थं द्वारा वाच्य को व्यजक मानने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि यह कहा जाए कि यो तो शब्द ही रस-व्यजक होते हैं, किंतु उनकी व्यंजना अर्थ-द्वार से होती है तो भी उसमें भाव का लभण संघटित नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 'अमंभव-दोष' भी गंध आने सकती है। इसका एक कारण यह भी है कि विनको सामान्यतया भाव कहा जाता है, वे भी भावना अर्थात् पुनः पुनः अनुभावन के द्वारा ही व्यंजक होते हैं और भावना द्वारा जो रसाभिव्यजना होती है, उसमें इसी को 'द्वार' बनाने की आवश्यकता नहीं होती। अतः शब्द द्वारा होने वाली रस-व्यजना के लिए भी किसी अर्थ-द्वार की आवश्यकता मानने में भी अतिव्याप्ति दोष हो सकता है। यदि यह कहा जाए कि विभावों और अनुभावों से अनिवित तथा शब्द से भिन्न जो रसों का व्यंजक है, वह भाव है तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि भावना की 'शब्दभिन्नता' के कारण उसमें अतिव्याप्ति रहेगी ही। इस संभण में एक प्रकार की अव्याप्ति भी है, क्योंकि काव्यानुशीलन से मिल है कि उसमें भावध्वनि आदि ऐसे स्थल भी आते हैं जहाँ भाव रसों के व्यंजक न होकर प्रधानतया भाव-रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं, अतः भाव जो रस-व्यंजक बहना भी विशुद्ध लक्षण नहीं है। यदि भावध्वनि का प्राधान्य स्वीकार कर अत में यह कहा जाए कि भाव-ध्वनि की अतिम परिणति रस-ध्वनि ही है और इस दृष्टि से भावों की रस-व्यजकता निर्दि की जा सकती है तो भी यह निषंप विवादास्पद ही है, क्योंकि रस की प्रधानता तो रस-ध्वनि का ही अस्तित्व निरूपित करती है और उसकी सत्ता के निम्नय भाव-ध्वनि का रसधोत्र में निष्कामन मा हो जाता है। यदि भावों की रस-व्यजकता बनाये रखने के लिए यह कहा जाए कि भाव-ध्वनि में भाव की अभिव्यक्ति के पश्चात् जिस रस की अभिव्यक्ति होती है, उसमें उतना चमत्कार नहीं होता जितना भाव-ध्वनि में होता है तो भी यह मान्यता रस-सिद्धाव के विषद है, क्योंकि चमत्कार-विहीन रसाभिव्यक्ति होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सच तो यह है कि जिस सदृश्यानुभवरूप प्रमाण से रस की सिद्धि होती है, उसमें चमत्कार अपवा आनंद का अंग तो अविनाभाव से रहता है। जब रस स्वयमेव चमत्कार-स्वरूप है तो चमत्कारहीन रस की सत्ता तो स्वीकार ही नहीं की जा सकती। यदि भाव-ध्वनि में रस की स्थिति 'विवाहप्रवृत्तभूत्यानुगतराज्वत्' मान ली जाय तो भी भाव का युक्तिसंगत लभण संघटित नहीं हो सकता, क्योंकि देश, काल, वय और अवस्था आदि अनेक पदार्थों से संघटित काव्यार्थों में अतिव्याप्ति हो जाएगो जिसका एक कारण यह भी होगा कि भावों को विभावों तथा अनुभावों से अनिवित तथा रस का व्यजक भी मानना पड़ेगा। यदि यह कहा जाए कि 'भाव' उस वित्तवृत्ति का नाम है जो रसाभिव्यक्त चर्चणा या आस्वाद का विषय है तो भी उसमें अतिव्याप्ति दोष आए विना नहीं रहेगा, क्योंकि भाव-चर्चणा

एक साथ उस को अभिव्यक्त करने वाली तथा चित्तवृत्ति-रूपा वैसे हो सकती है २ यदि इन समस्त उहापोहों से परे होकर यह वह दिया जाए कि भाव एक अच्छड उपाधि है जिसके लगान निर्धारण की बोई आवश्यकता नहीं है तो भी यह उपन मुख्यिगत नहीं है क्याकि भावत्व को अच्छड उपाधि मानने में 'अनुगत प्रतोति' आदि ज्ञानक प्रगाण नहीं हो सकते हथा उसे अच्छड उपाधि मानने भी भाव चल सकता । इन समस्त तक-वितरों का विमर्श वर पटितराज ने भाव को 'विभावादिभ्यज्यमानहर्षाद्यन्यमत्व तत्व' माना है जिसका अभिप्राप यह है कि विभाव आदि ने अच्छनित रिये जाने वाले हर्ष आदि में से एक-एक तत्व का नाम भाव है ।^३

चित्त को स्थायी और अस्थायी दृष्टियों का नाम भाव है

सत्तार म जितने प्रकार क प्राप्ती अधिकार करते हैं उन सबकी चित्तवृत्तियों में स्थायिभावत्मक सत्तार विद्यमान रहत है । उनकी चित्तदृत्तयों में देवन इतना ही अतर होता है कि निसी प्राणी की बोई चित्तवृत्ति अस्थिर होती है तथा निसी की बोई न्यून । निसी की चित्तवृत्ति उचित विषय में नियमित होती है तो निसी की चित्तवृत्ति अनुचित विषय में अतियन्ति । विलवृत्तियों की इस मिन्हता क बारण ही बाव्य-वर्णित विभावा की प्रहृति में अन्तर पाया जाता है । स्थायिभावात्मक चित्तवृत्तियों के अतिरिक्त ग्लानि और शक्ता आदि विशेष प्रकार की व्यभिचारिभावात्मक या अस्थायी चित्तवृत्तियों भी होती हैं जो अपने जनुरूप विभाव आदि के अभाव में सदा विद्यमान नहीं रहती । उत्ताह आदि स्थायिभाव तो वर्तम्य-सम्बादन ये पश्चात् प्राणीनवत्प होकर भी सत्त्वारूप में विद्यमान रह सकत हैं विनु व्यभिचारिभावों के साथ यह नियम घटिक नहीं होता । उनका जाम विभाव आदि कारण से होता है तथा उन कारणों के द्वार होते ही के नष्ट हो जाते हैं । आचार्य अभिनवगुण ने ग्लानि आदि व्यभिचारिभावों की स्थिति स्थायिभावरूप चित्तवृत्ति के मूल गंभीर दृष्टिव, मरकत, अप्राप्त और महार्नाल आदि मणियों के गोलकों ने समान निर्दिष्ट दी है । उनका बहना है कि जिस प्रकार निसी भाषा के एक मूल में पिरोये गये रण-विरणों द्वारा माला की गुफित रखने वाले मूल के स्वरूप में बोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं आता, उसी प्रकार रसानुमूलि क प्रभाव में भी बोई प्रकार के व्यभिचारिभाव एक स्थायिभाव ही मूल के स्वरूप में बोई अन्तर नहीं सा पाते । यह यात्र अवश्य है कि जिस प्रकार माला के गालव(दाने)प्रभावे चित्र-पृष्ठचित्रपृष्ठ के बारण मूल के स्वरूप में भी वैचित्र्य की सी प्रतोति उत्पन्न कर देते हैं, उसी प्रकार विविध प्रकार के व्यभिचारिभाव भी स्थायीभाव में एक प्रकार की विचित्रता सी लादेते हैं । उस

विचित्रता वी भी यह विशेषता होती है कि जिस प्रकार माला के गोलकों के मध्य में उसका शुद्ध सूत्र प्रदर्शित होना रहता है, उसी प्रकार व्यभिचारिभावों के मध्य में भी शुद्ध स्थायिभाव वी अनुभूति होती रहती है। अभिनवगुप्त ने अपनी मैदातिक विवेचना द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि विलक्षण-तामूलक रस की निष्पत्ति में रत्यादि स्थायिभाव का महत्व कम नहीं किया जा सकता। स्थायिभाव और रस में यह अन्तर है कि स्थायिभाव सदा व्यक्त या अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है, परन्तु रस की स्थिति बेवत् उतने समय पर्यन्त रहती है जब तक कि उसकी प्रतीति होती है। उसकी सत्ता न तो रस की प्रतीति के पूर्व रहती है और न रसानुभूति के समाप्त होने के पश्चात्। इसे ही स्थायिभाव को अरेदा रस की विलक्षणता कहा जाता है।

'भाव' के विषय में भरतमुनि के विचार

भरतमुनि ने 'भाव' नाम की विवेचना करते हुए लिया है कि वाणी, अग और सत्त्व से किने हुए वाक्य के अर्थों को भावित करने के कारण ही 'भाव' कहलाते हैं। भाव कारण के साधन हैं क्योंकि 'भावित', 'वासित' और 'कृत' में सभी पर्यायवाची शब्द हैं। लोक में भी सिद्ध है कि अन्योन्य गण अथवा रस से सब भावित हो गया। उन्होंने 'भाव' के लक्षण भी अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ श्लोक उद्धृत किये हैं जिनका तात्पर्य यह है कि विभाव से लाया हुआ जो अर्थ अनुभाव से तथा वाणी, अंग और सात्त्विक भावों के अभिनय से प्रतीत होता है, उसीका नाम 'भाव' है। भावों को इस हेतुवश भी 'भाव' कहा जाता है कि उनके द्वारा वाणी, अग और मुख के राग से तथा सत्त्व और अभिनय से कवि के आत्मिक भावों का प्रकाशन हो जाता है। ये भाव अनेक प्रकार के अभिनयों में 'सम्बन्ध रखने वाले रसों को भावित करते हैं, अतः नाटक के प्रयोक्ताओं को उनके नाम की मार्यान्ता को भली भाँति हृदयर्गम करना चाहिए।¹

'स्थायिभाव' की स्थिति 'तदवाकर' के समान है।

धनंजय ने उह भाव को स्थायी भाव माना है जो विशुद्ध अथवा अविशुद्ध किनी भी प्रकार के भावों से विच्छिन्न नहीं होता तथा लवणाकर के समान उन अन्य भावों को आत्मभाव में परिणत कर लेता है।² स्थायी भाव के रूप में रत्यादि भावों की मणना होती है, क्योंकि वे भाव सजातीय व्यवहा विजातीय आदि भावान्तरों से तिरसृत न होकर उपनिवध्यमान रहते हैं। उनका स्पष्टीकरण वृहत्कथा में वर्णित यदन-मञ्जूपा के प्रति नरवाहनदत्त के अनुराग द्वारा

1. भरतमुनि : नाट्यशास्त्र, 7/1-3

2. धनंजयः दशरूपक, 4/34

किया जा सकता है। नरवाहन उस वया के बीच-बीच में अन्य नामिकाओं में भी अनुरक्त होता है, जिन्हु उम्रवा स्थायी बनुराग मदनमजूपा के प्रति यथावत् बना रहता है। अत यह स्थायी है। स्थायी भाव से बीच में अन्य धरियोधी अश्वा विरोधीभाव का समावेश होने वा स्पष्टीकरण करते हुए धनिक ने लिया है कि विरोधी का अर्थ है भहानवस्थान और वाघ्यवाध्यभाव। सहानवस्थान की स्थिति में दोनों वा अवस्थान एक साथ नहीं हो सकता, अत वहीं तादात्म्य सम्भव नहीं है। वस्तुते उम्रवा आविर्माव एवह्यपन्व में ही सम्भव है। बात यह है कि स्थायी भाव और चिकाव आदि का विरोध होने पर भी चित्त के रसादि-भावों में उपर्युक्त होन के बारण सहानवस्थान दोप नहीं आता तथा भविरोधी व्यभिचारी भावों का यदसूत्रस्थान से उपनिवधन तो समस्त भावकों के लिए स्वानुभूति सिद्ध है। धनिक ने भावा के सहानवस्थान न होने का एवं हेतु यह भी दिया है कि जिस प्रकार स्थायीभाव स्वमदनसिद्ध है, उसी प्रकार वह काव्य-व्यापार से उत्तेजित होकर बनुभाव म आवेशरमाण होता हुआ चित्त के सम्पर्द में आवर रहे ही आनन्दानुभव का उन्मीलन बरने लगता है। उन्होंने वाघ्यवाध्यभाव वा अर्थं एव प्रकार के भावों का अन्य प्रकार के भावों से 'तिरस्कार' करते हुए चतुराया है कि व्यभिचारी भाव और स्थायीभाव वा आनन्दर्थं विरोध भी सम्भव नहीं है, कार्यादि व्यभिचारी भाव स्थायीभाव वा अपभूत है और अग वा अग्नि से विरोध सम्भावित नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ 'मालनीमाधव' में शृंगार के अनन्तर धीमत्ता का उपनिवध है, जिन्हु वही किसी भी प्रकार की विरसता नहीं है। सच तो यह है कि विरद्ध रस तभी विरोध वा बारण बनता है जब सतत उमी वा अबलम्बन किया जाय, जिन्हु सत्यविरद्ध रसान्तर वा व्यवधान होने पर विरद्ध रस भी विरोधी नहीं होता।

सात्त्विक और व्यभिचारी भाव

सात्त्विक भावों की विवेचना के यूं एव प्रज्ञ स्वभावत उत्पन्न होना है कि क्या दूसरे भाव सत्त्व से मिल होते हैं जिन्हे ध्यान में रखकर जो स्नेदादि की धेणी मेवेत्तु आठ भावों को दी सात्त्विक भाव वहा जाता है। इनका उत्तर देते हुए भरतामुनि ने लिया है कि सत्य 'मन प्रभव' है जिसका अभिप्राय यह है कि मन वी एवाश्वा से ही सत्त्व की सृष्टि होती है। उसका रोमाच, अशु और वैवर्य आदि से युक्त जो स्वभाव है, उसका अनुकरण अन्य-मनस्व भाव से नहीं हो सकता। अत लोक-स्वभाव का अनुकरण करने के लिए नाटक में मत्व को अपेक्षा होती है। नाट्यधर्म में प्रवृत्ति सुध और दुःख के भावों का उपस्थापन जब उनके अनुकूल सात्त्विक भावों द्वारा किया जाता है, तभी उनसे उनकी यथार्थ प्रतीत होती है। उदाहरणार्थ दुःख रोदन-रम्भक भाव है जिसको अभिनीत करने के लिए अदुखी प्रदाक्षण में सत्त्व वा

उद्देश सावधान है, जिसके सत्य अथवा भन की एकाग्रता के कारण ही यह अपने अभिनय को सफल बना सकता है। सात्त्विक भावों का 'सत्य' इसी बात में है कि उसके द्वारा अधिनेता हर्ष और रोमाव आदि को ऐसे रूपों में प्रदर्शित करे जिनसे मूल भावों का उपस्थापन गुच्छाद भाव में हो जाय। भरतमुनि ने स्तम्भ, स्वेद, रोमाच, स्वरमेंग, धैर्य, वंचर्य, अश्रु, और प्रस्त्र तंत्रक आठ सात्त्विक भाव माने गये हैं और उनके लक्षण निर्धारित करने के साथ-साथ उनके अभिनय के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी किये हैं।¹

'व्यभिचारीभावों' को इस हेतु व्यभिचारी वहा जाता है कि वे धार्णा, अंग और सत्य से खोत पदार्थों को विविध प्रकार से रसों की निष्पत्ति की ओर ले जाते हैं। वस्तुन: 'व्यभिचारी' शब्द वे गूल में 'वि' और 'अभि' नामक दो उपसर्ग हैं तथा 'चर्' नामक धातु है जिनके योग से इस शब्द की निष्पत्ति हुई है। 'चर्' धातु गत्यर्थवाचक है और व्यभिचारी भावों में रसाभिमुख्य-संचारण की शक्ति मानी गई है अन उनकी सज्जा सार्थक है। भरतमुनि ने व्यभिचारी भावों की रसाभिमुख्यता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जिन प्रकार सूखे इस नशाव अददा उस दिन को ले जाना है, किन्तु वह उन्हें अपने स्वन्ध अथवा धातुओं पर नहीं ले जाता तथापि 'लेनाना' किया की लोक-प्रनिष्ठि उसी प्रकार की बनी हुई है, उसी प्रकार व्यभिचारी भावों के सम्बन्ध में भी यही बात समझनी चाहिए। इन व्यभिचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है जिनके नाम भरतमुनि ने इस प्रकार गिनाये हैं—निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, धूम, आलस्य, दैन्य, चिता, मोह, स्मृति, धृति, कीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विपाद, औलग्नुष, निशा, अपस्मार, सुप्त, प्रबोध, अमर्य, लव-हित्र, उप्रता, मति, व्यापि, उग्माद, मरण, शास और वितर्क।²

भावों की संख्या के सम्बन्ध में वंदितराज का अभिनव

भरतमुनि के जिन तीव्रस व्यभिचारी भावों का विवेचन किया है, उन्हें वंदितराज जगन्नाथ ने हर्ष, स्मृति, कीड़ा, मोह, धृति, शंका, ग्लानि, दैन्य, चिता, मद, धूम, गर्व, निशा, मति, व्यापि, ग्रास, सुप्त, विवोध, अमर्य, अवहित्या, उप्रता, उग्माद, मरण, वितर्क, विपाद, औलग्नुष, आवेग, जड़ता, आलस्य, असूया, अपस्मार, चपलता और प्रतिपक्षी के द्वारा किए गए तिरस्कार आदि से उत्पन्न निर्वेद के क्रम में निहित कर गुरु, देव, नृप और पुत्रादिविषयक रति को एक पृथक् भाव मानते हुए उनकी संख्या 34 निर्धारित की है। इस पर यह प्रल हो सकता है कि पुत्रादिविषयक रति को भावों की श्रेणी में क्यों निनाना चाहिए,

1. भरतमुनि: नाट्पशास्त्र, 7/94-105

2. भरतमुनि : नाट्पशास्त्र, 6/18-21

जबकि कुछ विद्वान् पुत्र आदि को धात्मत्य रस का आलम्बन मानकर तदविषयर रति को भाव (व्यभिचारी) नहीं मानते। इस विषय में पठितराज का मत है कि वात्सत्य नामर कोई रम नहीं होग वर्षोंमि भरतमुनि ने भी उसका निषेध दिया है। इस विषय में वे भरतमुनि का अनुगमन करना ही सर्वादापूर्ण समझते हैं। उन्होंने उपर्युक्त समस्त भावों के भावान्य लक्षण निर्धारित कर उदाहरण-पुरस्कर तदृगत भाव व्यनियों का स्पष्टीकरण दिया है। उनका वर्णन है कि उपर्युक्त चौतीस भावों के अतिरिक्त मात्सर्य, उद्गेग, दम्भ, ईर्ष्या, विदेव, निषेध, कलैव्य, क्षमा, कुतुक, उत्कटा विनय भशग और धूष्टता आदि और भी अनेक भाव दूष्टिगोचर होते हैं जिन्हुंने उनका समावेश चौतीस भावों में राहत्र विधि से हो जाता है अत उनकी पृथक् गणना अनावश्यक है। उदाहरणार्थं मात्सर्यं अमूर्या में, उद्गेग आस में दम्भ अवहृत्या में, ईर्ष्या अमर्ये में, विदेव और निषेध मति में, कलैव्य दंन्य में, क्षमा धूति में, कुतुक और उत्कटा औत्सुक्य में, विनय लज्जा में, सशय तर्क में और धूष्टता चपलता में समाविष्ट हो जाते हैं। यो तो समाविष्ट भावों और मुड्य भावों में सूख्म अन्तर भी है तथापि वे भाव एवं दूसरे के विना नहीं रहते अत उन्हें उनसे पृथक् नहीं माना गया है। उदाहरणार्थं मात्सर्यं और अमूर्या म अत्यन्त सूख्म भेद होते के साथ-साथ यह बात भी निश्चित है जहाँ अमूर्या होती है, वही मात्सर्य अवश्य रहता है अत उन दोनों को पृथक् भाव मानना व्यर्थ है। मही स्थिति अन्य भावों की भी है। पठितराज भावों की संख्या तथा सर्वादा ने क्षेत्र में भरतमुनि का अनुगमन करना ही सर्वतोमावेदन थे परन्तु र समझते हैं। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि उपर्युक्त पक्षियों में किन चौतीस मत्तारिभावों का निरूपण दिया गया है, उनमें में जैसे ईर्ष्या भाव कुछ भाव वहीं-वहीं दूसरे भावों के विभाव और अनुभाव भी हो जाते हैं। निवेदभाव वा विभाव तथा अमूर्याभाव का अनुभाव है तो चिन्ताभाव निद्राभाव के प्रति भाव और औत्सुक्य भाव के प्रति अनुभाव होता है। इसी प्रकार अन्य भावों के सम्बन्ध में भी विदेव कर लेना उचित है।

भाव व्यञ्जना की प्रक्रिया

भाव किम प्रकार व्यजित अथवा व्यनित होते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर विद्वानों ने विभिन्न दृष्टियों से दिया है। एक विद्वान्वर्ग वा गत है कि यामातिहोंने हृदय में वागना रूप में स्थित और वाच्य अथवा नाद्य में स्थापित अनुरूप तथा प्रतिरूप भावों से अभिभूत न होने वाले स्थायीभावों की अभिव्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति भावप्री द्वारा जिस प्रकार स्थिर रूप में होती है उसी प्रकार प्रधान बने हुए हर्ष आदि भावों की भी स्थिर अभिव्यक्ति होती है। विद्वानों वा दूसरा मन यह है कि भावों की अभिव्यक्ति रसों की भाँति (रसान्या-

पेत) होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सामाजिकों में स्वभावत् रहने वाला आत्मानंद अविद्या से पिहित रहता है, किसु कार्यमत् अलीजिक आपापार से उस अविद्यात्मक आवरण की निवृत्ति हो जाने पर अप्त्त आत्मानंद प्रकाशित हो जाता है और उस आवरण मुक्त स्थाईभाव से उपहित चिदानंद को रस कहा जाता है, उसी प्रकार आवरण मुक्त चिदविशिष्ट हर्षं आदि भाव भी सामाजिकों के हृदय में अभिव्यक्त होते हैं। इस विषय में तीग्रा मत यह है कि जिस प्रकार कार्य तपा नाट्य के शब्दों से वाच्याखों की उपस्थिति हो जाने के पश्चात् बना एव बोद्ध्य आदि के ज्ञान द्वारा बस्तु-असकार-रूप-सत्त्व-क्रम-वर्ण्य-अर्थ सदृदयों के हृदय में अभिव्यक्त होते हैं, उसी प्रकार हर्षं आदि भाव भी सत्त्वक्रमव्यय के रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं। उपर्युक्त तीनों मत अपने-अपने तकों से सम्पूर्ण हैं जिनका विवेचन रस प्रक्रिया के विश्लेषण से मुख्यतः सम्बन्धित है। यहाँ तो हम केवल इतना ही सकेत करना चाहते हैं कि भावों की भी व्यंजना होती है और उसके व्यजन बनते हैं विभाव और अनुभाव। व्यभिचारिभावों को उस रूप में भाव (स्थायी) का व्यजक नहीं माना जा सकता जिस रूप में विभावों और अनुभावों को माना जाता है। व्यभिचारिभावों की व्यंजकता में एक उल्लेखनीय बात यह है कि यदि एक व्यभिचारिभाव को घटनित करने में दूसरे व्यभिचारिभाव को व्यजक मानना आवश्यक सासज्जा जाता है, तो वही व्यंजक व्यभिचारिभाव ही प्रधान हो जाता है। भावों की व्यजकता के लिए जिस विभाव पद का प्रयोग किया गया है उसमें यहाँ व्यभिचारिभाव के साधारण निमित्त कारण का ग्रहण समझना चाहिए, न कि रस की भौति उसका सर्वथा आसम्भव और उद्दीपन होना अपेक्षित है।

भावों का रस में विनियोग

भरतमुनि ने स्थायी, व्यभिचारी और सात्त्विक भावों के सन्दर्भ में उनका रस प्रकार के भावों की यथावान् व्याख्या करते हुए उनका रसगत विनियोग भी नहीं पित किया है। उनका परामर्श है कि ग्लानि, शंका, असूया, थ्रम, चपलता, सुप्त, निद्रा, अवहित्य और वैपयुनामक भाव, शृंगार रस में, ग्लानि, शंका, असूया, थ्रम, चपलता, सुप्त, निद्रा तथा अवहित्य हास्य रस में; निर्वेद, चिता, दीनता, ग्लानि, असूया, जड़ता, मरण और व्याधि 'करुण रस' में, असम्मेह, उत्साह, आवेग, हर्षं, मति, उपता, उन्माद, रोमाच, प्रतिबोध, क्रोध, असूया, धृति, अभिमान और वितकं धीर रस में; गर्व, असूया, उत्साह, आवेग, मद, क्रोध, चपलता, हर्षं और उपता' रौद्र रस में, स्वेद, वैष्णु, रोमाच, गदगद, व्रास, मरण और वैवर्ण्य, भयानक रस में, स्तम्भ, अपस्मार, उन्माद, विपाद, मद, मृत्यु, व्याधि और भय वीभत्स रस में; स्तम्भ, स्वेद, मोद, रोमाच, विस्मय,

बावेग, जड़ना, हर्ष और मूर्छा लद्भुत रस में दिनिदुस्त्र चिए जाने चाहिए। इन रसों में शृगार रस का क्षेत्र मध्यने अधिक व्यापक है और जालस्य, उप्रता तथा धूला वो छोड़ कर ज्ञान सभी भाव अपने नाम ने शृगार वो उद्भावित कर सकते हैं।

भरतमुनि द्वा अधिष्ठित है कि नाट्य प्रयोग के समय विविध अभिनवों में अधित रहने जाने सातिद्व भावों वा प्रयोग उनके प्रयोक्ताओं द्वारा समस्त विषयों में दिया जाना चाहिए। चाई भी बाह्य अपने भाव, रस, प्रवृत्ति और वृत्ति में एक रस जाना नहीं हो सकता। बन्धुन् द्वाव्य-श्रद्धुस्त्र रसों में जिस रस का ऐसा प्रवर्ण हो वह उस वाक्य का स्थाई रस क्षया शेष रस उसके व्यभिचारी रस कहलाते हैं। वाक्य का स्थापी रस विभावानुभावों से युक्त मुख्य क्षयावस्त्रु वा आधार और मत्तारियों में सर्वजित होता है। नाट्य प्रयोक्ताओं वो चाहिए कि वे स्थापी वा गत्वातिरेख में प्रयुक्त वर्ते तथा मत्तारियों को आर्हतमात्र से प्रदर्शित करना ही पर्याप्त जल्मी है। आश्रय तथा अनेक अपौर्ण द्वारा सम्पाद्य नाटक में रस और भाव व्यवस्थित होते हैं। अभिप्राय यह है कि भरतमुनि ने नाट्य-प्रयोग के समय अभिनय द्वारा भावों के विनियोग वा जो रमानुकूल निरूपण दिया है, वह अत्यन्त गम्भीर और विचारणीय है। उमरा सम्बद्ध दरिपालन वरने से रम भिड़ि में सफलता प्राप्त होती है। भावों वा इस प्रवार वा विदेशन वाक्य की वर्णना में भी उपादेय है, क्योंकि अव्य-वाक्य भी ता एक प्रवार से सहृदय के मानस-मन पर दिया जाने वाला बन्धार्थी अभिनय ही है और उमरों भी रस निष्ठता वराने वो उनकी ही जमता है जिनकी दृश्य वाक्य के अभिनय में होती है।

'आठ' अथवा 'नौ' स्थाई भाव ही क्यों?

प्रलय यह है कि जब अन्योन्यार्थ में आधित और विभावानुभावों से व्यजित उनकाम प्रवार के भावों के सामान्य गुण-योग द्वारा रसों की निष्पत्ति होती है तो पिर ऐमा वरों रहा जाता है कि जाठ (अपवा नौ?) प्रवार के स्थाई भाव ही रमत्व प्राप्त करते हैं? भरतमुनि ने उपर्युक्त प्रश्न उपर्युक्त वर उनका सम्मुचित उत्तर देने वा भी एयास दिया है। उनका उत्तर है कि जिस प्रवार समान गद्याल वाले तथा दाव, पैर, उद्दर एवं गमान प्रत्यय वाले पुरुष भी अपने बुल, गोल, विदा, कर्म और शिल्प वो विचलणता में युक्त होकर राजन्त्र प्राप्त नहरते हैं तथा उन्हीं में से युद्ध पुरुष अपनी अत्य वुद्धि के नारज उनके अनुचर बनते हैं, उसी प्रवार विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव भी स्थादी भावों के उपमृत होकर अपनी गोदना रखते हैं। बन्धुन् आश्रय देने के कारण स्थाई भाव राजा अप है तथा व्यभिचारी भाव अनुचर-स्त्रप। इस इस प्रवार भी उह जा सकता है कि स्थापी भाव हप शरीर में

अन्य भाव गौण स्प में रहते हैं और व्यभिचारी भाव गुणवत्ता के कारण उनकी सेवा करते हैं। भरतमुनि ने इस मान्यता को स्थाप्त करने के लिए एक दृष्टात प्रस्तुत किया है और वह यह है कि जैसे बहुत परिवार बाला होता हुआ भी उनका राजा ही राजा नाम पो प्राप्त करता है और अन्य महापुरुष उस नाम को प्राप्त नहीं करता तथा अपने बहुत से परिजनों के साथ जाने वाले राजा को देखकर यदि कोई यह पूछे कि वे बौन जा रहे हैं तो उसका उत्तर देने वाला केवल 'राजा' शब्द के प्रयोग द्वारा ही उनकी शक्ति का समाधान कर देता है, क्योंकि उस शब्द के प्रयोग में अन्य परिजनों वा समाजार स्वत हो जाता है, उसी प्रकार स्थायी भाव भी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से गुच्छ होने पर भी राजा ही यो भाँति रस नाम को प्राप्त करता है। इस विषय में निम्नसिद्धित इलोक उल्लेखनीय है—

यथा नराणां नृपतिः गिर्व्याना च यथा गुरुः ॥
एवं हि सर्वनावानां भावः स्थायी महानिह ॥¹

अर्थात् जैसे पुरुषों में राजा और शिष्यों में गुरु महान् होता है, उसी प्रकार सब भावों में स्थायी भाव ही काश्य जगत् में महान् होता है।

भावों और रसों का अन्तर्सम्बन्ध ।

प्रश्न होता है कि क्या रसों से भावों की उत्पत्ति होती है या भावों से रसों की? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि न तो रसों से भावों की उत्पत्ति होती है और न भावों से रसों की, अपितु उनके पारस्परिक सम्बन्ध से ही एक-दूसरे की उत्पत्ति होती है। इस विषय में आचार्यों ने विविध दृष्टियों से अपना विवेचन प्रस्तुत किया है। एक आचार्य का कथन है कि नर्तनगत कर्णादि रसों के अभिनय द्वारा सामाजिक में शोकादि भावों की उत्पत्ति होती है और जब वे शोकादि भाव रामादि विभावों के माध्यम से उपचित हो जाते हैं तो सामाजिक में भी कर्णादि रसों की उत्पत्ति या पुष्टि कर देते हैं। इस प्रकार इस मत के अनुसार नर्तन रस के अभिनय से सामाजिकतान शोकादि भावों की तथा सामाजिकत भाव की पुष्टि से सामाजिकत रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा मान्यता से यह सदैह हो जाता है कि क्या रस से भाव उत्पन्न होता है या भाव से रस? 'बालभेद से एक से दूगरे का भी परस्पर जन्म होता है'—यह तीसरा पथ है। आचार्य भट्ट लोल्लट ने रत्यादि की उपचित ब्रह्मस्था में 'रस' तथा रसादि के अपचय में 'भाव' की मत्ता मानी है, जिसका खंडन अभिनवगृह ने विस्तारपूर्वक किया है।

आचार्य शत्रुघ्न का अधिमन है कि नटगत अभिनय में रसों का आस्त्वाद परने वाले सामाजिक नौ नाटक के अनुपार्ये (रामादि) में रथादि भावों की प्रतीति होती है। वह प्रतीति तोगों में प्रकृत रस उत्पन्न करती है। इसका आशय यह है कि भावा में रस की उत्पत्ति होती है। इसका एक यह बनता है कि पहले अनुवादेंगत भाव ने नटगत रस की तथा उनके पश्चात् नटगत रस से सामाजिक यत भाव की उत्पत्ति होती है। अभिनवगुप्त ने इस मन वा भी खदन किया है क्योंकि सामाजिक रौ अनुपार्ये तथा अनुपर्ती के भेद वा ज्ञान नहीं होता। अभिनवगुप्तकृत शत्रुघ्न के अनुकरणवाद वा खदन ही यथास्थान दिया ही गया है। वाक्याशास्त्रीय निवेचना का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, जिसका निवेचना वरता प्रम्भुत निवन्ध भी परिमोमा के अन्तर्गत नहीं है।

भाव के माय विभावानुभावों वा संयोग होने से रस-निष्पत्ति होती है

अधिकाश विद्वान् इस मत वे समर्थ हैं कि विभाव और अनुभाव आदि का भावों के साथ संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है। इस पर यह शब्द शब्द की जा सकती है कि वाच्य में विभावनुभाव आदि का व्यवहार भले ही विया जाए, विन्तु सोब में तो विभावानुभाव आदि नहीं होने। अतः उनसे रस की निष्पत्ति होने मानी जा सकती है? वान्तव में इस शब्द का बोई सम्पूर्ण और प्रौढ़ व्याघार नहीं है। इस विषय में भरतमुनि का बहना है कि 'न तो रसों' और भावों के पारम्परिक मतधर्म से दोनों की उत्पत्ति मानने वाला मिदात ही उचित है और न रसों में भावों की उत्पत्ति मानने वाला भले ही माननीय है। वस्तुतः रस-नूत्र ने अनुकार तो भावों में ही रस-निष्पत्ति मानना युक्तिसंगत है क्योंकि वे विभाव आदि विषय नाना प्रकार के अभिनयों से सम्बद्ध रसों को भावित बरते हैं इनमिए नाटक वा प्रयोग बरते वाले व्यक्ति इन्हें 'भावयतीति भावा' वे अनुगार 'भाव' नाम से पुकारते हैं। आचार्य का बहना है कि जिस प्रकार नाना द्रव्यों में वहूदिय व्यजनों की भावना होनी है, उमी प्रकार अभिनयों के माय मिन्दर भाव भी रसों को निष्पन्न बरते हैं।¹ भरत मुनि वौ मान्यता है कि 'न यो भावों के विना रस हो जवता है और न रसों के दिना भाव हो रहता है। अभिनय में एक-दूसरे के आयत पर इनकी मिदि होती है।² उन्होंने लिखा है कि 'जैसे व्यजन और ओपरिट वा संयोग याद द्रव्य को स्वादिष्ट बना देता है, उमी प्रकार भाव भी एक-दूसरे को भावित बरते हैं।'³ भरत मुनि को 'नहिं रमादते वरिचिदप्यः प्रवतांडे' वा सिद्धान्त मान्य है, अतः उन्होंने रस की सभा मूर्त रूप में स्वीकार बरते हुए लिखा है कि 'जैसे बीज से बृक्ष होता है वै यथा

1, 2, 3. भरतमुनि: नाट्यशास्त्र, पठ्ठोऽप्याश व अनुवाद अनुवाद 4-7.

वृक्ष से पुष्प तथा फल, उसी प्रकार सारे रस-मूल हैं जिनसे सारे भाव व्यवस्थित होते हैं।¹

अभिनवगुप्त का मत ही सर्वोपरि और मान्य है

भरतमुनि ने मूलतः रस का भावान्य स्वीकार कर व्यवहारतः भावों में रस की निष्पत्ति मानी है जिसे अपने पूर्वांश के रूप में प्रहृण करते हुए अन्य आचारों ने अनेक प्रकार के अन्तिरिक्ष उत्पन्न किए हैं। इस विषय में आचार्य अभिनवगुप्त का वह विवेचन अन्यन्त महत्वरूप है जिसमें उन्होंने इस मिदान्त की प्रतिष्ठा की है कि 'बीजस्थानीय कविगत रस से वृक्षस्थानीय काव्य उत्पन्न होता है। उसमें पुष्पस्थानीय अभिनवादि हप्त नट का व्यापार होता है। उसमें फलस्थानीय सामाजिक का रसास्वाद होता है। इसलिए सामाजिक के लिए सारा काव्य जगत् रसमय ही होता है।'² अभिनवगुप्त के कथन का मूल मंतव्य यह है कि जिस प्रकार बीज वृक्ष के मूल कारण रूप में स्थित होता है, उसी प्रकार कविगत रस काव्यरूप वृक्ष के मूल में स्थित रहते हैं। इसलिए उसी के द्वारा आनदास्वाद श्रीतिपूर्वक 'रामादिवत् प्रवतितव्यं न रावणा-दिवत्' इत्यादि रूप उपदेश का ज्ञान होता है।³ अभिनवगुप्त के मतानुसार 'कविगत सवित् ही वास्तव में मूलमूल रस है जिसकी प्रतीति के बशीमूल होकर अपोदार-बुद्धि द्वारा सामाजिक भी विभावादि की प्रतीति करता है।'⁴ वस्तुतः कवि की स्थिति भी सामाजिक तुल्य है और कविगत रस ही भावादि का मूल कारण है। इस सिद्धान्त को व्यन्यालोककार आनदवधंन ने भी स्वीकार करते हुए लिखा है कि 'यदि कवि गृंगारी है तो सारा जगत् रसमय हो जाता है और वह बीतराग है तो सारा काव्य नीरम हो जाता है।'⁵

1. भरतमुनि: नाट्यशास्त्र, पृष्ठोऽयाय, आनुवानिक श्लोक, 4-7.

2. मूल बीजस्थानीय: कविगतो रसः । ततो वृक्षस्थानीय काव्यम् । तत्र पुष्पादि स्थानीये अभिनवादिनटव्यापारः । तत्र फलस्थानीयः सामाजिकरसास्वादः । तेन रसमयमेव विश्वम् । (अभिनवभारती पृष्ठ 515) ।

3. दीजं यथा वृक्षमूलत्वेन स्थित तथा रसाः । तन्मूला हि श्रीतिपूर्वकप्रयोजने नाट्ये काव्ये सामाजिकघियि च व्युत्पत्तिरिरति ।
(अभिनवभारती, पृष्ठ 515)

4. कविगतसाधारणीमूलसंविन्मूलश्च काव्यरस्तरोनटव्यापारः । यैव च हवित् परमार्थंतो रसः । सामाजिकस्य च तत्प्रतीत्या वशीकृतस्य पश्चादधोदार-बुद्ध्या विभावादिप्रतीरिति ।

5. आनन्दवधंन. व्यन्यालोकः 3-42

३

रस का स्वरूप तथा आस्वादि

रस के स्वरूप और आस्वाद का विशेषण बरना भारतीय काव्यशास्त्र का अत्यन्त गम्भीर विनाशकील और सनत गविमान विषय रहा है। वैदिक वाद्‌मय से लेकर बाज तक भारतीय साहित्य का जिस राक्षसिय और रक्ष-क्रान्ती में विकास हुआ है उसके विमर्श का एवं प्रभुत्व प्रनिपाद्य विषय रस-स्वरूप, रस-निष्ठति और रसास्वाद भी है। इस विवेचन के अंतर्गत सौम्यदेव-चेतना का वह पक्ष भी मुख्यरित है जिसने भारतीय दृष्टि से काव्यानन्द की प्रतिक्रिया स्पष्ट भी रही है। भरत मुनि के 'नाट्यशास्त्र' से लेकर पठितराज जगन्नाथ के 'रसगलाघर' पर्यन्त जिस सारस्वत-नरिता का नैरन्तर्य प्रबाहु हुआ है उसके मार्ग में काव्यात्म-भीमाभा के विविध तिष्ठानों और सम्बद्धायों की जानधारा अन्ततः रसोन्मुख बन ही अपनी परमप्राप्ति महान् कर मजबूती है। उन अनत विनाश और गम्भीर रा विशाद अध्ययन प्रस्तुत नरना इस विविध के नपु बोनेपर में भवत गही है, अत ऐवल उन वीषि विसाका के जनरान में ही जवाहरत बरना हम पर्याप्त तमन्ते हैं जिनमें रस के स्वरूप और आस्वाद की जीवन ज्योनि प्रदान करने की क्षमता है। हमारा यह विवेचन मुख्यतः भारतीय काव्यशास्त्र की उपनीव्य निधि तेटी अनुश्राणित है।

रस का स्वरूप

भारतीय आचार्यों ने 'रस' का रेखाप स्थाय आस्वाद विविध दृष्टियों से विवेचित किया है। उग्री रहस्यमयता का विशेषण बरना सामान्यतया सरल कार्य नहीं है। सर्वेष म वहा जा मरता है यि मनुष्य अपने जीवन में जिन भावों की अनुभूति दरला है, उनमें रहि, शाक, प्रोथ, युग्मा, भय, चलाह, हात, विस्मय और निषेद नादि प्रमुख हैं। इन भावानुभवों के भस्तार मनुष्य के हृदय पर वासना रूप में अवित रहते हैं जिनमें स्थायित्व का विवार नर साहित्यशास्त्रियों ने उन्हें स्थायित्वाका की गजा प्रदान की है। ये स्थायित्व एवं प्रसार से विभिन्न भविष्यों वितावृत्तियाँ ही हैं जो अपनी साध्य तथा विज्ञान रूप स्थिति में प्रवाहमान भारतानन्द के साथ अनुभूत हैं। रस' की अभिग्राहा स्थापित करती है तथा जिनम प्रमाणा को 'गमोद्ध' की प्रतीक्षा होती है। इन

स्थायिभावों वी आत्मानंदीय प्रतीति तथ तक नहीं हो सकती जब तक उन पर आच्छादित अभानावरण का नाश नहीं हो जाता। उस आवरण का उच्छेद करने में भावकल्प नामक एक अतौकिक प्रिया सहायक होती है जिसके कारण अल्पशक्ता एवम् पारस्परिक विभेद जैसे जीवधर्म नष्ट हो जाते हैं एव सर्वज्ञत्व आदि परमात्मधर्म जागरित हो जाते हैं। उस लोकोत्तर भावकल्प की सृष्टि में विभाव, अनुभाव और संचारिभावों का भी सयोग रहता है जिनमें अनुभवकर्ता को रति आदि स्थायिभावों की अनुभूति आत्मानंद के साथ होने लगती है। जिन कारणों से रत्यादि स्थायिभावों वी उत्पत्ति होती हैं, वे आलम्बन-विभाव कहलाने हैं तथा जिनसे उनसी उद्दीप्ति होती है वे उद्दीपन विभाव। स्थायिभावों की उत्पत्ति के परिणामावस्थ प्रगति के शरीर आदि में जो विशेष भाव उत्पन्न होते हैं वे 'अनुभाव', तथा स्थायिभावों के साथ सहायक रूप से संचारित होने वाले भाव 'संचारिभाव' कहलाते हैं। उदाहरणार्थं शकुनला को देखकर दुष्प्रति के मन में रति भाव की उत्पत्ति होने की स्थिति में आश्रम-रूप दुष्प्रति के लिए शकुनला आलम्बन-विभाव तथा उससी तथा प्रगति की निदनुकूल चेष्टाएँ उद्दीपन-विभाव हैं। उस रति-भाव के अनुकार्यगत रूप 'अनुभाव' तथा शकुनला की प्राप्ति के पार्श्व में चिंता आदि भावों का सचरण 'संचारिभाव' है जिनकी चर्वणा शृगार रस के रूप में होती है। शृगार के द्विविध भेदों (सयोग और विप्रलभ्म) तथा अन्य रसों की निष्पत्ति का कम भी इसी प्रणाली से बोधगम्य किया जा सकता है। काव्य कृतियों में इन रस-उपकरणों का चित्रण जब मुन्दर शब्द—गुण्ठन द्वारा वैशिष्ट्यगूणं प्रणाली से किया जाता है तो सहृदय प्रमाताओं के हृदय अपनी सहृदयता तथा काव्यार्थ के पुनः-मुनः अनुसधान रूप भावना-व्यापार के प्रमाववश जिस लोकोत्तर आनन्द की अनुभूति करने सकते हैं वही काव्यास्वादन की प्रक्रिया में 'रस' कहलाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उस रस-प्रक्रिया को निष्पत्ति करने में भावकल्प व्यापार का अत्यधिक महत्व है क्योंकि उसी के द्वारा अज्ञान-रूप आवरण का नाश होने से वासना-रूप से स्थित रत्यादि स्थायिभाव 'भेजकर्त्व' 'रसना' अथवा 'व्यजना' नामक व्यापार से आम्बाद्य बनकर 'रस रूप को प्राप्त होते हैं।

भरतमुनि का स्पष्टीकरण

रस एक निर्विघ्न चर्वणात्मक संविद् है। उसकी चर्वणा भी बोधरूप ही होती है। आचार्यों ने काव्यानुशोलन के समय निष्पत्ति होने वाली आनंदमयी प्रतीति को 'रस' की मंजा दी है। भरतमुनि ने 'रसः' इति कः पदार्थः? का प्रश्न उपस्थित कर उसका उत्तर 'उच्चते। आस्वाद्यत्वात्' की शब्दावली में दिया है जिसका अभिप्राय यह है कि काव्यशास्त्र के विद्वान् काव्य द्वारा निष्पत्ति होने वाली जिस आनंदमयी प्रतीति को 'रस' सजा से अभिहित करते हैं। उसकी

प्रवृत्ति का निमित्त 'आस्वादात्व' अथवा आस्वादन-क्रिया है। यद्यपि वह प्रतीति अन्वेषिक होती है तथा प्रत्यक्ष संसार दाय लौकिक दृष्टात् द्वारा विद्या जा सकता है। भरतमुनि ने उसके लिए 'पाढ़व' रत को दृष्टात् हृष में विद्यत बरते हुए लिखा है जिस प्रवार व्यजन, और्गिध तथा द्रव्य आदि वस्तुओं की उचित याजना पञ्चावस्था को प्राप्त होवार एवं अतीव आस्वाद रस की निष्पत्ति बरती है जो इन द्रव्यों में भिन्न होता हुआ 'पाढ़व' आदि नामों से अभिहित विद्या जाता है, उसी प्रवार रसिद-बुद्धि में विभानानुभावों वा उचित हृष में मयोग होने पर उनके द्वारा प्रत्यक्षवत् अभिवाचत होने वाला एवं विशिष्ट अर्थ लौकिक दृष्टि से स्थायी बहलाता हुआ अपनी अनौकिष्ठता में रस्यमान अथवा आस्वाद हृष में निष्पत्ति होता है। आवागोंने विषावादि वो सम्पूर्ण योजना को 'पारु-स्थानीय' तथा अभिव्यक्त होने वाले स्थायिकत्व के बासना-संस्कार को 'रसस्थानीय' भाग है। 'तोड़कत्' 'पाढ़व' तथा नाम्बगत 'रस' अपनी आस्वादना अथवा रस्यमानता के कारण समानधर्मी हैं। दोनों में यदि अन्तर है तो वे वह इतना ही हैं जि पाढ़वादि रसों पर आस्वादन रसनेन्द्रियजन्य है जबकि वाक्यार्थज्ञान से निष्पत्ति रस मानसोऽगम्य है। वाक्यार्थ-प्रतीति वो क्रिया पर रसनेन्द्रियजन्य ज्ञान का जो उपचार किया जाता है उसका सारण उनका 'सादृश्य' है। उत्तमादृश्योपचार वा विवेचन भरतमुनि ने इस प्रवार किया है—

'यथा नानाद्रव्यजनमस्कृतमन्मुजाना रसानास्वादयति सुप्रतम् पुरुषा'
 हर्षादीश्चापिगच्छुद्भृति, तथा नानाभावापिनयन्प्यजितान् वाक्यगत्त्वोपेतान्
 स्थायिभावान् आस्वादयनि मुपनसा प्रेताना. हर्षादीश्चापिगच्छुति, तस्मद्दि-
 नादृश्यला इनि अपिव्याख्याता ।'

भरतमुनि ने 'भोग', 'भोक्ता' तथा 'पत्' आदि रें साम्य से वाक्यार्थ-प्रतीति-हृष व्यापार पर रसना-व्यापार का उपचार करते हुए बतलाया है जि जिस प्रकार व्यजन (सास्कृत भोग अन्त) सुप्रतम् अर्थात् समाहितवित भोक्ता वो रसना अथवा आस्वादन-व्यापार द्वारा हृषं और तृतीय का पत देना है, उसी प्रवार विषावादि-व्यजित स्थायी 'मुपनस्' अर्थात् एकाग्र और निर्मल हृदय रक्तिक भोक्ता वो विविष्टविदृश्य आरबोदन द्वारा हृषं और तृतीय प्रदान बरता है। यही यह बात भी उल्लेखनीय है जि जिस आस्वादन वो व्यावहारिक अर्थ में रसनेन्द्रिय वा व्यापार पहा जाता है, वह रसनेन्द्रिय वा व्यापार न होकर एक मानस-व्यापार है क्योंकि उसका पत हृषं और तृतीय है। रसनेन्द्रिय वा व्यापार सो केवल भोजन है जिसे आस्वादन-व्यापार गे भिन्न सिद्ध करने के प्रयोजन से भरतमुनि ने 'मुजाना आस्वादयनि' पदावनी वा प्रयोग किया है। भरतमुनि ॥ ॥ आशय यह है कि वह आस्वादन-हृष मानस-व्यापार ही रास्य में अविवत हृष में रहता है जिसका पत है 'आह्वादन' तथा 'तपेष'। इहने वो आवस्यकता नहीं

हि रामायनि ने 'रामा-व्यापार' 'आत्मावता' तथा पर्वगा-स्थापार वा पर्यावाधी शब्दों के रूप में प्रयुक्त दिया है और उन्हे रम का भेदक सपाप माना है क्योंकि उनके कारण काव्यार्थ को रामत्व प्राप्त होता है। रामा-व्यापार की बोधहृता तथा बोधहृता की लोकोत्तर विमलमता आदि का स्पष्टीकरण करते हुए अभिनवगुल ने जिग सोकोत्तर अर्थ को 'रम' कहा है, वह उनके शब्दों में निष्पत्तिपूर्ण है—

"रमता च बोधहृता एव विनु बोधान्तरेभ्यो सौविकेभ्यो विमलमा एव, उपाधानां विभावादीनां सौविक वंतव्यात् तेन विभावादिगयोगात् रसना यता निष्पत्ते, तनः तथाविधरमनामोचरः सौकोत्तरोऽर्थं रमः इति तात्पर्यम् गूढस्य।"

इस की 'व्यक्ति' तथा साक्षिमात्सता

ममट आदि आचार्यों ने उग स्थायिमात्र को 'रम' कहा है जो विभावादि से 'व्यक्त' होता है। 'व्यक्त' पद से ममट का अभिन्नात्म 'व्यक्तिविषयमृत' है जिसे रमनावन्य आस्वाद से अभिन्न चंतन्य का गोचरीकृत विषय भी कहा जा सकता है। 'व्यक्त' होते ही स्थायिमात्र चित् गतिं का विषय बन कर उसके द्वारा भसित होने लगता है। 'व्यक्ति' पद का अर्थ 'व्यक्तना-वृत्ति' भी किया जाता है जिसे 'भग्नावरणविषय' कह कर आचार्यों ने यह वात्त निष्पत्ति दिया है कि उसे केवल सामान्य अंतर्वात्ति ही न सामना आहिए क्योंकि 'व्यक्ति' पद के प्रयोग में एक ऐसा 'बुद्ध अ स्थादनहृप चंतन्य भाव' भी विवित है जिसका अन्तर्व्य आवरण दूर हो गया है। इस साम्यता को इस उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि जिस प्रकार भारत आदि भूत्यात्र-विकेप से विहित कोई दीपक तब तक न तो स्वयं प्रकाशित होता है और न अन्य पदार्थों को ही प्रकाशित कर सकता है, जब तक उसके आवरण का अपमरण न कर दिया जाए; उसी प्रकार भतः करण में वासना रूप से स्थित तथा विभावादि से मिथित रहवादि स्थायिमात्र को प्रकाशित करता हुआ आत्मचंतन्य भी उन्हें तब तक आत्मावता नहीं बना सकता और न स्वयं प्रकाशित हो सकता है जब तक उस पर आच्छादित अज्ञान-रूप आवरण का उच्छ्वर नहीं हो जाता। रहवादि स्थायि-मात्र भी एक प्रकार से अन्तःकरण के ही पर्म हैं जो आत्मचंतन्य से प्रकाशित होने के कारण 'साक्षिमात्स्य' कहलाते हैं। उमकी साक्षिमात्स्यता वेदांत-वैदेन से स्पष्ट की जा सकती है। वेदांत के अनुसार वहा अथवा सत्-स्वरूप आत्मा के अतिरिक्त संसार के सभी पदार्थ मिथ्या हैं और सहार में जो घट और पट आदि बाह्य पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, वे केवल आत्मा के वृत्तिरूप हैं। इसका यह अभिन्नात्म है कि अन्तःकरण-रूप द्वारा ही से आत्मा का प्रकाश घट-पट रूप में भासित होता है और अन्तःकरण की सुषुदुखात्मक वृत्तियाँ भी आत्म-प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं। आहु पदार्थों की प्रकाशित करते में आत्मा के लिए

अत नरण की सहायता अपेक्षित होती है, विन्तु अत नरण ने यृतियों की प्रवाणित करने में उसकी सहायता अपेक्षित नहीं होती क्योंकि उनको आत्मा स्वयमेव प्रवाणित नहीं है। यही कारण है कि अन्तरण की यृतियाँ शाधिभास्य हैं जिनका अभिप्राय यह है कि वे आत्मा से प्रवाणित होती हैं।

पहुँच पर एवं प्रबन्ध उपस्थित होता है कि रत्यादि स्थायिभाव तो अन्तरण के द्वारा हुने के बारण साधिभास्य मान भी जा सकते हैं, विन्तु शानुनाला आदि विभावों को विस प्रवार नाधिभास्य माना जाय जर्याति उनको स्थिति घटन्यट जैसे बाह्य पदार्थों के द्वारा है। उनकी प्रतीनि मतों घटन्यट जैसे बाह्य पदार्थों की भाँति आत्मा का अत नरण की गहायता देवी अनिवार्य रही है। इनका उत्तर देते हुए यह बहु जा नवता है कि यो तो तुरण रण और रजत नादि बाह्य पदार्थ साधिभास्य नहीं हैं, विन्तु जब स्वप्न में अश्व वा ज्ञात होता है अथवा दूरत्व विना चाकचक्कप आदि दोषों के बारण रात में रजत का भ्रम हो जाता है तो अश्व और रण आदि भी साधिभास्य बन जाते हैं। उम स्थिति में वे दल आत्मा के ही द्वारा उन वस्तुओं का साधिभास्य होता है, यद्येवि उस नमय वे वस्तुएँ वास्तविक न हावर कात्पनिक होती हैं। रम-प्रकिया मठीब यही स्थिति शानुनालादि विभावों की है। उन विभावों दो भी साधिभास्य मानने में विस्तीर्ण भी प्रवार का तात्त्विक विराय गटी हो सकता, इराकि शानुनाला आदि विभाव भी भावनारूढ़ हुने पर वास्तविक न हावर कात्पनिक हो हुने हैं भीर उन मध्यमा भाव चढ़ुगदि वाहूपेन्डिया में न होकर आत्मवैतन्यमात्र से होता है। उम वो 'धर्म' अवदा साधिभास्य का पहुँच रहत्य है।

रत का आत्मवैतन्यस्वरूप तथा नियत्य

उम ने आत्मवैतन्य हराय मानने पर यह स्माभावित है कि उनका नियत्य इवीनार नर निया जाय। उसकी नियत्यना वो स्त्रीहृति से 'उत्तमो रम,' 'विनष्टो रस,' जैसे सर्वानुभवयाचर व्यवहार भननेत सिद्ध हो जाते हैं क्योंकि जब जात्म-वैतन्य हो नियत्य है तो उसका स्वरूप 'रत' भी अवश्यमेव नियत्य ही होना चाहिए। आवाजों ने उम के नियत्यानियत्यहृपे वे विषय में समुद्रमूल भावाओं पा समाधान अल्पन तर्वं न रा दूषियोग में दिया है। उनका बनन है कि विनाश के प्रारंभ में 'उत्तमो रसरार,' 'विनष्टो रसरार' जैसे व्यवहार किये जाते हैं, उनी प्रवार रम का नियत्य हुने पर भी उसके व्यज्ञव विभावादि में घवेणा अथवा आपरण-भग में हुने वाले उत्पत्ति और विनाश गद्य छमें 'रग' में आरोग्यित होते हैं, जिनमें 'उत्तमो रस' जैसे व्यवहार भी गद्य गम्भीर हैं। पहीं एवं प्रश्न यह भी उपस्थित होना है कि यदि रत्यादि स्थायिभाव यामना रूप से मदेव वत्सान रहो हैं तो उनकी प्रतीति सर्वदा

राहय में त्वं नहीं होती ? इसका गायत्राय उत्तर पड़ी है कि जब तर भासा के कारण हरे याता भगवन वा भगवान हुआ हुता है, तभी तर आगमा रत्नादि पातों को भासित होती है और उसमें भिन्न भारि दो भरंगा विद्युत्यात रहती है, जिन्हें ही भासा वा भगवान्मात्र हुआ जाता है। गायत्रिभाव विद्युत्यात रहत भी उसी प्रकार प्रसादित नहीं होतो ताकि तिन प्रश्नों के ज्ञात्यनिष्ठा होने पर वस्त्रो वामदर्शी वस्त्रुते प्रसादित नहीं होते तातो । भगवान् वे भगवान्-वरण को विग्रहण करने के लिए भाष्ट्रात् वापर किंग भनोरिक भासार वी बहुता थी जाती है, वह गद्यपत्ना वी गहानना में विग्रहण याती है इसलिये विषयक भासना ही है, जिसमें भिन्नादि के गाप्त्रात्मोदरण वी ज्ञाना विद्युत्यात होती है। यस्तु भासना में भासनरूप वा वर्णवरण हो जाता है जिसके कारण सदृश्य जन विभावादि का आग्नेयता होते जाते हैं। उस आग्नेयता वा अग्निर्योगियों की समाधि दला में उपस्थित विद्या जा जाता है, जिसका अभिशाप पहुँचे कि तिन प्रश्नों में भिन्न विभिन्न विषयों के ग्रान्ते परे हो जाता है, उसी प्रकार स्थायित्वाओं में युद्ध भान्दरार वित्तावृति भी गद्यपत्नों वा व्रह्मानद गद्योदर काव्यानंद ही अनुभूति प्रदान करती है ।

नित्य तथा स्वप्रकाश विधिति वा निष्पत्ति

आचार्यों ने तिन स्तुत में रग वी निष्पत्ति वीर स्वप्रकाशना निष्ठा ही है, वह सर्वथा युक्तिमंगल है । उसका कारण यह है कि याहे ज्ञानात्मक चैतन्य के विषयी-भूत रत्नादि स्थायित्वादि को रग कहा जाए अथवा नति आदि स्थायित्वाव विषयह चैतन्यात्मक ज्ञान को, दोनों ही स्थितियों में यह निष्पत्ति है कि रग के स्वरूप में रत्नादि स्थायित्वाव वीर चैतन्य दोनों ही ज्ञानिक स्तर से रहते हैं और दोनों ही विकल्पों में विशेषणीभूत अथवा विशेषीभूत चैतन्यांग को लेकर रस 'नित्य' तथा 'स्वप्रकाश' है । रग को जिस रूप में 'अनित्य' और 'प्रप्रकाश' कहा जाता है, यह भी गवंधा असम्भव नहीं है क्योंकि विस प्रकार चैतन्यांश को लेकर रस 'नित्य' तथा 'स्वप्रकाश' है, उसी प्रकार रत्नादि अंश को लेकर यह 'अनित्य' तथा 'प्रप्रकाश' रूप भी है । उसे जिस प्रश्नोजन से घट्य-भाण कहा गया है, उसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि रस की चर्वणा एक प्रकार से अंतःकरण की आनंदाकार वृत्ति ही है जिसमें चैतन्यगत अज्ञानावरण का घट्यं हो जाता है । विद्वानों ने रस की चर्वणा को व्रह्मानद से भी विलक्षण कहा है, क्योंकि सविकल्पक समाधिकाल में जो व्रह्मानद प्राप्त होता है उसके आस्वाद का वास्तव्यन विषय-विहीन शुद्ध 'आत्मानंद' है जो अवृण, मनन और निदिष्यासनरूप व्यापारों से सम्पन्न होता है जबकि रस-चर्वणा का भानंद एक

ऐसा आनंद है जो विभावादि विषयों और सांसारिक पदार्थों से मिथित भी रहता है। रस-चर्चण की आनंदमयता बाणी से प्यास्यात नहीं भी जा सकती और उसके विषय में जेवल इतना ही वहा जा सकता है कि जिम प्रकार समाधिकाल में बात्म सुख आमासित होता है, उसी प्रकार रसास्वाद की वेला भी आत्मसंवेद्य सुख का भान होता है। जिस प्रकार समाधि सुख आत्मतिक्ष्व, बुद्धिग्राह्य और अतिनिद्रिय है, उसी प्रकार रसास्वाद भी, तभी तो थुति-बाजपा में रस को रसो वै स' तथा रस हृदयाग सच्चवा आनंदीभवति' वहा गया है। रस की आनंदमयता वा व्याख्यातिरिक्त निवर्णन सहृदयजना के हृदय हैं जो नान्यानुशीलन द्वारा उसका आनंदपूर्ण आस्वादन करते हैं।

विश्वनाथ के विचार

रसात्मन वाच्य को वाच्य की अभिधाप्रदान करने वाले आचार्य विश्वनाथ ने सहृदय के हृदय में वासनारूप से विद्यमान रत्यादि स्थापिभावों को उस स्थिति में रस माना है जब वे विविधित विभाव, अनुभाव और सचारिभावों द्वारा अभिव्यक्त होकर आरवाच अथवा आनंदरूप हो जाते हैं।¹ विश्वनाथ द्वारा निर्धारित यह रस-न्यायिभाषा भरतमुनि वे रस निष्पत्ति-गूप्त की एक सुधोग्र और सरल निवृत्ति वही जा सकती है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि विश्वनाथ विदिराज की दृष्टि में विवृत विभावादि योजना और सहृदय हृदय की रत्यादि वासना की रसमयता में व्याप्तिवज्वभाव रूप सम्बन्ध अनिवार्य होता है जैसा कि आचार्य अभिनवगुप्त भी मानते हैं। 'ध्वन्यालोक्सोचन' में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वाच्य अथवा नाट्य का एकमात्र साध्य रसभावना ही है जिसकी मिदि में वाच्य अथवा नाट्य का अभिव्यजन व्यापार ही साधन बनता है। उता अभिव्यजन व्यापार में गुणालबारो या औचित्य अथवा रामुचित धन्दार्थ-संयोजन परम सहायत अथवा उपकारी सिद्ध होता है। वाच्य एवम् नाट्य को रस के भावव बहने वा मही अभिप्राप है कि वे रस के व्यजक होते हैं, जिनसे अलोकित अभिव्यजना व्यापार 'रस' का भोग अथवा आस्वाद रामभव है। वस्तुतः 'रस का भोग' अथवा 'रस की व्यव्यती' का एक ही रहस्य अथवा अभिप्राप है।² आचार्य मम्मट न भी इन विषय में अपना अभिमत प्रपट करते हुए यही स्वीकार दिया है कि इन्य अथवा नाट्य की अभिव्यजना अथवा चर्चण की अलोकित विशिष्ट सहृदय-हृदय का रत्यादिरूप स्थापिभाव ही एक प्रवार का

1. विभावेनानुभावेन व्यजन मनारिणा तथा।

रसतामति रत्यादि व्यापीभाव मचेतसाम् ॥ (साहित्यदर्पण, 3-1)

2. अभिनवगुप्तः इन्यालोक्सोचन, पृ० 189-190

सौकोत्तर अनंदात्मक अनुभव होता है।¹ विवेदनाथ के मतानुसार रत्यादि स्थायि-भावों के व्यवहार होने का अभिप्राय है उनका एक दूसरे रूप में (अर्थात् रस रूप में) परिणित होता। रत्यादि भावों का रस-रूप अभिव्यक्ति दुग्ध भी दधि रूप में अभिव्यक्ति (परिणिति) के सदृश समझी जानी चाहिए, त कि दीपक द्वारा घट-घट की भौति पूर्वमिद स्थिति के समान। अभिनवगृह ने भी 'रस प्रतीत होने हैं' का स्पष्टीकरण 'अनंदो पचति अर्थात् भाव पका रहे हैं' के व्यवहार से किया है। विवेदनाथ ने रस के स्वरूप का सदाचार निर्दिष्ट करते हुए रत्यादि के साथ स्थायीभाव विवेशण द्वा प्रयोग साभिप्राय किया है, क्योंकि किसी रस विशेष (शून्यार) में रस-रूप नितद्वृत्ति स्थायी हो सकती है तो दूसरे रस में रस-रूप वित्तद्वृत्ति अस्थायी अथवा व्यभिचारी रूप में भी रह सकती है। बस्तुतः वही भाव स्थायीभाव कहा जाता है जो रस रूप में व्यक्त होता है।

धनंजय का अभिमत

धनंजय ने चक्रादि विभावों, निर्वेदादि स्थायियों और रोमाचार्दि अनुभवों से भावित हुए स्थायीभाव को ही रस माना है।² उसको व्याख्या करते हुए धनिक ने लिखा है कि 'अनिश्चयोक्तिरूप काव्य व्यापार में समाहित चन्द्रादि विभावों, प्रेमदादि आनन्दन-विभावों, निर्वेदादि गच्छारियों और रोमाच, अशु-निसेप तथा कटारा आदि अनुभावों से (जो अवानर व्यापार के रूप में पढ़ो के अर्थ हैं) विभावित अर्थात् भावस्थपता को प्राप्त स्थायीभाव जब आम्बाढ़ होता है तो उसे रस कहा जाता है।'³ आचार्य भरतमुनि ने रत्यादि स्थायीभावों और शून्यारादि रसों के विभावादि का प्रतिपादन करते हुए उनके पृष्ठक-पृष्ठक लक्षण भी निर्दिष्ट किए हैं, किन्तु धनंजय का मत है कि उनके विभाव आदि की एक-रूपता होने के कारण उन दोनों (रस और भाव) के सम्बन्ध एक ही हैं। बस्तुतः धनंजय को रस का स्वरूप-लक्षण स्थायी भाव की आस्तव्यता में ही स्थीकार है जिसमें विभाव, अनुभाव, सात्त्विक भाव और व्यभिचारी भाव साथन बनते हैं। उनका कथन है —

विभावैरनुभावैर्व सात्त्विकैः व्यभिचारिभिः
आनीशमानः स्वार्थत्वं स्थायी भावो रसः स्मृत ॥३

1. मम्मट : काव्यप्रकाश, 4/27-28

2. दशरथ : 4/46

3. वही : 4/1

रसानुभूति वा स्वरूप ।

कविराज विश्वनाथ आदि आचार्यों ने रसभोक्ताओं की योग्यता तथा रसानुभूति वा स्वरूप अत्यन्त तत्त्वपूर्ण और सारमभित शब्दों में व्यक्त विया है। उनके मतानुसार 'वाच्याननद अथवा नाट्याननद' के उपभोक्ता वेबल वे ही हैं तदृश्य अथवा सामाजिक (प्रेषण) हो सकते हैं जिनमें दूसरे में वाच्य अथवा नाट्य के परिशीलन में मत्त्व वा उद्देश अथवा प्राप्त्य हो। मत्त्वोद्देश के वारण गद्यदर्शजनों वो जो रसानुभूति होती है वह एवं जोर बयण 'स्वयप्रवाश' 'आनन्दपूर्ण' और 'चिन्मय' वही जाती है तो दूसरी ओर उसे वेदान्तरस्पर्शंगूण्य और 'वाच्यास्वादाहोदर भी स्वीकार विया गया है। आचार्य विश्वनाथ ने उस 'द्वोवात्तर चमत्वारप्राण तथा न्यासारवत् अभिन्नता से आस्वादमान' के रूप में भी निरर्पित विया है।¹ रस स्वरूप तथा रसास्नाद में निषेध में प्रमुख उपर्युक्त विशेषण साथा समुचित और अनुमतिसिद्ध है। क्योंकि उनमें वाच्यास्वादन के बानद वा रहस्य अन्तर्निहित है। विश्वनाथ ने इन विशेषणों वा चयन अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की मान्यताओं के आधार पर पारते हुए उनके निरूपण में अपना निजी वेणिट्य प्रदर्शित विया है। वस्तुतः रसानुभूति के लिए रात्यात्रन की अभिवार्यता वा उत्तेज पुरावर्ती आचार्यों के मत पा पुनराद्यानन्ता है क्यापि जब तरह सदृश्य की मत स्थिति मत्त्वपूर्ण नहीं होती, तब तरपं वह वाच्यास्वाद वा अधिकारी ही नहीं माना जा सकता। 'रस्योद्देश' वाच्या स्वादन की प्राप्तिया पा भरण्ण है जिस पर पाप्य वीरे रसमपता अधिष्ठित है। यद्वानों ने मत्त्व शब्द वीरे विवेन्नता दिविध दृष्टिया से वीरे है जिनमें अवान्तर मतभेद होते हुए भी रात्यपूर्ण उपनिवधि का विचित्र साम्य है। वाधारणतया रसास्नाद के प्रशास ग मत्त्व वा अभिप्राय है 'मन वीरे एक ऐसी अवस्था जो सदृश्य सामाजिक वो घटपटादि यस्तुआ के शान से यिन्होंने अथवा विरक्त चना देती है।' 'सरस्वती यठाभरण' के दोपर आचार्य भोज ने 'रजस्तमो यामस्पृष्ट मन सरय-मिहोच्यते' द्वारा बतलाया है कि मन के उस स्वरूप वो 'सरद' कहा जाता है जिसमें रजोगुण और तमोगुण वा कोई सत्पर्श न हो। 'ऐसी मन स्थिति के उद्देश अथवा प्रावल्य वा स्पष्ट अर्थ यही है कि सर्व वीरे प्रतिष्ठा से रजोगुण

1. रस्योद्देशादगुण्डम्य प्रपाशाननद चिन्मय ।

वद्यान्तरस्पर्शंगूण्यो वाच्यास्वाद राहोदर ॥

सोऽन्तरस्मद्वारप्राण वैचित्र प्रमातृभि ।

स्वाकारवदभिन्नत्येना यसास्वादयत रम ॥

और तमोगुण अभिभूत हो जाते हैं और जित में किसी भी प्रकार की दुष्प्राप्ति अपवा संसीर मोहनान्धता नहीं रहती। आचार्यों का मत है कि जब विभावादि हर अलीकिक काव्याम ये सदृशयों के मानना वा अन्तर्लंय अपवा अभिनिवेश हो जाता है, तभी उद्देश्य समझाना चाहिए। सत्त्वोद्ग्रह होने पर ही भावकरनों का अन्तःकरण काव्यरस के भोग वा अधिकारी होता है, क्योंकि तत्त्वन् वही एक-मात्र अनन्दपूर्ण आत्मनवेदन वा स्वरूप है।

विश्वनाथ आदि आचार्यों ने इस को जित अर्थ में 'अर्घड' कहा है उसका मूल मन्त्राया केवल इतना ही है कि सदृशय जनों को जित समय रम अपवा काव्यास्वादन वा आनन्द उपासन्ध होता है, उस समय उनके अनुभव वा विषय विभावादि के पृथक्-पृथक् अनुभवों से यहित नहीं होता अपितु वह एक आनन्द-घन, चमत्कारपूर्ण और अलीकिक मन्वेदन-रूप रहता है। इस की स्वप्रकाशता इस तथ्य में निहित है कि रसानुभूति किसी अन्य ज्ञान का विषय न बनकर स्वप्रवृत्तानन्दरूप है क्योंकि इस प्रसंग में प्रयुक्त 'चिन्मय' पद का 'मरट्' प्रत्यय 'प्राचुर्ये' अर्थ का अंजन न होकर 'स्वरूप' अर्थ का अंजक है। भट्टताप्यक ने 'भोग' तथा अभिनवगुप्त ने 'सन्वोदेशप्रकाशानन्दमयनिजमंविद्विभान्तिहृषी' लनु-भव द्वारा इसी तत्त्व की ओर संकेत किया था कि रसानुभूति 'अर्घड और स्वप्रकाशानन्दचिन्मय' होती है। उनके कथन वा भी यही अभिप्राय है कि रम-दशा की सम्भावना सामाजिकों के सत्त्वोद्ग्रह के कारण होती है और रसानुभूति को एक प्रकार से सदृशय सामाजिकों का साधात् आत्मसाधात्काररूप कहा जा सकता है जिसकी विधमानना भी न हो मन की चंचलता रहती है और न उसकी मोहनादिता ही। विश्वनाथ ने आभ्याद को जित हप में 'वेद्यान्तरस्पर्श-शून्य' और 'ब्रह्मानन्दसहोदर' कहा है उस पर आचार्य अभिनवगुप्त ने रम को जित अर्थ में 'चर्यामाणतंकसार' कहा है, उसी अर्थ में विश्वनाथ ने उसे वेद्यान्तरस्पर्शशून्य' माना है। वस्तुतः रमरूप में किसी भी अन्य वेद्यवस्तु का कोई भी अनुबोध या सम्पर्क सम्भव नहीं होता। इस की वेद्यान्तरस्पर्शशून्यता के कारण उसके ज्ञेय-ज्ञातृत्व-भाव वा विश्वेषण नहीं किया जा सकता। कहने के लिए हम मते ही इस को 'ज्ञेय' और प्रमाना को 'ज्ञाता' कहे किन्तु इस मूलतः एक ऐसा स्वप्रकाशानन्दमक आत्मानुभव है जो अपनी वेद्यान्तरस्पर्शशून्यता के कारण 'ब्रह्मानन्दसहोदर' कहा जाता है। यहाँ यह बात ध्यान में खेलने की है कि इस ब्रह्मानन्दरूप न होकर उसके सदृश-रूप है तभी तो उसे ब्रह्मानन्द का सहोदर कहा गया है क्योंकि ब्रह्मानन्द में तो विशुद्ध विदानन्दमक अनुभव होता है जबकि काव्यानन्द अपवा रसानुभूति में 'रत्यादिसंवत्तित चिदानन्द-स्वरूप' की अनुभूति रहती है।

दिशनाय ने रस की स्वरूप-विवेचना तथा अस्वादिता के लिए जो 'लोकोत्तर-चमत्कार-प्राण' विशेषण दिया जाता है, वह अत्यन्त उत्पुक्त है। यो तो अनेक आचार्यों ने 'चमत्कार' पद की व्याख्या विविध दृष्टियों से दी है और उसे 'चुन्नलविज्ञविनिर्मुक्त सवित्' माना है किन्तु इस विषय में आचार्य अभिनवगुप्त का मत सब से अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी विवेचना से स्पष्ट है कि 'चमत्कार' केवल निविज्ञ सवेदन ही नहीं, जिन्हुंने अद्भुत 'मोगात्मस्पदावेशरूप' भी है जो साक्षात्कार स्वभाव, मानस अथवा सद्व्यवहार मूर्ति के रूप में हमारे मानस में प्रस्फुटित होता है। उनका यह मत सर्वथा उचित है क्योंकि चमत्कार के कारण हमें जो विस्मय-मुख मिलता है, वह एक प्रकार का विचित्र बानन्दा-वेश ही है। आचार्य विश्वनाय ने 'चमत्कार' को 'चित का दिस्तार रूप अपर विस्मय' वहाँ है जिसमें स्पष्ट है कि वे उमेर रस-रूप अनुभव का प्राणतत्व मानना मूल्किसयत मानते थे। उन्होंने अपने बृहप्रतिपातामह के सरक्षण में प्रचलित महूदय-गोष्ठी के एक वरिष्ठ पवित्रोत्तरादण पण्डित का उल्लेष वरते हुए लिया है कि उनके मत से तो चमत्कार ही रस में सारभूत तत्त्व है जिसका अनुभव सर्वेत लिया जाता है। अपनी धारणा में थी नारायण पण्डित इतने मुद्रूद थे कि उन्होंने 'चमत्कार' पद पर वल देने हुए समस्त रसों में अद्भुत रस का समावेश भान लिया।¹ नारायण पण्डित का यह मत एक विशेष प्रकार की विवेचना द्वारा युक्ति-प्रतिपादित प्रतीत होता है क्योंकि यदि 'चमत्कार' का अर्थ 'असीकिक और निविज्ञ सवेदन' है तो उसके अधिक अन्य कोई श्री पद रसानुभूति का व्यज्ञन नहीं हो सकता। ऐसे 'लोकोत्तर-चमत्कार प्राण' रस की सर्वेण सेवत वे ही सहृदय व्यक्ति कर सकते हैं जो या तो पूर्वजन्म के सचित पुण्यों के कारण आचार्य के परितीन अथवा भावन-नार्यों ने समर्पण हो अथवा रसानुभूति की खेला में जिनमें योगियों वी भौति समाधि-स्थिति विद्वमान रहे। विश्वनाय ने रस को 'रवाकारखदभिन्नत्येनायमास्वादते रस' कह कर एक प्रकार से आचार्य भग्नट ने 'स्वाक्षारद्वाभिन्नोऽपि गोचरीहृत' का ही समर्थन लिया है। आचार्यों का यह रस विषयव दृष्टिकोण अत्यन्त सत्यसचित है क्योंकि उसमें जाता और जीय अथवा प्रमाता और प्रमेय की अभिनवता अनन्तिहित है जिसके आधार पर वहा जा सकता है कि जिस प्रकार परिलामदादों दार्शनिकों ने गतानुसार ज्ञान और उसके विषय में क्षेत्र होता है, उसी प्रकार रसदार्शनिकों की दृष्टि में भी आस्वाद और आस्वाद विषय 'रस' परस्पर भिन्न न होकर एक ही तत्त्व है

1. रसे सारश्चमत्कारं सर्वंताऽप्यनुभूयते ।
तत्त्वमत्कारासारत्वं गर्वंताऽप्यद्भूतो रस ॥

प्रकाशन है। 'वेल सहृदय सामाजिक ही रसास्वाद करते हैं', इस कथन का रहस्य यह है कि सत्त्वोद्ग्रेक के कारण वेल सहृदय सामाजिकों को ही एवं प्रकाशा-मन्दस्वरूप आत्मतत्त्व का साधात्मार हुआ करता है। साहित्यदर्पण से टीकाकार बुर्कबागीश ने भी बुद्धि को स्वात्मरूप-प्रकाशिका कह कर इसी मत का समर्पण किया है।¹

स्वहपदोध के अन्य पदा

आचार्यों ने रस का स्वरूप-विश्लेषण करते हुए उसे और भी अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण तथ्यों से स्पष्ट करने की चेष्टा की है। उनके मतानुसार रस को कारणजन्य कार्य-रूप पदार्थ नहीं कहा जा सकता और न उसे नित्यदस्तु ही माना जा सकता है। यदि रस को कार्य माना जाय तो विभावादि ज्ञान को ही उसका कारण माना पड़ेगा जो युक्तिपूर्ण नहीं है क्योंकि रस तो एकमात्र विभावादि-समूहानन्दनात्मक संवेदन-रूप है अतः विभावादि का ज्ञान रस का कारण कहे माना जा सकता है? आचार्य अभिनवगुप्त ने भी स्पष्ट रूपों में कहा है कि रस न तो कार्य है और न विभावादि का दोध रस का कारण ही माना जा सकता है। यदि ऐसा हो तो विभावादि-दोध के नष्ट हो जाने पर भी रस का अनुभव होना चाहिए। यद्योंकि जो कार्य कारणजन्य होते हैं, वे कार्य कारणों के नष्ट होने पर भी विद्यमान रह सकते हैं। विश्वनाथ ने इसी मत को बुल्ल रूपान्तरित करते हुए प्रस्तुत किया है। उसका आशय यह है कि जिस प्रकार चन्दन आदि के स्पर्श का ज्ञान और उससे प्राप्त होने वाला मुख एक ही संवेदन के विषय नहीं होते, उसी प्रकार रसरूप सुख (कार्य) और विभावादिदोध रूप कारण की भी एक ही समय में स्थिति नहीं हो सकती। चूंकि विभावादिदोध और रसरूप आनन्द एक ही समय में संवत्सित 'एकघन सुखसंवेदन' के रूप हैं, अतः उन पर कारण-कार्य का तिदात्त घटित नहीं किया जा सकता। इसके साथ-साथ रस को 'नित्य' ज्ञानना भी उचित नहीं है, क्योंकि विभावादि के परामर्जन से पूर्व उसकी प्रतीति ही असंभव है और जब प्रतीति के पूर्व उसका कोई अस्तित्व नहीं तो फिर रस को किस प्रशार नित्य माना जा सकता है? रस की वनित्य स्थिति को ही व्यान भे रखकर आचार्यों ने उसे 'ब्रह्मान्वादमविद्य' अथवा 'ब्रह्मानन्दसहोदर' कहा है क्योंकि यदि उसे ब्रह्मास्वादरूप कहा जाता तो वह 'नित्यत्व' प्राप्त कर सकता और उसकी विभासि के लिए विभावनव्यापार अथवा कार्य-कृति की कोई

1. मान्योञ्जुभाव्यो बुद्ध्यात्मस्या नानुभवोऽस्मः।

प्राह्याप्राह्यक्वैध्युत् स्वयं संव प्रकाशते।

(साहित्यदर्पण, निर्णयसागर संस्करण, पृ० 72)

आवश्यकता नहीं रहती। सच तो यह है कि रस वी स्थिति नित्य न होते हुए भी अलीकिक और विलक्षण अवश्य है, तभी तो उसे ब्रह्मास्याद वा सात्त्व प्रदान विद्या गया है। वस्तुता वाच्य वा जातमभूततत्त्व ररा एक अनिर्वचनीय विषय है बरोरि उसके सम्बन्ध में अन्य वस्तुओं की कोई समावना नहीं हो सकती। उसे वाच्य अथवा नाट्य की भावना के पश्चात् अद्भूत होने याकी भावी वस्तु वहना भी समुचित नहीं है क्योंकि वह तो वाच्यनाट्य भावना वा ही समवालीन एक साझात स्वप्रवाद्यानन्दमय अनुभव है। उसे बत्तेमान वस्तु मानना भी असंगत है क्योंकि न तो वह कोई वार्यजन्य वस्तु है और न ज्ञाप्य वस्तु ही। उसे निविद्यव ज्ञान वा विषय भी नहीं माना जा सकता क्योंकि सहृदयों के अनुभव से सिद्ध है कि वह विभावादि वे परामर्श वा विषय बनता है तथा उसकी अनुभूति आत्यन्तिर मुष्ठ-चमत्कार वे रूप में नवेदनाङ्गन्य होती है। उसे मविवर्त्त ज्ञान वा विषय मानना भी सुनित्याण नहीं है क्योंकि रादिकल्पन ज्ञान या नवेदन की वस्तुएँ (धटपटादि) विसीन-विसी वाचक पद द्वारा भवेति वी जा सकती है जब कि रस वे सम्बन्ध में कोई भी वाचक शब्द प्रयुक्त नहीं विद्या जा सकता। अभिन्नाय पह है कि रस न तो नित्य वस्तु है और न भावी तथा वर्तमान वस्तु ही। वह तो एक ऐना अलीकिक स्वतंवेदन-संवेद्य तत्त्व है जिसका न तो दोढ़िक विशेषण ही विद्या जा सकता है और न उसे शब्दवाच्य ही माना जा सकता है। वह मधी दृष्टियों से रस वी स्थिति 'लोकोत्तर वैलक्षण्यमय' 'प्रतीत होती है। इस विषय में हम आचार्य विश्वनाय वी निम्ननिवित वारिनाएँ उद्घृत वरना आवश्यक समझते हैं जिनमें उपर्युक्त निवेदना वा निष्पर्य विद्यमान है।—

१. नार्यं ज्ञाप्यं स्वमताया प्रतीत्य व्यभिचारतः ।
 यस्यादेष विभावादिममृतालम्बनात्मवः ॥
 तस्माल्ल वार्यं नो नित्यः पूर्वसुवेदनोजिज्ञातः ।
 असुवेदनवाले हि न भावोऽप्यस्य विद्यते ॥
 नापि मविष्यन मादादानन्दमयस्वप्रवाशरपत्वान् ।
 वार्यज्ञायविलक्षणभावान्तो वर्तमानोऽपि ॥
 विभावादिगरामभीविषयत्वात् गच्छताम् ।
 परानन्दमयत्वेन सुवेद्यवादति रपुटम् ॥

अन्यान्य विशेषताएँ

रस वे स्वस्त्र वे गम्यन्ध में दक्षिण अन्य विशेषताओं वा उत्तरेष वरना

भी आवश्यक है जिनमें सर्वप्रथम उल्लेखनीय बात यह है कि वह परोक्ष तथा प्रत्यक्ष ज्ञान से परे होने के बारण अनिवंचनीय स्वरूप है। रस को परोक्ष अथवा अतीनिद्रिय मानने में यह कठिनाई है कि यह 'साक्षात् अनुभव-स्वरूप' सा प्रतीत होता है किन्तु उसे प्रत्यक्ष हण भी नहीं मान, जो ग्रन्थ क्योंकि यह एक ऐसा अलौकिक ज्ञानज्ञान है जिसकी निष्पत्ति बाव्य अथवा नाट्य में उत्पत्ति विभावादि-ज्ञान द्वारा होती है। साहित्यदर्शकार ने रस की परोक्षता तथा प्रत्यक्षता का विचार कर उसे अनिवंचनीय कहना अधिक उपयुक्त समझा है। उनका भत यह है कि वस्तुतः रस एक ऐसा अलौकिक तत्व है जो एकमात्र सहृदय सामाजिकों द्वारा अपने तात्त्विक रूप में संवेद्य समझा जाना है। उसके सहृदय सामाजिकों द्वारा अपने तात्त्विक रूप में संवेद्य समझा जाना है। उसके सहृदयों के आस्वादानुभव के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रमाण को उद्घृत करने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः 'चर्वणा' का अभिप्राय है 'आस्वादन' और 'आस्वादन' का अर्थ है विभावादि संवलित रत्यादि भावों से भावित सहृदय का चमत्कार।¹ सब तो यह है कि स्वप्रकाशानन्दमय रस के अस्तित्व में रमना-स्वरूप प्रतीति के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। उसकी अस्तीकिकता का संकेत तो पूर्वकी प्रधट्टक में किया ही जा सकता है। इस विषय में हमें 'चर्वणैव भगवती स्वसवित्स्वरूपादिन्ने तस्मिन् प्रमाणम्' का ध्यान आता है जिसमें यह कहा गया है कि रस वस्तुतः स्वसवेदन स्वरूप तत्व है जिसका अस्तित्व चर्वणा अथवा रसना से प्रमाणित किया जा सकता है। यह चर्वणा एक प्रकार की अलौकिक प्रतीति है जिसे 'रसप्रहृ की माया' कहना सभीचीन प्रतीत होता है।

रस और आस्वाद का सम्बन्ध

विश्वनाथ आदि आचार्यों ने रस और आस्वाद का तादात्म्य स्वीकार किया है, यद्यपि व्यवहार में यही कहा जाता है कि 'रस का आस्वाद किया जाता है।' वस्तुतः महृदय सामाजिक द्वारा अनुभूत काव्य तथा नाटक का आस्वाद विभावादिसंवलित रत्यादि-रूप काव्यार्थ में समृक्ष्म महृदय सामाजिक के आत्मानन्द का ही आस्वाद है जिससे स्पष्ट है कि रस और आस्वादमें किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है। 'रसः स्वाच्छते' अर्थात् रस का आस्वादन किया जाता है

1. चर्वणा आस्वादनं। तत्त्व 'स्वाद' काव्यार्थं समेदादात्मानन्दसमुद्भवः। इत्युक्तप्रकारम्।

स्पष्ट से रस और आस्वाद की अभिन्नता ही माननी चाहिए क्योंकि रस स्वतः ही अपने स्वरूपमूल अर्थात् अपने से अभिन्न आस्वाद या विषय हुआ भरता है। रस और आस्वाद दो भेदन्वयन 'राहो शिर' अथवा 'राहु का सिर' जैसे उदाहरण से स्पष्ट दो गई हैं जिसमें भेदभेदिनिंयं व मंवत् प्रक्रिया से बोधगम्य हो जाता है। वस्तुतः रस और आस्वाद में कोई भेद नहीं है। विद्वानों ने 'रस्यमानतामात्रनारावात् प्रकाशशारीरादनन्य एव हि रस' यह बर रस और आस्वाद में अनन्य भाव मिल दिया है। यावद्यारिक दृष्टि में रस और आस्वाद में जो भेद माना जाता है वह रात्परिक अथवा उपचारमात्र है। दशहस्रवार घनजय ने भी 'स्वाद' काव्यार्थसभेदादात्मानन्दसमुद्रव द्वारा रस और आस्वाद दो एकता तिदं दी है।

रस और आस्वाद की एकस्पता मानने पर हम बात दी जाए उत्पन्न होती है कि जब रस अथवा आस्वाद स्वप्रकाशानन्दस्वरूप सवित् हैं तो फिर रस को अनुभव का विषय कैसे तिढ़ि दिया जा सकता है? यह एक विचित्र बात है इस अद्वा आस्वाद को प्रकाशरूप भी मान लिया जाय तथा प्रकाश अथवा सबेदन ना विषय-स्वरूप भी। यदि वहाँ जाय कि रस आस्वाद व्यजन द्वारा देता है तो भी उचित नहीं है क्योंकि रस अथवा आस्वादकी भाँति व्यजना भी एक ज्ञान विशेष ही है जिससे रस और व्यजना की अभिन्नता प्रतिपादित होती है। रस और व्यजना दो एक ही तत्त्व मानने पर रस को 'व्यग्य-व्यजना-देता' मानने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि रस तभी व्यग्य देता जा सकता है जब व्यजना उससे एक पूर्यक तत्त्व हो। वस्तुतः 'व्यजन-व्यग्य-भाव' प्रदीप और घट जैसी धिन वस्तुओं में ही सम्भव है। तो किर वया रस को व्यग्य और विभावादि दो व्यजन मानना युक्तिसंगत नहीं है? उसका उन्नर देने हुए आचार्यों ने रस को अलौकिकता दो पूर्णतया ध्यान में रखा है आचार्य अभिनवगुप्त रा महा है इस 'आस्वादन-रूप व्यापार सर्वथा विलक्षण अलौकिक और अनिवंचनीय व्यापार है जो कारब-हेतु वे हनुंत्य तथा ज्ञापक हनुंतु वे ज्ञानिक्षण व्यापारों में विलक्षण है। वस्तुतः आस्वादामर व्यापार में रस अथवा आस्वाद सम्भव है, अतः उसे 'रसना' 'आस्वादन' और 'चमत्वरण' जादि विलक्षण शब्दों से मूलिक किया जाता है। रस को व्यग्य मानने वाले आचार्यों वा मूल अभिप्राय यह है कि व्यजना-कृति की स्वीकार विए विना काव्यनाद्य के परमार्थमूल रगभावादिरूप वर्थं की प्रतीति हो ही नहीं सकती, क्याकि उप्रतीति में अभिधा, सराणा तथा तात्पर्य नामन् दृतियों से काम नहीं जन मवता। 'ग व्यग्य है' इसका स्पष्ट आचार्य हनना ही है कि वह एक विलक्षण रसना-मर व्यापार वा विषय है और वह व्यापार अनिवंचनीय व्यजना कृति के अनिरिक्त अन्य कोई व्यापार नहीं हो

सकता। विश्वनाय ने रम को 'ज्ञानहृष' तथा 'व्यंजनावेद्य' कह कर अभिनवगुप्त के उस मत का समर्थन किया है जिसके अनुसार काव्य-नाट्य की अभिधादि शक्तियों में विलक्षण तथा व्यंजना-शक्ति से प्रादुर्भूत रसनात्मक प्रतीति होती है। काव्य और नाट्य की व्यंजना विभाव आदि के साधारणीकरण से लेकर रसनाहृष प्रतीति पर्यन्त रक्खित होती रहती है, अत. 'रस' और 'रसना' हृष प्रतीति में औपचारिक अभेद मान कर रस को व्यवनाजन्य अथवा व्यग्य मान लिया जाय तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

साधारणीकरण रसारबाद का प्रमुख माध्यार है

रसास्वाद की भूमिका में साधारणीकरण अथवा तन्मयीभवन का अत्यधिक महत्व है। उसके द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि काव्य अथवा नाट्य में उपस्थापित रामादि नायकों के रत्यादि भावों की उद्बुद्धता के कारण अथवा हेतुहृष सीतादि नायिकाओं के दर्शन अथवा अवण से सहृदय सामाजिकों की रत्यादि वामनाएँ किस प्रकार उद्बुद्ध हो सकती हैं? काव्यास्वाद की प्रक्रिया में यह एक ऐसा मौलिक प्रश्न है जिसका उत्तर देने का प्रयाग अनेक आचार्यों ने किया है। विद्वानों की मान्यता है कि काव्य या नाट्य में वर्णित या अभिनीत विभावों, अनुभावों और व्यभिचारभावों में साधारणीकरण अथवा विभावन-व्यापार की एक ऐसी सौकोत्तर शक्ति होती है, जिसके कारण सहृदय सामाजिक अपनी वैयक्तिक सीमाओं से ऊंचे उठ कर अपने आपको राम और महादेव जैसे नायकों से अभिन्न मानने लगते हैं और उनकी मनःस्थिति में रावणवध और समुद्रसंतरण जैसे असाधारण व्यापार साधारणीकृत दशा में अवस्थित हो जाते हैं। यों तो सहृदय सामाजिकों की उक्त मनोदशा के साधारणीकरण में काव्य अथवा नाट्य की व्यजकता बहुत बड़ा आलम्बन होती है, किन्तु उसमें कम महत्व उनकी निजी भावविक्षी शक्ति का नहीं होता, जिसके जन्म जन्मनारागत मन्त्रात उन्हें काव्यास्वादत की शमता प्रदान करते हैं। काव्य-कृति की व्यजकता और काव्य-रसिकों की सुपावता का संयोग रसास्वाद-यिताओं और मूल पात्रों में एक प्रकार का तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करा देता है जिसके कारण सामाजिकों को रत्यादि वासनाओं और नायकों के रत्यादि भावों का साधारणीकरण हो जाता है। सच तो यह है कि काव्य और नाट्य के साधारणीकरण व्यापार से सामाजिकों की मनोवृत्ति में समुद्रसंतरण आदि के प्रति उत्पादादि हृष 'महाभाव' उद्बुद्ध हो जाता है, जिसके कारण वे रसानुभूति करने में समर्थ होते हैं। यदि रत्यादि भावनाओं का साधारणीकरण न हो तो बहुत सम्भव है, सभ्य सामाजिक उनकी स्वात्मगत प्रतीति में त्रीडा अथवा आतंक

आदि का अनुभव बरते सर्वे और उनकी परगत प्रतीति उनके मन में उदासीनता वयवा अरस्तता ने भाव उद्भूत बर दे। वस्तुतः वाच्य और नाट्य से अभिव्यक्त रत्यादि भाव न तो स्वगत ही माने जा सकते हैं और न परगत ही। स्वगत मानने में सबसे बड़ी वाद्या तो यह आती है कि सामाजिकों के मन में रत्यादि वासनाओं के प्रति एवं प्रकार वा सम्मोह सा हो जाता है और वे ऐसी कुट्टता और स्वार्थपरता में सलिल हो जाते हैं जिसके पलस्त्रूप उनके मानस में अपने जानन्द के अपगम के प्रति भीरता, परिरक्षण वे लिये व्यगता तथा डसने अधिक वी उपनिधि के लिये आकुलता उत्पन्न होना सहज स्वाभाविक है जिसके बारण रम वी निष्पत्ति नहीं हो सकती। यदि रत्यादि भावों को परगत मान लिया जाय तो भी रसाम्बाद के मार्ग में बठिनाई आती है क्योंकि रत्यादि भावों को नायवादिगत मानने से सामाजिक वा चित्त रागद्वेषाभिभूत हो सकता है, जिसने बारण वाच्यास्वाद के बानन्द में वाद्या उपस्थित होने वी सहज सम्भावना है।

वाच्य अथवा नाट्य में वर्णित अथवा अभिनीत रत्यादि भावों के साधारणों-दरण का सर्वप्रथम प्रभाव सहदय सामाजिकों की चित्तवृत्ति पर पड़ता है। उसके बारण उन्हें इस बात का अनुभव होने लगता है कि वाच्य अथवा नाट्य में वर्णित वस्तुएँ अथवा विषय न तो स्वगत कहे जा सकते हैं और न परगत ही। विभावादि वा माधारणोंबारण होने पर उन्हें ऐसी अनुभूति का आभास होने लगता है कि वाच्य अथवा नाट्य में वर्णित वस्तुओं पर न तो वर्णित पात्रों अथवा अनुवायों का अधिकार ही निष्पत्ति किया जा सकता है और न यह भी कहा जा सकता है कि उन पर उनका अधिकार ही नहीं है। साथ ही माय वे यह भी निश्चय नहीं कर पाते कि उन वस्तुओं के वर्णनाभिनय से उनका भी कोई मम्बन्ध है अथवा नहीं। वस्तुतः साधारणोंबारण की स्थिति में सहदय-सामाजिकों वी मनोदग्गा विचित्र और लोकोत्तर सी हो जाती है, जिसके बारण वाच्य-वर्णित वस्तुएँ स्वगत तथा परगत की भेदभावना में विनिर्मूलन होकर सर्वसामान्योदृत अधिकार की वस्तुएँ बन जाती हैं। उस समय वाच्य अथवा नाट्यापित वस्तुओं वे प्रति प्रभाना वे हृदय में साधारणोंबारण वा भाव परिपुष्ट होकर उने रसाम्ब अनुभूति बराने में गम्भीर हो जाता है। विन्यताय यह मत है कि लोकगत रत्यादि भावों के बारण वायं और महत्वारी तत्व वे वाच्य अथवा नाट्य के शीत्र में अदतीयं होते हैं तो वे विभावन, अनुभावन तथा व्यभिचरण वा लोकोत्तर व्यापार आरम्भ कर देते हैं, जिसके बारण उनका अलौकिकत्व नियोगी भी प्रकार वा कोई दोष न होकर युल ही समझा जाता है। वस्तुतः 'विभावन' वो वाच्य अथवा नाट्य का ऐसा व्यापार माना जा गता है

जिसमें इस वात की शरिन अतनिहीन है कि वह सामाजिक के हृदय में अवस्थित रत्यादि वासनाओं को विशेष रूप से आस्वादातुरण का सामर्थ्य प्रदान कर सके। काव्य का 'अनुभावन व्यापार' अकुरित रत्यादि वासनाओं को तत्काल ही रसादिहृषि में पतलवित कर देता है तो व्यभिचरण-व्यापार विभावन से अंकुरित तथा अनुभावन से पतलवित रत्यादि वासनाओं को सम्यक् रूप से पुष्ट बनाया करता है। इम प्रकार लौकिक दृष्टि से जिन्हें कारण, कार्य और सहकारी कहा जाता है, वे रसोद्वीष की दृष्टि से विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव का रूप धारण कर अपने समस्त सवासित रूप में 'कारण' बन जाते हैं। चूंकि रसास्वाद की वेला में ममत्व और परत्व की कोई भावना नहीं होती, अतः विभाव आदि तीनों व्यापार पूयक-पूष्टक रूप से रसाभिव्यक्ति न करते हुए व्यंजना नामक एक ही शक्ति में इस प्रकार सवलित हो जाते हैं कि उसके कारण प्रथमक रस की भौति अपूर्व प्रकार की आनन्दानुभूति होने लगती है।

रसास्वाद का धैर्यसक्षम्य

विद्वानों ने जिस आनन्दाकार चित्तवृत्ति को रसचर्चणा कहा है वह शब्द के व्यंजना-व्यापार से उत्पन्न होने के कारण 'शब्दबोधरूपा' है तथा अपरोक्ष सुख के आलम्बन के कारण 'प्रत्यक्षरूप' है। नैयायिकों ने शब्दबोध की गणना परोक्ष ज्ञान में करते हुए प्रत्यक्षबोध के साथ उसका अतिरिक्त निरूपित किया है, किन्तु वेदातियों ने 'तत्त्वमनि' जैसे सुप्रसिद्ध श्रुतिवाक्यों के आधार पर जीव और ब्रह्म में ऐस्य बुद्धि मानकर उस बुद्धि को शब्दजन्य होने के कारण 'शब्द' तथा अपरोक्ष वहृषिपयक होने ने 'प्रत्यक्षरूप' माना है, जिसके आधार पर तत्त्वदर्शी काव्यशास्त्रियों ने भी रसचर्चणा को 'शब्द' तथा 'प्रत्यक्ष' दोनों रूपों में स्वीकार किया है। इम प्रकार की रसविपयक मान्यता का समर्थन अभिनवगुप्त तथा मम्मट आदि आचार्यों की विवेचना से भी किया जा सकता है।

यो तो काव्यास्वादन का आनन्द 'ब्रह्मानन्द से भिन्न' तथा सौकिक कारणों से उत्पन्न होने के कारण 'चित्तवृत्तिविशेषात्मकलौकिक आनन्द' रूप ही है, किन्तु उसे स्फूर्ति और चंदनादि उपभोगजन्य लौकिक सुखों से वितक्षण ही समझना चाहिए। इसका कारण यह है कि अत्य लौकिक सुख 'अंतकरण की वृत्तियों से युक्त चंतन्य स्वरूप' होने हैं जब कि रसरूप काव्यानन्द अतः करण की वृत्तियों से युक्त चंतन्यस्वरूप न होकर शुद्ध चंतन्य स्वरूप है और उस आनन्द की अनुभूति के समय ग्रन्थाता की चित्तवृत्ति आनन्दरूप में ही परिणत हो जाती है। उस चित्तवृत्ति को रसात्मक आनन्द की अनुभूति का अवश्लेषक या इपत्ताप्राहक धर्म भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह आनन्द अनवच्छिन्न और द्वयतारहित होने

वे कारण सोनिक मुयो को जंगला विनष्टण होता है। बाल्यानन्द की इसी विलम्बनता को ध्यान में रख कर सम्मट तथा अभिनवगुप्त आदि आचार्यों ने भगवावरणचिद्विशिष्ट इत्यादि स्थायिभावों को ही 'रम' कहा है। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि चैत्रविषयपीमूल रत्नादि दो रमन मान कर ऐसे आवरणमुक्त शृङ्खलेन्द्रिय को ही 'रस' मानता चाहिए जिसने विषय रत्नादि स्थायिभाव हो। ऐसा मानने में 'रमो वै म' रत्नादि श्रुतिवाक्यों का भी विरोध नहीं हो सकेगा।

आचार्यों का मत है कि राष्ट्र-रस वा बाल्यादिन अनुमिति अथवा स्मृति द्वारा भी नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि रसादित्प्रध्यायार्थे अनुमेद हैं जिनमें जिसने भी हेतु उपमिति किये जाते हैं वे मद्देतु न होकर हेत्वाभासमान हैं। चूंकि रस वा स्वप्न साक्षात्कारभूमत होता है, जहाँ उस पूर्वानुभव का यस्कार प्रबोधस्थ प्रस्तरण भी नहीं कहा जा सकता। चम्पुन साक्षात्कार और स्वत्वात्प्रबोध में जा अन्तर है, वही अन्तर रसभान्तरामार इस तथा रत्नादि की स्मृति भी है। इन प्रकार वी मान्यता रघ्नने वाले विद्वानों ने व्यक्ति विवेकार आचार्य महिमभृत जी उस मान्यता पा व्यष्टिन किया है जिसने अनुमार रमादि की प्रतीति एवं प्रकारकी अनुमिति ही है। इन विद्वानों का मत है कि रसानुमिति और रमाभिव्यक्ति की एक ही घट्तु निष्ठा नहीं किया जा सकता वर्णकि वे वल अनुमान द्वारा स्वप्नवायानद्वारा स्वरूप और सदृशपूर्वदयमवेद रम वी मिठि सभव नहीं है। यच तो यह है कि रस-प्रतीति वा निर्तिद अनुमान प्रतिपादा से करने पर हेतु में व्यभिचार हो जाता है जिसमें 'व्याप्तिप्रह' की सम्भावना नहीं रहती तथा हेतु की सिद्धि भी नहीं होती। बाल्यादिन रत्नादि की प्रतीति और रम व्यवहा राष्ट्रादिन वी वगत्वाशतमव अनुमूर्ति में 'यत्र धूमस्त्र तत्र पहिन' नदृश व्याप्ति ही नहीं होती। राष्ट्र और नाट्य वे ऐसे अनेक पाठ्य और प्रेक्षण (मीमांसक और वेदाकरण आदि) होते हैं जिन्हें राष्ट्र-नाट्य-नामर्पित विभादिति वी प्रतीति से रामादिगत रत्नादि की प्रतीति तो अवश्य होती है, किन्तु रमात्मक चम्पन्द्रार नहीं मिलता। महूपहृदय-सदेय रम वी मिठि में रामादिगत रत्नादि की प्रतीति जो भी हेतु नहीं माना जा सकता वर्णकि वही न तो कि भी प्रकार की व्याप्ति का निश्चय सम्भव है और न उसमें पश्चात्ति ही निर्धारित है। यम्पुन वही तो वैयन हेत्वाभास है। अनुमितवादी आचार्यों ने जिस अनुमान-प्रतिपादा वा व्याप्ति लेवर रमानुमिति दो मिठ्ठा वर्णन का प्रयत्न किया है, वह मुश्किलगत नहीं है। चूंकि रामादिगत रत्नादि माव वी प्रतीति में 'मदूरपूर्वदयमवेद्य सान्द्रानन्द निर्धरण' जो हेतुना नहीं रहा करती, वह रम नामक पश्चार्थ अनुमेद न होनेर एकात्मः अभिव्याप्त

अथवा रमनीय काव्यर्थ होता है। इतना ही नहीं, व्यजनादादियों की दृष्टि में तो वस्तु अथवा अलकाररूप प्रतीयमान अर्थ भी अनुमेय नहीं होता अपितु अभिव्यंग ही होता है।

आस्वाद्यता के आत्मोक्ष में 'महारस' की अनुभूति

आस्वाद्यता अथवा रसन्वर्णण रम का भेदक लक्षण है। उसके कारण रस की प्रतीति अन्य प्रतीतियों से मिल होती है। आस्वाद्यमानता अथवा चर्वणामक्ता की दृष्टि से सभी रस तथा भाव एक ही हैं जिन्हे अभिनवगुप्त ने 'सामान्य रस' अथवा 'महारस' की गजा दी है। शृंगारादि रस उस महारस के 'विशेष निष्पद' कहे जा सकते हैं। एक ही 'महारस' के ये विशेष भेद विभावानुभावों के मयोग-विशेष के कारण होते हैं, किन्तु विभावानुभावादि का सर्वोग केवल निरपेक्ष नहीं होता। लोकिक दृष्टि से उसे किसी सचारी अथवा स्थायी भाव का अभिव्यजक होता ही चाहिए, जिसके अनुरूप सामान्य रस के भाव तथा 'विशेष रस' संज्ञा दो भेद किये जाते हैं। भावों में उदय, सधि, शाति और शबलता आदि अवस्थाविशेषों के कारण जब 'चर्वणाव्यापार गोचरशाव' आस्वाद्य बनते हैं तो उनके अनुरूप भावोदय, भावसंधि, भाव-शाति और भाव-शबलता आदि भेदों की सृष्टि होती है। इसी प्रकार विशेष रसों में जहाँ रति, उत्साह, शोक और हास आदि स्थायी भाव आस्वाद्य होते हैं तो उनके अनुरूप शृंगार, वीर, करण और हास्य आदि विशेष रस निष्पन्न होते हैं। जहाँ स्थायी भाव आस्वाद्य होता है वहाँ अभिव्याहारी भावों की निरपेक्ष आस्वाद्यता नहीं रहती। स्थायी भावों की आस्वाद्यता में रसात्मनि होती है, किन्तु जहाँ अभिव्याहारी भाव स्वतन्त्र रूप से आस्वाद्य रहता है, वहाँ भावश्वति होती है। भावश्वति के अधिक स्थल मुकुतक काव्य में रहते हैं जहाँ अभिव्याहारी भाव भी निरपेक्ष रूप में आस्वाद्य हो सकता है। मुकुतक द्वारा रसास्वादन प्राप्त करने के लिए काव्य-भावक में विशेष प्रकार की योग्यता बाढ़नीय है जिसका कारण यह है कि उसमें सामान्यता, भाव-प्रतीति स्वतन्त्र रूप से आस्वाद्य होती है तथा विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का भी पूर्ण वर्णन नहीं रहता। उसमें कही तो विभावों का प्रायान्त्रि रहता है और कही अनुभावों का। ऐसी स्थिति में मुकुतक काव्य के आस्वादिता को अनेक बार पूर्वापर संदर्भों की परिकल्पना करते हुए कवि द्वारा अकथित किन्तु आस्वाद के लिए भावश्यक अर्थों का सयोग करना पड़ता है जिनकी निष्पन्नता में ही उसे रम-प्रत्यय हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि नाट्य अथवा प्रबन्ध काव्यों में इस प्रकार की परिकल्पना का प्रयत्न अपेक्षित नहीं होता, क्योंकि नाट्य में तो रसनिष्पत्ति के प्रत्यक्ष अवसर रहते हैं तथा प्रबन्ध काव्यों में भी विभावानुभावों का समुचित

सरोवर होने पर नाट्य के समान ही रसोन्वर्ण की प्रत्यक्षित वस्त्रा दी जा सकती है। मुकुल काला की म्यात्रि उनमें दुष्प्रभिन्न है जिसका निरंतर उपयोग कर पक्काये में बिया जा चुका है। साराज्ञ यह है कि भाद्र, प्रदूष और मुकुल क्यादि सभी पवार के बाज्या में 'रमना-रमापार गोचरता' अथवा 'अस्वादता' सतत धर्म में जनुन्मृत रहते हैं जिन्हे तात्त्विक लक्षण इनमें अद्वितीय रहते हुए जनि-नदमुक्त ने उचित ही कहा है कि उस और भाद्रादि सभी प्रश्नार के काल्पार्थ एवं ही 'महारस' के निदर्शन हैं।

4

काव्य-रस का अधिष्ठान

काव्य-रस के आस्वादन को प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि उससे उपलब्ध आनंद का मूल स्थान कहीं पाना जाए ? इस प्रश्न का सम्बन्ध रस-निष्पत्ति के साथ अनिवार्यत जुड़ा हुआ है और सभी आचार्यों ने यामति एतद्विषयक विमर्श भी किया है जिससे अनेक प्रकार की ढलेयनीय उपलब्धियाँ होती हैं ।

भारतीय काव्यशास्त्र के अनुशीलन से प्रकट है कि अद्यावधि उपलब्ध शोध-सामग्री के अनुमार सर्वप्रथम इम प्रश्न की ओर भरतमुनि का ध्यान आकृष्ट हुआ था । उन्होंने नाट्यशास्त्र की विवेचना करते हुए रस का स्थान 'नाट्य' में निर्धारित किया और बतलाया कि जब रगमंच पर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावों का संयोग स्थायिभाव के माध्य होता है तो रस की निष्पत्ति होती है । उनकी मान्यता के अनुमार रम को स्थिति विषयणत है और भाट्य ही उसका आधार है क्योंकि वही पर रम की मौसिद्दि होती है । उनके मत्रनुमार रम आस्वाद है क्योंकि उसका आस्वादन कर सहृदयजन आत्मविश्वाति प्राप्त करते हैं ।

नाट्य के साथ-साथ काव्य भी रस का अधिष्ठान है

भरतमुनि ने मुख्यतः नाट्य में ही रम का स्थान पाना था, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि नाटकवत् प्रतीत होने वाले काव्य में रस नहीं होता । आचार्य भट्ट तौत का अभिमत है कि काव्यार्थ के विषय में भावना के बल से प्रत्यक्षकल्प संवेदना के उत्पन्न होने पर काव्य में भी रस का उदय हो जाता है । उन्होंने अपने सुप्रसिद्द मन्त्र 'काव्य-कौतुक' में लिखा है कि उन सर्वदृढ़ काव्यों से भी रस का आस्वादन सम्भव है जो प्रयोग अथवा अधिनय को समाप्तन न कर सके । वस्तुतः वर्णन-शैली के विस्तार तथा प्रोट्रिव के कारण मुङ्गुरूप में अंकित किये गये उद्घान, काला और चन्द्र आदि विभाव प्रत्यक्षवत् ही प्रस्फुटित होते हैं जिनकी रस-चर्चणा असंदिग्ध है । आचार्यों का कहना है कि सर्वदृढ़ काव्य में भी गुण और अलकारो के सौन्दर्यातिशयपूर्ण के द्वारा रस की चर्चणा होती है । इस

विषय में आचार्य अभिनवगुप्त वा मत है कि, 'वाच्य भी मुद्यत-दशल्पकात्मक ही होता है वराकि उसम उचित भाषा वृनि, वाकु एव नेपथ्य आदि द्वारा रस-वत्ता का पूर्णता ग्राहन होनी है।' इस प्रतीत होता है कि अभिगप्तगुप्त ने यह मे नाट्य के प्रति विशेष धार्ह या दिक्षब वारण वे उसे अन्य काव्यों की अपेक्षा उच्चतर गुरुता प्रदान करते रहे। उन्हान लिखा है कि सर्ववध आदि से युक्त महावाच्य ।म नापिका आदि स्त्री पात्र भी सहृदृत भाषा जा प्रयोग परते हैं बिना अन्य प्रदार वा अनोनित रथान् रमण वा वारण उपस्थित हो जाता है। यहुनु इस विषय म व आचार्य वामन वी विचारधारा के समर्थन हैं तभी तो उन्हान महावाच्या और मुकुन्द वाच्या व अभिव्यक्तन-मौद्यम् वी प्रशसा चरते हुए भी उन्ह दशल्पकार की अपेक्षा हीन बोटि दर स्वीकार किया है। उनके मतानुसार 'दद्यन्तवाद व तारतम्य वी अपेक्षा स नाटक के श्रोता तथा प्रतिपत्ता की आत्मस्फुरणा या भग्नभूति उक्त रसुट तथा जग्मुट आदि भेदा से अत्यन्त विविध प्रदार की होती है।' इस प्रमाण म हम उक्त अभिगत वा वह अस उद्यूत करना चाहते हैं जिनम उन्होन यताया है कि नाट्यशास्त्र सहृदय और अग्रहृदय दाना वा उपकारक है और नाट्य म ही रस होता है, लोक में नहीं। यहुना नाट्य व प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यन्त उदार है, तभी तो वे वाच्य को भी गच्छगादि से अहित नाट्य ही मानते हैं। उनका प्रयत्न है—

'तप य स्यमावतो निर्मलमुकुरहृदयागत एव नमारेचितकोऽधमोहृषिताप-परवशमनगो न भवति। तपा तपाविद्यदद्यन्तपवावर्णन्तपमय साधारणरगनात्यव-चर्वनप्राहुदा रसचया नाट्यनश्च रसुट एव। ये तु तपाभूतात्तेया प्रायसोचित-तपाविद्यचर्वनाताभाय नदादिप्रक्रिया स्वगत प्राप्यसोवद, दिसवटहृदयप्रयिमञ्जनाय शोतादिप्रक्रिया च मुकिना विद्यता। सरवन्तुप्राहुक हि शास्त्रमिति न्यायात्। तेन नाट्य एव रसा न लाभ इत्यर्थं। वाच्य च नाट्यमव।'"¹

परवती आचार्यों के अभिभव

भरत ने परवती आचार्यों न यद्यपि रस निष्पत्ति और रम-स्थान वा विमर्श परते हुए भरतमुक्ति की मूल पृष्ठभूमि वा परित्याग नहीं दिया, तपापि उनका विवरण नाट्य के न्याय पर वाच्य को अपना माध्यम बनाकर व्यक्त कूआ। इन आचार्यों न वाच्य को नाट्यर्थमय वह भर रग वी शिविति वाच्य के शब्दों और अर्थों म भानी और उसका सम्बन्ध वाच्यानकरा से भी उपनिषद् वर दिया। इन आचार्यों वी प्रारम्भिक योगी मे आचार्य भामह और दण्डी आदि वी गणना की जा सकती है, जिन्होंने अन्वकारवाद के प्राप्तान्य से रस को भील सज्जा प्रदान

1. आचार्य अभिनवगुप्त : अभिनवमारती : पृष्ठ 505

की और उसे 'रसवद्' अलंकार के रूप में ही विवेचित करना युक्तिसंगत समझा। ऐसे आधारों के मतानुसार शब्दार्थमय काव्य ही रस का स्थान है, जिसका आस्वादन कर सहृदय प्रभाता 'प्रीति' अथवा आनंद की अनुभूति करते हैं।

भारतीय काव्यशास्त्र की विकासोन्मुख परम्परा में यह एक अत्यन्त उल्लेखनीय विषय है कि ज्यो-ज्यो महीं वे साहित्य-ज्ञान की सर्जना और चर्चणा में भारतीय मनोविदों की मेधागतिक अधिकाधिक काव्योन्मुख होती गई, त्यो-त्यो रस-निष्पत्ति और रस-स्थान के तात्त्विक विवेचन का विषय भी अधिकाधिक गम्भीर और महत्वपूर्ण बनता गया। इस विषय में आचार्य भट्ट सोल्लट, भट्टशकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त और पद्मितराज जगन्नाथ के मत विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं जिन्होंने नाट्य विवेचित रस-विमर्श को विभिन्न दर्शनों के परिप्रेक्ष्य में निष्पत्ति कर उनका स्थान निर्धारित किया है। इन मतों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय मत आचार्य लोल्लट का है जो अनुकार्य में रस की स्थिति स्वीकार करते हुए इस भिद्दान्त की स्थापना करते हैं कि रामादि मूल-पात्र ही रम के आस्वादिति हैं जिनका गौण रूप से अभियान कर नटादि अनुकर्ता भी आस्वाद लेते हैं। उनके मत से महृदय सामाजिक रम की अनुभूति तो नहीं करता, रग-त्पक्षि निष्पत्ति का साधात्कार कर चमत्कार का अनुभव अवश्य करता है। लोल्लट का मत मूलतः 'मीमांसा' दर्शन पर आधारित है और उनके विचार से निष्पत्ति का अर्थ 'उत्पत्ति' तथा 'संयोग' का अर्थ 'उत्पाद्य-उत्पादक सम्बन्ध' है। उनके मत का जो नवीन विमर्श हुआ है उसके अनुभार मयोग का अर्थ 'उपचेष-उपचायक सम्बन्ध' तथा 'उत्पत्ति' का अर्थ 'उपचिति' करना अधिक युक्तिसंगत माना जाता है। लोल्लट के मत का मारात्मक इतना ही है कि रस का वास्तविक स्थान अनुकार्य अथवा मूल पात्र का हृदय है जिसका गौण रूप से नट के चित्त में आरोप होने के कारण तज्जन्य चमत्कार से भ्रह्मदय के चित्त में भी उसकी कलात्मक प्रतीति होती है।

भट्ट लोल्लट ने रस की स्थिति अथवा उसके अधिष्ठान का जो विभर्ण किया है, उसका व्यावहारिक पथ अतेक दृष्टियों से अपूर्ण है जिसकी विसंगतियों का अनुभव कर आचार्य शकुकः अपनी नवीन स्थापना प्रस्तुत की है। शकुक का प्रतिपादन न्यायदर्शन पर आधारित है तथा वे 'निष्पत्ति' का अर्थ 'अनुभिति' तथा संयोग का अर्थ 'अनुभाप्य-अनुभापक-सम्बन्ध' करते हैं। उनके दर्शन को बीदों की न्यायमीमांसा की आधारशिला पर विवेचित करते हुए नवीन आधारों ने 'निष्पत्ति' का अर्थ 'अनुहृति' तथा संयोग का अर्थ 'अनुकार्य-अनुकारक सम्बन्ध' के साथ संयोजित कर रस स्थिति का निर्धारण करने का प्रयास किया है। शकुक

या वर्थन है कि जब रामादि मूल पात्रों का अस्तित्व ही नहीं है तो उनके द्वारा अनुमूल रम की सत्ता बत्तमान में कौरों सभव है? ऐसी स्थिति में वे अनुकूल स्थायिभाव को ही रम की मज्जा प्रदान कर यह निष्पर्यं निकालते हैं कि जब नटादि अनुरार्था अपने भौशरा एवं अभ्यास द्वारा स्थायिभाव का सफल अनुबरण करते हैं तो सहदृश्य प्रेदेश उनके द्वारा अनुकार्यं के स्थायिभाव का अनुमान कर रससिद्धि कर लेते हैं। इस मत के अनुमार नट द्वारा रस का बत्ता अधिका स्थायिभाव का अनुरार्था अवश्य कहा जा सकता है, किन्तु उसका आस्वादादिता अथवा अनुभवतर्ता नहीं। चास्त्रश में नट का कार्यं अथवा अभिनय ही रम का स्थान है जिसका अनुमान सहदृश्य मामाजिक अपने रागात्मक मस्कार तथा नटादिनयं-पौण्डत द्वारा करता है। शृङ्खुल का यह अभिनव भरतमूर्ति की मान्यता का एवं प्रवार का पुनराळ्यान है जिसमें अभिनय पर विशेष वल दिया गया है जबकि भरत मूर्ति के अनुसार रस की रिहिं मध्यिक-क्रम और नट-क्रम में समन्वय पा अधिक आप्रह है। इस मत के अनुसार भी रम आस्वाद न होकर आस्वाद्य, तथा विषयिगत न होकर विषयिगत है, यत पि उसके लिए प्रयुक्त 'अनुमान' पद से उत्तरो विषयिगत स्थिति का भी घूमित आगारा अवश्य गिल जाता है।

प्रत्यक्ष की धारणा

रसास्वाद और उसके भोक्ता के विषय में दशहस्त्रार धनजय का हास्प्ट मत है कि 'अपम स्वातत्त्वे' कारण ही स्थायिभाव रम बनता है और वह रसिव में ही विद्यमान् रहता है, अनुकार्यं ग नहीं, यथाति रसिव की सत्ता ही विद्यमान सत्ता होती है। अनुकार्यं तो वेवल वृत्त है जो भूतवात् में वत्तमान था अतः उसमें रस की स्थिति मानना उचित नहीं है।¹ इस प्रवार धनजय के विचार से 'वाच्य अनुवायंपरव न होकर रसिव परव होता है पर्योक्ति रसिव वत्तमान है। रस की प्रतीक्षि लोकिक दर्शन को ही हो सकती है जो 'स्वरमयी सदुक्त' है और जो प्रसगागत त्रीढा, ईर्ष्या, राग और द्वेष आदि सचारियों का दर्शन करता है। भतः रम अनुकार्यवत्तों न होकर दर्शनक्वतों ही होता है।²

धनजय के मत का सपाठीकरण करते हुए यह कहा जा सकता है कि उन्होंने शायार्थोणम्भावित रति आदि म्यायी भावों को रसिवत्तों माना है क्योंकि रसिव जन हो 'निभंर आनद' की सवित्ति के आम्चायम्भास्प रम की प्रतीक्षि करते हैं। रस की अनुकार्यवत्तों मानने पर यह प्रश्न सहज भाव से उत्तरन्न होता है कि

1. दशहस्त्रम् 4/38

2. वही 4/39

जब रामादि अनुकार्य भूतकाल में विद्यमान थे तो उनमें वर्तमानकालीन काव्य की आव्याधमानता का रूप कैसे भाना जा सकता है? यदि यह इह जाए कि शब्दो-पहित रूप से 'अवतंगान का भी वर्तमान के समान अवभास' हो सकता है तो भी हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उम अवभास का अनुभव काव्यरसिक सहृदयवत ही करते हैं, अतः हमारे आस्वाद के विभाव के रूप में रामादि अनुकार्यों का वर्तमानवत् अवभास ही इष्ट है। सच तो यह है कि कवि द्वारा काव्य का प्रबन्धन रामादि पाठों के हृदय में रसोवज्रन के हेतु नहीं किया जाता अपितु वह महर्षयों के आनंद के लिए किया जाता है, अत यही कहना समीचीन है कि काव्य-रा सदैव 'ममस्त-भावक-स्वगवेता' होता है। यदि यह भाना जाए कि शृंगारादि रसों की निष्पत्ति रामादि अनुकार्यों में ही होनी है तो उनका अभिनव देखकर प्रेक्षकों को केवल यही ग्रनीति होगी कि स्वकातासयुक्त नायकादि ही शृंगारपान हैं और उस परिस्थिति में उनमें रस का आस्वादन न होकर केवल सज्जा, असूया और अनुराग के अपहार की इच्छा उत्पन्न होगी जिससे रसादि की व्यंग्यता बरसत हो जायगी। अतः धनञ्जय के मत से भी यही भाना समुचित है कि रस विभावादि के द्वारा प्रेक्षक अथवा सहृदय में ही भावित होते हैं।

भट्ट नायक और अभिनवगुल्म के विचार

रस की स्थिति अथवा उसका स्थान निर्धारित करने के प्रसंग में किये गए तत्त्व-विवरण में आचार्य भट्ट नायक का मत विजेता; उल्लेखनीय है योकि प्राप्त सामग्री के आधार पर सर्वप्रथम उन्होंने ही रस का स्थान सहृदय के चित्र को निर्धारित किया था। उनके विचारों का मूल सूच इतना ही है कि जब सहृदय का स्थायिभाव साधारणीकृत विभावादि द्वारा भावित होता है तो वही रस जन जाता है। उनका मत साक्ष दर्शन पर आधारित कहा जाता है जिसके अनुसार 'निष्पत्ति' का अर्थ 'नुकित' तथा संयोग का अर्थ 'भोज्य-भोजक सम्बन्ध' है। नवीन विचारकों ने उसका विश्लेषण मीमांसा अथवा 'र्णवाद्वैतवाद' के आधार पर करते हुए निष्पत्ति का अर्थ 'भाविति' तथा संयोग का अर्थ 'भाव्यभावक सम्बन्ध' किया है। भट्ट नायक की मान्यता का मूल अभिप्राय यह है कि काव्य में भावकल्प व्यापार द्वारा सहृदय के चित्र में सत्त्वगुण का प्राधान्य और सत्त्वेतर गुणों का सांघ हो जाता है जिसके कारण वे व्यक्तिगत सबधों से मुक्त होकर ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जो ऐश्विय विकारों से रहित होने के कारण उन्हें रस का भावन करती है। वरलुतः सहृदयों के भावित हृदय के स्थायिभाव की परिणति ही रम-रूप में होती है जिसके कारण वे आनंदमय विश्वाति का अनुभव सा करने लगते हैं तथा उम अनुभूति में भोजकत्व शक्ति का भी संपौर्ण रहता है जिसके द्वारा 'रस-भोग' की सिद्धि होती है।

रस की स्थिति निर्धारित करने में सर्वाधिक प्रामाणिक मत आचार्य अभिनवगुप्त का भाला जाता है जिसके अनुसार तत्त्वतः रस आस्त्राय न होकर आरबाद-रूप है जिसे व्यावहारिक दृष्टि से भले ही आस्त्राय कह दिया जाय। उन्होंने रस का 'रत्यादिविशिष्ट सापाधिक बातमानद' वी मत्ता प्रदान कर उसका स्थान सहृदय का चिन्ह या आत्मा याना है। यद्यपि अभिनवगुप्त के मत में भरत मूर्ति के प्रति अधार आस्त्रा है और वे मुनि-चेतन को प्रभाव लाने कर ही चले हैं तथापि उन्होंने उस विवेचन को जो तात्त्विक रूपरूप प्रदान किया है, वह निष्ठय ही उनकी प्रतिमा का परिचायक है। या तो उनका मत देवातन्त्रशंख पर आधारित पहा जाता है, किंतु गम्भीर दृष्टि से विवेचन करने पर उसका मूल आधार 'शंखाद्वय' ही तिद्द होता है जिसके अनुसार 'निर्णति' का अर्थ 'अभिव्यक्ति' और मदोग का अर्थ 'व्यवव्यवर्जन संवध' है। वहने की आवश्यकता नहीं कि अभिनवगुप्त ने जिस दार्शनिक प्रतिपत्ति द्वारा रस-गीणाना वी है उसे शावर देवाने के साथ सम्पोजित कर पड़ित राज जगन्नाथ ने उसे नकोन ही परिषद्ध घोषण करने का उपक्रम किया है जिसके अनुसार वे 'भग्नावरणचिदिशिष्टो रत्यादि' अर्थात् अज्ञानहृषि आवरण में मुकुल शुद्ध चैतन्य के विषयमत रत्यादि स्पादी भाव को ही 'रस' न मान कर 'रत्यादवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रस' अर्थात् रति वदि स्पादी भाव में विशिष्ट आवरणमुकुल शुद्ध चैतन्य को ही 'रस' वी तत्त्व प्रदान वग्ना मवंतोभारेन ममुचित ममक्षने हैं। अभिग्राय यह है कि भारतीय वाच्य-शास्त्र में रस का स्पान अथवा उत्तरी स्थिति का निर्णयण करने के अनेक सूक्ष्मप्रयत्न हूए हैं जिनकी मूर्मिका में भारतीय विनां और ज्ञान वी विरतन और अखण्ड परम्परा का मुविशाल और गणान् इनिहास मुरक्षित है।

रस के अधिकान का व्यावहारिक पक्ष

प्रस्तु होता है कि रस अथवा काम्यानन्द के विषय तथा भ्यान के विवेचन में भारतीय आचार्यों ने जो ऊर्ध्वोह विए हैं, उनका हमारे जीवन के व्यवहारिक पक्ष से क्या सम्बन्ध है? क्या रस का स्थान एकान्तक विषयगत है अथवा विषयविगत? क्या पोर्टेंगो स्थान भी है जहाँ इग प्रसार वी मात्यताज्जी वा समीकरण ही जाता है? रस अथवा काम्यानन्द का मिदान व्या भारतीय जीवन तथा दर्शन पर ही स्थित है अथवा उसे विश्वजनीन साय दे रस में भी स्वीकार किया जा सकता है? उस सिद्धान्त में व्या ऐसे तात्पौर्य वा भी मन्त्रिन हैं जो आधुनिक मनोविज्ञान में गुम्बुद ज्ञान वी परम्परा में अधिकृत होइर हमं नवीत दृष्टि दे सकते हैं अथवा दे प्रामाण निष्पत्ति और देशान्तर वी सीमाओं में आबद्ध होकर ही काम्यानन्द वी विवेचना परते हैं? इगी प्रवार वे अनेक प्रस्तु आधुनिक विचारक तथा साहियानुशीलन के सम्मुख उपस्थिति होते हैं जिनका

विगंग किए बिना रस-सिद्धान्त को सर्वेषा मुशाहू रखीकार करते में अनेक विद्वानों को आपत्ति है। इस सिद्धान्त को पूर्वाप्रहृदयित कर ऐसी अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया गया है जो तात्त्विक दृष्टि से अपना कोई महत्वपूर्ण अस्तित्व नहीं रखती। उन समस्याओं के विवेचन तथा समाधान का विश्लेषण करना प्रस्तुत निवाच का मूल प्रतिपादा विषय नहीं है। अत यहाँ तो हम केवल दत्तना उल्लेख करता ही आवश्यक भास्तुते हैं कि काव्यास्वादन की प्रक्रिया तत्त्वत भारतीय रस-सिद्धान्त की भूमिका में ही समीक्षित होकर ही ऐसी तथ्योपलब्धि करा सकती है जिसके द्वारा देशभास्तावचिछन्न साहित्य-भास्तुन का गुणद आस्ताव निरूपित किया जा सके। यहाँ हम सधों में उक्त सिद्धान्त की उपलब्धि का सारभूत उल्लेख करते हुए रस के अधिवाग का प्रश्न व्यवहारिक दृष्टि से स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं।

हृति, कर्त्ता और भावक की संस्तिष्ठ विशेष

काव्यास्वाद की प्रक्रिया में काव्यकृति एवम् काव्य-सर्जक का महत्व विशेष है अथवा काव्यास्वादयिता का, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका यथेष्ट सम्बन्ध हमारे विवेच्य विषय से भी है। इस प्रश्न का उत्तर देते रामय हमारे सम्मुख तीन पथ आते हैं जिन्हें हम काव्यकार, काव्यकृति और काव्य-भावक के पक्ष कह सकते हैं। इन तीनों पथों का रहस्य समझे बिना काव्य-रस के आस्तादन और अधिष्ठान का विषय मुम्पट किया ही नहीं जा सकता। काव्यकार अथवा काव्य का सम्प्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी कृति के रूप में अपनी अनुभूति को स्वसंवेदा बनाकर उपस्थित करता है जिससे काव्य का आस्तादयिता भी उसी की भूमिका में रसप्रहृण करता है। काव्यकार और उसकी कृति के साथ-साथ काव्य के आस्तादयिता में कौन-कौन से गुण होने चाहिए उनका विवेचन करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। बस्तुतः काव्यास्वाद की विवेचना में उपर्युक्त तीनों पथों का सारेक्षण महत्व है और एक ऐसा स्थल भी आता है जहाँ तीनों की तादात्म्यपरक भाव-समधित भी हो जाती है। काव्य की रसात्मकता तभी सार्थक है जब उसकी सर्जना में ऐसे भाव-रूप प्रकाशित किए जायें जो शब्दार्थ के माध्यम से व्यजित सौन्दर्य द्वारा काव्य-रसिकों को आत्मतिभोर करने में समर्थ हों। 'रसे सारश्वत चमलार' 'रसात्मक वाक्य काव्यम्' तथा 'रसणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्' के अद्विरक्त वक्षोक्ति, रीति, औनित्य, अलकार तथा व्यति आदि को जिस रूप में काव्य का आत्मतत्व सिद्ध करने के प्रयत्न विविध दृष्टिकोणों से किये गए हैं, उनका मूल मतव्य यही है कि काव्याविधान में आनन्द-तत्त्व का सन्निवेश होता है जिसका सम्प्ता कवि का मानस-लोक है जिन्हें वह रस जब तक प्रेयणीय नहीं बन पाता तब तक उसकी सार्थकता सफलीभूत नहीं

होती। वस्तुतः विवि और भावक के बीच नादात्म्य-भूत्र वी अभिनवि बरने में वाक्य-दृति ही माध्यम का काम करती है। विवि की 'स्वातं सुखाद' भावना विस प्रकार 'जनहिताय' यन्तर लोकवत्प्रयाण और लोकानन्द वा प्रसार बरती है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिनका महन्द विनी भी हृष्ट में बग नहीं दिया जा सकता। इस विषय में सभी देशों के साहित्यानुशोलकों और जाचारों ने अपने-अपने मत अभिन्नता निए हैं। तुनभीदाम जी के शब्दों में यदि रघुनाथ गाया अथवा वाक्यमर्जना एक और स्वातं सुखाद (विवि के आम-सुख वे निए) है तो दूसरी ओर वह गुरुभारिमम 'सर्वजनहिताय' भी है वर्तोंवि ऐसा होने पर ही वह अपनी अभीष्ट प्रथोजन-निष्ठा पर संतुष्टी है। सच तो यह है कि वाक्यादि साहित्यरप रमणीय हीदर्य की भाँति 'तन्मयोभवन' बराने वाले हैं तो वाक्य-भावव उनमें तन्मय होने वाले चेतन प्राप्ती। इस प्रकार वाक्य वा अनन्द विषय-गत और विषयित पक्षों का समन्वय बरता हुआ चलता है। विहारी के इन्होंने में 'हर रिक्तावनहार ये, ये नैना रिक्तावन' की उरित वाक्य-सर्वना और वाक्य-स्वाद को एक दूसरे के पूरक हृष्ट में उपस्थित करने का ही तो परामर्श है।

इविगत सवित ही रसायिकान वा आदि हृष्ट है

रम के अधिवाल वी विवेचना में विविगत साधरणीभूत संवित् वा अत्यधिक महत्व है। वह सविन् मम्पूर्णे वाक्य में व्याप्त रहता है और परमार्थतः वही 'रम' सज्जा वा अधिकारी है। वाक्य अथवा नाट्य में विवि चरित्रों की अवतारणा वी जाती है, वे वेदन विविगत सवित वे वारण हो सहदैय सामाजिकों वे सहृदय तब पहुँचने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। ऐसे चरित्रों वा निर्माण बरते समय विवि या सो बल्लना का आधार नेता है या प्रव्यात दक्षिणाति वा। अपनी पाव-मर्जना द्वारा वह इस बात वा पूर्ण प्रयत्न करता है कि उसका अपना साधारणी-भूत प्रत्यय वाक्यास्वादिता सामाजिकों तब पहुँच सके। वस्तुतः विवि वा प्रत्यय न ठो उसका व्यक्तिगत मनोविकार है और न उसका निजी मुख्यदृष्ट ही। वह तो साधारणीवरण वी भूमिका पर प्रतिष्ठित उसकी एक ऐसी अनुभूति है जो उसके सौवित्र जीवन की दृष्टि तथा अनुभूति से भिन्न तथा लोकोत्तर येजो वी है जिन वाक्यों में विविभवना की लोकोत्तर गविति नहीं होनी, वे वाक्य न कहे जावर 'वाक्यानुग्राह' ही रहे जा सकते हैं जिन्हें प्राचीन विद्वानों ने 'आलेख्यद्रव्य' अथवा 'रमजीवनरहित प्रविदूति' भाव वहना अधिक उचित समझा है।

विवि और रसिक वा साधारणीभूत प्रत्यय एकजातीय है

विवि के जिन साधारणीभूत प्रत्यय वा उत्तेय उपर्युक्त अनुच्छेद में विद्या गया है, उसका वाक्य-रसिक वी मनोभूमिका से भी अदिर्घेत्र सम्बन्ध है।

बस्तुतः कवि का सापरणीभूत प्रत्यय तथा रसिक के काव्य-प्राठ अथवा काव्य-दर्शन से प्राप्त साधारणीभूत प्रत्यय एकत्रातीप है। दोनों के हृदयसंवाद व्यथवा वास्तवान्वाद में एक प्रकार के तादातम्य के तत्त्व समाहित हैं। काव्यगत नायकादि के अभिचित्रण अथवा कवि की भास्याभिच्छिकित को उस हृदय-संवाद के माप्यम के हृष में स्वीकार विद्या जा सकता है। बस्तुतः सवाद का अर्थ 'एकप्रदृष्टस्यअन्मन्त्र तथादर्शनसवादः' है जिसके कारण का व्यचित्रित मूल पाठ, कवि तथा काव्य-रसिक के अनुभव की थेणी तथा उनका स्तर 'एक' हो जाता है। भट्टौति ने इसी सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए नायक, कवि और योना के अनुभव को समानता प्रदान की है। कवि के साथ काव्यरसिक के हृदयसंवाद को दृष्टिगत करते हुए अभिव्युत में उचित ही कहा है कि 'कविमवित् ही परमार्थतः रम है जिसी प्रतीति काव्य-रसिक को होती है।

उस के अधिष्ठाता के लिए 'तन्मयीभवन' की प्रोप्रता आवश्यक है

तन्मयीभवन की योग्यता काव्य-रसिक का एक आवश्यक गुण है। उस योग्यता की सम्भवता के लिए आस्तादिपिता में तीन विषयों का होना आवश्यक है।—१ नाट्यगत अथवा काव्यगत अर्थों का सामान्यत्व से प्रहृणः २—प्रतीति-विद्यानि और ३—अनुमानपटुता। नाट्य व्यथवा काव्यगत वर्णों का सम्बन्ध से गहर होने पर काव्यरसिक के सम्मुख व्यक्तिविशिष्ट सम्बन्धों की प्रतीति की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है जिससे रस-निष्पत्ति के मार्ग में विशिष्ट व्यवधान उपस्थित हो जाता है। काव्य अथवा नाट्य में कविद्वारा जो प्रतीति अभिव्यक्त की जाती है, उसमें रसिक-हृष की विद्यानि अवश्यपेक्ष होनी चाहिए। उस प्रतीति से किसी निष्ठि अथवा प्राप्ति का मान होने पर पूर्णतया रसास्वादन हो ही नहीं सकता। बस्तुतः काव्यनाट्यगत प्रतीति स्वर्णपूर्ण होती है, अतः उसका आस्तवाद भी उसी भाव से लेना आवश्यक है। आवार्य आनन्दवर्धन ने उस बुद्धि को तत्त्वायंदर्शिनो बुद्धि कहा है जिसमें सामान्यत्व से ग्रहण करने तथा काव्य-प्रतीति में विद्यान्त होने के लो विशेष घर्म रहते हैं। तन्मयीभवन के लिए तीसरी आवश्यक दात 'अनुमानपटुता' है जिसमें काव्य-रसिक की शटिति प्रत्यय अर्थात् 'तत्काल प्रतीति' हो जाती है। यों तो 'अनुमानपटुता' की प्राप्ति का क्षम बहो है जो लौकिक अनुभवों से सम्बद्ध कायेकारण-भाव आदि का होता है किन्तु काव्यास्वादन की देला में वह अनुमानपटुता 'शटिति प्रत्यय के कारण रसिक में 'रसावेश' ले जाती है जिससे काव्यानन्द की तत्काल प्रतीति हो जाती है। काव्य-विषय दृच्छियों का संग्रहन जब विभानुभावों द्वारा तात्कालिक प्रतीति के हृष में होता है तथा उसके लिए हमारी बुद्धि को व्यष्ट नहीं होना पड़ता तभी दास्तविक 'रस-प्रत्यय' हो पाता है। काव्य के रसास्वादन के मार्ग में उपस्थित होने वाले

अनेक रस-विद्धि भी होते हैं जिनका विवेचन एवं स्परान्त निवाद में किया गया है। यहाँ पर तो हम वेवत इतना ही सबैत बरना चाहते हैं कि 'क्षटिति प्रत्यय' अथवा 'तान्कालिक अनुमानपटूता' के अभाव में वाक्योत्पन्न रसिता वी ठीक वही दशा हो जाती है जो किसी जोरें शीर्ण अथवा टूटे फूटे बर्तन में रस की होती है। वस्तुत रसास्वादन के समय भी अनुमान का एक रस रहता है, दिनु उमड़ी प्रतीति ऐसे अविकल्प भाव से होती है कि हम उसके रस का पता ही नहीं चलता। आचार्यों ने उरा रस को 'फलानुमेय प्रारम्भ' के समान आस्पादा-नुमेय लहा है और आचार्य आनन्दवर्धन ने तो इसी विषय के स्पष्टीकरण में लिए 'रसास्वाद' को 'अमलध्यप्रमध्वनि' वी सज्जा दी है। उन्होंने रस के प्रत्यय का यर्जन निम्नलिखित पारिशा में रिया है जो अत्यन्त दातिक और गुरु गम्भीर है —

तद्यत् सचेतसां सोऽप्यो वाक्यर्थविमुखात्मनाम् ।
बुद्ध्यो तत्त्वदर्शिन्यां क्षटित्येवावभासते ॥

5

रसों की सुखदुःखरूपता

तत्त्वज्ञः रम को आनन्द-रूप कहा गया है, किन्तु उसके ध्यावहारणत विचारों को दूषितगत रखते हुए विद्वानों ने उभकी सुखदुःखरूपता को भी निरूपण किया है। इस प्रवार द्वीप विचारणा के मूल में आत्मा और जन का गच्छयं विचारणात है। यदि रम को आत्मप्रकाशन का ही रूप माना जाय तब तो वह अपनी चिदानन्द-मय स्थिति में आनन्दरूप ही है, किन्तु यदि उसे मानम-संवेदना से उद्भूत मनो-विकार की उदास परिष्ठिति समझा जाय तो उनका स्वरूप सुख दुःख के उभय-विद्युत पुतिनों का सम्बंध करता हुआ चलता है। इस विषय द्वीप गहनता और ध्यापकना में न जाकर हम भारतीय काव्यशास्त्रियों की प्रमुख मान्यताओं के अनुरूप ही इसका विश्लेषण करेंगे।

रसों की सुखदुःखरूपता

आचार्यों ने नाट्य रसों की विवेचना के प्रसंग में उनकी सुखदुःखरूपता का जो विमर्श किया है वह काव्य-रसों पर भी सधित हो जाता है। उन रसों में रति, हास, उत्साह तथा विस्मय नामक स्थायिभावों से क्रमशः निष्पन्न शृगार, हास्य, दीर और अद्भुत रस सुख्यता-सुखरूप माने गए हैं, किन्तु उनके साथ दुःख का सम्बन्ध भी रहता बवश्य है। उनको सुखात्मक लो इसलिए कहा जाता है कि उनमें चिरकाल पर्यावरण बने रहने वाले सुख की कामना और विषय-भोग की प्रमुखता होने से उनके लिए उत्कट अभिलाप्या होती है और उनकी दुखात्मकता वा आघात यह है कि उनके विनष्ट होने के भव से रत्यादि के साथ दुःख का अंशतः समारूप हो जाता है। यह कथन जहाँ शृगार रस के सुख-दुःखमय उभयात्मक रूप का प्रमाण है, वहाँ आचार्यों ने हास्य रस को भी उभयात्मक माना है क्योंकि सुखात्मक हास में भी उसकी समाप्ति ही जाने पर सुख के साथ विद्युत-कांति सदृश दुःख वा भी शान्तिक सम्बन्ध होता है। उत्साहप्रमूल दीर ऐसे में दुःखमिथित सुखरूपता इसलिए मानी गई है कि उसमें तात्कालिक दुःख तथा यम उठाकर दहूत से लोगों का उपकार करते हुए चिरकाल पर्यावरण सुख-प्राप्ति की कामना बनी रहती है। विस्मय नामक स्थायिभाव से निषान्न अद्भुत में निरन्तरधान अर्थात् विना विचार के आपाततः तत्त्वित्य क्षणिक दुखानुविद्ध सुखरूपता का बाभास भिजता है। अभिप्राय यह है कि संसार के सुख-दुःख

समन्वित स्वभाव की भाँति पूर्वोक्त चारों रस प्रधानतः सुखात्मक होने पर भी व्यवहारक उभयात्मक होते हैं।

आनन्दवादी और उपचयवादी आचार्यों के अभिभव

आनन्दवादी आचार्यों ने रस को आनन्दपन सदेदना वा ही आस्वाद बहुर उसे निर्विभ मनिद्विधाति की अवस्था अथवा चर्वणा कहा है तो उपचयवादी आचार्यों ने उसे सुखदुष्कालव रूप माना है। एक ही दृष्टि में रस 'स्थापिष्ठनश्च' है तो दूसरे ने मतानुसार वह 'स्थापी' मान है। आनन्दवादी आचार्यों की परम्परा ने घटनिकार आनन्दधर्म भट्टतौत भट्टनायक, अभिनव मुक्त, ममट, हेमचन्द, विश्वनाथ, प्रभारर मधुमूदन भरम्बती और विश्वराम जगन्नाथ आदि आते हैं तो उपचयवादी अपवा परिपोषवादी आचार्यों की परम्परा में इच्छी, वामन, लोल्ट शबुद, भोज तथा रामचन्द्र-गुणचन्द्र की गणना की जाती है। साध्यवादी आचार्यों को भी रस के सुख दुष्काल की परम्परा स्वीकार है। ऐसल आनन्दवादी आचार्यों को यदि रस की घटनिकत्व स्वीकार नहीं है। यों तो आचार्य भट्टनायक आपाततः भोगवादी हैं, जिन्तु उन्हें द्वारा प्रतिपादित भाववत्त और भौजवत्त में व्यापार तद्वत् व्यवना-व्यापार में ही रूप हैं जिसका विवेचन करते हुए आचार्य अभिनवगुप्त ने उन्हें घटनिकादियों के निष्ठ प्रतिष्ठित रिया है। तत्त्वदृष्टि से तो हमें आनन्दवादियों का अभिभव तो विशेष सुखात्मक ही, जिन्तु सुखदुष्कालादियों के तर्के भी गर्वणा उपेक्षणीय नहीं वहें जा सकते, क्योंकि उनमें आपुनित मनोविशेषणवेत्ताश्रों को भी प्रचुर ज्ञान-ज्ञामदो उपलब्ध होते हैं।

उपचयवारी आचार्यों का मतव्य

उपचयवादी आचार्यों ने उस स्थापी भाव को रस माना है जो विभाव तथा व्यभिचारी भावों से परिपूर्ण होकर रूप अनुभावों द्वारा साक्षात्तरित्व में निर्णयि होता है। यह एवं गुणदुष्कालव है।¹ इष्ट विभावादि द्वारा उनीत होने वाले शूगार हास्य, थीर, भद्रमुा तथा शात रम गुणवर हैं, जिन्तु अनिष्ट विभावादि द्वारा आनीत वाल, रोड, वीभला तथा भयानक रस दुष्करूप। इन आचार्यों का मत है कि लोकिन अवस्था में विद्यमान रहने वाला सुखदुष्कालक भाव जब उसी रूप में परिपूर्ण होता है तो अपनी परिपूर्ण अवस्था में रसनीय बन जाता है। उपचयवादी आचार्यों की परम्परा में रामचन्द्र-गुणचन्द्र को विशेष

1. स्थापी भाव विशेषः विभावव्यभिचारिभि ।

सप्तानुभावविशेषं सुखदुष्कालवो रस ॥

पौरव प्राप्त है, यद्यपि उनसे प्राप्तः डेड सौ बर्ष पूर्वं आचार्यं भोज रस की सुख-दुःखात्मकहृष्टता का प्रतिपादन कर चुके थे। अभिनवगुप्त ने रांझवादियों के एक विशेष मत का उल्लेख करते हुए उन्हें भी मुख्यदुखात्मवादी माना है। वयोंकि वे भी रस-विवेचना में 'परिपोष भाव' को ही स्वीकार करते रहे हैं। आचार्य दामन ने अपने काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ में एक इत्योक्त उद्धृत करते हुए यतनाया है कि करणनाट्यों में रसिकजन सुख दुःखों के सम्बन्ध का ही अनुभव करते हैं।¹ लोलट का परिपोषवाद विस्त रूप में 'करणादी प्रत्युत दुखशाप्ति' का प्रतिपादन करता है, वह अनेक स्थलों पर अभिनवगुप्त द्वारा व्याप्तित किया गया है। अनुकरणवादियों के मत में भी रस की सुखात्मक और दुःखात्मक स्थिति की स्वीकृति के सबेत मिलते हैं। वस्तुतः सुखदुखवादियों की परम्परा में 'स्थायी' को व्यक्तिसंबद्ध माना गया है और उस व्यक्तिसंबद्धता के परिपोष रूप को ही 'रस' कहना उन्हें समीक्षीय प्रतीत हुआ है। उनका मत है कि रस-निष्पत्ति में निहित विभाव आदि उपकरण स्थायिभाव के परिपोष के 'कारण' अथवा आदि—उपकरण हैं जिनकी उपस्थिति में स्थायी का लौकिक स्तर भी बना रहता है। वस्तुतः लौकिक स्थायी का स्वरूपतः परिपोष ही 'रस' है, अतः अपनी लौकिक सत्ता के कारण यह सुखदुखात्मक स्वरूप माता पाता जाता है। करणादि भावों ने आनन्दापत्तिपि होने का कारण निहित करते हुए उन्होंने लिखा है कि नाट्यभावों का स्वभाव अथवा नट का अभिनवेश किंवा अनुकृति-कौशल ही आनन्द का कारण है जिसे नाट्यदर्शकार रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने कवि अथवा नट-गत शक्ति का चमलार कहा है। ये उपचयवादी आचार्य रस-निष्पत्ति की विवेचना में एक विशेष शब्द को भी स्वीकार करते हैं। उनका बहना है कि स्थायी से लेकर रसत्व की प्राप्ति का क्रम इस प्रकार विवेचित किया ज सकता है कि विभावों द्वारा 'उत्पन्न' अनुभावों के कारण 'प्रतीति योग्य' तथा व्यभिचारी भावों के कारण 'उपचित' होने वाला स्थायी भाव ही अन्तिम ध्यान में रसत्व प्राप्त करता है। अपनी उपचित अवस्था में रस की संज्ञा धारण करने वाला स्थायी अपनी अनुपचित अवस्था में 'भाव' मात्र है और यदि उसका उपचय आवश्यक मात्रा में नहीं होता तो वहमें मदतरता अथवा मदतमता भी आ जाती है। अभिप्राय यह है कि उपचयवादियों की उपस्थिति के अनुसार रस को 'गमन-क्रिया के समान' पर्यन्त में बाने वाली स्थायीभाव को उपचित अवस्था कहा जा सकता है जिसमें न लो 'अटिति-प्रत्यय' के ही अवसर रहते हैं और न 'अखड़सविद्विधाति' की ही सम्भावना है। अपनी

1. करणप्रेक्षणीयेषु संप्लवः सुखदुःखयोः।
कथानुभवतः सिद्धः तथैवोज-प्रसादयोः॥

पात्रगत, नटगत तथा रसिकगत लैंडिंग भूमिका पर अधिरचित्त रम की मुद्दे-दुष्प्रस्प उभयविधता की सिद्धि इसी आधार पर की जा सकती है।

रामचन्द्र-गुणचन्द्र का विभजनादी दृष्टिकोण

नाट्यदर्शनकार रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने विभजनादी दृष्टि से दुष्ट रमों को केवल मुख्यात्मक माना है और दुष्ट रमों को केवल दुखात्मक। उन्होंने 'नाट्य-दर्शन' के तृतीय विवेक की १०६ वीं शारिका की व्याख्या करते हुए लिखा है कि "इष्ट विभावादि से उत्पन्न होने के रात्रण थे गार, हात्य, बीर, अद्भुत और शात नामक पाँच रस नितान मुख्यस्पृष्ट हैं तथा अनिष्ट विभावादि से उत्पन्न होने के वारण वरण रोद, वीभत्स और भयानक भहात चार रस नितान दुखात्म-स्वरूप हैं।" उन्होंने अपनी विवेचना के मन्तंगत उन विचारकों के अभिभव का छठन लिया है जो सभी रमों को नितान मुख्यस्पृष्ट मानते हैं। इस विषय में उनका बहन उद्भूत करना अनुचित न होगा—

'यत् पुन सर्वं रमाना मुख्याभवत्वभुव्यात् तत् प्रतीतिवाधितम् । आस्तां नाम मुख्यविभावोरचित्, वाक्याभिनयोरपनीतविभावोरचितोऽपि भयानको दीभत्स करणी रोदो वा रमात्मादवना अनास्थेयां कामपि वनेशदशामुपनयनि । अतएव परमाद्भिरुदिविज्ञे समाज । न नाम मुख्याभावादादुद्वेगो घटते ।'

'अपनि जो लाग नद रमों को नितान मुख्यात्मक मानते हैं, उनका पत प्रतीति से वाधित हो जाता है। मिह, व्याघ्र आदि मुख्य विभावों में उत्पन्न भयानक आदि रम हो निश्चित रूप से वैशाप्त्र और दुखात्मक द्वे हो ही हैं, किन्तु वाव्य के अभिनय में उपनीत दिक्षादी से उपचित भयानक, वीभत्स, वरण वा रोद रस भी उनके आस्तादयिताओं में किसी अविवृत्तियोग्य क्लेशदशा को उत्पन्न कर देने हैं। यहो वारण है कि, भयानक आदि रसों से प्रेतक समाज चढ़ान हो जाता है। यदि भयानक आदि रस मुख्यात्मक होते तो उनमें उद्वेग उत्पन्न नहीं होता क्योंकि मुख्य के आस्तादन से उद्वेग हो ही नहीं सकता। वस्तुतः भयानक आदि रस दुखात्मक ही होते हैं।'

रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने भयानक भावि दुखात्मक रमों का विवेचन करते हुए एक बहुत्यकूर्ण निष्कर्ष निकाला है और वह यह है कि इन रमों के आस्तादन में एक प्रकार का चमत्कार प्रतीत होता है जिसका वारण कवि और नट का दौरानमात्र है। अपनी पात्वना को तर्हमन्मत बनाने के लिए उनका कथन इस प्रकार है—

'यत् पुनरेभिरपि धमन्वारो दूरमें स रमास्तादविरामे मनि यथादम्भिन-वस्तुप्रदर्शनेन विनटगवित्तोरनेन । विसमयन्ते हि गिरस्त्वेऽवारिणापि प्रतार-कुशनेन वैरिणा शोण्गोरमानिन । अनेमेव च सर्वांगाह्वादेन विनटशक्ति-

जन्मना चमत्कारेण विप्रलब्धा परमानंदरूपतां दुःखात्मकेष्वापि करुणादिपु
मुमेघसः प्रतिज्ञासते । एतदस्वादलौत्येन प्रेशका अपि एतेषु प्रवतन्ते । कवयस्तु
मुखदुःखात्मकमंभारानुरूपेण रामादिचरितं निवधनन्त सुषुदु यात्मकरसानुविद्ध-
मेव अथनति । पानकमाध्युर्यमिव च तोशणास्वादेन दुःखास्वादेन सुनरां सुखानि
स्वदंते, इति ।

अर्थात् भयानक आदि दुःखात्मक रसो में भी चमत्कार का जो अनुभव होता है, वह रसास्वाद के समाप्त होने पर वास्तविक वस्तु के स्वरूप को प्रदर्शित करने वाले कवि तथा नट के शक्ति-कौशल के कारण प्रतीत होता है । (इसका अभिग्राह्य यह है कि कवि के वर्णन कौशल अथवा नट के अभिनय कौशल में एक ऐसी शक्ति होती है जो विशिष्ट समय पर्यन्त भावक अथवा प्रेशक के मन में चमत्कार का अनुभव कराती है) पह विषय वैसा ही है जैसे किसी का सिर काट डालने वाले शशु के प्रहार-कौशल को देख कर बीरों को भी विस्मय होता है । भयानक आदि रसो के विभाव और अनुभाव आदि के दर्शन से भी विस्मय आदि भाव उत्पन्न हो सकते हैं । तब अंगों को आह्वादित करने वाले तथा कवि और नट की शक्ति से उत्पन्न चमत्कार द्वारा प्रबंचित होकर सहृदयजन कहण आदि दुःखात्मक रसों को भी सुखात्मक मानने लगते हैं । कवियों का कार्य सुखदुःखात्मक सासार के अनुरूप राम आदि के चरित को सुख-दुःखात्मक रूप से रसानुविद्ध करना होता है । जिस प्रकार पानकरस के माध्युर्य में मिथ्ये आदि का तीक्ष्णरामास्वाद एक प्रकार की विशेषता उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार दुःखात्मक करण आदि रसों में भी आनन्द का सा अनुभव होता है । वस्तुतः वे रस सुखरूप नहीं हैं ।

रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने अपनी मान्यता को उद्भूत करते हुए लिखा है कि शोकादि भाव सुखरूप हो ही नहीं सकते । उनका कथन है कि सीता का हरण, द्वौपदी का कच्छाम्बराकर्यण, हरिश्चन्द्र का चाण्डालदास्य, रोहिताशव का मरण, लक्ष्मण का शक्ति-भेदन और मालती का व्यापादन आदि कार्य सहृदयों को किस प्रकार सुखास्वाद करा सकते हैं? वस्तुतः अनुकार्यंगत करुणादिभाव दुःखात्मक ही थे, अतः यदि उन्हे अभिनय में सुखात्मक माना जाय तो वह अभिनय यथार्थ अभिनय कहा ही नहीं जा सकता । ऐसी स्थिति में नाट्यवर्णकार का कथन है कि करुणादि रसों को सुखात्मक मानना किसी भी रूप में समुचित नहीं है । वे लिखते हैं—

“अपि च सीताया हरणं, द्वौपद्याः कच्छाम्बराकर्यणं, हरिश्चन्द्रस्य चाण्डाल-
दास्यं, रोहिताशवस्य मरणं, लक्ष्मणस्य शक्तिभेदनं, मालत्या व्यापादनारम्भण-

भित्याद्यमिनीयमान पश्चता सहृदयाना वौ नाम गुप्तास्त्राद । तथानुकार्यंगतास्त्र-
कर्षणादय परिदेवितानुकारित्वात् तावद् दुयात्मका एव । यदि चानुकरणे
सुखात्मान स्यु न सम्यग्नुकरण स्यात् निपरीत्पेण भारानादिति ।

रस के सुखदुखमयरूप का रहस्य

रस की मुख्यदुखमयता के विवरण में जिन आचार्योंने रस को जिस रूप में
नेत्रत मुखमय गाना है वह 'यावहारिक दृष्टि' में सर्वथा खल नहीं बहा जा
सकता क्योंकि वास्तविक शब्दताला की रति वास्त्रविक दृष्टियत में गुप्तजनक होती
है जो अपने वल्पित रूप में सहृदया में भी मुख उत्पन्न कर सकती है, विन्तु
वास्त्रविक शोव, भय, काघ, और जुगुआ आदि भाव को सकार में दुघननक
रूप में ही प्रसिद्ध हैं । वे वल्पित होकर भी सहृदयों में विस प्रकार सुख उत्पन्न
कर सकते हैं ? तब वे मुखोत्तादन ही नहीं बर सनत तो उन्हें विस प्रकार रस-
रूप माना जाय यह भी एक रामस्था ही है । इस प्रश्न का उत्तर यदि इस रूप में
दिया जाय कि वास्त्रविक शाश्वत भले ही दुखमय हो, विन्तु वल्पित शोव मुखमय
होता है क्योंकि उसका गम्भन्ध सहृदयजनना के मानत रहा है तो भी उचित नहीं
है क्योंकि व्यावहारिक उदाहरण स प्रकट है कि जिस प्रकार हम राष्ट्र से भयभीत
होने हैं उसी प्रकार रस्सी में ध्रुमवश वल्पित सर्प से भी भयभित हो सकते हैं ।
जब हम नामत्विक रूप की भौति वल्पित रति से भी मुख वी उत्तिलि मानते
हैं तो हम वास्त्रविक शोव की भौति वल्पित शाश्वत रा भी दुख वी उत्तिलि
माननी चाहिए । ऐसा न मानते पर उक्ता मिद्दान्त में विरोध उत्तिलि हो
जाता है ।

रस की मुख्यदुखमयता का जो पूर्वपक्ष उत्तिलित रिया था, वह मुखवादी
आचार्यों को मान्य नहीं है । उन्होंने शोभन-प्रकृति रूप से भी मुख की उत्पत्ति
मिद्द बरने के गत्यस्त प्रमाण के लिये न सहृदया का 'दृदयमाद' उत्तिलि विद्या
है जिसके बारें वे वहारमन्द्रधान वान्यों का आसादन बर मुख वी ही प्राप्ति
प्राप्ति है । उनका मत है कि जिस प्रकार शुगाररसप्रधान 'अभिशानशानुत्तमम्'
आदि पाव्यों से सहृदय जनों को गुप्तानुभूति होनी है, उसी प्रकार वरणरसप्रधान
'उत्तररामचरित' आदि वाद्या में भी, यह पूर्व अनुभवमिद्द विषय है । आचार्यों
का वपन है कि यादि वे कनूरोध में बारण की बलाना बर सी जाती है ; अतः
सोबोंतर दोष भावना से भी आनन्दजनकता वी भौति दुख प्रतिवध्यता वी भी
कल्पना बर नेनी चाहिए । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार दोष-भावना का
आनन्दोत्पत्ति वी जननी कहा जाता है, उसी प्रकार उस दुख का प्रतिवध्य-हेतु
भी यहा जा सकता है । यहने वो आवश्यकता नहीं कि जिस प्रकार रतिप्रीढ़ा
भयवा सभोग-क्रिया में दत्तकात आदि व्यापार मुख-जनन तथा दुख-प्रतिवध्य-

माने जाते हैं, उसी प्रकार शुगार तथा कर्णशरसप्रधान काव्य भी सामान रूप से आह्वानकारी और दुय प्रतिबन्धक होते हैं। यदि कर्णशरसप्रधान काव्यों से गुण और दुय की उभयविधि-प्राप्ति सहृदयसम्मत मानी जाय तो 'दोष-भावना' में दुःखप्रतिबन्धकता की बल्यना करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि अपने-अपने कारणवश दोनों की उत्पत्ति स्वतः सभव है। कर्णशरसप्रधान काव्यों से दुःखोत्तति मानने के विषय में एक कठिनाई यह भी है कि यदि काव्य-सर्जन और काव्यास्वादक दुष्प्रहण हो तो न तो कवियों की काव्य-रचना-विषयक प्रवृत्ति ही हो सकती है और न सहृदयों के मन में काव्य-रचना के पठन-पाठन अवश्य अवण-दर्शन की मावना का ही उदय हो सकता है। यदि कर्णशरस से दुःखप्राप्ति मानने के विषय में किसी का बहुत अधिक जाग्रह ही हो तो अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि उसमें सुध की समता में दुख की मात्रा अत्यस्त होती है। इसका स्पष्टीकरण इम उदाहरण द्वारा किया जा सकता है कि जैसे चन्दनादि के घर्षण में अंशतः दुख के रहने पर भी उसके सौरभ और शैत्य का अनुभवजन्य सुध अपेक्षाकृत अधिक होता है जिसके कारण लोगों को उस किया में प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार कर्ण-काव्यों में भी दुय का धश चिरल और मुख का अंश बहुत मात्रा में होता है जिसके कारण सहृदयों की उस ओर प्रवृत्ति होना सहज है। ही, जो विडान मावना-दोष को दुःख-प्रतिबन्धक मान कर कर्णशरसप्रधान काव्यों से भी एकमात्र सुध की ही उपलब्धि मानते हैं, उनकी मान्यता के विषय में तो किसी को कोई शका हो ही नहीं सकती।

कर्णशरसप्रधान काव्यों से एकमात्र सुध की उत्पत्ति न मानने वाले विद्वानों के अपने स्वतन्त्र नर्क हैं। उनका कथन है कि कर्ण-काव्यों के आस्वादन से जो अशुषात् आदि होते हैं, उन्हे किसी भी प्रकार मुहुर्जनक नहीं माना जा सकता क्योंकि अशुओं का प्रवाह दुख का सूचक है। विद्वानों की इस धारणा में किंचित् मात्र भी वल नहीं है, क्योंकि यह एक अनुभवसिद्ध बात है कि केवल दुख से ही अशुषात् नहीं होता, अपितु अनेक बार सुखावस्था में भी अशुषात् होने लगता है। कर्ण रस की अनुभूति करते समय भृदय जनों के जो अशु-पात होते हैं, वे दुख के अभिव्यजक न होकर उनके विलक्षण आनन्दातिरेक के ही प्रतीक हैं। 'प्राय' यह देखा है कि भगवत्कथा के धरण-कान में भगवद्-भक्तों की औद्धों से अदिरल अशुद्धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे किसी भी रूप में दुख का प्रतिफलन नहीं कहा जा सकता। इस विषय में आचार्यों ने उचित ही कहा है कि 'संसार में दुःखजनक रूप से प्रसिद्ध पदार्थ काव्य में समुपनिबद्ध होकर व्यञ्जना-व्यापार की महिमा से अलौकिकीभूत बनकर अलौकिक सुध की उत्पत्ति करते हैं।' लोक के अन्य व्यापारजन्य अनुभवों में अचमत्कारवश वह कमनीयता नहीं होती जो काव्यव्यापरजन्य आस्वादरूप के अनुभव में होती है,

तभी तो उसे अलौकिक चमचारपूर्ण और 'विलक्षण-व्यापार' वहा गया है। तत्वतः उस व्यज्ञना व्यापार में दोष-भावना वा हो प्रायुक्त रहता है जिससे समुद्रभूत रनि आदि वा आस्वादन कर हम आनन्द प्राप्त करते हैं। दोषानक भावना के बारण सहृदय जनों में दुष्प्रत आदि की अभेद बुद्धि उत्तर्ण होती है जिससे अगम्यत्वज्ञान रोक दिया जाता है अर्थात् वे स्वयं दुष्प्रत बनकर शब्दुन्तता को स्वभाग-योग्य समझने लगते हैं।

रसास्वाद की आनन्दहपता से उद्भूत प्रश्न

वाच्य-रस के आस्वाद को अनिवार्यत आनन्दरूप मानने पर कुछ ऐसे सहज प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं जिनका समाधान किय दिना उसकी आस्वादता गदेहास्पद बन जानी है। ऐसे प्रश्नों में एक नहस्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वाच्य के व्यापक रूप में जब मुख्यात्मक और दुख्यात्मक भावों की सादृश्य-मूला स्थिति है तो दुख्यात्मकभावज्ञ्य वाच्य-रसना उसी प्रकार हमारा मन प्रसादन जिस प्रकार कर सकती है जिस प्रकार मुख्यात्मकभावोद्भूत वाच्य-हृतियों वरने से समर्थ होती है। वाच्यानुसेवन में स्थाट है कि वहाँसादि रसों का आस्वाद भी सहृदय भावों के जितानुरेखन वा आह्वादप्रद विषय रहा है। वस्तुतः वाच्यशास्त्रों विवेचना वा यह एवं अत्यन्त भौतिक एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका विश्लेषण भारतीय तथा पार्श्वात्मक पद्धति के विद्वानों ने विविध दृष्टियों से निया है। इस प्रश्न को विवेचना द्वारा ऐसी अनेक वैचारिक गुणिया भी सुलझाई जा सकती हैं जो वाच्य समीक्षा के प्रशस्त पथ पर बातानुक्रम से बदराघ उत्तर्ण करती हैं।

कठण रस की आस्वादता : विद्वनाय के विचार

कठण रस की आस्वादता का प्रश्न हमारे इस शिवेष्य विषय से मुख्य रूप से सम्बन्धित है। उनके अनुसार यह कहा जा सकता है कि जब रस आनन्दरूप है तो फिर शोक आदि स्थापिभावों से निष्पत्त वरण आदि रस इस प्रकार अनिवार्यत आनन्द प्रदान कर सकते हैं? इसका उत्तर देते हुए आचार्य विद्वनाय ने निया है कि महाद्वय सामाजिकों को वरणादि रसों में जो परमानन्द प्राप्त होता है, उसका प्रमाण उनकी मृदुदनात्मक अनुभूति ही है।¹ महर्षि वाल्मीकि वा शोकत्व जिस प्रक्रिया से शोकत्व को प्राप्त हुआ, उसका विश्लेषण वरने से भी यही व्यक्त होता है कि वरण रस की अभिव्यक्ति दुख्यात्मक न होकर मुख्यात्मक ही है। अवभूति ने भी जिता प्रमाण में वरण को ही एकमात्र रस कहा है, उसमें भी उसका वैनिष्ठ्य प्रकट होता है। वरणादि रसों की आनन्द-

रूपता को दूमरा प्रेमाण पह है कि यदि वे सुधात्मक न होते तो कोई भी अवित्त उनके आस्वादन के लिए लालादित नहीं रहता। पह एक बड़ी विचित्र बात है कि जो भाव लौकिक रूप से हमारे लिए शोकजनक अथवा उद्गेगकारी प्रतीत होते हैं, वे ही काव्यमत अभिव्यंजना प्राप्त करते ही सौहादंजन्य 'हृदयसवाद' के कारण प्रीतिप्रद बन जाते हैं। इस विषय में असनन्दवधन और अभिनव गुप्त ने उचित ही कहा है कि लौकिक शोक जब काव्य-चर्चण के विषय होने हैं, तो उनमें एक ऐसा तम्भयोग्य आ जाता है जिसकी आस्वादता अलौकिक आनन्द की उपलब्धि कराती है। करणा को दुखबनक भानने पर तो रामायण आदि करणप्रधान काव्यों को भी उद्वेगकर मानना पड़ेगा जबकि वास्तविकता इसके सर्वथा विपरीत है। बस्तुतः रामायण आदि महाकाव्यों का करणभाव अपनी चमत्कृति में आनन्ददायक ही है और उसके अवण अथवा पठन-पाठन से जो अथुप्रवाह होता है, वह अपनी सवेदना में सुधात्मक ही रहा जायगा। लौकिक रीति से शोक को भनें ही दुःख का उत्पादक माना जाय, किन्तु जब वह काव्य और नाट्य में व्यजित होता है तो उससे निष्पत्ति करण रस की स्थिति आनन्द की चमत्कृति से उत्पन्न हो जाती है। सच तो यह है कि जिस प्रकार लोक और काव्य-नाट्य परस्पर विलक्षण हैं, उसी प्रकार लौकिक शोक-हर्ष तथा काव्यगत शोक हर्ष भी परस्पर भिन्नता रखते हैं। काव्य और नाट्य के दोनों में अवरीयं होते ही रामवनगमन तथा शैव्या-विलाप आदि घटनाएँ लौकिक दुःखों का क्षेत्र छोड़कर विभावन-व्यापार द्वारा हृदयग्राह्य बन जाती हैं जिनके द्वारा सहृदय सामाजिक अपनी शोकवानना का अलौकिक आस्वादन करने लगते हैं। आचार्यों ने लौकिक शोक की काव्यगत अलौकिक सुख-परिणति का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार रतिप्रसंग में दत्तदत तथा नर्ददत कामाभिभूत रमणियों के लिए दुःख के हेतु न होकर सुख के ही जनक होते हैं, उसी प्रकार काव्य और नाट्य की विभावरूप हुँडद घटनाएँ एकमात्र आनन्द की ही सूचि करती हैं। काव्य-कला में एक ऐसी विलक्षण शक्ति है जिसके द्वारा लौकिक शोकानुभूति परमानन्द-नदोहरूप रसमयता में परिणत हो जाती है। सच तो यह है कि रस की अनिर्वचनीयता के लिए कष्टरस जितना अधिक उपयुक्त है उतना शृंगार रस भी नहीं है। काव्य अथवा नाट्य में उपस्थापित करण-चरित का अवण अथवा प्रेक्षण सहृदयों की चित्तवृत्ति विगसित कर देता है जिसके कारण उनका अथुपात हृदय के मध्ये भार को हल्का करता हुआ आनन्द की सूचि करने में समर्प होता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि शोकादि भावों की काव्यगत परिणति का आनन्दपूर्ण आस्वाद केवल वे ही सहृदय प्राप्त कर सकते हैं जिनके अतःकरण में रस्यादिहृप वासना के सक्कार जाम-जन्मान्तर से सचित हो रहा जिनमें रस-चर्चण की योग्यता के अनुकूल सक्षणों का संघटन

भी उपस्थिति रहे। इन विषय में आचार्य धर्मदत्त ने उचित ही नहा है जि दिन सामाजिक। वे हृदय में रत्नादि वासनायों वा अग्रह दोष संचित हैं, वे ही काव्य वा रत्नास्त्रादान वर नहते हैं तिन्हु दिनमें उक्त वासनाओं का अकाब है, उनको निवित्ति रगशाला के स्तम्भ, दीकार और पद्मरो वे समान हैं।¹ इन विषय में महाविकालिकाम वा वधन है जि रम्य दृश्यों वा सदसौरन तथा नष्टुर इनि का अवलम्बन करने से हमारे चित्त ने दिशेन प्रवार को जो उन्मुक्ता उद्भूत हो जाती है, उनके मूल ने दिनोंन विस्तीर्णवार की जो आङ्गरनी वासना के मन्त्रार अवलम्ब ही दिव्यमान नहते हैं।² यदि ऐसा न हो सो वैष्णवरथ और मीमांसक जैसे शुष्ठ-हृदय व्यक्ति भी उसी प्रवार वाक्य वा रत्नास्त्रादान करने सबंग, वित्त प्रवार रत्नादि वासनासम्पन्न सहृदय द्वन दिया बरते हैं।

अनदय और धनिक वा दूषितकोण

अनदय और धनिक ने भी वाक्योद्भूत आन्वाद की प्रक्रिया और उनके प्रवारों का विवरण दिया है। उनके भटानुकार वाक्य वा आन्वाद वाक्यार्थ के सभेद जो जात्मानद के रूप में उत्पन्न होता है और मन की चार छहस्थानों (विकास, विनाश, स्तोष और विशेष) के बनुकार उनके चार भेद हैं जो उनका शृणार, दीर यीमन्न और रोह नाम से सज्जित दिये जाते हैं। इन चारों भेदों से व्रमण हान्य, उद्भुत, भयानक और वरण रसों की उत्पत्ति होती है। धनिक के शब्दों में 'आन्वाद एव प्रवार से प्रबन्धतर स्वानदोद्भूतिन्यप है जो विभावादि से मनूष्ट स्पाद्यात्मक वाक्यार्थ के भावह के चित्त की अव्योन्य सचानित विभाव नी करना चाहिए हीन पर उपन्न होता है।' सभेद की दूषित से रसों की उच्चा आउ है और उनी के द्वारा उनका स्पष्टोदरण तथा भेद निश्चय दिया जाता है। उन आचार्य द्वय ने शृणार, दीर और हात्य की विनोदात्मक प्रवृत्ति में वासनार्थ के सभेद से जानदोद्भूति मानी है, दिन्हु साप ही साप यह भी स्वीकार दिया है जि चरणादि रसों में भी रहृदय के चित्त में आनद ना हो उड़ें होता है। उन्होंने वाक्यगत वरण रस को सौख्यव वरण से फिल माना है क्योंकि उनके रसिकउनों की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़नी रहती है। यदि वाक्यगत वरण सौख्य

1. सदासत्त्वान्ता सम्भान्ता रत्नास्त्रादान भवेत् ।
निर्वामनास्तु रगाना वाप्तुइयासमसनिभाः ॥

2. रम्याणि वीष्य मधुरात्म निगम्य रस्तान्,
पर्मुचुरीभवति दत् मुखिनोद्गिर उन्हु ।
तच्चेत्तमा स्मरति नूनमबोध्यवंम्,
आदस्पदराणि जननान्तरसौहृदानि ॥

कहण के समान दुःखात्मक हो तो उसमें कोई भी प्रवृत्त होना नहीं चाहेगा और उस स्थिति में रामायण आदि महाबंधों का उच्छेदन ही हो जाएगा। कहणात्मक वाक्यों के पठन-पाठन अथवा अवण-दर्शन से रसिकजनों के मन में दुःख अथवा अयुपातात्मि का जो आविश्वास होता है, वह केवल वृत्तवर्णन के अध्ययन से उद्भूत है। सौकिक वैकल्प-दर्शन के समान वे प्रेषकों में भी उत्पन्न होता है, किन्तु उनमें कोई आनंद विरोधी तत्त्व नहीं समझाना चाहिए। अन्य रसों की भाँति कहण रस भी आनंदात्मक ही है—यही उनके कथन का मूल मतव्य है।¹

अभिनवगुप्त का अभिप्राप्त

अभिनवगुप्त का मत है कि सभी रस 'स्वसंविद् चर्चणाहृप ज्ञान के आनंदमप होने से मुकु अधिक होते हैं।' सौकिक जीवन में जिस शोक को दुःखजनक वहा जाता है, वही शोक हृदय की निवृत्ति का स्पष्ट बनकर अपनी आस्थाद-प्रतिक्रिया द्वारा मुकुपार रसगियों के हृदय में भी आनंद की उपसंधि करा सकता है। वस्तुतः हृदय की अविश्वासि का नाम ही दुःख है, तभी तो तांत्र्यदर्शन के प्रव-तंक महर्षि कपिल तथा उनके अनुयायियों ने दुःख को रजोमुख की दृति बहकर चबलता अथवा अविश्वासि को ही हृदय का प्राण माना है। विचारणीय विषय यह है कि जब कहण रस में भी हृदय की विश्वासि होने के कारण उसका उपभोग मुख्यजनक होता है तो फिर अन्य रसों की आनंदरूपता में सो संदेह किया ही नहीं जा सकता। अभिनवगुप्त का कहना है कि यो तो सभी काव्यरस आनंदमूलक हैं, किन्तु उपरंजक विषयों के कारण उनमें भी दुःख का मंस्यरं रह सकता है। जिस प्रकार वीर रस बनेगा और सहिणुता प्रधान होता है, उसी प्रकार रति आदि से निष्पन्न शृंगार आदि रसों में भी विषयों की उपरंजकता पाई जाती है। हास, शोक, भय, जुगुआ और विस्मय आदि भावों में तो सकृत्तीकमुक्तम विभावों द्वारा उपरंजकता की मात्रा अधिक होती है, अतः उनसे निष्पन्न होने वाले रसों का प्राप्तान्य अपेक्षाकृत कम माना जाता है। यही कारण है कि उत्तम प्रकृति के शीरोदात नायकों में हासादि का बर्णन प्रधान स्पष्ट हो नहीं किया जाता और यदि वे बण्णि भी किये जाते हैं तो केवल रत्यादि के अवहृप में ही। वस्तुतः आनंदमूलक विश्वासि की दृष्टि से उनकी विशेष उपयोगिता नहीं है।

स्वसंविद् की चर्चणा हो रस स्पष्ट है

स्वसंविद् की चर्चणा को रस-स्वरूप कह कर आनंदवादियों के शीर्पस्थानीय वाचायं अभिनवगुप्त से सभी रसों की आनंदरूपता प्रतिपादित की है। उनके मतानुपार रसचर्चणा मूलतः एकणन तथा प्रकाशमयी होती है, अतएव आनंद ही

1. धनंजय-दशहृपक 4/44 घनिक इत अवलोक की विवृति।

उसका नामूर्त तत्व है। रास्ताद के ममप चहूदेप का हृष्ण एवं उसने निर्विज्ञ सवित्रि मे विश्रान होता है जिसे न तो इसी प्रकार का अवश्य रहता है और न जिस का रजोवृत्तिजन्य चावल्य ही रह पाता है। चूंकि वायु का रसास्तादन लौकिक हैं और शोक अदि का अनुभव न होकर स्वरुपेना का बास्ताद है, जब उसकी आनदहरण स्वतः निष्ठ हो जाती है। अभिनवगुप्त ने वरपर रस से निष्टन्त होने वाले आनद की सचिदि भी इसी आधार पर की है। यो तो अनुवरणवादियों ने भी नाट्यादि रस का असौकित्व निरस्ति बरते हुए वरपर मे जानद की निष्टति दिवेचित वी थी, जिन्हु अभिनवगुप्त ने इस प्रस्तुत का भगवान अधिक विषेश-भूमिति विधि ने विषय है। उन्होंने प्रस्तुत लौकिक जीवन मे उदाहरण उपर्युक्त बरते हुए यह मान्यता प्रतिष्ठित की है कि शोक मे दुखोद्भव होने का नोई शास्त्रत नहीं है क्योंकि इस अपने व्याद-हारिक जीवन मे प्रायः इस विषय का अनुभव बरते हैं कि हम अपने आजीव-जनों के शोक ने दुखी शब्दों के शोक मे मुखी तथा तटस्य जनों के शोक के प्रति उदासीन रहते हैं। बरनुत्त स्वरग गन्धन्त्र मे भीमिति शोक भले ही हमें दुखी बना दे, जिन्हु अकिन सम्बद्ध मे परे रहने वाले शोक मे दुखानुभूति मानी ही नहीं जा सकती। अभिनवगुप्त ने तो इस प्रस्तुत को ही अन्दाजावादिक एवम् असौ-भव बहा है कि 'शोक मुख वा हेतु वेंमे होता है ?' उन्हें अनुवरणवादियों का यह उत्तर भी भवीष्यतन्त्र नहीं प्रतीत होता कि 'नाट्य भावों मे आनंद प्राप्त होना तो इनका स्वभाव है।' उनकी तो मान्यता है कि 'जात्य एव आत्मादायितः सूलतः अपनी मवेदना का ही आस्ताद बरता है और वस्त्रा एवं त्रृप्ति आनंद-रूप है, जब सवेदना के आस्ताद मे दृश्य की कामका कई हो सकती है ?' सब तो यह है कि उचित विभावादि की चर्चा से हृष्टस्ताद तन्मयीमवनश्चम द्वारा लोकोत्तर वायाप्त की निर्विज्ञ प्रतीति ही इस का स्वरप है, जब यही दुख वी कोई नभावना ही नहीं हो सकती। अधिक ने अधिक यह बहा जा सकता है कि शोक और रणि आदि वासना-भूमियों मे नत्वानीन उद्वेष्य वे वारपर उम प्रवर्धन सवेदनास्वाद मे वैचित्रव-निर्माण भने ही हो जाय। यही यह जात भी उल्लेखनीय है कि वासनाओं का यह उद्वेष्य लौकिक वारणों मे न होकर अभिनवादि व्यापार से ही होता है ।^{1,2}

'महारस' वी वस्त्रना मे सभी रसों का आनंद निष्टित है

अभिनवगुप्त ने सभी रसों की आनदहरण का निरन्तर बरते हुए जित-

1. अस्मिन्मते तु सवेदनमेव आनदधन आस्तादते । तत्र का दुखास्ता ?

2. वेवल तस्यैव चित्तादरने रतिवोधादिवामनाव्यापारस्तु द्रोघने च अभिन-यादिव्यापार ।

'महारस' की कल्पना थी है यह 'चर्यंभाणीकप्राण' है जिसका आशय यह है कि मुख्यभूत महारस का सारतत्व उसकी चर्यणा हो है। शृगार आदि रस विशेष चर्यणारूप व्यापार के निदर्शक 'महारस' के भिन्न-भिन्न रूप कहे जा सकते हैं। आस्वादरूप एक ही महारस के शृंगारादि संज्ञक जो भिन्न-भिन्न रूप परिकलित होते हैं, उनका कारण विभावादि वी विभिन्नताएँ हैं। थभिनवगुप्त ने 'अनेन विभावादिभेद रसभेदे हेतुत्वेन सूचयति' 'स च विभावमादात्कारात्मक एव' आदि अनेक युक्तियों से यही तथ्य निष्पत्ति किया है कि तत्त्वतः 'रस' एक ही है, किन्तु विभावादि के भेद से उसके अनेक भेद हो जाते हैं। वस्तुतः रसास्वाद में विभावादि की चर्यणीयता के कारण सदृददयनों के तन्मयीभूत वासना-मत्कार उद्बुद होते हैं, जिनसे चर्यणा में विशिष्टरूपता आती है। कविकृत विभावादि की सयोजना के धनुरूप ही रसिक जनों की चर्यणा को विशिष्ट रूपता प्राप्त होती है जिसके कारण रसास्वाद की चर्यणा में भी वैचित्र्य का तिर्माण होता है। अभिप्राय यह है कि शृगार तथा और आदि रस एक ही महारस के विभावादिकृत भेद के कारण बने हुए रसभेद हैं, जिनका विवेचन रस के सामान्य लक्षण से न किया जाकर विशेष लक्षण से किया जाना अधिक युक्तिमय है।

रस-विघ्न तथा उनका निराकरण

रस-विघ्नों का सामान्य हृष्प

रस-विघ्न काव्यास्वादन की प्रक्रिया के बाधक अदबा अबरोधक तत्व हैं। उनका मम्बन्ध काव्य के रखिता और आस्वादिता की मनोभूमिका से किसी न किसी हृष्प में अवश्य जुड़ा रहता है। काव्य-रचना की शब्दार्थमयी शरीर संषटना और रसमयी आत्मवत्ता में यदि किसी भी प्रकार की अपरिपक्षता के अश उपस्थित हो जाते हैं तो उसके आपातोपकरणों में आत्मविश्राति-विषयक न्यूनता भी मत्ता अपना अस्तित्व घाटन कर नेती है। यो तो रसास्वादन की प्रक्रिया में महूदय प्रभाता की चेतना अथवा उसने सवित् वा प्राधार्य है क्योंकि वही रग वा मूल्य आश्रय है, जिन्हु वाव्यगत रस-विघ्न भी आस्वादन-क्रिया में व्यवहार लाते ही हैं। यदि ऐसा न होता तो एक ही विषय पर गिनिता रचनाओं में रामानुभूति वराने वा ममान सामर्थ्य होता। महर्षि वाल्मीकि से लेकर अदावधि जिन कवियों ने राम-कथा वा चित्रण किया है, वह अपनी हृष्प प्रक्रिया और विचारित पृष्ठभूमि में विन प्रवार वा पार्थेव रखता है, यह उसके सुधी भावको से अप्रदट नहीं है। इहने की आवश्यवत्ता नहीं है कि जिस प्रवार भिन्न-भिन्न रचनाओं में रसास्वादन वराने की पृष्ठ-पृष्ठ दरमता अथवा शक्ति रहती है, उसी प्रवार उम्हें आस्वादितिनाओं की मन स्थिति वा मम्बन्ध भी उनके रस-न्यून सामर्थ्य वे अनुपात वे वारण पृष्ठ-पृष्ठ रहता है। इम विचार-विदु वो रम विघ्नों के माय ममुक्त वर इम मान्यता वा श्रतिस्थापन महज भाव से किया जा सकता है कि वाव्यगत रमभग महूदय जनों वे मानमगत रमभग वा एक प्रमुख वारण है और उग्री विवेचना के किना वाव्यास्वाद की प्रक्रिया वा एक महत्पूर्ण पक्ष अस्तृष्टना रह जाता है।

‘रस-भग’ अदबा ‘रसादोष’ रस विघ्नों के पर्याय हैं

आचार्य आनश्वर्द्धन ने यसी की दृष्टि से रमभग ने मुख्य पौच वारण निर्णयित रखे हैं, जिनका विनार गवम् विश्वेषण परवर्ती आनायो द्वारा विविध प्रवार वे रम-दोषोंपा वे भृप में किया गया है। वे रम-दोष मूलतः रम-विघ्नों से ही मम्बन्धित हैं क्योंकि उनके द्वारा भी वाव्य-रग वे आस्वादन की प्रक्रिया में

अमराय उपस्थित होता है। शान्तशब्दंने ते विरोधी रस-सम्बन्धी विभावादि के परिप्रेक्ष, 'रस-सम्बद्ध होने पर भी अन्य वस्तु का अधिक विरतारपूर्वक वर्णन' 'असामय में रस की समादि भ्रष्टवा अनवगत में उत्तरा प्रकाशन,' रस का पूर्ण परिवर्तन होने पर भी उत्तरा पौन, गुणेन दीपन एवम् प्रवहार के अन्तिमत्व आदि तत्त्वों में जिन रस-दोषों का व्याघ्रान लिया है, ये एक प्रकार ने क.व्याघ्राद की प्रतिक्षा में वापारवहण ही है। आण्यं ममट ने उपर्युक्त रस-दोषों की स्वीकृति वे अतिरिक्त 'रसों की इश्वर्याच्छता' 'विभावानुभावों की पाठ कलना गे अभियन्ति' 'भग्नी की उपेक्षा' और 'अनग्र का असिधान' आदि कल्पित विशेष स्वकथानों को जोड़ कर उनकी गत्ता दृढ़ि कर दी है जिनकी विवेचना से वाया-स्वाद वी प्रतिक्षा के मार्ग में उपस्थित होता वासि अंतरायों का राष्ट्रीकरण विशेष गुणोपता से किया जाता है। ये व्यवधान काव्य के गमत रस-प्रकारों और उनकी विधाओं में अंगभूत बन कर इनी न किनी मिथि में उपस्थित हो ही जाने हैं। यां तो ये व्यवधान काव्यास्वादन की प्रतिक्षा में दीपोदमावाद है, मिथु आचार्यों ने उनकी नित्यता और अनित्यता का उल्लेख कर पैरो रथलों का भी विवेचन किया है जहाँ पर उनकी नित्यता काव्य के रसास्वादन की त्रिया में ऐसो याद्या नहीं का पाती, जिसरो उनको गरणता सर्वत्र सदिग्द गमन सी जाये। यस्तुः रस-विध्नों का यह विषय अत्यन्त गम्भीर और विचारणीय है, जिसका गम्भक् विमर्श काव्याच्छतियों की अनुशोलन-वेत्ता में ही गुष्ठारूप से किया जा सकता है।

रस-विध्नों के प्रकार और उनका निराकरण

अभिनवगृह्ण के भत्तानुभाव रस-प्रतीति के मार्ग में सात प्रकार के विध्न उपस्थित होते हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. शान के अद्योग्य होना अर्थात् रस की सम्भावना का भगवाव ।
 2. स्वगत (सामाजिकगत) अथवा परगत (नटगत) रस से देश-ज्ञात-विशेष का गम्भन्ध ।
 3. आगे व्यक्तिगत सुग्रादि का विवशीभाव ।
 4. प्रतीति के उचित उषायों का वेकल्य अथवा अभाव ।
 5. प्रतीति के स्फुटत्व का अभाव ।
 6. अप्रधानता ।
 7. गंशय का योग ।
- अभिनवगृह्ण ने उपर्युक्त गमत विध्नों का उल्लेख करने के साथ-नाय उनके

निवारण के उपायों का भी प्रतिपादन किया है। संशेष में उनका विवरण इस प्रकार है—

1 रस-प्रतीति के प्रथम विधि को 'सम्भावना विरह' अथवा कर्त्तव्य का प्रभावहरू भी कहा जा सकता है। इसका धार्य यह है कि इन्हीं व्यक्तियों के विवरण से असरिचित व्यक्ति रसात्मादान बताने में अधिक होता है। इस यह है कि अब शार में विषय को असम्भव समझते याता व्यक्ति उस विषय में अपने शार को ही विशिष्ट रूप कर पाता तो फिर उसमें आनंद की पूर्णता या विधाति हो ही नहीं सकती है? इस विधि के बारें प्रतिरक्षा में रस की सम्भावना का सर्वेषा प्रभाव रहता है। जिस प्रवार इताप्रतिका नवय वस्तु की प्रतीति न हो से इन्हें का पाउँ या आत्मादानिता उसके साथ अपना हृदय-संवाद न कर पाने में इनके रखनवेणा में खत्मपूर्ण होता है, उसी प्रवार की इस अताक्षि से भी रसात्मादान में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

इस प्रतीति के इस विधि के निराकरण का सबसे प्रमुख उपाय यह है कि अन्य सामाजिकों के साथ सोबत्तालाल्य वस्तु-विषय का हृदयत्वाद वर विद्या जाए। तमुद्देश्यन आदि सोबत्तार व्यापारों में उनकी असम्भवत्वा विद्यि के बारें इस प्रतीति में जो एक प्रवार का विनासा आ जाता है उसे ऐसे उनकी विद्यि में निराकृत किया जा सकता है जब हम अवधित विजिदि से उत्पन्न एवम् बद्धमूल विश्वास को रात्मुक्त बताने वाले राम आदि इत्यरात्रा लालों का परिदृष्टि नट आदि के हृषि में वर से। लाटों में सोबत्तर उनके का प्रदर्शन इस प्रयोगन से विद्या जाता है कि उनके द्वारा सामाजिकों को उपदेश विद्या रहे और उनका वित्त भी जमलकर होता जाने। इस प्रवार की विद्या से यदि इत्यहृषि भी पद्धति में कोई बाधा हो तो उसे सामान्य भावभूमि पर पद्धतीर्थ वर इस प्रतीति विषयक 'सम्भावनाविरह' सबक विधि का अपरतरण विद्या जाना सृज सम्भव है।

2 इस रस विधि को मूलतः रतिवरण रहा जा सकता है। इसका विधि-प्राय यह है कि यदि सामाजिक सदृश गुणदृष्टि भावि द्वितीयियों का अनुभव बरता है तो उभी उनके काट होने के प्रयास से, उभी उनकी रात्रा के निए व्यष्ट हो जाने से, आवश्यक उसके सदृश अन्य सुधार भी शालियों द्वारा हो, अपना उस दृष्टि के अधिकार वही करना है अथवा उनके प्रवार वर्तने की अधिकारता से, अपना उनको डिजाने वीं भावना से अपना पन्द्रह विनी प्रवार जो अन्य ज्ञान का उत्पन्न हो जाना भी रसात्माद की प्रविद्या के मार्ग में एक बड़ा विधि है। यदि एवं वो परमार्थ (मठगारात्र) के नियम से मुक्त माना जाय हो भी गुणदृष्टि आदि का संवेदन होने पर सामाजिक वे भीतर विश्वय हृषि से मुक्त, मुक्त मोर्त्या माघसत्यादि अन्य ज्ञानों के उत्पन्न होने के बारें भी रसात्माद के विन-

होता है। अभिनवगुप्त के यतानुगार इस विष्ण के निराकरण का उपाय यह है कि पूर्वरंगविधि तथा अन्य प्रस्तावनाओं के अवलोकन से जो नटहस्ता की प्रतीति होती है, उसके साथ अनुकायों की वेपभूषा आदि के अनुहप नट के स्वरूप की प्रतीति का अच्छादन कर लिया जाय जिससे स्वगत तथा परगत हप में किसी भी प्रकार के देश और काल विशेष का मम्बग्रह न रहे। भरतमुनि ने साधारणीकरण की मिट्ठि द्वारा रसास्वादन के उपयोगी कारण-कलाओं का सप्रह सा कर दिया है जिनका अनुशोलन करने से इस बात का पता सग जाता है कि स्वगत या परगत हप में रमानुभूति में आने वाले विष्णों का निराकरण किम प्रकार किया जा सकता है।

3. रमानुभूति के मार्ग में तीसरा विष्ण तब आता है जब अपने अक्षिणित सुख-नुभूति आदि से विवश बना हुआ व्यक्ति रसास्वाद-हप वस्तु में अपना ध्यान एकाग्र न कर सके। इस विष्ण के निराकरण का उपाय यह है कि नाटक आदि के प्रत्येक पदार्थ में रहने वाले साधारणीकरण के प्रभाव से सबके भोग्य होने योग्य, शब्दादि विषयों से युक्त तथा गान, वाद्य और नृत्य आदि मण्डपपद में चतुर गणिकाओं के द्वारा सामाजिक के मनोरजन का आश्रय लिया जाय। इस प्रकार के आयोजन देखकर गुणक एवम् अरसिक व्यक्ति भी हृदय की निर्मल सरसना प्राप्त कर सहृदयता बन जाता है जिससे उसके अक्षिणित सुख-नुभूति के भाव तिरोहिन हो जाते हैं। उम समय उनकी मानसी किया विचित्र प्रकार की सी हो जाती है जिसके कारण सभी प्रकार के काव्य उसे रसास्वादन करने लगते हैं।

4. 5. प्रतीति के उचित उपायों का अभाव होने से तो रस प्रतीति के मार्ग में विष्ण आता ही है, जिन्हु अस्पुट प्रतीति भी रसानुभूति के मार्ग में एक उत्तेष्ठनीय वाधक तत्त्व है। इन दोनों कारणों से उत्पन्न विष्णों के निराकरण के लिए आवश्यक है कि उन लोकधर्मी तथा कृति और प्रवृत्ति से उपस्थृत अभिनवों का आश्रय लिया जाय जो शब्द तथा अनुमान से भिन्न प्रकार का प्रत्यक्षशब्द व्यापार उपस्थित करते हुए महृदय जनों के हृदय में साक्षात्कारात्मक रसानुभूति करा सके।

6. रस-प्रतीति के मार्ग में छठा विष्ण उस समय आ जाता है जब हम एक ऐसी सदेहमूलक स्थिति से सप्रस्तु हो जायें जिसके कारण गुणालकारों की व्येष्ठा रस की स्थिति अप्रधान या गीज हो जाती है। रस की अप्रधानता के कल्पस्वरूप हमारी अनुभूति विश्वात नहीं हो सकती। यह अप्रधानता भ्रेतन विभाव और सअनुभाव वर्ग में भी हो सकती है तथा संविदात्मक व्यभिचारिभावों में भी। वैसी स्थिति में उन विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावों से अतिरिक्त स्थायि-

भाव ही चर्चा या आस्वादन के योग्य होता है। इस विष्णु वा निराकरण तमीं हो सकता है जब रम की प्रधानता प्रतिष्ठित हो जाय और आस्वादिता के मानस में विस्तीर्णी भी प्रवार की भाँति न रहे।

7. रस-प्रतीति वा सत्तम विष्णु 'सशययोग' है। चूंकि रस-प्रतिपादा में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावों वा पृथक-पृथक् स्थायिभावों में नियत रूप से अधिष्ठित रहने का कोई नियम नहीं है अतः अनेक बार यह निर्णय बरले में राशय उत्पन्न हो जाता है जि अशुपातादि वा वरण रस वे अनुभाव समया जाय या विस्तीर्णी प्रवार के नेत्ररोग लपवा जानन्द वे प्रतीति। यही स्थिति त्रोष तथा भय नामक मनोभावों की है। व्याघ्र आदि विभाव रीढ़ रस वे स्थायिभाव 'त्रोष' तथा भयानक रस वे रसायिभाव 'भय' इन दोनों के हेतु ही साते हैं अत उन्हें देख कर रोद्धरस की उत्पत्ति होगी या भयानक रस की, इस प्रवार का सदेह उत्पन्न होना सहज सभव है। इस विष्णु वा निराकरण करने के लिए ही आचार्य अभिनवगुप्त ने 'मण्ड' के साथ 'योग' शब्द का प्रयोग किया है। उत्तरा आशय यह है जि विभाव और अनुभाव आदि पृथक-पृथक् रूप से तो सशय के उत्पादक हो सकते हैं, विन्तु बपनी सामग्री की समग्रता अथवा सयोगजन्म परिस्थिति में सशयजनक नहीं रहते।

रस विष्णों की स्थिति उभयविधि है

काव्यास्वाद की प्रतिपादा वे विवेचन-प्रशास्त्र में जिन रसविष्णों को वाधास्वरूप सिद्ध किया गया है, उनके रम-दोषों के रूप में व्याख्यात होते वा सबेत दिया जा चुका है। इवि और काव्य की दृष्टि से उनकी सत्ता विषयमत है, इन्तु भाववा अथवा सहृदय मानाजित की दृष्टि से उन्हें विषयित कहा जा सकता है। यदि रस की स्थिति सत्त्वपूर्ण सहृदय की विवेचना में मात्री जाय तब तो उनका सम्बन्ध विषयित रूप से ही निर्दिष्ट होता है। हमें तो उनकी सत्ता दोनों ही रूपों में स्वीकार्य प्रतीति होती है, क्योंकि सहृदयजन जिन रमानुभूतिवा आस्वाद प्राप्त करते हैं, वह मूल रूप में वदि-कृति के माध्यम में ही उत्पन्न होता है। निश्चित है जि जब एवि-वर्तमान में विस्तीर्णी प्रवार की अपूर्णता अथवा दोषोदमावना होती है तो वह नहृदयजनों की विस्तीर्णि भी दोष उत्पन्न कर देती है। काव्य-सूक्ष्म में अभिव्यक्ति और अनुभूति वा समान महाव है और उन दोनों में अविच्छेद्य सम्बन्ध रहता है, अतः रम-विष्णों की विवेचना अथवा काव्य-रस वे आस्वादन की प्रतिपादा में बाधक बनने वाले उपकरणों वा विश्लेषण करते समय वदि और भावव की उभयविधि मन स्थिति तथा रखना एवम् विवेचना में अनुकूल वा गमानुरातिरिक्त घान रखना परम आवश्यक है।

रस-विघ्नों के निराप में ही रस-प्रतीति की प्रक्रिया सम्भव है।

अभिनवगुप्त ने रस-प्रतीति के मार्ग में जिन सात विघ्नों का उल्लेख किया है, उनमें निराम अथवा अभाव होने पर ही नाट्य अथवा काव्यरस का समग्रतः आस्वादन किया जा सकता है। वस्तुतः काव्य अथवा नाट्य में औचित्यपूर्ण विधि से प्रयुक्त विभावादि में ही ऐसी शक्ति होती है जो काव्य-रसिक के हृदय में विद्धासारणामूर्चक रसना व्यापार की निष्पत्ति कर सके तथा उसे निवधन रस-प्रतीति हो सके। अभिनवगुप्त के शब्दों विभविहीन रस-प्रतीति की प्रक्रिया निम्नलिखित है :—

“तत्र लोकव्यवहारे कार्यकारणसहचरात्मकतिगदर्थनजस्याप्यात्मपरचित्त-
वृत्त्यनुमानाम्यामपाटवात् अधुना तेरेव उद्यानकटाक्षधृत्यादिभिः लौकिकोम्
कारणत्वादिमुवमतिकान्ते. विभावनभनुभावनसमुपर्ज कल्पमात्रप्राणैः, अतएव
अतोकिकविभावादिव्यपदेशभाग्मि. प्राच्यकारणादिरूप सस्कारोपजीवीनाट्यव्याप-
नायविभावादिना नामामध्येयव्यपदेश्यं. गुणप्रधानतात्पर्येण सामाजिकधिविसम्यक्
योग (संयोग) सम्बन्धम् ऐकामृद्य वा आस्वादविद्भिः. अतोकिक तिर्त्वधनसंवेदना-
त्मक चर्चणामोचरता नीतो अयः; चर्च्यमाणकसारः न तु सिद्धस्वभावः सात्काजिक
एव न तु चर्चणातिरिक्त कालावसम्बोधी, स्थायिविलक्षण एव रम ।”

उपर्युक्त मत का स्पष्टीकरण

अभिनवगुप्त का उपर्युक्त रस-प्रतीति-विधयक अभिगत अत्यन्त तत्त्वपूर्ण और व्यावहारिक है। उन्होंने लोकव्यवहारिक का स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि इस समार में प्रत्येक मनुष्य कारण, कार्य तथा उनके अन्य सहचरों का दर्शन करता हुआ उनके लिये अथवा चिह्नों से अपनी तथा दूसरों की स्थायी चित्तवृत्तियों का अनुमान करता है, जिसके नित्यकृत अभ्यास से उसे लोकव्यवहारणत पटुता प्राप्त होती है। काव्य-पठन अथवा नाट्य-दर्शन द्वारा वह प्रमदा, उद्यान आदि कारणों, कटाक्षादि कार्यों और धैर्यादि अर्थों में लौकिक व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण सा करता है जिसकी एक विशेषता यह है कि वह प्रत्यक्षीकरण काव्य अथवा नाट्य की भूमिका ध्वनि करते ही लौकिक कारणों तथा कार्यादि स्पो से भिन्न हो जाता है। यो तो काव्य में भी उनका कार्य क्रमशः विभावन, अनुभावन तथा समुपर्जन करता होता है, किन्तु वे काव्यविणित विभाव, अनुभाव, तथा संचारी भाव अतोकिकता की अन्वर्धक संज्ञाओं से निर्दिष्ट किये जाने लगते हैं। वस्तुतः लौकिक कारणत्वादि की प्रतीति के स्थायी सस्कार विभावादि के आप्रथ अथवा उपजीव्य बनकर लौकिक जीवन और काव्य-पठन से उद्भुद होने वाले कार्य-कारणों में विस्तृत उत्पन्न करते हैं जिसकी अनुभूति अथवा भेदक धर्म का बोध केवल काव्यानुशीलन के दणों में ही

किया जा सकता है। आचार्य अभिनवगुप्त ने उस भौद्रह घने में भृत्यालीकृत वर वाच्यास्वाद को प्रतिक्रिया के विवेचन-प्रमाण में बाव्य-कौण्ठन विभावादि को नामित सज्जाओं ने भिन्न दृष्टि में निर्पत्ति किया है। उनका मत है कि युग्मशान तारतम्य के बाव्य-रसिक की प्रतीति में अलीविक्र विभावों, अनुवादों तथा व्याख्यातारों भावों वा जो शोधित्यूपं सम्बृद्ध रूप होता है, वह उनकी बुद्धि में प्रदायित हो। उसे एक विशेष प्रवार की एकाग्रता अद्या निर्दिष्ट संवेदना प्रदान करता है। इसको चर्चणा का नाम 'रम' है। यह चर्चणा भव्यता आस्थाद ही वाच्य-रम वा सारभूत घने हैं जिनमें चर्चणातिरिक्त बालादलम्बन न हो कर तात्त्वानिवाद तथा तथा न्यायीभाव से विनाशणता रहती है। आचार्य अभिनव-गुप्त ने उनका परिचान चर्चणामात्रत्वात्, तात्त्वानिवाद तथा 'त्वानिवित्तस्थ' आदि घटों के माध्यम से कराया है।

वाच्यास्वाद को निर्विळ बनाने के लिए इतिहास परामर्श

वाच्य का आन्वेदन व्यक्तीय न होकर व्यक्त होता है। वाचक इन्द्रि में इच्छा विषय की समता नहीं होती कि वह रन अथवा भाव वा धोतन करा सके। अनेक स्थलों पर तो वाचक इन्द्रि अपनी स्वशब्दवाच्यता द्वारा रसान्वादन को किया में विष्णु-ना उपनन वर देता है। ऐसका बासन यह है कि वाच्य वा प्रतीषाद देवत तथ्यवोष्ट अथवा प्रथम्प्रहृष्ट वराना ही नहीं होता, अपिनु भावों की मूलं स्पादना अथवा नाभ्यासागत्यक प्रतीति वराना भी नहीं होता है क्योंकि विद्य व्यज्ञना-व्यापार द्वारा ही सम्भव है। आचार्यों ने दिव्य-विशेष को इस हृषि में वाच्यान भृत्य अद्या निर्दिष्ट किया है उनका अभिशाय यही है कि दृष्टि द्वारा सहृदय भावक जनों वा भावों की ऐसी नहिनुभूति होनी है जिसे द्वारा वे अवश्य आन्वेदना का आनन्द प्राप्त करते हैं। आचार्यों ने वाच्य-हृतियों कोर भासान्व वार्ताओं वा अन्नर उनकी इतिवृत्तात्मकता को ही दृष्टिकोण में रखकर निर्धारित किया है। हीं पह चाग अपश्य है कि इही-वही प्रदर्शन-वाच्य के विद्यिष्ट प्रमयों पर इतिवृत्तात्मकता का चित्रण अनिवार्य ना हो जाता है, विन्तु ऐसे स्थलों पर भी वर्ति वो नायनुदग्धि को शोषित्यूपं प्राविधि का घास रखना पड़ता है। मुक्तार वाच्यों में भासान्व ऐसी स्थिति नहीं आती। अभिशाय पह है कि आचार्यों ने रन तदा उनकी निपत्ति के भाष्यनभूत विभावानुभावादि की स्वशब्दवाच्यता को इन रूप में बाव्य के आनन्दप्रय आस्वादन में दाष्टक माना है, उने विशेष प्रवार को परिस्थिति में ही प्रत्येक विषय काना चाहिए। वस्तुतः रनों की स्वशब्दवाच्यता भी न्यूनों पर रन-निष्पत्ति अद्या वाच्यानन्द को आस्वादना में अवरोध उन्नत नहीं करती। इन प्राचोत्त वाच्यदर्शिकाने रसों तथा भावों की निपत्तिका सम्बद्ध उद्दरण्डों में स्वशब्द उद्दरण्डों में स्वशब्दवाच्यता के

धीपार पर उनकी विज्ञप्ति का निरूपण किया है, यह आज के संवादित ज्ञान-विज्ञान के आलोक में निरस्त किया जा सकता है। रससिद्ध कवियों को कृतियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि उनके वर्णन विषयों की भावव्यञ्जना एवं रस-व्यञ्जना में स्वशब्दवाचकता भी रहती है, किन्तु उनकी अभिव्यक्ति के प्रबल प्रवाह के सम्मुख उभका वस्तिस्व नहीं जम पाता। ऐसी स्थिति में हम न तो रसों की स्वशब्दवाच्यता के एकात पथ में ही हैं और न उनके सर्वथेव निषेध की मान्यता में आस्था रखते हैं।

किसी भी प्रबन्ध-रचना को सोकोतर रमणीय एवं सहज आस्थाद बनाने के लिए आवश्यक है कि उसमें रस-व्यञ्जना और भाव योजना का निर्दृष्ट मंचार किया जाए। प्रबन्ध काव्यों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि उसमें साधारणतया एक रस अंगी तथा अन्य रस उनके अग-विशेष बनकर उपस्थित होते हैं। ऐसे काव्य-संस्कारों का मूल प्रयोजन किसी रस-विशेष का पूर्ण परिपाक कराना होता है। एकरस की चरम परिणति के उपरान्त जब कोई काव्यकार उसका पुनः पुनः अभिव्यञ्जन करता है तो उसकी अभिव्यक्ति में विरसता अथवा परिम्लानता सी आ जाती है। आचार्य आनन्ददध्नेन ने इस प्रकार की पुनः पुनः रस-दीप्ति को 'परिम्लान बुमुम' से उपमित कर उसे चमत्कारविहीन और अवसाद-जनक कहा है, क्योंकि उसमें सहृदयजनों के लिए चित्त-विभावि की सामग्री नहीं रहती। यो तो कुशल कवियों ने एक ही रस की पुनः पुनः दीप्ति को भी नवीनता के परिवेश में आलोकित किया है। किन्तु सभी परिस्थितियों में वह संभव नहीं है। काव्य की रमणीयता तो इसी बात में है कि वह किसी एक मूल भाव को उसके विविध उपकरणों से संयुक्त कर उसे रस-कोटि पर्यन्त पहुँचा दे। उस कोटि पर पहुँचे हुए-माधुर्य का आस्थादन कर उसके प्रमाताओं का मानस परितृप्त हो जाता है और वे उसके आनन्द में तन्मय हो जाते हैं। प्रबन्ध काव्य की सुरक्ष्य बनस्थली में यह त्रम एक ऐसी शृखला से नियोजित रहता है कि उसको पुनः पुनः प्रदीप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उनकी पुनः पुनः दीप्ति की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता के विषय में आचार्यों में मत-वैविध्य होना सहज सम्भव है, किन्तु अधिकांश विद्वानों की तरे यही मान्यता रही है कि काव्य में रस-योजना की अभिसंधि करते समय उसे पिण्ठपैषण की चृति से दूर रखा जाए। काव्य-कलेक्टर के सुगठित संपर्क और समुचित समायोजना की दृष्टि से इस तथ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है अन्यथा काव्य-रस के आस्थादन की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हुए बिना न रहेगा। आचार्यों ने इस प्रकार की प्रवृत्ति को प्रबन्धगत रस-दोष की कोटि में परिणत किया है और कवियों को परामर्श देते हुए लिखा है कि वे रस-परिपाक की कोटियों को सहज विधि में

हृदयगम बरने वा महत्व गमने और क्षपनी रचना वो ऐसी न दनने दे जिससे सहृदय काव्य-रसिकोंने मन में कवार्ता अथवा म्लानता वा सचरण हो जाय।

कव्यानन्द के आस्थादान को अधिक रो अधिक प्रतीतिगम्य और विगतिवेदात्मरसपशंशूल्य बनाने के लिए आवश्यक है जि उसकी निष्पत्ति के आधारभूत अगो वा अभिनिवेश अत्यन्त सजीवता और बलान्मवतापूर्वक किया जाय। वस्तुत काव्य की वर्णन विषय सामग्री अपने प्रस्तुत एवं अप्रस्तुतविधान में जितनी अधिक जीवत और मूर्तिमयी बन बर उपस्थित होती है, उतनी अधिक वह काव्यानन्द की उपजीव्य निधि बनती है। जिस कवि वो हृति वा आस्थादान बरते समय उसके भावों वा महज चित्र अपनी नीरागिक प्रवृत्ति में हमारे मनो-मूरुर पर अकिञ्चन होता, वह अपनी रचनाएँ महान् नहीं बहा जा सकता। कवि का वर्तन्य है कि वह अपनी वर्ण्य-योजना वो ऐसी दुर्ह किलप्ट न बना दे जि उसका विष्व-विधान होना हो सके और उम्मेद अहीता जो कष्ट-कल्पना करनी पड़े। इसमें वोई सदेह नहीं कि काव्य में पाण्डित्य-प्रदर्शन के भी अवसर होते हैं, किन्तु वे उसके प्रहृत उपबरण नहीं हैं। वैदम्यमयीभणिति अथवा कृहात्मक चमत्कृति के अवसाद में वे भले ही महिमामटित करे जा सकें, विन्तु काव्य-सरिता के सहज प्रवाह के मार्ग में वे दुर्गम्य होते हैं। आवार्णोंने अनेक प्रसगों में उन्ह किलप्टत्व दोष की अभिधा से लांछित भी किए?। वस्तुत उनमें नाव्य की रसगमी गुण-गरिमा और निष्पाट अभिष्पत्ता का भवाद रहता है। उनकी उपयोगिता काव्य-नौतुकी द्वाविड़ी प्राचीनाम-क्रिया की भाँति ही होती है जिसमें कवि वही तो मूर्य-विष्य वो रखनपुर वानर में उपस्थित कर प्रातः कालीन सुपमा वो नुमापयी रग प्रशान करता है तो वही दृष्टिकूटों, प्रहेतिवाक्रों और समस्यापूर्तियों के सम्भार में ही अपना युद्ध-क्षेत्र नियोजित कर देता है। ऐसे वाक्यों की प्रशंसा बरने वाले भावन भी मिल जाते हैं, किन्तु उन्हें एक विशिष्ट वर्ग पर्यन्त ही गोभित बिया जा सकता है। व्यापक दृष्टि से ऐसी हृतियों में लोकानुरजन और मन प्रगाढ़न की अभीष्ट सामग्री की न्यूनता ही परिलक्षित होती है जिसे लोकसामान्य भावभूमि पर प्रहृण बरने में शकास्पद होने के अनेक अवसर विद्यमान हैं। सारीं यह है कि काव्यानन्द की अनुभूति में विभावादि की कष्ट-कल्पना अथवा भाषा-चमत्कार के युग्मनजनक प्रयोग एक गोमा तक ही पाए हैं जिसका विवेकममत अभिज्ञान काव्य-व्यष्टा अथवा काव्य-भावव को अवश्यमेव होना चाहिए।

रस-विघ्नों के म्वहण और उनके निवारण के वर्णित उपायों का विमर्श बरते के पश्चात् अब हम बेचत एवं बात वा उन्नेय बरता आवश्यक समझते हैं और यह यह है कि भारतीय काव्यशास्त्र में उनकी विवेचना विनुद साहित्यिक

दृष्टि से को पढ़े है। आज के मुण्डीचन की मरुतता ने मानव-मन की ग्रन्थियों में जो जटिलताएँ और विर्त्तियाँ उत्पन्न कर दी हैं, वे कदाचित रग विघ्नों के मामान्य रूपों से बही अधिक आगे हैं, तिन्हु वाच्य-गाहन्त्र को रागान्मिका वृत्ति के परिपाशवें में निरूपित करते समय पूर्व-विवेचित रस-विघ्नों की स्थिति और उनके निराकरण के उपायों को भली भीति समझ लिया जाय तो काच्य के आनन्द-बोध की प्रक्रिया के सम्बन्ध उद्घाटन की दिशा में उपस्थित होने वाले अनेक व्यवधान निराहत रिये जा सकते हैं।

भक्ति-रस का रूप-विमर्श

भक्ति-रस वा आदि स्रोत

भक्ति की रस-रूप में प्रतिष्ठा तथा उमड़े तत्वों का विमर्श भारतीय बाव्य-शास्त्र वे अहापोह का एक अत्यत आवर्णक विषय रहा है। भरतमुनि से सेवर पण्डितराज जगन्नाथ तक जिन बाव्यशास्त्रियों ने जपना रस-विमर्श प्रस्तुत किया है, वे भक्ति को स्वतन्त्र रस के रूप में प्रतिष्ठित न कर देवादिविषयक रोति की मक्का देते हुए बेवल भावमात्र मानते हैं, क्योंकि उनके अनुगार देवादिविषयक रोति और व्यज्ञना-वृत्ति से शात हुए व्यभिचारिभाव बेवल 'भाव' ही रहे जा सकते हैं। उसे स्वतन्त्र रस के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्येय उन बेलव आवायों की है जिन्हाँने जपनी मधुरोपासना को मूर्द्धन्य स्थिति प्रदान करते हुए भक्ति को सर्वोच्च गुरुता प्रदान की थी। इस विषय के शीर्षक स्वरूपात्मा-विरचित 'भक्तिरसामृतसिध्धु' नामक ग्रन्थ विशेषतः उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने बाव्यशास्त्रीय पद्धति से समस्त रसों वा पर्यंकस्तान भास्तु-रस में बरते हुए अपनी भौलिकता वा परिचय दिया है। मध्यवालीन वैष्णव सम्प्रदायों में माधुर्य भक्ति वा जो प्रबल प्रचार रहा, उसका मूल उद्धारित करना रठिन सा है, किन्तु दलभीमासा की दृष्टि से उसका आदि उन्होंने मनुष्य की उम प्रेम-भावना या रोति-वृत्ति में माना जा सकता है जो जात्म-प्रसार और जात्म-भास्तुत्वार करती हुई अपने जीवन का परम प्राप्त उपतन्त्र बरते के लिए ज्ञानित्वाल से समर्पणान्वयु रही है। विद्वानों ने वैष्णव सहिताओं में प्रदुक्त 'मधुरिदा' और 'मधुसत्ता' वादि स्थदों की घुलात्त में माधुर्योपासना का बोड बनुमधित किया है, पर यह मत सर्वमात्र नहीं है। भागवत सम्प्रदाय की पांचरात्र सहिताओं में वर्णित चर्यांशाद का विषय विवेचन माधुर्यभाव की भक्ति वा शृण्डाशार सा प्रशीत होता है। बोदों की तीर्तिक साधना, गूकियों की माधुर्यभावना और ईमाईयों की प्रेमोपासना में भी मधुरभक्ति के तत्त्व-व्याप समाहित है। यी मधुरुदन सरस्वती ने 'भक्तिरसायन' नामक ग्रन्थ में भक्ति वा जो परिभाषा भी है, उससे उसमें प्रेम, बनुराग और चित्त से द्विभाव वा प्रायान्व छिद होता

है।¹ 'नारदभक्तिगूढ़' में उर्दे 'गा स्वस्मिन् परम प्रेमरूप' तथा 'शोदिल्यभक्तिगूढ़' में उर्दे 'गा परानुरक्तिरीश्वरे' कहा गया है। इस विषय में गौडोय आचार्यों का का योगदान विशेष महत्वपूर्ण है। उन आचार्यों के विवेचन और निहण का ही यह प्रभाव है कि भक्तिपरक काव्य पर माधुर्यं भावना का प्रचुर प्रभाव पड़ा और हिन्दी शाहित्य का मध्यकाल भक्ति की अजग्र धारा से प्रपूरित हो गया। उस काव्य-नारकात्मक के वर्ष्य विषयों की शास्त्रीय समीक्षा करने पर भक्ति की तिप्पति निश्चय हो एक प्रमुख रूप के द्वारा स्पष्ट हो जाती है।

चंतन्य मत और भक्ति-रस की परम्परा

यद्यपि महाप्रभु चंतन्यदेव ने किसी यत या रामप्रदाय का प्रवर्तन नहीं किया तथापि उनके अविदेत्व में ऐसा प्रबन्ध आर्थिक और विलक्षण सम्मोहन पा जिसके कारण बृद्धावन के पट्ट दोस्वामियों ने उनका शिव्यत्व स्थीकार कर उनके सिद्धान्तों को शास्त्रीय व्यवस्था प्रदान की। बलदेव विद्यामूर्पण आदि विद्वानों ने चंतन्य-मत को माध्य सम्प्रदाय के अन्तर्गत निरूपित करने का प्रयत्न किया है,² किन्तु उनकी यह धारणा तत्वसङ्गत नहीं है। वस्तुतः चंतन्य मत का दार्शनिक सिद्धान्त 'अचिन्त्य भेदाभेदवाद' है जिसकी व्याख्या करते हुए जीव-गोत्वामी ने लिया है कि 'भगवान् में स्वरूप आदि शक्तियों के अभिन्न होने के कारण विचार करना अशब्द होने से भेद प्रतीत होता है और भिन्न होने से विचार करना शब्द न होने से अभेद प्रतीत होता है, इसीलिए इसमें भेदाभेद स्थीकार किया जाता है। ये दोनों अचिन्त्य हैं जिसके कारण इस मत का नाम 'अचिन्त्य भेदाभेदवाद' है।³ हमें यहाँ माध्वमत और चंतन्य मत का तात्त्विक अन्तर निरूपित करना अभीष्ट नहीं है। हम तो यहीं पर केवल इनका ही सकेत करना चाहते हैं कि काव्य में भक्ति-रस की मधुर प्रतिष्ठा करने के दोष में चंतन्यमतावलम्बी पट्ट आचार्यों का महत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि

1. द्रुतस्य भगवद्मर्तृ धारावाहिकर्ता गता ।

सर्वेण भनस्तो वृत्ति-भक्तिरित्यभिधीयते ॥

द्वीपावप्युविका भनस्तो भगवद्वाकारहपा सविरुप्यवृत्तिभक्तिरिति ।

2. इस विषय में बलदेव विद्यामूर्पण रचित 'गोविन्दमाल्य' और 'प्रसेम रहना-वली' नामक ग्रन्थ पठनीय हैं ।

3. स्वरूपाद्यभिन्नत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद् भेद., भिन्नत्वेन चित्यितु शक्यत्वाद् अभेदरच प्रतीयते इति भक्तिशक्तिमतोभेदाभेदो थेगोहन्ती । तो च अचिन्त्य । स्वयंते तु अचिन्त्यभेदाभेदाद्यनेव अचिन्त्यशक्यत्वात् ।

(जीवगोस्वामी, भगवत्संदर्भः)

उन्हीं से भक्ति-रम की परम्परा जो कामयन ग्रान्तीय प्रीड़ि शाम हुई है। इस विषय में 'भक्तिरमामृत-निघ्न' नामक इन्द्र नमी द्विटों से पठनीय है जिसमें न केवल काम्यरामीय रसा वा भक्ति-रम के पर्यवर्तन विषय रहा है बल्कि उन्हीं 'भक्ति' को मुख्य रम भानुदर अन्य भाग्यतिव रसों वा वर्णन उपर्ये अग रम ने हुआ है। उन इन्य वा विषय मिघ्न हे इन्हें इनित वर उन्हें रचनिता में 'नोपधरीभूतवतु लक्ष्मा' के लक्ष्मार उन्हें चार विभाग-भूर्ब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर-विषय हैं जिनमें दुच मिला कर तेस्य लक्ष्मिया है और जिनके प्रत्युषेत फलशो मानान्वेनिति साधनभवित भावनत्वित और प्रेमभवित का निः-पश्च पूर्व विभाग न, विनाव भनुकाव भातिव भाव, व्यक्तिचारिभाव और स्यापिभाव वा वर्णन दक्षिय विभाग में शोनरम, प्रीतिभक्तिरम प्रेयोदक्षितरम वन्ननभवितरम और नद्युरभवितरम वा वर्णन पश्चिम विभाग ने तथा हस्त-भक्तिरम, अद्युरभक्तिरम, खोरभक्तिरम, वरणभक्तिरम, रौद्रभक्तिरम, भयानदभक्तिरम, वीभन्नभक्तिरम, भैशादेवभवित-भक्ति-रम और रमाभान वा विवेचन उन्हर विभाग ने दिया गया है। यह मनस्तु विवेचना आवायं रम-योग्यामी के प्रशाठ पर्याद्य और अग्राघ प्रतिभावामेन वा परिचालक है। उनके अग्रुदीतन द्वारा भक्तिरम वा प्रदृति निमित्त, भक्ति-रम वा आचीन ग्रान्त्र में देवामेद, आक्तन रमनिदांत की भक्ति रम के अति उपर्योग्या और भक्तिरम की प्रतिभा वा नम्बद् बाध दें यागा है। आवायं रमगोम्बामी वा यह विवेचन रम प्रतिभा में विविचित विवे जाने वाल साधारणीकरण, सविदिधांति, और मात्रामी मापान्वाराभिका प्रटीति वो छोटे ने भी निर्दर्शित विषय जा करता है जिनके कामें अनेक प्रवार वीं भौतिक उपलब्धियों के लिए उत्तावनाएँ दर्शी हुई हैं। आवायं वर वे मानुमार इधर वा अस्यामिलापतारूप लक्ष्मीलत ही उत्तम भक्ति वा लक्ष्मा है दिनके नम्नुड भोजादि मुख घो तुच्छ हैं। उनके ग्न्दो में उन उत्तम एव मुदुर्वंभ भक्ति वा रम निम्ननिहित है:—

बन्धानि वापितारूप्य इनवर्मधनादृतन् ।
कानुरूप्येन हृष्णानुनीतन भक्तिरस्तना ॥१
करेकम्भी शुभदा मापानपुत्राहरु लक्ष्मीलत ।
नान्दानन्दविमेपाना शोकृष्णावदयेष्मी च सा ॥२

भीष्म-रम की काम्यरामीय प्रविभा

स्वयोस्वामी ने काम्यराम-दिवेभित रम-निदान्त की प्रविभा वे लक्ष्मीर भक्ति-रम की विवेचना की है। शोमद्यानवत्त में यिन भाष्यदत्त रम को 'कन्तु-

1. भक्तिरमामृतनिघ्न, 1 : 1 : 11

2. वही 1, 1, 13

द्वावसंयुत फल' से उत्तमित किया गया था,² उमे श्री हप्तगोत्सवामी ने न लेखत रम-विषयक पूर्णता ही प्रदान की अपिनु उत्ते सबौपरि अंगी रस भी लिह किया। जिम प्रकार रस-निष्पत्ति के लिए स्पायिभावों के साथ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावों का दर्योग अपेक्षित है, उत्ती प्रकार भस्तिरस के लिए भी वे अंग दौड़ीय हैं। आचार्य जी ने हामान्यताया वाय्य-शास्त्रीय रस-निष्पत्ति की परण्या को अपनाकर उनी के मात्रे में भविनरग का निरूपण किया है। उनका मत है कि 'भविनरग का स्पायिभाव भविनद्रिति अथवा कृष्णरति है जो किमाय, अनुभाव, मार्हिकभाय तथा व्यभिचारिभावों द्वारा धृषण अथवा मनन आदि वी महाप्रसादे भवतों के हृदय में आस्थादाता पों प्राप्त होता है। भविन-रस का आस्थादान केवल वही व्यवित कर गवता है जिसके मानस में पूर्वजन्म तथा चतुर्मान जीवन की उत्तम कौटिप्रकृति बासना या भविन-ग्रस्तार विघ्नमान हो।'³ वृष्णे मंत्रव्य को विशेष रूपत बनाने के प्रयोगन से उन्होंने लिखा है कि 'आध्रन हृषा वैधी भविन के द्वारा जिनके दोषो पा शमन हो गया है वृत्तएव प्रशान्त और निर्मल चित्तवासे, भगवान् और भाववत जन्मों के संगर्ग में अनुरक्षण रहने वाले, प्रशान्त के चरणों को भविन को अपना जीवन-नारेष्व समझने वाले, प्रेम के अन्तर्गत पात्व्यों का रादेव अनुष्टान करने वाले भवनों के हृदय में ही प्राप्तजन तथा आपुनिक दोनों प्रकार वे संक्षारों से उज्ज्वल आनन्दहृषा रति ही आस्थादाता को प्राप्त होकर कृष्णादि हृष विभावादि के द्वारा देखने से प्रीत घमत्वार की पराकारदा को प्राप्त होती है।'⁴ आलंबन ने रति (गाव) और प्रेम में अन्तर माना है और बतलाया है कि प्रेम की रित्यति भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट भीणी बी है, अतः वह भाव की अपेक्षा अधिक गरुनता से रमहृषा प्राप्त पर लेता है। उन्होंने भविन-रस के लिए अभीष्ट विभावानुभावादि का भी वर्णन किया है और उनके गामान्य लक्षण-निष्पत्ति में भी भविन के अनुकूल पदार्थों की घोजना कर ली है। आचार्य का कहना है कि रति के आस्थादान-हेतुओं का नाम 'विभाव' है और उनके आलम्बन और उद्वीपन रत्नक दो भेद हैं। उन्होंने कृष्ण और उनके भवनों को आलम्बन माना है वयोऽकि वे ही रति के विषय तथा आधार रहनते हैं। कृष्ण नायकों में लिरोरत ही नहीं, अपिनु साक्षात् भगवान् हैं और उनमें समस्त महाशुण नित्य हरा में विराजमान रहते-

1. निगमकल्पतरोगेनितं फलं, मुसमुखादमृददर्मयुतेन् ।

पिवत भाववत्तं रसमालय, मुहूरहो रसिका भुवि भावका ॥

2. हृष गोत्सवामीः भविनरभाष्टामित्यु, दक्षिण विभागः प्रथम नहीं,

श्लोक-5-7

3. वही, श्लोक, 8-11

हैं। उनका आर्लंबन नात्मरूप भी होता है तथा अन्य रूप भी। उन्होंने कृष्ण में चाँसठ गुण निर्दिष्ट कर उनका सक्षण-मुरसार सोदाहरण विवेचन किया है। भारतीय वाच्यशास्त्र अथा नाट्यशास्त्र में धीरोदात्तार्दि सज्जक जो चार प्रवार के नायक माने गये हैं, उनके भी लक्षण श्रीकृष्ण-चरित में निरूपित कर थी स्वामीजी ने उदाहरणपूर्वक उनका संघटन प्रस्तुत किया है। इस विश्लेषण द्वारा रूपगोस्वामी की अद्भुत योग्यता का बोध होता है। उन्होंने विविध ग्रन्थों से उदाहरण संचित नहरते हुए अपने सहज शौहरादं और नीरधीर विवेक का परिचय दिया है। इग विवेचन की एक मुख्य विशेषता यह है कि श्रीरूप-गोस्वामी वे मनानुसार लोक में दोप्रवृत् प्रतीन होने वाले मात्सर्य आदि भाव भी कृष्ण की चरित लीला वे आश्रय से गुण बन जाते हैं। इसी प्रकार में उनका यह निर्णय विशेषता उन्नेपनीय है कि कृष्ण के गुण ही भक्तों के गुण होते हैं।

भक्ति-रत्न के उद्दीपन विभाव

भक्तिरत्न के उद्दीपन विभावों के विषय में रूपगोस्वामी का वचन है कि उनके अन्तर्गत भगवान् श्रीकृष्ण के गुण, चेष्टाएं तथा अलकरण आदि मुख्य रूप में आने हैं। गुणों का क्षेत्र वाचिक, वाचिव और मानसिक रूपों तक व्याप्त है। वाचिक-गुणों में आयु सौन्दर्य, रूप तथा मृदुता आदि आते हैं। यद्यपि वाचिक गुण कृष्ण के स्वरूपमूर्त ही हैं तथापि वे स्वरूप से अभिन्न होने पर भी पात्त्वनिक मेद को श्वीकार करके ही स्वरूप में भिन्न गुणों के रूप में पहुँचते हैं, क्योंकि इस प्रकार से कथित होने पर ही वे उद्दीपन विभाव होते हैं। इन गुणों में आलम्बनत्व तथा उद्दीपनत्व का उभयग्रिष्ठ समावेश रहता है। आयु में बौगार, पौगण्ड तथा बैशोर अवस्थाएँ आती हैं तो सौन्दर्य में अगों का यथोचित सम्निवेश रहता है। रूप का अभिप्राय पह है कि जिसके द्वारा असकार अलकायं देन जाय। बौगल स्पर्श को भी सहन न कर सकने को मृदुता रहती है। रूपगोस्वामी ने वाचिव तथा मानसिक गुणों का वर्णन न कर उनका उल्लेख मात्र किया है। उन्होंने कृष्ण-भक्ति के उद्दीपन विभाव की चेष्टाओं में राम आदि सीलाओं और दुष्टों के धध आदि भी महत्व दिया है। अतः वर्णन और प्रसाधन के उपचरण वस्त्र विन्यास और अलकार आदि हैं। प्रसाधन का एह अन्य साधन 'आवाल्य' या देशादि वीं बनावट है। 'आलेप' भी अन्य प्रकार के होते हैं। मठन-रूप प्रसाधन में मुकुट, कुण्डल, हार, चौबी और नूपुर आदि की गणना वीं जाती है। आवाल्य के गुण, चेष्टा तथा प्रसाधन रूप उद्दीपनविभावों के अतिरिक्त स्मित की भी चतुर्थ उद्दीपन विभाव माना जाता है। अग-मौरञ्ज पञ्चम उद्दीपन विभाव है। वेण नामक चष्ट उद्दीपन विभाव में वेणु, भुरसी और वशिष्ठ-वादनकाल की भूमिगमाएँ परिगमित होती हैं। रूपगोस्वामी ने शृंग, नूपुर, चरण-चिह्न, दोत्र, तुलसी, भवन और दिवम् नामक सात और

अंग जोड़कर तेरह प्रकार के उद्दीपन माने हैं। इस प्रकार का वर्णन इतना अधिक भव्य और आकर्षक बन गया है कि उसके द्वारा शृंगार की उद्दीपन अवस्था विशेष बाक्यांश के साथ व्यवत हो सकी है।

अनुभावों और सात्त्विक भावों का विसरण

हप्पोस्वामी ने अनुभावों को चित्त में स्थित मुख्य भावों के बोधक कहकर उन्हें प्राप्त बाह्य किया रूप माना है और उन्हें 'उद्भासुर' की सज्जा दी है। उनके मनानुगार भस्ति-रम में गाधारणनया शीत और छोपण नामक दो प्रकार के अनुभाव आते हैं जिनमें नृत्य, विलुठन, गीत, कोशन, तनुमोटन, हुकार, जम्मण, प्रदातामूर्ता, लोकानपेक्षिता, नालसा, अट्टहाम, घूर्णा और हिक्का आदि की पणना होती है। इन तेरह प्रकार के अनुभावों के अतिरिक्त शरीर का फूलना तथा रक्त का निकलना नापक कुछ अभ्य अनुभाव भी हैं, पर वे बहुत कम देखे जाते हैं अतः उनका वर्णन नहीं किया गया है।

सात्त्विक भावों के सम्बन्ध में हप्पोस्वामी का कहना है कि साक्षात् अपवा किंचित् व्यवधान से हृष्ण-सम्बन्धी भावों से आक्रान्त चित्त का नाम 'सत्त्व' है। सत्त्व से जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें सात्त्विक भाव कहते हैं। स्तिष्ठ, दिग्ध तथा रुद्ध संज्ञक तीन प्रकार के सात्त्विक भाव हैं। स्तिष्ठ के दो प्रकार हैं—मुख्य और गौण। साक्षात् रूप से हृष्ण संबंधिनों रति से आक्रान्त सात्त्विक भावों को गौण कहते हैं। दिग्ध सात्त्विक भाव वे हैं जो मुख्य तथा गौण नामक दोनों प्रकार की रति के बिना होने वाले भावों में मन के आकर्त्त बोने पर रति के अनुगामी, रूप में उदित हैं। रुद्ध भाव एक प्रकार के रोमाँचित भाव हैं जो हृष्ण की मधुर तथा आश्चर्यमयी वार्ताएँ मुनने से उत्पन्न होने वाले आनन्द और विस्मय के कारण भक्त-मदृश किन्तु रनिशून्य पुरुष में कही-कही उत्पन्न होते हैं। चित्त के द्वेष के कारण विकार को प्राप्त होकर जब शाश्वत शरीर को अत्यन्त विक्षुद्ध कर देता है, तब भक्त के शरीर में स्तम्भ, स्वेद, रोमाँच, स्वरभेद, कम्पन, धैवर्ण्य, ब्रथूपात तथा मूर्छा नामक सात्त्विक भावों की उत्पत्ति होती है। उम समय प्राणों की गति या तो आकाश को छोड़कर अवशिष्ट चार तत्त्वों का अवलम्बन करती है या कभी स्वयं स्वतंत्र रूप से वह (प्राण) देह में सर्वत्र विचरण करता है। आचार्यों का कहन है कि प्राणों का बाह्य विक्षोभ 'अनुभाव' कहलाता है तथा आंतरिक विदोभ सात्त्विक भाव। इन सात्त्विक भावों के अनेक आधार और रूप हैं। स्तम्भ नामक सात्त्विक भाव हैं, भय, आश्चर्य, विद्याद और क्रोध से उत्पन्न होता है और उसमें धाणी आंदि का अभाव, निश्चलता और शून्यता आदि होते हैं। स्वेद नामक सात्त्विक भाव हैं, भय और क्रोध आदि आंतरिक वृत्तियों से उत्पन्न होकर बाह्य अनुभावों के रूप में

शरीर मे प्रस्त्रेद उत्पन्न कर देता है। रोमाच की उत्पत्ति आचर्य, हर्ष, उत्साह और प्रयादि से होती है। उसमे रोम खड़े हो जाते हैं और अगो मे जिसी वस्तु के स्वर्ण आदि जैगा अनुभव होने लगता है। स्वरभेद गजद सात्त्विक भाव विपाद, विस्मय, अभर्ष, हर्ष और भय से उत्पन्न होने वाली 'स्वरविष्टि' का नाम है जिसे 'गद्गदिना' की आदि जननी' कहा जा सकता है। वेष्य नामक सात्त्विक भाव भय, त्रोध, और हर्ष आदि से उत्पन्न होकर शरीर पर अस्तिर बना देता है। वैवर्घ्य मे विपाद, रोप और भय आदि के कारण मुखाहृति मे भलिनता और छुटाता-कन्द विवर्णता आ जाती है। वह विवर्णता विपाद मे रक्तिमा, धूमरला और वानिमा रूप होती है जबकि त्रोध भ वह शक्तिमा एवं भय मे रक्तिमा तथा शुक्तिमा रूप रहती है। अथु की उत्पत्ति हर्ष, रोप और विपाद-जन्म है जिसमे नेत्रो मे धोम, राग और समावेन आदि होता है। प्रत्यय उस सात्त्विक भाव का नाम है जो सुख या दुःख के अतिरिक्त मे वारण वैष्टा तथा ज्ञान से रहित हो जाने वी स्थिति मे उत्पन्न होता है।

यो तो सत्त्व से उत्पन्न होने के कारण तथायी तथा व्यभिचारी सज्जन भाव भी सात्त्विक ही होते हैं, जिन्हु मुख्य रूप से स्वेद और स्तम्भ आदि आठ सत्त्व-मूलक भाव ही सात्त्विक भाव बहनाते हैं। जिस प्रकार यत्व वे न्यूनाधिक द्वारा प्राण तथा शरीर के विक्षीम मे भी तारतम्य होता है, उसी प्रकार सात्त्विक भावो मे भी न्यूनाधिक तारतम्य पाया जाता है। अधिकाधिक बढ़ते हुए सात्त्विक भाव वशमा धूमायित, जबलित, दीप तथा उद्दीप्त नाम से चार प्रकार के होते हैं। सात्त्विक भावो वी यह वृद्धि भूखिकामव्यापकता, बहुगव्यापिता और स्वस्मोल्पर्य के कारण तीन प्रकार की होनी है। इप्योस्वामी ने सात्त्विक भावो के इन प्रकारो का वर्णन जट्यन्त विस्तारपूर्वक किया है। उनका मत है कि उद्दीप्त भाव ही कृष्णविषयक परमरति अर्थात् 'महाभाव' मे और भी अधिक उद्दीप्त हो जाते हैं जिसे गमस्त सात्त्विक भाव एवं साय घरम सीमा तक पहुँच जाते हैं। उन्होने बतलाया है कि सात्त्विक भावा की मात्रा चार प्रकार के सात्त्विकामान भी होते हैं जो या तो रत्याभास और मत्वाभास से उत्पन्न होते हैं या सत्त्वरहित या विपरीत रूप मे पाये जाते हैं। इप्योस्वामी ने 'मनिररनानुगिन्तु' के देश विभाव की तृतीय सहरी मे इन सबका अत्यन्त विस्तारपूर्वक विवेचन किया है।

व्यभिचारिभावो की रूप संक्षिप्ति

इप्योस्वामी ने वाचिक, आदिक और सात्त्विक रूप से व्यायिभाव की गति का सचालन करने वाले भावो को व्यभिचारिभाव का मत्तारिभाव कहा है। ये भाव स्थायिभाव रूप अमृत-सागर मे निर्मित उन्मग्नित और निर्मग्नित

होते हैं; सहरों के समान हमें संबंधित करते हैं तथा अन्त में तदूपता की प्राप्ति होते हैं।¹ उन्होंने काव्यशारण में प्रतिपादित व्यभिचारिभावों के ही समान संतीक्ष प्रकार के व्यभिचारिभाव माने हैं और प्रत्येक व्यभिचारिभाव का वर्णन कृष्णभवित को उपलब्धित करते हुए किया है। इन व्यभिचारिभावों में से कोई व्यभिचारिभाव किसी दूसरे व्यभिचारिभाव का परस्पर विभाव और अनुभाव भी ही सकता है। जैसे ईर्ष्या निवेद का विभाव (कारण) होती है जबकि असूया में ईर्ष्या वी निश्चित रूप से अनुभावता रहती है।² हयगोस्वामी ने व्यभिचारिभावों की परस्पर विभावता का वर्णन करने के साथ स्वतन्त्र और परतन्त्र के भेद से भी उनकी प्रकारभणन की है। व्यभिचारिभावों के अनिरिक्त व्यभिचारिभावाभास भी होता है। उसका प्रयोजक या तो अस्यानन्तरहृष प्रतिकूल्य होता है या अनोचित्य। व्यभिचारिभावों की भी उत्तरति, सधि, शबलता और शाति भासक चार अवस्थाएँ होती हैं। बस्तुतः भावों का यह विवेचन अत्यन्त गहन है। हयगोस्वामी ने 'भावा विभाववनितारिचतदृतय ईरिता' कह कर स्वाभाविक तथा आगतुक नाम से उनके दो विभाव किये हैं तथा इन दोनों की पृथक् पृथक् रूप से व्याख्याएँ भी की हैं। उन्होंने स्वाभाविक भाव को 'व्याप्यान्तर्वैहिस्थितः' माना है और मंजिष्ठा राग से उपस्थित किया है। उसके प्रति विभावों की विभावता नामभाव की ही होती है। आगतुक भाव पटादि की लालिमा के समान हैं। वह अपने विशेष कारणों से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं से बढ़ता है। हयगोस्वामी ने इस विषय का भी विलेयण किया है कि भावों के वैशिष्ट्य की भाँति भक्तों में भी वैचिष्ठ्य होता है। उन्होंने चित्त की स्थिति गरिष्ठ, गम्भीर, महिष्ठ और उत्तान नामक अभिधा से चार प्रकार की मानी है। गरिष्ठ चित्त स्वर्णपिण्डवत् होता है तो लघिष्ठ चित्त तूलपिण्डवत्। गम्भीरचित्त को सिधुसम तथा उत्तान को 'पल्लवादिवत्' कहा जा सकता है। महिष्ठ चित्त में भाव विद्यमान होने पर भी नहीं दिखलाई देते, किन्तु क्षोदिष्ठ चित्त में वे अनायास ही प्रदर्शित हो जाते हैं। कक्षणचित्त वच्च, स्वर्ण और जटु के समान माना गया है और कोमलचित्त मोम, मक्खन तथा अमृत के तुत्य। हयगोस्वामी का निर्णय है कि थेठ कृष्णभवती का चित्त अमृत के समान स्वभाविद्वीभूत तथा गरिष्ठादि गुणों से युक्त रहता है।

स्थायिभावका लक्षण और कृष्णविद्यक 'रति' का प्राप्ताय

हयगोस्वामी ने स्थायिभाव की परिभाषा देते हुए लिखा है कि 'जो भाव

1. भक्तिरसामृतार्त्तिष्ठु. दभिणाभाग, चतुर्थी लहरी, श्लोक-संख्या 1-3

2. भक्तिरसामृतार्त्तिष्ठु, दभिण भाग, चतुर्थी लहरी श्लोक-संख्या 4-8

अविरद्ध और विहृद सम्मन भावो को अपने दश में इतके उत्तम राजा हे नमान शोभित होता है, वह 'स्यायिकाव' कहता है। भक्तिसात्र में थीबृण्ण विषयक रति ही स्यायिभाव है जिसे रत्नों ने मुख्य तथा गौणी नमक दो भेदों में परिवीर्तित बिशा है। शुद्धत्व विशेषात्मारति ही मुख्य रति है जिसके स्वार्थी और परार्थी नामक दो भेद हैं। न्वार्यारति अविरद्ध और स्फुट भावों से अपने को पुष्ट करती है और विहृद भावों के द्वारा उमड़ा अभिभव बरना बठिन हो जाता है। परार्थी रति वा पार्थ स्वयं वा भवोच वर अविरद्ध अपया विहृद भावों वा पोषण बरना है। मुख्य परार्थी रति दो शुद्धा प्रीति, मस्त, बालमन्त तथा श्रिमता-भेद से पौच प्रकारों में विभक्त बिशा गया है। इनमें भी शुद्धारति सामान्या त्वच्छा और शाति नामक तीन प्रकारों की होती है और वह जगों में वस्पन तथा नेत्रों में मीतनोन्मीतन उत्तम बरनी है। रति के शेष प्रकारों में भी थीबृण्ण तो बालमन्त होते ही हैं। इन सब रतियों के भेदोंभेदों का विवेचन 'प्रसिरमामृतानिष्ठु' के दक्षिण विभाग द्वी पचम सहरी में दिया गया है।

गौणी रति के अपेक्षा-प्रकार और उनकी इसमयता

हपगोस्त्वामी ने गौणी रति का विस्तृप्त बरते हुए लिखा है कि जो रति विभाव में उत्तर्य से उत्तम भावविशेष दो, स्वयं मनुचित सी होती हुई प्रत्यक्ष करती है, वह गौणी रति बहनती है। गौणी रति ने प्रयोजक सात प्रकार दे भाव-विशेष हांनि है, जिनके नाम हाम, विम्मय, उन्नाह, शोऽ, ओघ, भय और युगुण्णा हैं। इनमें युगुण्णा दो छोड़ कर शेष छह भावों में थीबृण्ण विभाव हो सकते हैं। युगुण्णा रति में बेवत देहादि वा ही विभावत्व स्वीकार्य है।¹ 'हप-गोस्त्वामी' वा मत है कि हामादि सातों भाव विशेष जिनी विशेष भक्ति में रति द्वारा मौनदर्यानिष्ठय प्राप्त वर उम समय की जीवा आदि के अनुमार कुछ भाव के निए स्यायित्व प्राप्त कर सेते हैं, अतः उन्हें स्यायिभाव बहा जाता है। गौणी रति के हाम आदि भेदों में कोई आधार नियत नहीं है। विनी नियत बाधार के अधार में ये मात्रों ग्रामीण भाव महज हांनि पर भी विचल्प भावों से तिरस्कृत होकर लीन हो जाते हैं। अपने अ धारों में पारप अपने स्वरूप में सर्वेन्द्र विद्यमान रति आत्मरति स्यायिभाव है जो सम्मन भक्तों में रहता है। विष्णु अर्थात् भक्तों से मिल व्यक्तियों में स्यायिभावत्व वो प्राप्त होने पर भी भक्ति रग के धोन में इन रति के बिना हाग आदि गारे भाव स्वर्प हो जाते हैं। सन तो यह है कि रतिगूम्य होने के कारण अविरद्ध भावों में सदनित होकर

1. भसिरमामृतानिष्ठु-दक्षिण विभाग, पचम सहरी इनीष म. ३०-३२

अद्वित व्यभिचारिभाव अपने समन्वित हृषि में भी भक्तिरस की योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते। निर्वैदादि व्यभिचारिभाव नष्ट हो जाते हैं, अत उनको स्थायिभाव नहीं माना जा सकता। मति और गवं आदि तो स्थायिभाव हो ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में यही कहना उचित है कि हासादि मात्रो रति-भाव ही संपूर्ण होकर भक्तों में स्थायिभाव बनते हैं तथा श्रीकृष्ण के प्रति अपना प्रेम संवर्धन करते हैं।¹ रूपगोस्वामी ने हासादि रति भावों के लक्षण निहित कर उदाहरण पुरस्तार उनका विवेचन किया है। उनका मत है कि हासादि भावों में रतिहृषि का ही प्राधान्य है और जब तक वे रमावस्था प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक 'स्थायिभाव' ही कहसाते हैं।

रूपगोस्वामी ने काव्यशास्त्रीय परम्परा के अनुसार तीनीस व्यभिचारभिव, आठ स्थायिभाव और आठ सातिक भाव के दोग से बुल उन्नास भाव माने हैं। उनका वह कथन उल्लेखनीय है जिसमें उन्होंने यह तत्त्व स्वीकार किया है कि 'श्रीकृष्ण के साथ सम्बद्ध होने वे कारण त्रिगुणातीन तथा प्रौढानन्द हृषि होते हुए भी विगुणात्मक पदार्थों से उत्पन्न होने के कारण वे सब भाव सुख-हु-खमय अर्थात् उभयात्मक से प्रतीत होते हैं।² 'मुद्यप्रधान भावों को शीत तथा दुःखमय अर्थात् उभयात्मक से प्रतीत होते हैं। यह एक विविध बात है कि परमानन्द-सदी होने पर भी रति स्वभावतः शीत भाव न होकर उप्पभाव मानी जाती है, किन्तु बलिष्ठ शीतभावों से पुष्ट होकर वह शीतहृषि बन जाती है। वही रति उप्पभावों के सम्पर्क से अत्यधिक उप्प होकर सतापित करती हुई भी प्रतीत होने लगती है त्रिमुके कारण विप्रलभ्म में दुःख का भारातिशम्य सा आभासित होने लगता है।³ बन्तुतः रूपगोस्वामी भी इस मत के समर्थक हैं कि मुख्या और गौणी नामक रति श्रीकृष्ण आदि के स्मरण, दर्शन और स्मरण द्वारा उनके विभावादि की उपत्ता प्राप्त कर भक्तों में रस-हृषि हो जानी है। उन्होंने 'यनक' के स्थान पर 'रमाल' शब्द का प्रयोग कर रसानुभूति का आनन्द संपूर्ण किया है। इस विषय में उनकी निम्नोक्त कारिकाएँ दृष्टव्य हैं।

रतिद्विधाःपि कृष्णात् शुनिक्षमतः स्मृतेः ।
तैविभावादिता वद्भूस्तद्भक्तेय रसो भवेत् ॥
यथा दद्यादिकं द्रव्यं शक्तं रामरिचादिभिः ।
सयोजनविशेषेण रभालाद्यो रसो भवेत् ॥⁴

-
1. भक्तिरसामृतासिद्धूः दक्षिणभाग, पंचम लहरी, इलोक-र्मद्या-35-41
 2. वही, इलोक-सूक्ष्मा 61-62
 3. भक्तिरसामृतासिद्धूः दक्षिणभाग, पंचम लहरी, इलोक सूक्ष्मा 61-62
 4. वही, इलोक सूक्ष्मा 63-64

'पातक' अथवा 'रसाल' रस की प्रक्रिया

श्री रूपगोस्वामी ने बतलाया है कि यो तो 'रसाल' नामक आस्वाद रस मक्तो के अत करण में जपूर्वं चमत्कार वी उत्पत्ति करता है, विन्तु वह रत्यादि विभावो द्वारा एक रूप में होते हुए भी प्रमात्राओं वी भिन्न-भिन्न विशेषताओं के कारण अनेक रूपमय भी प्रतीत होता है। इस बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि पृथक्-पृथक् प्रतीत होने वाले विभावादि अवयव रस की एक रूप अखण्डता प्राप्त कर कभी-कभी विशेष रूप की प्रतीत करते हैं जिसे पातक-रस वी प्रक्रिया से समझा जा सकता है।¹ विभाद ना अर्थ है 'रति नी तत्त्व आस्वाद-विशेष के लिए योग्यता उत्पन्न करने वा साधन।' उसकी सामान्य व्युत्पत्ति "विभाव यति आस्वादयोग्यता कुर्वन्ति इति विभावा" के रूप में की जा सकती है। 'अनुभावयति' इति अनुभावा' की व्युत्पत्ति के अनुभार यदि रति वा अनुभव कराने वाले अववा उसके आस्वादितिशय्य वो हृदय के अतर्गत व्याप्त कराने वाले 'अनुभाव' हैं यो 'मन्त्रारयति इति मचारिण' के अनुसार आस्वाद-योग्य एव अन्त करण में अनुभूत होने वाली रति को जो सचारित करते हैं अथवा विचित्रता को प्राप्त करते हैं, उन्ही वा नाम 'सचारिभाव' है। 'विभावादि के ये लक्षण रूपगोस्वामी वो भी अभिप्रेत हैं और उन्होंने भक्तिरस की निष्पत्ति भी प्रक्रिया में उनका समुचित प्रयोग किया है। उनका तो स्पष्ट मत है कि विभावताऽऽदीनानीय हृष्णादीन्मजुलारति 'अर्थात् भजुलरति ही हृष्णादि को अपना विभाव बना कर विभावन आदि व्यापारो वो प्राप्त अनुभावादि द्वारा अपने आपको पुष्ट करती है जिससे रस की निष्पत्ति होती है।' उनका तो यही तब पहला है कि परिपक्व रति वालों के लिए यो याव्य और नाट्य की भी कोई उपयोगिता नही है, क्योंकि उन्हे सामान्य रूप से को जाने वाली भग्नवचर्चा में भी अलोकिक रस वा आस्वादन होने लगता है। वास्तव में नाट्यादि वा दर्शन और वाव्यादि वा पठन-पाठ्न तो अकुरित रति के लिए परिपोषक भाव है। इम विषय में निम्ननिखित वारिकाएँ दृष्ट्य हैं:

रनालयो भवत्येभिवृद्धस्त्वैरेव वारिधि ।
नवे रत्यनुरे जाते हरिभक्तान्य वस्यवित् ॥

1. प्रतीयमाना प्रथम विभावाद्यास्तु भागण ।

गच्छन्तो रसरूपत्व मिलिता या रूपाद्वाताम् ।

यथा भर्त्विद्वद्वदेवेकीभावेऽपि पातको-

उद्भास वश्यचित् क्वापि विभावादेस्तथा रस ॥

विभावत्वादि हेतुत्वं किञ्चित्सत्त्वाव्यनाट्ययोः ।
हरेरीपच्छूति विद्यो रसास्वादः सता भवेत् ॥१

भक्ति-रस के आलोक में रस-सिद्धान्त का मंतव्य

यद्यपि रूपगोस्वामी का विवेचन मुश्यत, भक्ति-रस की प्रतिष्ठा के लिए ही अभिप्रेत है, किन्तु उसके द्वारा काव्यस्वाद के आशक सिद्धात भी हस्तगत हो जाते हैं। उन्होंने भगवद्विषयक रति को अपनी विवेचना का मुख्य आधार बनाकर अपना मंतव्य व्यक्त किया है और बतलाया है कि समस्त रस-प्रक्रिया का स्पष्टीकरण उसके माध्यम से सहज रीत्या किया जा सकता है। अन्य धाराओं की भाँकि उन्हें भी रस का अलौकिकत्व मान्य है और वे भी विभावादि के अनार्गत साधारणीकरण की एक ऐसी शक्ति मानते हैं जिसके कारण प्रभाता अथवा सामाजिक अपने आपको विभावादि रूप राम आदि से अभिन्न समझने लगता है। लौकिक स्थिति में स्वर्णबद्ध रूप में अपने हृदय के भीतर प्रनीत होने वाले दुर्घादि भर्मीभाव भी काव्यनाटकगत अलौकिक विभावादि के कारण प्रबल आनन्दात्मक रसास्वाद उत्पन्न करते हैं जिसका अभिष्ठाय यह है कि लौकिक रूप में जिन्हें स्वर्ण दुर्घ कहा जाता है, वह काव्य और नाटक में प्रोड आनन्दरूप ही जाता है।²

रूपगोस्वामी ने रस की सुखस्वरूपता के साथ-साथ उसकी साक्षात्कारात्मक प्रतीति मानी है। उनका मत है कि सक्षार में सुखादि भाव भले ही पराश्रित रूप से प्रतीत होते रहे, किन्तु काव्य और नाटक में विभावनादि व्यापार के कारण सामाजिक के हृदय में वे परमानन्दसद्वृहों के उत्पादक होते हैं। भरतमुनि के राम-निष्पत्ति-सूत्र के अनुसार ही रसनिष्पत्ति के लिए विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावों की अपी अनिवार्यत, अपेक्षित हैं, किन्तु रूपगोस्वामी के मतानुसार काव्य और नाटक आदि में कहो-कही उनमें से एक या दो को अनुपस्थिति होने पर भी रसास्वाद ही सकता है। ऐसे स्थलों पर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव में जिन एक या दो का वर्णन उपस्थित होता है, वे शेष दो या एक का आशेष करा लेते हैं और इस प्रकार तीनों की उपस्थिति ही जाने से रस-

1. प्रकिंतरसामृतात्मिषुः दक्षिण विभाग, पंचम लहरी- कारिका संख्या 77-78
2. प्रभाता तदप्रेदेन स्वं यदा प्रतिपद्यते ।

दुर्घाद्यः स्फुरंतोऽपि जातु स्वीयतया हृदि ॥

प्रोङ्गान्दचमत्कारचर्चंणमेव तन्यते ।

पराश्रयतयाभ्येते जातुषातः सुखाद्यः ॥ वही- कारिका संख्या 86

(भक्तिरसामृतसिधु, दक्षिण विभाग, पंचम लहरी, कारिका 85-86) ।

निष्ठति म वोई बाधा नहीं पड़ती । उन्होंने स्त्री तुलपादि-विषयक सामान्य और लौकिकी रति से भी रम की निष्पत्ति नहीं मानी है क्योंकि लौकिकी रति स तो लज्जा और घृणा जैसे भाव भी उपमन हो सकत हैं जबकि काव्य और नाटक आदि म साधारणीकरण तथा विभावनादि व्यापार द्वारा पहीं रति अपने व्यक्ति विशेषानुबद्ध स्वरूप का परिवर्तन कर सामाजिक भाव म व्याप्त अलौकिक स्वरूप प्राप्त वर ले री है जिसका अर्थ यह है कि वह रसास्वादन रूप है । वृष्णि-रति वो तो उन्होंने और भी अधिक अलौकिकी और आश्चर्यमयी कहा है क्योंकि वह वृष्णि का स्थोग होन पर भक्ति में भीतर अत्यन्त आह्वादभ्रद रस विशेष उत्पन्न करती है तथा वियोग दशा म भी अद्भुत आनन्द का विवर्त धारण करती हूई भी बुद्धि का प्राप्त होकर अत्यन्त तीव्र दुखाभास प्रकाशित करती है । यहीं यह बात उन्नेयनीय है कि रूपगोप्यामी के मतानुसार वृष्णि का व्रजवासी रूप ही वृष्णि विषयक रति की चरमावधि है और उसकी ग्रीढ़ाश्रा के सम्मुख द्वारिकाधीग वृष्णि का महान वापरी वो भी बाई महत्ता नहीं है याकि व्रजवासी वृष्णि ने मुख्यत्व वा अगस्त्य नदीमीपरि वृष्णि की माधुरी स उत्पन्न आनन्द-सागर का भी पान वर सकता है । इस विषय म उस 'भद्रितरसामृतासिंघु' की पचम नहरों की निम्ननिधि कारिकाएँ उद्धृत वरने योग्य हैं

हृदये परमानदमदोहमुषचिन्त्यत ।

सद्भावरनेद्विभावादे दिविन्मात्रम्य जायत ॥ 87 ॥

सद्यश्वनुप्त्याहोपात्मूर्खंतेवोपपद्यत ।

रति म्यतानुकार्येषु लौकिकत्वादिनुभि ॥ 88 ॥

रस स्यान्नेति नाट्याङ्गा यदाहुर्युक्तमव तत् ।

अलौकिकी त्विष्य वृष्णिरति सर्वाद्भुताद्भुता ॥ 89 ॥

योगे रसविशेषत्वं गच्छ येव हरिप्रिय ।

वियोगे त्वद्भुतानद विवर्तत्वं दघत्यपि ॥ 90 ॥

तनोत्येषा प्रगाढ़ातिमरामासत्वमूर्जिता ।

तत्रापि वल्लभाधीरामदनालम्बना रति ॥ 91 ॥

साद्रानदचमन्कारपरमादधिरिष्यते ।

मत्युद्गोप्यनवागस्त्य पिवर्येव हृषतज्ञा ॥ 92 ॥

रमशमाधुरीमात्यात्मारानदाभ्युप्यत्तम् ।

परमानदतादात्म्यादत्यादरस्य वरसुत ॥ 93 ॥

श्री रूपगोप्यामी को रस का स्वप्रनाशन और अष्टाङ्गत्व भी मान्य है । इस विषय म वे भारतीय काव्यशास्त्र की रस विषयक विचारधारा म पूर्ण सहमत हैं । रसानुभूति एक प्रकार स आत्मानुभूति ही है और आत्मा व्रहस्पद

है जिसका अर्थ यह है कि उसमें ब्रह्म का आनन्दपरक गुण होना अनिवार्य सा है। ब्रह्म की अनुभूति के समान रसानुभूति भी स्वप्रकाश और अद्यता है और उसे पठन्पठ आदि सासारिक पदार्थों के समान 'पर-प्रकाश' या 'चिदाभास्य' नहीं कहा जा सकता। आत्मा का स्वप्रकाशत्व मूर्य के प्रकाश द्वारा उपस्थित किया जा सकता है। जिस प्रकार मूर्य अपना स्वरूप स्वयं प्रकाशित करता है, तथा गगार के अन्य पदार्थों का भी प्रकाशन करता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी स्वप्रकाश स्वरूप है तथा अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। ब्रह्म की अद्यता की भाँति रग भी अद्यता है और वह देवता के मतानुसार सजातीय, विजातीय तथा स्वगतामेद से नृत्य है। इसी बात को ध्यान में रख कर थी रूपगोस्वामी ने रति को सत्त्वत ब्रह्मात्मादरूप परमानन्द से भिन्न और परमानन्द-तावत्तम्य रूप कहा है जिससे उसकी स्वप्रकाशता और अद्यता सिद्ध होती है।

भक्ति-रस के प्रकार और उसके वर्णन हथा देवता।

रूपगोस्वामी ने मुख्य रति और गौण रति के अनुसार भक्ति के भी मुख्य तथा गौण नामक दो प्रकार माने हैं। उन्होंने मुख्य भक्ति-रस में शौल, प्रीति, प्रेयान्, वत्सल और मधुर नामक भेदों की गणना की है तथा गौण भक्ति-रस में हास्य, अद्युत, चौर, करण, रोद, भयानक तथा बीमत्स भक्ति रस की। इस प्रकार उनके मतानुसार क्रमशः पौरव और सात के भेदों में मुख्य तथा गौण भक्ति रस विभक्त हैं और वह सब विलाकर बारह प्रकार का होता है। पुराणों में मुख्यतया पौरव ही प्रकार का भक्तिरस माना गया है और गौण भक्तिरसों का अतर्भाव रसों में न किया जाकर भावों में कर लिया है।

भरतमुनि आदि काव्यशास्त्रियों की भाँति रूपगोस्वामी ने रसों के वर्णों और देवताओं का भी वर्णन किया है। वौनों के वर्णन में पर्याप्त साम्य है। अन्तर केवल इतना ही है कि भरतमुनि ने नौ प्रकार के रसों के वर्ण और देवता निष्पत्ति किये हैं, किन्तु रूपगोस्वामी ने बारह प्रकार के। एक विशेष बात यह भी है कि उन्होंने जिन सात रसों को गौण भक्तिरस के रूप में स्वीकार किया है, वे काव्य-शास्त्र में स्वतन्त्र रस के रूप में विवेचित हैं। उनके द्वारा विवेचित मधुर रस वस्तुतः शूगार रस का ही रूप है। भरतमुनि द्वारा विवेचित रसों के वर्णों और देवताओं का विवरण प्रायः सर्वत्र सुविदित है अतः उनका पिण्डप्रेषण करता उचित न समझ कर हम रूपस्वामी द्वारा विवेचित विवरण का उल्लेख करता पर्याप्त समझते हैं। रूपगोस्वामी के अनुसार शौल, प्रीति, प्रेयान्, वात्सल्य, मधुर नामक मुख्य भक्तिरसों के वर्णे क्रमशः श्वेत, चित्र, अहण, शीण और स्थाम हैं तो हास्य, अद्युत, चौर करण, रोद, भयानक और बीमत्स नामक गौण भक्ति

रमों के बांगे अमर पाँडुर, पिगल, नीर धूम, रक्ष, ज्याम और नीन है। इसी चथ में उनके देवताओं के नाम विपिन, माधव, डपेन्ड्र, नूमिह, नदनदन, दलधाम, कूर्म, वल्कि राघव, भागेव, विरि और बुद्ध हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हथ-गोम्बामी ने रमों के रग-बर्णन में तो भालमुनि का अनुगमन किया है, इन्हु उनके देवताओं के निष्पत्ति में स्वतत्रता ने बास लिया है। एक विशेष बात यह है कि उनके द्वारा निष्पत्ति देवताओं में मन्म्यावतार को छोड़ कर भगवान विष्णु के शेष नी अवतार समाप्त हो गए हैं। उन्होंने शेष तीन रसों के लिए वर्णित, माधव और डपेन्ड्र नामक देवताओं की परिवस्थना कर अपने विवेचन को पूर्ण बना लिया है। उनके इन विवेचन में एवं न्यो परिवर्तन चिन्त्य और विचारणोंपर हैं। माहित्यगाम्य में ग्रान और वीभल्य रम के देवता अमर बुद्ध और भगवान माने गए हैं, जिन्हें हथ गोम्बामी ने उनके स्थान पर ननक वर्णित और बुद्ध को रखा है। हमें वर्णित को तो भले ही शात रम का देवता भान भी लिया जाय, जिन्हें बुद्ध जैसे शातिप्रिय देव को वीभलनरस का देवता भानना अनेक दृष्टियों से अनुचित है। सम्भव है इन प्रवार के परिवर्तन के मूल में या तो नौर्द सम्प्रदायिक भावना रही हो या मूल अश परिवर्तित कर दिए गए हो या ये क्षेपवृण हो। 'भवितरनामूनामिषु' के दक्षिण विभाग की पचम लहरी की कारिका संख्या 96 में लेकर बारिका संख्या 101 तक यह नारा बर्णन प्रस्तुत किया गया है—

मुख्यमनु पवशा भान प्रीति, प्रेयाश्व वस्त्रमः ॥
भधुरश्वन्यमी ज्ञेया यथामूर्वं क्षेत्रतमा ।
हात्योऽमूलतत्त्वा वीरु वरणो रोद्द इत्यपि ॥
भयानकः सवीभन्न इति गीतश्व ममद्वा ।
एव भवितरयो भेदाद् इयोद्वादिनप्रोऽच्यते ॥
वन्मुगस्तु पुराणादी पचर्थं विलोक्यते ।
श्वैतत्तिव्रोऽव्यः शोण इयाम पाण्डुरपितां ।
गोरो धूम्रलनया रक्षः वालोनीत ननाइकी ।
वरिलो भाधवोपेन्द्रो नूमिहा नदनदन ॥
वतः कूर्मस्त्रया वल्की राघवा भागेव विरि ।
बुद्धः इत्येषु विनाः कमाद् द्वादशदेवता ॥

पर्वत-रस के आस्वादन के आधार

हथगोम्बामी ने पचक्षिय भवित रमों का आस्वाद चित जो पौत्र प्रदार भी विशेष अवस्थाओं के आधार पर निष्पत्ति किया है जिन्हे व्यजः दूति, विकाम,

विस्तार, विद्योप तथा विद्योग नामक अवस्थाएँ बहु जा सकता है। उन्हें जांत में 'शूर्णि,' श्रीति, प्रेयवान्, आत्मल्य, मधुर तथा हास्य में 'विकास,' और तथा अद्भुत में 'विस्तार,' कहल तथा रोड में 'विद्योप,' और भयानक तथा बीभत्स में 'विस्तोम' नामक चित्त-कृतियों का योग माना है। चित्तकृतियों का यह वर्णन माहित्य शास्त्र की मान्यता पर आधारित ता है, क्योंकि वही भी विकास, विस्तार शोषण तथा विस्तोम नामक धार अवस्थाएँ मानी गई हैं, जिनमें कालज शूर्णार, और, बीभत्स, रोड तथा उनसे बन्य हास्य, अद्भुत, भयानक और काल इसी का कठिक सम्बन्ध है। साहित्यकामियों ने शार रम को अभिनव न मानने के कारण उस ओर ध्यान नहीं दिया था, किन्तु भक्ति इस में तो शारदा का विजिष्ट महत्व है। स्पृणोत्तमी ने शारदा के आस्थाद का मन्त्र 'पूर्णि' या 'कृति' नामक चित्तावस्था के साथ जोड़ कर सर्वेषा उचित विद्यान ही किया है।

भवित्व-रस के साधक :

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि करण, भयानक, और बीभत्स आदि रसों को उत्पन्न करने वाली विभावादि सामग्री लौकिक दृष्टि से दुखजनक होती है, किन्तु काव्य तथा नाट्य में अन्ने अन्नीविक व्यापार के कारण वह मुख्यत्वक बन जाती³। हप्तगोत्तमी ने अन्नी भवित्वरसविषयक विवेचन में भवित्वरस के साधकों के पांच भेद-भव्य, भावक, श्राव, अज्ञ, और शास्य मान कर भाव्य तथा भावक भक्तों को प्रामुख्य प्रदान किया है। उनके मतानुमार कृष्ण की नीलांबीं के साथी अथवा 'नीलांबितर' भक्त भाव्य भक्त है तथा योग भावक भक्त है। अज्ञ, शास्य तथा श्राव, भक्त एक प्रकार से भावक भक्तों के ही भेद है। दूसरे अज्ञ, और शास्य तो निम्न छोटि के भवत्व हैं, किन्तु श्राव उत्तम कोटि के। ग्रात भक्तों के लिए साहित्यकान्त्र में 'प्रयुक्त शहदप' शब्द उपयुक्त कहा जा सकता है। वसन्त, वे ही रसान्वाद के सच्चे वर्गिकारी हैं और उन्हें ही करणादि सामग्री भी मुख्यत्वक अनुभूत होती है। इस विषय में हम यहाँ अधिक निवेदना उचित नहीं समझते क्योंकि करणदा से हमें किस प्रकार आनंदा नुचूनि होती है। इसका विवेचन रसों की सुअद्द, रसकृत शीर्ख के विषय में कर दिया गया है। साहित्यदर्शकार विवेचन तथा व्याख्या आचार्यों ने भी करणादि रसों से मुख्योपदिष्ट का उन्नेश्च कर 'सचेतामनुभव प्रमाण तत्र केवलम्' की बात अन्यथा नहीं लिखी है। सच तो यह है कि करण सज्जक रस हीं सर्वत्र उप-भावक होता है वन्यथा करणरमामिका रायाद्य आदि काव्य हनुमान जैसे महादय-दनों के लिए जिस प्रकार श्रीविकारक हो सकते थे—

सर्वत्र करणाद्यस्य रमस्योपवादनात् ।

भवेश्वरमायणादीनामन्यथा हृष्टहेतुता ॥

तथात्वं रामपादाङ्गप्रेमवल्लोनवारिधि ।
प्रीत्या रामायणं नित्यं हनुमान् शूण्यात्वयम् ॥

भक्तों को पारस्परिक रति तथा भक्ति रस के अधिकारी पात्र

भक्तिरस के इस विवेचन के सन्दर्भ में अब वेवल दो विषयों का उल्लेख करना अवशिष्ट है। प्रथम तो यह है कि भगवद्भक्तों में एक दूसरे के प्रति जा पारस्परिक रति पाई जाती है वह रमन होकर 'भावमात्र' होती है और द्वितीय यह है कि वैराग्य तथा शुद्ध ज्ञान का अवलम्बन करने वाले वेदानी या कोर तात्त्विक एवम् वर्गांडी मीमांसक भक्तिरस का आस्थादान करने में अमर्य हैं। मीमांसक ता उनमें सबसे निम्नबोटि वे हैं अत उनसे भक्तिरस रूपी महानिधि उसी प्रकार छिपाकर रखना चाहिए जिस प्रकार चोर से महानिधि बचाई जाती है। सच तो यह है कि अभक्त जनों के लिए भक्तिरस सर्वथा दुर्लभ है और उसका आनंद बचन वे ही व्यक्ति ले सकते हैं जिनमें लिए भागवान के चरणविद ही सर्वस्त्र हैं। इस विषय में हण्डोस्वामी जी ने उचित ही लिखा है—

मीमांसका विशेषण भवत्यास्वादवहिमुखा ।
इत्यप भक्तिरसिर्वचौरादिव भद्रानिधि ।
शुद्धमीमांसकाद्वयं कृष्णभक्तिरसा सदा ।
सर्वधीन दुरहोऽप्यभभक्तेभंगवद्रसा ॥
तस्यदावुजमर्वम्बैर्भवर्यैरवात्र रम्यते ।
व्यतीत्य भावनावत्तमं यश्चमत्कृतिभारभू ॥¹

1. भक्तिरसामूर्त्तमिषु दक्षिण विभाग, पचम सहरी, वारिसा 112-114

शांत रस की आस्वाद्यता और स्थिति

शांत रस की आस्वाद्यता:

क्या शमप्रधान शान्तरम भी काव्य का आस्वाद होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर भरतमुनि से लेकर अद्यावधि अनेक वाचायों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से दिया है। अभिनवगुप्तसूत्र भरतमुनि की व्याख्या के अनुसार शांत रस शमप्रधानिभावात्मक मोशप्रवर्तक रस है जिसको उत्पत्ति तत्त्वज्ञान, वैदिक और आज्ञायगुद्धि आदि विभागों से होती है। दृश्य काव्य में उसका अभिनय शब्दात्मक रूप, निष्ठम, अध्यात्म, ध्यान, धारणा, उपासना, सर्वभूयदया, लिङ्गप्रदृश (सत्यात्-धारण) आदि अनुभवों द्वारा दिया जाना चाहिए। निवेद, स्मृति, धृति, शोच, स्तम्भ और रोमाणि आदि उसके अभिवारिभाव कहलाते हैं। आचार्य अभिनवगुप्त ने नवम रस के रूप में शांत रस की प्रतिष्ठा करते हुए लिखा है कि यह रस मोऽऽ और अध्यात्मसाक्षात्कार का जनक, तत्त्वज्ञान रूप हेतु से युक्त तथा निष्ठेयत तिद्वि के लिए उपदृष्टि है जिसकी उपलब्धि तुदि तथा इन्द्रियों (ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों) का निरोध करने वाले आत्मनिय साधकों को होती है तथा जो समस्त प्राणियों के सुखहित वा विकापक होता है। वस्तुतः यह रस मुख, दुख, द्वेष और मत्सर आदि भावनाओं से रहित तथा समस्त प्राणियों में समभावनिकृपक है। उनका कथन है कि शृंगार आदि रसों के स्थायिभाव प्रकृतिरूप गांत रस के ही विकार मात्र हैं जो शांत रस से ही उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाते हैं।

मूलरस के रूप में प्रतिष्ठा

शांत रस को प्रमुख तथा मूल रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्यों की मान्यता है कि जिस प्रकार इस सासार में घर्म, अर्यं और काम कामक पुण्यपार्थ-वृथ की प्रतिष्ठा की गई है, उसी प्रकार शारद, स्मृति तथा दत्तिहास-वृथों में मोक्ष मामक चतुर्थ पुण्यार्थ की सत्ता भी स्वीकार की गई है। उनके मतानुसार जिस प्रकार काम आदि के योग्य रूप आदि शब्दों से निर्दिष्ट चित्तवृत्तियों कवियों और भट्टों के व्यापार द्वारा उस प्रकार के हृदयरूपवादी सामाजिकों के प्रति शृंगार आदि के रूप में आस्वाद-योग्य बनाई जाकर रसरूप को प्राप्त होती हैं, उसी

प्रकार भोग नामक परम पुरुषार्थ के योग्य शमस्त्रप चित्तवृत्ति भी आत्मादयोग्य बनवर शात्रभाव को प्राप्त होती है। अस्तु शोकरूप पुरुषार्थ की साधिका चित्त वृत्ति ही शात-रस का स्थायिभाव है। इम दिष्य में आचार्य अभिनवगुप्त व विचार उल्लेखनीय हैं जिन्हनि शात रस को भूत रस के रूप में प्रतिष्ठित बरने का थेवन्वर प्रयास किया है। यद्यपि उन्हें पूर्व भरतमुनि ने शानातिरिक्त शृणार, हास्य, चरण, गैङ्ग, और भवानक, बीभत्त और अद्भुत नामक वेवत आठ 'नाट्यरम' मान थे, विन्तु अभिनवगुप्त ने अपने भत वो संपूर्णित के लिए भरतमुनि के दोपत्र रूप में प्रसिद्ध छढ़ी को प्रामाणिक रूप में उद्घृत बरने का उपनयन किया है।¹ उन्हनि शातरम का स्थायिभाव शमश्रधान बात्मकाम को माना है जो परिवल्पित दिष्यभोग आदि वासनों ने रहित और विशुद्ध ज्ञानानन्द स्वरूप होता है। उनका भत है कि रस का सर्वथा स्वरूप तो वेवन शातरस में ही अत्मभूत है यदोवि रनि और शोद जादि स्थायिभाव भी शातरम वे स्थायी आत्म-चेतन्य को स्थिति प्राप्त वर शृणार और चरण बादि रसों में परिषद्ध होते हैं। शात रस को प्रशमा में उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं उनमें भी यही गिर्द होता है कि आचार्य अभिनवगुप्त जोक्तेतर बानद वा प्राप्त वेवत शात-रस का ही मानत य यदोवि उसके द्वारा दिष्यजन्य दुखों का दिनाश और आत्मरूप ज्ञान का प्रबोश होता है। उन्हें अनुमार शातरम का 'तत्त्वज्ञान' मंजरी स्थायिभाव मवलभावान्तरभित्ति का स्थानीय और समस्त स्थायिभावों का भी स्थायी है। उन्होंने शातरसेतर प्रत्येक रस की स्थायी वृत्तियों का उल्लेख वर अनेक उदाहरण देते हुए यह बात सिद्ध वरनों चाही है कि शात रस के प्रसरण में इन्यादि अन्य स्थायी वृत्तियाँ स्वभावत अभिनिवारित्व को प्राप्त हो जानी हैं क्योंकि शात रस में पृथक् स्थायी वी इत्यना वी ही नहीं जा सकती। अभिनवगुप्त में अधिक प्रवत शब्दों में शात रस की भृत्ता का निरपेक्ष अन्य दिसी भी आचार्य में भर्ती किया है। उनकी विचारणारा से प्रवद है कि वे शृणार और हास्य आदि रसों को शात रस के ही रूपान्वर मानते थे तथा उनका विश्वास पा कि अन्य सभी रसों के स्थायिभाव शान रस के प्रति उन्मुख होकर ही चलते हैं।

विद्यो विचारकों के तर्फ-वितर्क

आचार्य अभिनवगुप्त ने अपने गहन चिनन और तर्फ-वितर्क पर जान रस की

1. भावा विचारा रत्यादा भानस्तु प्रहृतिमन्ता ।

विचारः प्रहृतेऽर्जिति पुनस्त्वर्द्वद सीमने ॥

स्व स्व निर्मितमामाच भानान् भावः प्रवत्तते ।

पुनर्निर्मितापाये च भान एकोपतीयते ॥

मूर्दन्य स्थिति स्वीकार की है जो उनके विरोधी विचारकों को मान्य नहीं है। उनके विरोधी विचारकों ने विविध दृष्टि-विद्यों के आधार पर शांतरस के अस्तित्व पर गंता करते हुए अपने जो तक प्रस्तुत किये हैं, उनका सम्पूर्ण विमर्श करने के पश्चात् आचार्य अभिनवगुण्ठ ने अपने मत का सरयापन किया है। विरोधी विचारकों के तकों और उनकी युक्तियों का सामन्य हा निम्नविधित है—

(1) शम और शान दोनों पर्यायिकान्वी शब्द हैं। शांतरस के समर्थकों का यह कथन कि शम और शांत में भमगः स्थायिभाव और रम का विभेद है, सभी चीज़ नहीं है। जब शम और शान शब्द समानार्थक हैं तो किर भला शांत को रम तथा शम को स्थायिभाव कीमें माना जा सकता है? बस्तुतः शांत नामक दोई रम होता ही नहीं है।

(2) शम को स्थायिभाव और शान रस को रस मानना इसलिए भी उचित नहीं है कि आचार्यों ने भावों की जो ४६ संदर्भ नियत की है, उसमें 'शम' भाव की गणना नहीं है; शांत को रम-हृष में मानने पर 'शम' को उसका स्थायिभाव मानना पड़ेगा जिसका परिणाम यह होगा कि भावों की संदर्भ पचास हो जायेगी। यदि शांतरस आचार्यों का अभिप्रेत होता तो वे 'शम' स्थायिभाव की गणना भावों के अंतर्गत करते हुए उनकी संदर्भ उनचास नहीं मानते।

(3) अनु माल्य आदि विभाव अपने सननंतरभावों शुणार आदि रसों में कारणहृष से प्रतीत हो सकते हैं, किन्तु तप और स्वाध्याय आदि अपने उत्तरवर्ती शांत या शम में कारणहृष से प्रतीत नहीं होते। तप और स्वाध्याय को शम या शांत का विभाव भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे शम या शांत के प्रति साक्षात् कारण नहीं होते। इसके माध्य ही माध्य कामादि के अभाव को भी शांतरस का अनु-भाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शांत से भिन्न वीर आदि रसों में भी कामादि का अभाव विद्यमान रहता है।

(4) शांतरस का प्रदोग अथवा अभिनय में समावेश नहीं किया जा सकता क्योंकि विद्याविहीन व्यापार का नाम 'शम' है और वेद्या के अभाव का अभिनय करना सम्भव नहीं है। शयत और मूर्छा आदि वेद्याओं द्वारा अनुसारित किया जा सकता है किन्तु 'शम' भाव का अभिनय किसी भी हृष में सम्भव नहीं है। अनः नाटक में तो शांतरस की मत्ता मानी ही नहीं जा सकती।

(5) धूति आदि भाव शांतरस के व्यभिचारी भाव नहीं कहे जा सकते, क्योंकि विषयों का उपभोग करने से उत्पन्न तृप्तिहृष 'धूति' शांतरस में कैसे ही सकती है?

(6) शमप्रधान व्यक्ति वेद्या-विहीन होकर अधिष्ठित रहता है। उसके द्वारा तत्त्वज्ञान के उपायों का अनुस्थान भी सम्भव नहीं है। तत्त्वज्ञान का अनुष्ठान न

होने में मोक्षरूप फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः मोक्षप्रवर्तन रस के रूप में शान रम की सत्ता क्यों मानी जा सकती है ?

(7) शातरम वो मुष्ट-दुखादि भावा से रहित माना जाना है, इन्तु शातरम वे माधव तत्वज्ञान अथवा नम्बद्धर्भन की वदन्या प्राप्त चरने के पश्चात् भी समारम्भे 'परदुखदुखिण-मन' बाले देखे जाते हैं । तरं शान रम का अस्तित्व इनी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है ।

शातरम की गिरिति के विश्वद्वय आचार्यों ने अनेक प्रकार की विप्रतिपत्तिर्थी उपमिति भी है उनमें परम्परावादी आचार्यों का प्रामुख्य है । उनमें वयन वा निष्पत्य यह है कि 'शान' नामव बोई रस ही नहीं होता क्योंकि आचार्य भरतनगुणि ते तो उनका तत्त्व ही दिया है और न उत्तरे विभावादि का ही प्रतिपादन दिया है । इन आचार्यों वा भन है कि शातरम वा बस्तुतः अभाव ही मानना चाहिए क्योंकि अनादिकाल से चले आ रहे राग और द्वेष आदि वा उच्छेद असम्भव है । मुष्ट आचार्य शातरम का अतर्भाव वीर और बीमत्स आदि रमों में वर नहीं है और शम 'नामव' भाव भी कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं मानते । नाट्याचार्यों ने 'शम' भाव से निष्पत्न होने वाले शान रम को अनभिन्नेय वह कर नाटकादि अभिनेय वायों में उनमें स्पायित्व का सदैया निषेध दिया है । मुष्ट आचार्यों के मतानुसार शम के अतिरिक्त जिन आठ स्पायिभावों को मान्यता प्राप्त है, उनमें रमन्त्व इसे हेतु माना गया है कि वे मधुर आदि पदार्थों भी माँति रसनगीत वर्दान्त आन्वाद हैं और वह आन्वादता निवेद आदि व्यभिचारिभावों में भी पर्याप्त मात्रा में रहती है अतः वे भी रम हृष कहे जा सकते हैं । इन आचार्यों के भन में आठ प्रकार के स्पायिभाव भावों के अतिरिक्त अन्य भावों से भी इनका अमुपगम हो सकता है अतः अन्य स्पायिभावों की ममावना भी महत्र सम्भव है । जो आचार्य आठ ही प्रकार के स्पायिभाव भावों वी स्पायी नहीं माना जा सकता क्योंकि वे अपनी सबरणभीतता के बारण विश्वद्वय अथवा अविश्वद इनी भी प्रकार ने भावा के सम्पर्क में अविच्छिन्न नहीं रहते । वे भाव परम्पर चिना जादि वे अनग्रंथ आवर यदि परिपृष्ठ भी हो जाने हैं तो भी विग्नना के ही बारण बनने हैं । अभिग्राह यह है कि शम प्रधान शान रम वी विवेपता में भावों के स्पायित्व और व्यभिचारित्व को नेमर अनेक प्रकार के ऊहापोह विये गये हैं जिनमें उगड़ी सत्ता वे विषय में गद्दमेव निर्णय कर लेना सहज नहीं है ।

धनंजय का अभिकरण

दशहरकार धनंजय तथा उसके व्यावधाना शान्ति का मत है कि खण्डी अनुष्ठानेश्वरों के कारण शांत रहा नाटक में तो अनुष्ठान नहीं है किन्तु उसके कार्य-विषयत्व का निशाच नहीं दिया जा सकता।¹ अपनी अलादिक सत्ता के कारण जब सूर्यमात्रीत पत्तुरे भी शब्दों ने प्रतिपादित हो गए हैं तो शांत रह उत्थ प्रतिपादित से कौन संचित रह रहता है? धनंजय ने शांतग को अनिष्टित्व और शब्द का प्राप्तिकारी पहाड़ है। जिसका स्वरूप वेदवान् नोद व्यथवा आनद है। महामुनियों ने भी उग रह को शांत रह पहाड़ है जिसमें मुण्ड, दुख, चिन्ता, द्वेष, राग और इच्छा इत्यादि कुछ नहीं रहते तथा जिसमें शब्द शाब्दों में 'शम' प्रश्नन रहता है।² निष्पत्त ही ऐसे रम की निष्पत्ति मोदादवस्था में ही होते के कारण सबसी आत्महत्य अनिर्ददीयता अंसुदिष्ट है। वेदशास्त्रों ने भी उसवा व्यर्थने 'नेति नेति' कहकर अपोहृ रम से किया है। बत्तुतः उसके आत्मात्माना दुर्लभ होते हैं।

विश्वनाथ के विचार

जातिरस के विशेषियों का कहना या कि जिन मुनीग्रन्थों ने शांत रह की प्रतिष्ठा करते हुए उसके गुण, दुख, चिन्ता, राग, द्वेष आदि इच्छा आदि विषय भनोविकारों से विहीन थाना है, वे जीवत के व्यावहारिक पद से बहुत दूर चरे गये हैं क्योंकि ऐसी कोई मनोवृत्ति संस्कर ही नहीं है जिसमें उपर्युक्त शाब्दों का व्यापार हो। इस जांका का सामाधान करते हुए वाचार्य विश्वनाथ ने लिखा है कि जिस 'शम' को जातिरस का स्थानिभाव थाना गया है, वह मुख्य (इत्याप्यानमय) लघवा विपुल (गिर्द) अवस्थाओं में अवस्थित रहता है, अतः उसमें संचारितावों को स्थिति संगत होने के उसकी उपनिषद्वकाता तहज स्वामादिक है।³ वस्तुतः मुनिजनों ने 'न यत दुर्घ न मुत' जादि द्वारा 'वैष्णविक मुद्गाराव' की ओर सरेत

1. ननु जातरसम्बन्धियैवत्वाद्यापि गाट्येशुप्रवेषो नाम्ति व्यापि सूर्यमानो-तादिपत्तूनो गर्वेषामपि फलप्रतिपाद्यताग्ना, विश्वमानत्वात् वालविषयत्व मनिकापेते।

2. व्याहृतक, 4/45

3. न यत दुर्घ न मुत न विन्दा न द्विपरामी न च काचिदिच्छा।
तन् य शात कथितो मुनीग्रन्थे, दर्देषु भावेषु समवस्थाः।

4. मुक्तवियुक्तदशाद्यापवच्चितो यः ग्रामः स एष चतुः।

सतामेति तद्विष्मू भंचापदेदि, विष्वनिष्पत्त न विष्मुदाः।

(विश्वनाथः माहित्यदर्शग, 3/250)

निया है न कि शक्ति परम सुख वी और, वह इन दोनों में दिली भी प्राप्त का कोई अविविरोध नहीं माना जा सकता। सब तो यह है कि बामादि खोलिक विषयकल्य मुख्यों और विचेष्यस मिहरपत्र अलोकिक तुलालपवारी महत् सुखों की दोहे समझा ही नहीं वी जा सकती क्योंकि दिव्य सुखों का शक्ताम भी काम सुखा में भवद गही है जो शम वी विश रूप में शातरस वा स्थापिभाव वही गया है वह इन नृत्योंटियों वी दृष्टि से भी समीकोन है। बल्कुत याह एवं वी एक ऐसे महामार ने उपशिष्ट दिया जा सकता है जिसमें दधारीकरता आदि सभी प्रवार वे भाव वा अव्याप्त और अवार अवस्थाक हो जाता है, जिस्तु उक्ता अतर्थाव अव्यव नहीं दिया जा सकता। यही वारज है कि इस प्रवार आचार्य अभिनवगुप्त ने मूल रूप वे एवं जात रस वी मस्तुति वी है, वही प्रवार हेमपद्म आदि वाचायों ने भी उहरर गोरक याव दिया है। वाच्यतुशत्तर्य-प्रार हेमपद्म वा व्यवन है कि शातरस वा अन्तर्शीव न तो धीमल यथा वीरस में दिया जा सकता है और न रीढ़ रस में ही।¹ बल्कुत शम नामह स्थानों वित्त-इति वे क्षमुद्र वज्र वृत्तिशी मनागीप्रायों वी सो द्विति रूपतो है और विश प्रवार पूरायाम-न्तुष्ट्य में मोक्ष वा शायेन्त्रिक महाव दिद है, उसी प्रवार अव्य रसी में भी यातरस वा पार्येन्तिक आम्बाद स्वीकार दिया जाना मुक्तिसमाप्त है।

शातरस वा स्थापिभाव के विषय में विभिन्न अधिग्रन्थ

शातरस वा स्थापिभाव दिस वित्तबुति वी माना जाय, यह भी एक अस्त्रव विभारणीय विषय है। अधिकाय जाचायों ने तत्त्वज्ञान से उत्पन्न 'निर्देश' की शातरस वा स्थापिभाव माना है, जिस्तु अभिनवगुप्त ने अपनी वर्णरात्रित द्वाय इति मत का व्याप्त दिया है। दूसरा मत यह है कि इत्यादि आठ स्थापिभावों में से दिवों भी याव के शातरस वा स्थापिभाव माना जा सकता है, जिस्तु इस मात्रता में भी सुधारह दर्शी वड अभाव है। तीसरे मत के बनुआर भाड़ी स्थापिभाव यामवरम से गमने एवं याद घिनवर शातरस से रथायिभाव चन सहने हैं तो चतुर्थ मत राधाकृ मोदामपद्म 'शम याद चन ही शातरस वा स्थापिभाव मानता है। तत्त्वज्ञान वा 'निर्देश' की यातरण वा रथायिभाव लिद्व करने वाले आचार्यों का व्यवहर है कि भरतमुक्त ने निर्देश दो अधिकारिभावों की धेनी में को गवंप्रथम रथान प्रदान दिया है, यह समाँ रथायिभाव का गूच्छ है। बल्कुत निर्देश एक प्रवार से मुद्रदम स्थापिभाव है, याओंकि तत्त्वज्ञानकल्यनिर्देश अग्र जमन्त स्थापिभावों वा दामदंत वह देता है। आचार्य अभिनवगुप्त ने आठ-रस में स्थापिभाव के एवं ये ग्रन्थ विभिन्न भावों वा अपार विषय वर्तने के

परमात्मा अंतर्रौपत्वा मोदमाध्यक 'शम' को ही शांतरस का स्थापिभाव गिराया है। इस विषय का स्पष्टीकरण करना हमें आवश्यक प्रतीत होता है।

आचार्य विश्वनाथ के महानुगार शान रस का स्थापिभाव 'शम' और उसके आधय उत्तम प्रकृति के अस्ति होते हैं। उसमें फॉटि फुडेन्टुल शुभ्रवर्णबुल है तथा उसके देवता स्वर्ण और नारायण हैं। गंगार की अनित्यता वर्षवा दुर्घटता के कारण जब विमी अस्ति को सामारिक विस्तारता का जान हो जाता है तो वही जान परमात्मवस्तुप बन बार आधय के मन का बालम्बन विचार देन जाता है। पवित्र आधय, भगवान के सीलायत, तीर्त्यान, सुरम्य तपोवन तथा धार्यु-समाप्त आदि उपकरण भाँतरस के उद्दीपन विभाव हैं। निर्वद, हृष्ण, रसरण, पर्वि और जीवदृष्टा आदि इनके अभिचारिभाव तथा रोमाञ्च आदि अनुभाव हैं।¹ इस रस की अरिषुष्टि यहाँभारत आदि महाकाव्यों में हुई है। विश्वनाथ का भूत है कि स्वात्मविधातिहर्ष 'शम' के ही शांतरस का स्थापिभाव मानवा युक्तिसंगत है जबकि आचार्य मध्यट ने 'तत्त्वज्ञानव निवेद' को शांतरस का स्थापिभाव माना है। ऐसा प्रतीत होता है कि भरतकुनि को भी शांतरस की सत्ता एक अतिरिक्त रस के रूप में भवश्य स्वीकार दी, जिसे आधार बनाकर बाचार्य अहिनवगुप्त ने 'नाट्यशास्त्रविकृति'² में लक्ष रस का सार्वत्रिक विशेष रूप से किया है। आचार्य मध्यट का भूत है कि तीर्तीत ग्राहार के अभिचारिभावों में निवेद की गणना प्रथम रथान पर की गई है जिसे एक प्रकार से शांतरस का स्थापना का उपर्योग कहा जा सकता है। विश्वनाथ के पूर्व वाच्यानुशासनकार हेमचंद्र तथा तात्पर्यदर्शकार रामचंद्र-गुणचंद्र ने क्रमशः 'तृणाकाय'³ तथा 'वर्णाव्यपरक शम'⁴ को शांतरस का स्थापिभाव माना है। कुछ विद्वानों का भूत है कि दयावीर में शांतरस वा अंतर्भूति किया जा सकता है, किन्तु यह भूत असमीकृत है जबकि शममूलक शांतरस में अहंकार के लिए किंचिन्मात्र भी अवकाश नहीं है। विश्वनाथ का भूत है कि जो 'विद्वान् नाशानं द नाटक को शांतरस प्रधान मानते हैं वे भ्रांविश्वस्त हैं क्योंकि उसके नायक खीमूलवाहन की चित्तवृत्ति में भलवत्ती का प्रेम और अल में उसे

¹. विश्वनाथ: साहित्यदर्शण, 3/245-49

². वर्णाव्यपरकभीहृतात्मजानवीतरागपरिफोलनपरमेश्वरानुग्रहादिविभावो, यमनियमाध्यात्मकास्त्रवित्तनादानुभवो धूरित्सूतिनिवेदभृत्यादिविचारी तृणाकायरूपः शमः स्थापिभाववर्त्तना शब्दः शास्त्रोः रसः।

(हिन्दूनियन : काम्यानुशासन 2-17)

³. संसारभूपर्वराम्यनत्वशास्त्रविभक्तः।

⁴. शांतौप्रविलयनं तत्य शमाध्यानोपकारता। (नाट्यदर्शण, तृतीय विवेक)

चक्रवर्तिल की उपलब्धि उसे दयावोर के स्थायिभाव 'परणासवमित उत्पाह' के निरन्तर रख देती है।

तत्त्वज्ञानजन्य 'निवेद' अथवा 'शाम' ही शातरम का स्थायिभाव है

हत्यज्ञान से उत्पन्न 'निवेद' को शातरम का स्थायिभाव मानने वाले आचार्यों ना बद्धन है कि वह निवेद दार्ख्य आदि के वारणों से उत्पन्न निवेद से ग्रिन होता है। वह निवेद मोक्ष का कारण है, अतः परतमुनि ने उसे स्थायिभाव और सचारीभाव का मध्यवर्ती पाना है। जग्मितवगृह्ण के मतानुमार भरतमुनि ने भी तत्त्वज्ञानजन्य निवेद को शातरम का स्थायिभाव तथा मोक्ष का साधन बहुत उसे व्यभिचारिभावों में सर्वप्रथम स्थान दिया है। इस पर यह प्रत्यनि दिया जा सकता है कि जब निवेद दो अन्य रसों में व्यभिचारिभाव माना जाता है तो फिर भला वह स्थायिभाव वैसे ही सकता है? इसका उत्तर रूप है। बात यह है कि जब शूगर रस के लिए नियिद्व 'जुगुआ' भाव वीभत्ता व्यभिचारिभाव के हृष में होते हुए भी उसे बीमत्त रस का स्थायिभाव माना जा सकता है तो फिर निवेद नामक व्यभिचारिभाव शातरम का स्थायिभाव नयो नहीं बन सकता? आचार्यों द्वा अभिमत है कि सभी स्थायिभावों का अपने रस में स्थायिभावत्व तथा अपने में ग्रिन अन्य रसों में व्यभिचारिभावत्व स्वीकार करने में विनी प्रवार वी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में 'निवेद' न पड़ भाव परिस्थिति में अनुरूप स्थायिभाव भी हो सकता है और व्यभिचारिभाव भी, अतः उसे शातरम का स्थायिभाव मानने में विनी प्रवार वी शंका करना समीक्षीय नहीं है। तत्त्वज्ञानजन्य निवेद के बल स्थायिभाव ही नहीं अपितु रक्षादिक्षण द्वाय स्थायिभावों का उपमदंड भी है, इसलिए उनको शातरम का स्थायिभाव स्वीकार करने में विनी भी प्रवार वी आशका नहीं दी जानी चाहिए।

जो चिदानन् तत्त्वज्ञानजन्य निवेद वो शातरम का स्थायिभाव नहीं मानते उनका बालोप यह है कि मोक्ष का वारण वैराग्य है और वैराग्य का वारप या वीज है तत्त्वज्ञान, अतः वैराग्य के मूलभूत तत्त्वज्ञान वो मोक्ष का शाशात् वारण नहीं माना जा सकता। शातरम ने निए तत्त्वज्ञान एवं विभावत्व परपरित्व वारप से मिछ होता है त्रिगो उगम अग्निप्राप्ति दोप वी गध जाने सकती है, अतः तत्त्वज्ञानजन्य निवेद शातरम का स्थायिभाव नहीं है। इग प्रकार के विचारको शा एव तर्व यह भी है कि वैराग्य में तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है न कि तत्त्वज्ञान से वैराग्य, अतः तत्त्वज्ञान में उत्पन्न वैराग्य या निवेद वो शातरम का स्थायिभाव मानता सचित्पूर्ण नहीं है। आचार्यों द्वी यह मान्यता भवेषा निविवाद हृष में स्वीकार नहीं दी जा सकनी स्योविं इम्बे विपक्ष में भी अनेक तर्व दिये जा सकते

है। सांघर्ष और न्याय दर्गन में तत्त्वज्ञान और वैराग्य के पारम्परिक सम्बन्ध को लेकर भिन्न-भिन्न धारणाएँ व्यक्त की गई हैं। महापि पतञ्जलि ने अपने ग्रीगमूलम् (1-16) में लिखा है कि 'तत्त्वज्ञानी' को सर्वेन ही दुड़तर वैराग्य होता है जिससे स्पष्ट है कि तत्त्वज्ञानजन्य निर्वेद या वैराग्य को मोक्ष का कारण मानते हुए यदि उसे मात्रम् का स्थायिभाव माना जाय तो अनुचित नहीं है। इसके विपरीत प्रतिपथियों का कहना है कि भगवान् पतञ्जलि ने जिस प्रकार के वैराग्य का उल्लेख किया है वह तो ज्ञान वी ही परामर्श है। अतः तत्त्वज्ञान की शृखला द्वारा परिपूर्ण होने वाला वह तत्त्वज्ञान 'निर्वेद' न होकर 'परवैराग्य' होता है, इसलिए शांतरस का स्थायित्व निर्वेद' न होकर 'तत्त्वज्ञान' ही माना जाना चाहिए। आचार्य अभिनवगुप्त ने 'वैराग्य', 'निर्वेद' तथा 'तत्त्वज्ञान' विषयक विभिन्न मतों का उल्लेख कर अन्त में यह निष्कर्ष निकाला है कि 'शम' का ही द्रूमरा नाम 'निर्वेद' है अतः निर्वेद के स्थान पर 'शम' को शांतरस का स्थायिभाव मानने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका कथन है कि शम और शति शब्द उसी रूप में पर्यायवाची हैं जिस रूप में हान और हान्य। जिस प्रकार 'हास' को हास्य रस का स्थायिभाव मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती, उसी प्रकार 'शम' को शांतरस का स्थायिभाव मानने में भी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए।

रत्यादिभावों की अध्यात्मपरता में शांतरस की स्थिति निष्पन्न है

विद्वानों का एक वर्ण इस विचार का समर्थक है कि रत्यादि वित्त-वृत्तियों जब शृंगारदि में उपयोगी विभावों से भिन्न होकर शुत अर्थात् अध्यात्म-चर्चा आदि असौकिक विभाव-विशेषों से संघित होती हुई शांतरसोपयोगी विचित्र रूप धारण कर लेती हैं तो वे अपनी विलक्षणता के कारण शांतरस की स्थायिभाव-वृत्ति बन जाती हैं। इस विषय को विशेष रूप से स्पष्ट करते हुए यह कहा जा सकता है कि नायक-नायिकारूप विभावों से परिपूर्ण रूपता जहाँ शृंगार रस की उत्पादिका होती है, वहाँ वही रूपता अध्यात्म चर्चा आदि विभावों से संपूर्ण होकर शांत रस की जननी हो जाती है। रति के अतिरिक्त अन्य स्थायिभाव भी जब अग्रने लिए निर्धारित विभावों के स्थान पर शुतादिरूप अन्य विभावों के द्वारा भिन्न प्रकार की अनुभूति के जनक हो जाते हैं तो उन्हे भी शांतरस के स्थायिभाव माना जा सकता है। व्यर्द्ध आनन्दस्वरूप आत्मविषयक रूपता किस प्रकार मोक्ष के साधन शांतरस की स्थायिवृत्ति हो जाती है, इस विषय में गीता का वह श्लोक उल्लेखनीय है जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्मरति, आत्मतूजि और आत्मतुष्टि में अन्तर्लीन रहता है, उसके लिए कोई कर्त्तव्य शेष नहीं रहता।¹

1. यश्चात्मरतिरेव स्थादात्मतूष्टात्म भानवः ।

आत्मन्येव च सतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ (श्रीमद्भगवद्गीता-3-17)

रति-व्यतिरिक्त अन्य स्थायिभाव भी जब अध्यात्मचित और मोक्षसाधक बन जाते हैं, तो उन्हें भी शातरस का स्थायिभाव माना जा सकता है। उदाहरणामें समस्त वस्तुओं के विषय में विकार को देखवार विकृत-दर्शनजन्म हास्य-रस का स्थायिभाव 'हास' शात रस को उत्पन्न करता है तो समस्त विश्व को शोष्य है में देखने वाले साधक द्वे कर्त्तव्य रम वा स्थायिभाव 'शोर' शातरस की अनुभूति करता है। इसी प्रकार सासारिक वृत्तात् वो आत्मा के लिए अपवारी हृप में देखने वाले के लिए अपवारित्वजन्य रोद्र रम वा 'ओध' हृप स्थायिभाव शात रम की अभिव्यक्ति कराने वा आधार बनता है तो अतिशय ज्ञानप्रधान वीर्यं वर्णात् उत्साह का आश्रय लेने वाले साधक के लिये वीर रम वा स्थायिभाव 'उत्साह' शातरस की निष्पत्ति करता है। समस्त विषय समुदाय से भयानुभूति करने वाले साधक के लिए भयानक रस का स्थायिभाव 'भय' मोक्ष साधक शात रस वा जनक है तो सम्पूर्ण नोक द्वारा स्पृहणीय प्रसंदा आदि से भी घुणा करने वालों के लिए वीभत्स रम का स्थायिभाव 'जुगुप्ता' शात रस के लिए भी स्थायिवृत्ति बन जाता है। अपने अपूर्व आत्मस्वरूप के आतिशय्य नी प्राप्ति से विस्मय वो प्राप्त साधक के लिए अद्भुत रस वा स्थायिभाव 'विस्मय' भी मोक्ष भी प्राप्ति कराने वाला होता है। इस प्रकार रनि, हास, शोर, ओध, उत्साह, भय, जुगुप्ता और विस्मय तत्त्व आठों स्थायिभाव भिन्न-भिन्न रसों के उत्पादक होने पर भी अपनी मोक्ष-साधिका धेयमयी स्थिति में शांत रस की निष्पत्ति कराने वाले होते हैं, अत आचार्यों के इस वर्ग ने रत्नादि की अध्यात्मपरता में शात रस की निष्पत्ति मानी है। वस्तुतः भरतमुनि ने भी विशिष्ट विभावों की पृष्ठा बरते हुए उनके अत में 'आदि' शब्द का प्रयोग किया है जिससे स्पष्ट है कि वे भी 'आदि' शब्द से उसी प्रकार के अन्य भावों का भी सम्बूद्ध बना उचित समझते थे जो सामान्य हेतुओं से भिन्न शुतादिरूप अवोकित हेतुओं से उत्पन्न रत्नादि की मोक्ष-साधनता को स्वीकार करने वाले हैं। अभिप्राय यह है कि रत्नादि स्थायिभावों में मैं बोहुद भी स्थायिभाव मोक्षसिद्धि में उपर्योगी व्यावर शात रस की निष्पत्ति कराने में समर्थ हो रहता है। आनायं अभिव्यगुप्त वो यह मत मान्य नहीं है। उनका मत है कि इस प्रकार वो मान्यता में शात रस वा स्थायित्व विशीर्ण हो जाता है और प्रत्येक पुराप में भिन्न भिन्न स्थायिभाव मानने पर शातरम के भी अनेक भेद हो जाते हैं जिनमें अनेक प्रकार के दोषों की सम्भावना हो सकती है।

रत्नादि भावों को समष्टि शातरस का स्थायिभाव न ही है

आचार्यों का एक अन्य मम्पदाय इस मत का प्रतिपादन है कि रत्नादि स्थायिभावों की समष्टि को ही शांतरम वा स्थायिभाव कहा जा सकता है। अपनेक्षयन वा सम्बोधन करते हुए इन आचार्यों ने कहा है कि जिस प्रकार

पानक रस मे शंकरा और मिचं आदि अनेक द्रव्यो का स्वाद मिलकर एक विचित्र प्रभार का रस उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार रत्यादि स्थायिभाव पानकरमन्याय रे एक द्रव्य होकर शांत रस मे भी एक विचित्र प्रकार का आत्मादन उद्भूत कर देते हैं। इस मत वा आशय यह है कि पानकरम के समान सभी स्थायिभाव मिलकर शांतरस मे स्थायिभाव बनाते हैं। तत्पत् यह मत किसी प्रकार के तर्क-पुष्ट आधार पर अवस्थित नहीं है क्योंकि न तो रत्यादिविषयक अनेक प्रकार की चित्त-वृत्तियों का एक साध होना संभव है और न हास और कोश तथा उत्साह और भय जैसी विरोधी वृत्तियों को एक साध समन्वित करना ही समुचित है। निवेद और रत्यादि की समटि मे भी शांतरस का स्थायिभाव नहीं माना जा सकता, अतः इस मान्यता मे किसी प्रकार का तर्कपूर्ण बल नहीं है।

'आत्मज्ञान' ही तत्पत् शांतरस का स्थायिभाव है

आचार्य अभिनवगुप्त के नतानुनार तत्पत्त्वज्ञान अथवा आत्मज्ञान ही मोद का साधन है अतः उसे ही शांतरस का स्थायिभाव मानना सभी दृष्टियों से समीचोन है। यह ज्ञान इन्द्रियजन्य भौतिक ज्ञान से मिल और आत्म-साक्षात्कारारपूर्ण होता है जिसमे ज्ञान और आनंद आदि विशुद्ध धर्मों का योग तथा परिकल्पित विषयभोगों का राहित्य रहता है। अभिनवगुप्त का कहना है कि आत्मतत्त्व की व्यापकता की दृष्टि से भवे ही आत्मज्ञान को प्रत्येक रस का स्थायिभाव मानने का आग्रह किया जाए, किन्तु अन्य रसों मे उसका स्थायिभाव नहीं माना जा सकता। इसका कारण यह है कि शांतरस की स्थिति मे जिस प्रकार का आत्मसाक्षात्कारात्मक ज्ञान होता है, वैसा अन्य रसों की स्थिति मे नहीं होता। योगशास्त्र के अनुसार केवल समाधिकाल मे ही आत्मा का अपने स्वरूप मे अवस्थापन अथवा साक्षात्कार होता है, क्योंकि उस स्थिति मे किसी भी प्रकार का वृत्तिकाल्य नहीं होता। रत्यादि के अनुभवकात मे आत्मज्ञान की वैसी विशुद्धता नहीं रहती जैसी शांतरम वी अवतारणा मे होती है। यों तो प्रत्येक रस मे आत्मतत्त्व का कुछ-न-कुछ अश विद्यमान रहता है और तात्त्विक दृष्टि मे यह उचित तथा अनिवार्य भी है किन्तु शृंगार आदि रसों मे रति आदि स्थायिभाव आत्मा ही स्थायी भित्ति के बावित होने पर भी अन्य व्याख्यातारिभावों को अपेक्षा अधिक काल तक स्थिर रहते हैं अतः स्थायिभाव कहनाते हैं, जबकि शांतरम की निष्पत्ति मे तत्पत्त्वज्ञान का प्राधान्य अथवा स्थायिभावत्व इतना अधिक रहता है कि रत्यादि चित्त-वृत्तियों भी उसके समुच्च व्याख्यातारिभाव को प्राप्त हो जाती हैं। अतः अपनी सर्वंया पृथक् एवम् विशिष्ट मत्ता के कारण ही आत्मज्ञान अथवा तत्पत्त्वज्ञान को ही शांतरस का स्थायिभाव मानना न्यायोचित है। अभिनवगुप्त ने 'न हि रुष्डमुण्डयोः माये तृतीयं गोत्वमिति गम्यते' की दृष्टि से आत्मविषयक तत्पत्त्वज्ञान की गणना पृथक् भाव के हृष्ट मे नहीं की है जिससे यह तथ्य अविनित है कि पृथक् गणना न

करने पर भी उसका स्यायिभावत्य न्दतः तिढ़ है और भावों की एकौनपंचाशत्^१ (49) संख्या भी विसी भी रूप में व्याहत नहीं होती। अभिप्राय यह है कि अभिनवगुप्त के मतानुसार आत्मज्ञान या तत्त्वज्ञान ही शातरस वा स्यायिभाव है और आत्मा ही तमहृ भावों वा आधारमूल एवं मित्तिस्थानीय स्यायों वत्त है बतः उसकी पृथक् गणना बरने की जावश्वदता नहीं है।

शातरस वा स्वतन्त्र रस के रूप में प्रतिष्ठा का आधार

विवेचना के इसी प्रसंग में एक भाव उत्पन्न होती है और वह यह कि यह शातरस के स्यायिभाव के रूप में 'तत्त्वज्ञान' की पृथक् गणना नहीं की गई है तो किर शातरस की भी सत्ता स्वतन्त्र रस के रूप में क्यों मानी जाए? इसका उत्तर देते हुए जाचार्य अभिनवगुप्त तिखते हैं कि शातरस वा आस्वाद शृंगारादि रसों के आस्वाद में भिन्न एवं लिकाण होता है अतः उसकी पृथक् गणना बरना सर्व-यंव तमुचित है। बस्तुतः रति और हास आदि स्यायिभावों की अनुभूति पृथक्-पृथक् तथा असमृद्ध रूप में होती है जब कि रत्यादि के समान इन्द्र भावों के साथ अनिश्चित रूप से शात रस में अनुभूत होने वाला आत्मा वा स्वरूप नीदिक प्रतीतिगोचर नहीं होता और समाधि-वाल में अविकल्प रूप से स्वरूपावस्थ होने पर भी न्युत्पान वाल अर्थात् समाधि-भंग के बवसर पर अन्य चित्त-वृत्तियों से बत्तुप्रित रूप में ही प्रतीत होता है। अतः नौक में आत्मा के स्वरूपतः पृथक् प्रतीत न होने से और शातरस में उसके पृथक् रूप से बास्वाद होने से शातरस की गणना की गई है।^१ आचार्य अभिनवगुप्त वा यह भन योगदर्शन से मुक्तमत है क्योंकि उक्त दर्शन में 'योगस्त्वत्वृत्तिनिरोधः', 'तथा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तथा' 'वृत्तिमाहप्यमितरत्र' आदि सूत्रों में यही वाल बही गई है कि चित्तवृत्तियों के निरोध वा नाम 'योग' या 'समाधि' है जिनमें अन्य विसी भी प्रवार नी वृत्ति न होने से द्रष्टा अर्थात् आत्मा वा अपने स्वरूप में अवस्थान होता है और उम समाधि में भिन्न वाल में 'वृत्तिमाहप्य' अर्थात् सुधः दुखादि रूप चित्त-वृत्ति के अनुभाव आत्मन्वस्पाभास होता है जिससे विषुद्ध आत्मस्वरूप की प्रतीति नहीं होती। चूंकि वृत्तिशूल्य रूप में अलग प्रतीति नहीं होती इतः स्यायिभाव के रूप में आत्मा की पृथक् गणना नहीं की गई है। शातरस में आत्मा वा पृथक् आस्वाद होता है अतः शातरस की सत्ता मानी जाती है—अभिनवगुप्त के व्यपन का यही नूत्र भंतव्य है।

अभिनदगुप्त ने 'निवेद' या 'शम' की आत्मा वा स्वरूप न मान कर चित्त-वृत्तिरूप माना है जिगदा बाजाय यह है कि वे शानदार के स्यायिभाव नहीं हो

1. हिन्दी अभिनवभारती, भाष्यकार जाचार्य दिशेत्पर, पृष्ठ 625

शकते। उनके मतानुभार आत्मा ही शातरस का स्थायिभाव है, भरतमुनि ने भी आत्मास्वरूप वो 'शम' मन्द से अभिहिन नहीं किया है, क्योंकि शम तथा निवेद आदि के रामान अन्य भावों में न तो उमके घ्यभिचारित्य की सम्भावना की जा सकती है और न वह विभिन्न अनुभूतियों का जनक ही हो सकता है। भरत-मुनि का आलय यह है कि उस विशुद्ध आत्मरूप को शम या निवेद रूप से व्यष्टि किया जाय तो विसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती किन्तु ऐसा करते हुए भी वह बात तो ध्यान में रखनी ही पड़ेगी कि शम और निवेद आत्मा का स्वरूप न होकर विशेष प्रकार की चित्तवृत्तियाँ ही हैं। साथ ही साथ यह भी मानना होगा कि शानरण का स्थायिभाव रूप निवेद भी दारिद्र्य आदि रूप अन्य कारणों अथवा विभावों से उत्पन्न निवेद का समानजातीय पदार्थ नहीं है। इस 'पर यदि यह कहा जाए कि जब दारिद्र्यादि कारणों से उत्पन्न निवेद और तत्त्वज्ञान से उद्भूत निवेद मिन्न-मिन्न प्रकार के होते हैं तो दोनों को 'निवेद' क्यों कहा जाता है? ऐसा कहने से तो अनेक प्रकार की विसंगतियाँ उपस्थित हो सकती हैं? इसका उत्तर यह है कि कारण का भेद होने पर भी समानजातीय पदार्थों को उसी नाम से भभिहित करते भी कोई दोष नहीं है। यह बात निवेद भाव में ही नहीं, अपिनु रति और भय आदि में भी समान रूप से प्रदर्शित होती है। इसलिए यह कहना सर्वथा समुचित है कि आत्मा का स्वरूप ही तत्त्वज्ञान या शमता रूप है जिसके कालुध्योपरागरूप आत्मा के रत्यादि भाव होते हैं। गृणारादि रसों में आत्मा के विशुद्ध स्वरूप की अनुभूति न होकर वह चित्तवृत्तियों के कल्पित रूप की अनुभूति होती है इसलिए उन रत्यादि के विद्यमान होने पर भी समाधि के द्वारा उसके अध्यवहित विशुद्ध स्वरूप का अनुभव करके व्युत्थान काल में भी चित को कुछ काल तक प्रशातवाहिता ही रहती है। इसलिए आत्मस्वरूप या तत्त्वज्ञान ही शात रस का स्थायिभाव है।

शात रस की स्वाभाविकता, प्रधानता, रसराजता और स्वतन्त्रता

अभिनवगुप्त ने शातरम की प्रशसा में अनेक प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। उनके मतानुभार शातरम ही स्वाभाविक रस है तथा शेष रस उसके विकृत रूप हैं। उनका कहना है कि तत्त्वज्ञान के 'अनुभव' ही यमनियम आदि के द्वारा उपहृत होकर शात रस के 'अनुभाव' हो जाते हैं। ईश्वरानुग्रह आदि शात रस के विभाव होते हैं तथा विनाट होते हुए रत्यादि भावों का भी शात रस में व्याप्तादन किया जाता है। परोपकार-विषयक इच्छा एवं प्रयत्नरूप उत्साह जिसे दया भी कहते हैं, शातरम का विशेष रूप से अतरम होता है। इसे कुछ विद्वान दयावीर अथवा धर्मवीर नाम से भी व्यवहृत करते हैं। विद्वानों की इस मान्यता पर यह संदेह किया जा सकता है कि शातरस में तो अहंकार-शैयित्य होता है जब कि उत्साह तो अहंकारभूतक कहा जाता है फिर भला उत्साह को

शावरस वा भजरण कैसे कहा जा सकता है ? इम शब्द का उत्तर यह है कि विस्तृद भाव वा भी व्यभिचारिमात्र वे स्पृ में वर्णन दरला भनुचित नहीं है, क्योंकि यदि वैसा दरला भनुचित होता तो शृगार रम म निवेद आदि वा वर्णन नहीं किया जाता । वस्तु उल्लाह वो शावरस वा विरोधी कहना उचित नहीं है बरनेवा बोई भी छवस्पा उत्साहशूल्य नहीं हो सकती । इच्छा और प्रदल के अभाव म व्यक्ति जड़नायापद्धत् हो जाएगा और हम यह जानते हैं कि शावरस की स्थिति वो प्राप्त व्यक्ति पत्तर के गमान बड़ नहीं होता क्योंकि यह भी देखा जाता है कि शावर हृदय दाले साध्वरों के मन में परोमाकार और लोक कल्पाण आदि वायों के लिए भरना सर्वस्त्र दान दर देने का अलौकिक उत्साह रहता है, जब उल्लाह और शावर रम में विभी प्रकार वा विरोध नहीं है ।

अभिनवगुप्त ने अनेक तरों और उदाहरणों द्वारा यह तथ्य प्रतिष्ठित करने चेष्टा की है कि परोपकारविपद्ध इच्छा एव उत्साह ही शावरस के अवरम इत्तीलिए उन दयाकीर या घमकीर वे नाम से भी अभिहित वरते हैं । उन्होंने 'नामनद नाटव व नामद जीमूतवाहन' का मनाविश्वरपण वरत हुए बनत यह निष्पर्यं निश्चाता है कि जीमूतवाहन वो मन स्थिति म ददा रूप उत्साह वृत्ति का प्राधान्य हान पर भी उनम शावरस की ही अवस्थिति है । वह परापकार के लिए अनना आत्मोत्तर्मण वरने के लिए प्रस्तुत है, तिनु उम्मा मानस वादितस्त्रों की भाँति शावरमपूर्ण मन स्थिति म भिन्न नहीं है । यह यात अवस्था है कि भोक्त-प्राप्ति वी अन्तिम मूमिका म पहुंच जान पर उम्माह आदि सभी भावों वा अभाव हो जाता है और उब यह शावरस अप्रयाग अर्यान् अनभिनेय हो जाता है । इनके यदि शावरत वे विरोधी विचारण यह जासाय निवाने कि अनभिनवता के द्वारा शावरम का अस्तित्व ही नहीं माना जा सकता तो उचित नहीं है । अभिनवगुप्त का वर्णन है कि पर्यन्त दशा म नो रति और गोद आदि भावा का भी अभिनव नहीं किया जा सकता । जिन प्रकार शमार शृगार की वरम परिणाम सर्वपा व्यापारशूल्य होनी है उसी प्रकार विश्वलभ शृगार तथा वरण आदि अन्य रसों की चरम परिणाम भी व्यापारशूल्यता में होती है जिसके द्वारा उनका अभिनव समव नहीं होता । पर इनका यह अर्थ नहीं कि शृगार और वरण नामर रसों का अस्तित्व ही नहीं होता । यह एक विकेष स्थिति में शृगार और वरण आदि अनभिनेय होत हुए भी उनका वस्तिव रूप भइते हैं तो शावरस वो रस रूप में न मानने में बोई हेतु दृष्टिगोचर नहीं होता । सच तो यह है कि जित प्रकार रति आदि के सत्तारों के द्वारा शृगारादि रसों में हृदय की दग्ध-यता रहती है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञान के बीजभूत मस्तारों में भम्बृत अत्तरस भी भी शावरम का तन्मयभाव रहता है ।

अभिनवगुप्त ने अपने विवेचन में इस प्रस्तुत का भी उत्तर देने का प्रदल

रेता है कि शांतश्रधान नाटकों में यीर रस के आस्वाद की वया संगति होती है ? उनका बहुता है कि यही शांतरस का प्रयोग किया जाता है, वही पृथिव्योंवर्षोंपरी शृंगार और यीर आदि रसों में से कोई एक अन्य रस रहता अवश्य है। जिस प्रकार प्रहृष्ट भादि में हास्यादि वो प्रधानतमा होने पर भी अन्य रसों का भी आस्वादन रिया जाता है, उसी प्रहृष्ट शांतरस के साथ शुगार और यीर आदि में से कोई अन्य अन्य रस अवश्य रहता है। अवेक स्थलों पर ही रचना के मत में निष्पत्त होने वाले शृंगार पाय और रस में ही काम्य या नाटक का चरमास्वाद प्रतीत होता है। अभिप्राय यह है कि शांत रस की इदि सभी दृष्टियों से मुक्ति-संगत है तभी तो भरतमुनि ने शांत रस को गमला त्याविभावात्मक बहुकर उनका अस्तित्व स्पौतार किया है। इस विषय में अभिनव गुप्त का निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय है जिसके अनुगार शांत रसों का आस्वाद प्रायः शांत के हृष्ट में ही होता है।

“तत् सर्वरसानां शान्तश्रावणवास्वादो विषपेत्यो विपरिद्वत्या, तत्त्वगुप्तता जानात् । केवलं यासानान्तरोपहित इति । अस्य सर्वं प्रहृतित्वमभिप्राय पूर्वभिधानम् ॥”

आचार्य अभिनवगुप्त शांतरस के एवतो प्रबल समर्थक है। उन्होंने शांतरस को समस्त रसों में प्रधान और ‘रसराज’ माना है। उनका तो यहा तक बहुता है कि शांत रस हो ही समस्त रसों को उत्तित होती है और उसी में रस रस विकीर्ण हो जाते हैं। उन्होंने भरतमुनितुत नाट्यशास्त्र की प्राचीन प्रतियों के आधार पर इस तथ्य का अनिवादन किया है कि शांत रस ही समस्त रसों की प्रतीति है। उनके मनानुसार शांतरस का स्वामिनाय पृथक् रूप से इव कारण से विवेचित नहीं किया गया है कि सब रसों में रहने वाले सामान्य भाव की लोक में बार-बार पृथक्-पृथक् गणना नहीं की जाती। वस्तुतः विचारक तत्त्वदेता ही सामान्य को यी वृषभ् रूप से समझ लेते हैं, इसलिए विवेचक के अभिप्राय से सामाजिकत आस्वादरूप प्रतीति के विषय हृष्ट में शांतरस का स्वामिनाय अस्तित्व होता ही है।

अधिवक्तुगुप्त ने अपनी निजी युक्तियों नहा शास्त्र-वचनों के आधार पर नवरस के हृष्ट में शांतरस की रक्षणा की है। इस रस की प्रतिष्ठा इतिहास पुराण और अधिग्रन्थकोश आदि स्रन्यों में भी दर्तनाम है। अभिनवगुप्त के गुरु श्री उत्तलपादाचार्य ने भी अपने ‘प्रत्यभिज्ञादर्शन’ में नवरस का सिद्धात निरूपित करते हुए लिखा है कि जाठों देवताओं के शृंगारादि प्रदर्शन से भिन्न महादेव के शांत हृष्ट में शांतरस का अधिष्ठान है। रसनिष्पत्ति के लिए अपेक्षित विभाव, अनुभाव और अभिवारित्यों की शांतरसगत योजना करते हुए अभिनवगुप्त ने लिखा है कि वैराग्य और संसारभीत्या आदि शांतरस के पिभाप हैं जिनके

उपनिषद्धन में शातरस का ज्ञान होता है। मोक्षशास्त्र अथवा उपनिषद् वादि वा विचार उत्तरे अनुभाव हैं तो निर्बद्, स्मृति तथा पूर्ति आदि उसमें व्यधिकारिकाव। स्मृति, पूर्ति और उत्तराह वादि से युक्त ईश्वरप्रणिधानविषयक भक्ति वदा अद्वा शातरस के अग्रहण हैं, अत उनको (भक्तिरम वादि वा) पृथक् रूप के रूप में गणना नहीं की यई है। जगिनवगुप्ता ने भलानुमार भक्तिरत्न का भलमांव शातरस ही हो जाता है। इस विषय में निम्नलिखित सप्रहृत्वारिकाओं को उद्घृत वरना आवश्यक प्रतीत होता है जिनमें व्रमण शातरस वा स्वरूप वदा उन्ने अन्य रमा वी मूल प्रहृति सिद्ध निया गया है—

मोक्षाध्यात्मनिमित्तस्तत्त्वज्ञानार्थं हेतुस्युक्तः ।
नि भेषमध्यमंयुत शान्तरमो नाम विज्ञेय ॥ १ ॥
स्व स्व निमित्तमासाद्य शान्ताद् भाव प्रदत्तंते ।
पुननिमित्तापाये तु शान्त एव प्रनीयते ॥ २ ॥

अर्यात् मोक्ष रूप अध्यात्म वी प्राप्ति वा वारण अथवा मोक्ष-प्राप्ति के उद्देश्य से प्रदृत तत्त्वज्ञान रूप हेतु से युक्त और निष्ठेयस रूप फल से समन्वित शातरस समझना चाहिये।

अपने-अपने अनुमत्य वारण को प्राप्त परके शान्त रूप से ही रत्यादि भाव उत्पन्न होते हैं और उन निमित्त ने समाप्त हो जाने पर फिर शान्त में ही रत्यादि भाव सीन हो जाते हैं।

प्रबन्ध-काव्यों की रसाभिव्यंजकता

प्रतिपाद्य विषय की परिसीमा

कथानुबन्ध की दूष्टि से प्रबन्ध काव्य काव्य-भेदों का प्रथम प्रकार है जिसके विशाल परिवेश में जीवन की अभिव्यक्ति के व्यापक अवसर विद्यमान रहते हैं। उगड़ी बंधगत सफलता और रसगत सिद्धि का विवेचन भारतीय काव्यशास्त्र का एक प्रमुख विषय रहा है। यो तो भारतेतर देशों में भी प्रबन्ध-काव्य की रचना का वैशिष्ट्यपूर्ण विधान है तथा वहाँ के काव्याचार्यों ने भी अपने-अपने संस्कृतिमूलक आधारों और तात्त्विक भानकों के निष्पत्ति पर मुग-जीवन की भूमिका में उसका विवेचन प्रस्तुत किया है, किन्तु तदूदृ विषयक धारणों का विवरण करना हमारे प्रस्तुत निबन्ध का विषय नहीं है। निबन्ध के परिसीमित क्षेत्र से हम प्रबन्ध-काव्य की रसाभिव्यजवता का उतना ही अंश स्पष्ट करना चाहते हैं जो उसके अग्री रूप से सम्बद्ध है तथा जिसके काव्य-वर्ग में रमोचित्य की व्यंजना विविध प्रणालियों में प्रदर्शित होती है। इस विषय में आचार्य काननदबाईन के विचार विशेषत एवं उन्होंने वीचित्य को 'रसाभिनियद्' की शृङ्खलामि के विवेचित करते हुए प्रबन्धगत रूप के अंगामिहणों तथा उसके अभिव्यजको-हेतुओं का विश्लेषण अत्यन्त सारांशित फलावली में किया है। यो तो उनका विवेचन भारतीय काव्य और शास्त्र की मर्यादा के विशेष अनुकूल है, किन्तु उसके द्वारा ऐसे अनेक तथ्यों तथा नामों का भी अन्वेषण किया जा सकता है जो विगुद साहित्य-समीक्षा की दूष्टि से भारतेतर काव्य-साहित्यों के विमर्श का भी आधार बन सकता है।

अंगों रस की विवेचना का महाव

प्रबन्ध-काव्य की विस्तार सीमा में अंगी रस का विवेचन करना सकातनः अनिवार्य एवम् परम आवश्यक है क्योंकि उसके विना इस तथ्य का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता कि किसी भी यमातोव्य प्रबन्ध का प्रमुख आस्वाद क्या है और उससे हमारी वित्तवृत्ति को तपाकभित 'विस्तार' 'इति' अथवा 'विधेप' आदि से सम्बद्ध कौनसी अवस्था प्राप्त होती है? आचार्य भरतमुनि ने पद्मपि अंगीरस के विषय को अधिक वैश्यष्ट्यपूर्वक विवेचित नहीं किया था, तथापि

उन्हे स्थायी रस के हृप म उत्तरो परिकल्पना सुमान्य थी जिसका सर्वेत उनके इस वर्णन मे मिलता है कि महानाव्य मे वर्णित अनेक रसो मे से जो रस वहू अर्थात् अधिक या प्रधान हृप से विद्यमान रहता है, वह उस काव्य वा स्थायी (अग्नी) रस तथा शेष रस उत्तरो सवारी (आगभूत) रस होते हैं।¹ आचार्य ब्रह्मददर्शन ने तो प्रबन्ध-काव्य की सफलता भी इस बात मे भानी थी कि उसमे अनेक रसो वो विविधता वा अवदाश रहने पर भी इस बात का विचार मुख्य रूप मे निया जाता चाहिए कि उग्रका रथिता अपने व्यावर्ण के अनुष्ठृप्त विस्ती एक रस को अ यी रस के हृप मे निष्पन्न करने मे समर्प हुआ है अयता नहीं ?

अग्नी रस की वस्त्रना का आधार

प्रबन्ध-काव्यों के परिवेश मे अग्नी रस की परिवर्तना के मूल मे अनेक सर्वसंगत आधार विद्यमान हैं। जब प्रबन्ध काव्य की व्यापक भाव-भूमि मे वहूविष्ट रसों के सचरण के लिए अवदाश यना रहता है तो यह भी निश्चित है कि उमामा वथना जिग रस यी ओर पुनः पुनः अनुग्रहित हो तथा काव्य के वर्तवर मे जिमी व्याप्ति अन्य रसों की अपका यही अधिक हो, यही रस ताम्रदद प्रबन्ध काव्य वा अग्नी रस होता है। बस्तुत जिमी प्रबन्ध काव्य के रस विधान मे अग्नी रस की स्थिति वैसी ही है जैसी जिमी स्थायिभाव की स्थिति रस निष्पत्ति के अन्यान्य अवयवों के समक्ष रहती है। जिस प्रवार विभावागुभावा और सचारिभावा के सम्बन्ध उद्देश से स्थायिभाव को रस हृप मे निष्पन्न हानि वा मदल प्राप्त होता है, उस प्रवार जिमी प्रबन्ध काव्य मे व्याप्त विभिन्न अग्नभूत रस उग्रे अग्नी अयता प्रधान रस यी सपोषण प्रदान करते हैं। यहाँ यी जावश्वरता नहीं कि अग्नी रस वा मूल सम्बन्ध काव्य के अग्नी पात्र से होता है, जिमी मुक्त वृति की काव्य के व्यानर मे परिवृहित परता विका मूल प्रयोजन होता चाहिये। अग्नीरम मे प्रबन्ध काव्य के नायक की व्याय वा भान्यन तथा उत्तरो जीवन-नायका वा गत्व नायित होता है, यह एक गुनिश्चित प्रारण है।

अग्नी रस की उपर्योगिता नाट्य-काव्यों मे भी मात्र है

शब्द काव्य के अन्तर्गत परिवर्णित होने वाले प्रबन्ध काव्य की सौति दृश्य व्यायों मे भी अग्नी रस के महत्व वो ओर आचार्यों का ध्यान गदैव आहट्ट रहा है। नाट्यदर्शनवार रामचन्द्र-गुणचन्द्र वा मत है कि नाट्व म नायक के

1. वहूता समवेताना हृप यस्य भवेद् यदु ।

स मतव्यो रसः स्थायी शेषाः सवारिणो मता । नाट्यशास्त्र, 7120

‘बीचित्य’ के अनुसार जिसी में किसी प्रकार के एक रस का प्राधान्य अवश्य होना चाहिए जिसे अन्य रसों से पथावसर संपोषण बिलता रहे रुपा जिसमें नाशक की वितरवृत्ति को प्रतोग्नित करने की क्षमता विद्यमान हो। नाट्यदर्शन के विवेचन के आधार पर यह नियम रात्रि भाव से निकाला जा सकता है कि अंगी रस का प्राधान्य गम्भीर नाशक के घटना-आणारो लक्षण निषा-द्वारा के साथ है जिसमें रागात्मिका वृत्ति एवं प्राधान्य होने के कारण शृंगार रस की नियन्त्रिता के लिए अधिक अवसर हो सकते हैं। शृंगार के पश्चात् दीर्घ तथा वर्ण रसों को भी अंगी रस के रूप में नाट्यालयत विवित करने की दिशा में प्रयत्न किये गये हैं। इम विषय में कोई वर्णोर नियम तो नहीं बनाया जा सकता कि नाट्य काव्यों का प्रधान रस बना होना चाहिए परं इतना शब्द बहा या सकता है कि उसका मुख्य सम्बन्ध नाटक के प्रधान भाव से होता है, अतः उस पात्र की भूमिका विवृति दिग्दिशा की ओर विशेष रूप से प्रभावित हो अथवा जिसी वीक्षणी के दिम हृषि को नेकर नाटक की रचना की गई हो, उसे प्राधान्य प्रदान करो हुए तत्त्वज्ञान औचित्य के अनुसार ही उसकी रस-विवरणना की जानी चाहिए। वस्तुतः मुख्य पात्र ही नाटक अद्वावा प्रवर्णन काव्य के फल-भोगता होते हैं अतः अंगी रस की परिवर्तनशक्ति उन्हे फल-वर्णन पूर्णतये देशा उन्हें कलागम का आस्थाद प्रदान करने तक विवरण होनी चाहिए।

दिग्दिश देशों के आचार्यों ने प्रवर्णन तथा नाट्य काव्यों का विवेचन करते हुए अंगी रस की उपयोगिता स्वीकार की है। पश्चात्य समीकरणों ने यदि अपी रस के रूप में काव्यास्वाद की अंतिम परिणिति व्याख्यात की है तो भारतीय आचार्यों ने प्रवर्णनशक्ति का अन्तिम हृषि उक्तके मूल रस की नियन्त्रिता में माना है। साहित्यदर्शनकार विज्ञवानथ को अंगी रस की वरिष्ठा का मान्यक ज्ञान या, जिसे लक्षित कर उन्होंने रूपरेखाओं में इन वात का उल्लेख किया है कि ‘सहावारत’ में शांत, ‘शामायण में कषण और भान्तीमायव’ तथा ‘रत्नावनी’ में शृंगार रस का उद्देश अंगीरस में हृषि में हुआ है। वस्तुतः अंगी रस की विवेचना के दिना प्रवर्णन-काव्य के आस्वाद का मुख्य वर्ण अमृष्ट सा रह जाता है, अतः उसका अन्तिम रूप करने की दिशा में प्रयत्न करते हुए उसका प्रकाशन अवश्यमेव किया जाना चाहिए।

रसों के अंगांशिभाव का विमर्श :

काव्यास्वाद के विमर्शकों में एक वर्ग उन तत्त्वदृष्टाओं का भी है जिन्हें रसों का अनागिभाव स्वीकार नहीं है। उनका कलन है कि जब काव्य-रस का आस्थाद स्वरूप और स्ववर्मत्वारहन है तो उसको वात्मविश्वाति की अचंड-प्रतीति में अगागिभाव सा गम्भीर स्वीकार करना अनेक दृष्टिशी से अनुचित है। वस्तुतः

वाय्य-रम स्वयंस्वार में ही दिक्षात होता है, जहाँ उसके उच्चार्य-उच्चारणभाव तथा बीणागीणभाव की न सौंहार्द आवश्यकता ही रहती है और न उपरोक्तिता ही। उन आचार्यों ने रसों के जगागिभाव का खण्ड विरोधी रसों की व्यवहा र को खब्बवहार्य मिट्ट बरते हुए भी बिया है। उनका मत है कि चीर और शृंगार अपदा शृंगार और हात्य आदि विरोधी रस-जुगांवों का उत्तर्य मनान हर से स्वीकार न बरते बाले चट्ठानवस्थानभावों विरोध ने भले ही रसों के अगागिभाव के तीव्र खण्डन के तरफ दिक्षात न हो। इन्तु वाय्य-वाय्य-आच अपदा दाय्य-पानवभाव में पाये जाने वाले विरोध में तो रसों के अगागिभाव को बोई स्पान प्रदान ही नहीं बिया जा सकता। इम मान्यता दो अधिक स्पष्ट बरते वे प्रयोग जन में इन आचार्यों ने बिया है कि उच्चार्याणि ने रसों के अगागिभाव की परिवर्तना व्यर्थ नहीं है बिन्तु यदि बिन्ती एवं स्त्रीय विचारक के मन में उसकी प्रतिक्षा वे प्रति विशेष आइह ही हो तो वाय्यधानवभाव विरोधी रसों की योजना में तो उनका अनिवार्य हो ही नहीं सकता। वाय्यधानवभाव विरोधी रसों में 'शृंगार और बीमत्स' 'बीर और भद्रानक', 'शान और रोड़' तथा 'शृंगार और लाट' आदि रस-जुगांवों को यनका होली है बिन्ते अत्यन्त भाव वा निर्मधन रस-दोषों की धेनी में परिगणित बिया जाता है। भारतीय साहित्य की परम्परागत भान्यताओं ने बुद्ध विशेष दरिम्बनियों को छोड़ बर शृंगार और बीमत्स में भद्रव विरोध भाव देना है जबकि पारसी आदि भारतीय भान्यत्यों में विद्योग शृंगार के वर्णन के माय-नाय खून, भवाद आदि के बीमत्समय विवरण भी हुए हैं। आज नीं परिवर्तित परिस्थिति में रग-विरोध की इन परम्परागत भान्यताओं के प्रति भले ही बिन्ती के मन में बोई आत्मा न हो, बिन्तु मनुष्य की मूल मनोवृत्तियों के अंतराल में उनका जो महबूब मन्दन्ध है, उने मर्वेदा तिम्कार कह कर युग के तथारयित्र वायाचक में विशृंखिति बरते वा उपकरण भी नहाय नहीं है।

आचार्यों के अभिमत और विषय-

रसों का अगागिभाव भामह, दण्डी और रड्ड आदि प्राचीन आचार्यों द्वा उम हर से मान्य न था, बिन हर से आवायं आनददर्दन, बर्भिनवगुप्त और यमचट्ट-गुणवट्ट द्वारा उनका गन्तव बिया गया था। इनका एक वारण मह भी या कि प्राचीन आचार्यों का रम-विमर्श न तो विशेष गम्भीर व विशद या और न वे अपनी दुरुक्ष मान्यताओं के मम्मुक्ष उपर अधिक विचारणों व ही समझते थे। यो तो भामह, दण्डी और रड्ड ने तमस 'रसुरव मदन्तः पृष्ठद्', 'रमभाव-निरंतरम्' और 'मर्वे रना तिम्ते वाय्यस्यानानि मर्वाणि' द्वारा रसों का भी मुण्डान बिया है, इन्तु वह उप्पेष्यमात्र है। वस्तुतु इन आचार्यों की दृष्टि

मरवनुति द्वारा प्रगिरादित स्पायो रग और संचारी रग, ही विदेशना की ओर नहीं गई थी, यवः वे उनकी महत्ता का निहण नहीं कर सके। आत्मार्थ आनंदवर्धन मरवनुति के मूल संरक्षण और भास्मह भासि की गीताओं से परिचित थे, अब उन्होंने उनकी महत्त्वता को ही परिचित कर भगवा दृष्टिकोण प्रतिष्ठित किया। वे इस तथ्य को ही नारायण करते थे कि प्रन्देश रग अपने प्रमाण में ही पूर्ण परिगुणित होकर प्रात्मविद्याति प्राप्त करता है, जिन् द्वाका यह असिराय नहीं कि उनका भव्य रसों के माप वोई गम्भीर अपशंसा तामसम नहीं होता। सन्तुत व्रश्य कलना के विग्रह आभोध में थंडी रा प्रधान होता है और व्यय उनके गीत अपरा, महोपोदी बन कर आते हैं विषया कारज पटनाचक पी विविध परिस्थितियाँ हैं। घावहारिक दृष्टि से भी रसों के अनांगिभाव की सत्ता स्वीकार्य पक्षीत भोती है क्योंकि अनेक बार ऐसा देखा जाता है कि रसों के अनांगिभाव की दोनों रोपोना रोपने करते हैं वर्षपर बल प्राप्त होता है और इन्हें निरोध और नेकर जो चारों भागी जाती हैं वे उपाधित होकर उत्तरार्थ-उत्तरार्थ भाव में ही परिणत हो जाती हैं। आधारों ने सं-दिरीष को नेकर जो प्रतिपत्तिमी प्रस्तुत की है उनका यह अभिभाव नहीं है कि वे रसों के अनांगिभाव में काला नहीं रहते थे। उनका प्रयोगन को नेकर इतना ही है कि अनेक बार रसों के विरोध-प्रदर्शन के बोलीचित्र अनुसृष्ट हो जाता है, उसके निरोध की दिशा में व्यय रहता चाहिए। आनंदवर्धन ने तो रसों के अनांगिभाव को उत्तरार्थ-उत्तरार्थ-नन्दनन्दन से विदेशित कर उनकी अनिदार्थ स्थिति निर्माति की है जिसका समर्थन तो बनगार अभिनवदण्डन ने भास्मितुति वा उत्तेज करते हुए विशेष रूप से किया है। प्रदर्श काल्यों की प्रतिका के काल में तो रसों का अनांगिभाव इकल रास्तों में प्रतिलिपि हृष्ण है जिसका कारण यह है कि उसके द्वितीय भीत्व के बैठक एवं बैविष्य का विस्तार प्रदर्श काल्य की विशेष सीमा में अनुरक्षित किया ही भई जा सकता। परमतों आधारों ने प्रदर्श काल्य के अगीरस की जिस रूप में सम्मुक्त किया था उसका आधार शिर्मितिकृत बासों में भिन्न महेश :-

गुणार वीराननदारेको अंगी रत इध्यते ॥¹

प्रमिद्देश्य प्रवृद्धाना नानारेत निवेदने ।

एको रसी अंगी कत्तेव्य ॥²

प्रकागिरसमन्यदण्डमद्युत्त रसीमिति ।

अनंदितुमलकार कांपेरावाङ्गम् ॥³

1. विश्वनाथ : साहित्य दर्शन 6/317

2. आनंदवर्धन : व्याख्यालोक, 3/21

3. नाट्यशास्त्र 1 : 12 : 15

मंथो रस की उत्तरोगिता

प्रबृहि काव्यों की वर्णना और नाट्य काव्यों की अभिनेपता को दृष्टि से रखते हुए अगोरा रस की उत्तरोगिता का जो विश्लेषण किया गया, उसमें कई प्रकार के विचार-मूल उत्तरव्य होते हैं। उनका निष्ठयं यह है कि जब प्रदद वाक्य वा रादनशौतिमूल शब्दोजन ग्रास्त्वाद् दराना ही है तो नह अपनी कदम अनिर्देशनीयता में स्थित होते हुए भी विसीन विसी भाव-विरोप को मुख निष्पत्ति का श्रमोजन दन कर अवश्यमेव उपस्थित होना चाहिए। आवृत्ति भनोविश्वनपण वी प्रायागित विधियों वे बाधार पर भी यह सिद्ध किया जा चुका है कि व्यक्ति वी चेतना में भावों के परिस्थितिजन्य तारतम्य वा क्या महत्व है तथा विसी विरोप प्रकार की भनोटणा के प्रामुख्य में इतर जितदृतियों का समजन विस प्रकार होता चलता है। इस विषय की व्यापकता वे छहापोहों देन उत्तर कर प्रस्तुत प्रसग में वेदत इतना यत्वेत नहना ही पर्याप्त है कि इसे वे आत्मगमाद का रहन्य उद्द्यापित विषय दिना विसी भी प्रदन्धनवाक्य वी रक्षा-भिक्षवज्ञता का अतवौद्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे का क्यों इष विनो को प्रवय वाक्य में निष्पत्ति भाव वृत्ति वा प्रभुय जाधार अपका सम्बन्ध दन कर हो अभिव्यक्त होता है।

प्रबृहि-वाक्यों द्वारा रसाभिव्यवहरता के श्रीविष्ट-हेतु

प्रबृहि-वाक्यों में वर्णित अगोरा रस को विवेचना से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय उनकी रात्मानिष्पत्ति के हेतु तत्त्वों वा विश्लेषण है। भारतीय ज्ञातानों ने रसभुय-दृष्टि से प्रबृहि-वाक्य को 'अभिधामूला अमलदद्यवदमध्यनि' वा 'एव व्यज्ञवाद' मान कर उनकी रसाभिव्यवहरता वा विमनं विविध पदां के बाधार पर किया है। उनके विश्लेषण के मुख्य आधार रामायण और महामारत आदि वाक्य-नन्य हैं जिन्हें भारतीय चेतना वे आत्मोक्तमन्य कहना मुकितसात प्रीत होता है। आत्मामें भानदद्वर्धन न उक्त पात्यव्याघो वी रसभोजना हो व्यान में रखते हुए जिम रूप भ उनकी व्यज्ञता निर्दिष्ट होती है, उसमें ऐसे बनेह ज्ञानव्य विषयों वा दोष होता है जो किंतु रमारव वाक्य के श्रीविष्ट उद्धा उनकी मिठि के लिए अनियायं तत्त्व प्रतीत होते हैं। आनदद्वर्धन के मनानुसार रसाभिव्यवहरता के श्रीविष्ट हेतुओं का प्रवाहन निभानिगित हर्षों में सम्बव है।

1. विमान, अनुभाव और सचारिमाद के श्रीचित्य को चारना से ऐतिहानिक अपदान उत्प्रेक्षित (विष्पत्ति) कथा शरीर का निर्माण।

2. ऐतिहानिक वन में प्राप्त होन पर भी रम के प्रतिबूल वदीतों को दोहर कर, दोष में अभीष्ट रम के अनुशूल नदीन वन्यता बरते हुए कथा का सहरम।

3. शुद्ध रसाभिव्यक्ति वी दृष्टि में सधि और सम्प्रयागों वा सम्पत्ति।

4. प्रसंगानुकूल रसों के उद्दीपन और प्रशमन की प्रोत्तवा सदा विधांत होते हुए रस का अनुसंधान।

5. अलैकारों के यथेष्टु प्रयोग की गृण शक्ति होने पर भी रस के अनुरूप ही परिमित मात्रा में अलंकारों की प्रोत्तवा।

विभावादिका भौतिक्यः

उपर्युक्त पाँचों प्रकार बन्द्योपाधि रस के व्यधिकरक हतु हैं। इन हतुओं के प्रयोग स्वरूप में इस बात का विचार हिया जाता है कि विभाव, अनुभाव और भाव (स्थायिभाव भी और संवारिभाव) के भौतिक्य से प्रबन्धकार्य के सुन्दर दृष्टांशीर का निर्णय हो सकता है या नहीं। हमारे आवहानिक जीवन के अनुभवों से भी प्रकृत है कि जिस कार्य में उपर्युक्त बालों का गमुचित स्वोत्तम होता है, वही कार्य रस और भाव की दृष्टि से उत्तम कोटि का बन सकता है। विभाव के औचित्य का विवेचन भरतमुनि से नेकर अद्यावधि अवेक आचार्यों ने किया है। स्थायिभाव का भौतिक्य प्रकृति के भौतिक्य से सम्बन्धित है। उपर्युक्त इस बात का व्यापर रखा जाता है कि आचार्यों ने उत्तम मध्यम, अधिम तथा दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य के भेद से प्रकृति के जो रूप निहित हिये हैं, उनका व्यधिकरण ऐती विधि से किया जाय विस्तेर स्थायिभाव का विशुद्ध रीत्या भौतिक्य-निर्वाह हो सके। कार्यकार पर इस बात का बहुत बड़ा दायित्व है कि वह दिव्य तथा मानवीय प्रकृति के विभिन्न स्तरों से सुन्दर-चित्त होकर उन्हें अपनी कथा के अनुरूप व्यंजन। प्रदान करे जिससे प्रबन्धवत्त उस की स्फुरणा में किसी भी प्रकार की भ्रमवाभाविकता अथवा अनुचित भावना व्यक्त न बन सके। मारतीय कार्य-शास्त्र में नायक-नायिकाओं के जो गुण वर्णित किये गये हैं, वे मनोवैज्ञानिक आधारों से समुद्ध हैं, अतः कार्यवर्णनों में उनका परिपालन किया जाना भी अनुचित नहीं कहा जा सकता। ही, इस बात भी अवश्यक्यमेप आवश्यकता है कि कठी-कभी कथानायक नरेणों के प्रभावातिषय का केवल दिव्य चरित्रों के हृत में जो वर्णन किया जाता है, वह मूलतः मानवीय प्रकृति पर ही आवाहित होग चाहिए अन्यथा उसकी रस-व्यंजनकर्ता में एक विशिष्ट प्रकार का अनीचित्य भी आ सकता है।

कथानायकों का संघटनीयत्व

मारतीय परम्परा के शब्दय कालों में नथा-नायकों का संघटन चिन दिव्यादिव्य रूप में किया गया है उनका रसानुभूति की दृष्टि से विशेष महत्व है। यही की जासूक्तिक मान्यताएँ मूलतः आप्यातिक और आदर्शात्मक रही है अतः नायकों के चरित्र में उत्तम स्वरूप का गमोत्तम विशुद्ध मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी असाध्य नहीं कहा जा सकता। भरतमुनि के 'ताट्यशास्त्र' में दो प्रद्याव वस्तु-

दिष्प और प्रछान्त उत्तर नामन्त्र से अनिवार्य महत्व प्रदान किया गया है। ऐसा इसे से नामक के औचित्यानीचित्य के दिष्पमें विक्षी भी प्रबार वा निर्दि-
प्रम नहीं हो सकता। बल्पित व्यक्ति के आधार पर नाटव या वाम्ब आदि का
निर्वाचन बरते से लगेव पार नामन्त्र के अशक्तिश्व और अनुचित स्वभावादि के दर्शन
से प्रबन्ध वाम्ब वीर रमानवता भग्न हो जाती है। भारतीय आचारों ने नामदो-
क्षित मर्यादा की दृष्टि से उनकी रक्षा के भी स्पष्ट और स्तर निर्दित
किये हैं। उन्होंने इन बातों का नियेष तो नहीं किया है कि दिष्प-चरित्र नामन्त्रों
की रूपादि वा दर्शन ही न किया जाय, किन्तु यह मान्दता व्यवस्थ व्यक्ति की है
उनका चित्पण बरते हुए उनकी निर्वाचन शास्त्रोन्तरा और प्रहृतिकृत दिष्पना का
प्राप्त व्यवस्थनेव रखना चाहिए। ऐसा बरते ने उनके चरित्र के भी नियार
आता है तथा सहृदयजनों की सम चर्वणा में भी दाढ़ा नहीं पहुँचनी। चरित्रों
की दिव्यादिष्प प्रहृति के लक्ष्य प्रदेश में प्रकाश होने की क्षमता न होने के कारण
इन्हींकी लव्यादिष्प विद्यों के रमणीय व्यपादव भी विशृद्धित हो जाते
हैं। विद्वानों ने मात्रवीय स्वभाव के अनुरूप शृणार-दिष्पद्व प्रहृति का भी
ओचित्य विवेचित किया है उमड़ा परिपानन बरता अनिवार्य ना है क्योंकि उनके
मिल जो बोई भी अन्य दिव्य औचित्य है, वह रमाभिष्यक्षित ने अनुनान नहीं
हो सकता तथा वाव्यास्वादमिनाङ्कों के मानव में दिव्य रक्षा आदि दिष्पद्व सम्बार
न होने से उन्हें रमानुभूति नहीं हो सकती। अनन्त व्यक्ति की व्यावहारिक दराने
की दृष्टि से हम उन सभने हैं कि यिन प्रवार राजा आदि उत्तर नामन्त्रों में
शृणार का व्यवनिवार्य प्राप्त शृणार ने यिहीन होकर ही सुरोमित होता है, उसी
प्रकार देवचरित्रों के अधिरचित्रण में भी जो उनके प्रतिरूप आमामित होने वाली
प्रहृति का यपामभव नियेष बरता ही जानीय है। उन्हें के लिए हम विद्यों
की निरंतुमता का खाहे विडना ही नमर्पन करें, किन्तु रूपादि भावनाङ्कों की
प्रभागानुकूल अभिष्यक्षित बरता अत्यंत प्रतिभामात्प्रय वापर्य है। शृणार के सुमोग-
पक्ष वा चित्पण बरतने समय तो विद्य की मनस्त्विति पर नामातिक नर्यादाङ्कों
का एवं ऐसा हृत्वा जीवानुर रहना परम वाचनीय है जो ग्नोट्व बरतने में भी
बदगुठन दन जाय तथा यिनके द्वारा मुख्यादि का व्यक्ति भी प्रवृत्तुचित्त विष्रि
में सम्मन हो सके। ऐसे स्पसों पर ही शाव्यवार के भाव-मनुनन की परीक्षा
होती है अन्यथा अस्तीति व और प्राप्तवाच दोषों का नक्तम उनकी शाम्बनृति में
यत्विचित् दिष्प-वालिमा लगा ही नहीं है, भौं ही हम विनी महार्वदि के
प्रति अद्वाप्रिष्ठन बनवर उमड़ा दोषान्वेषण न करें।

अनुमावादि का औचित्यव्यप

यो तो परतमुनि आदि आचारों ने अनुमावों में ओचित्य विद्पद्व ऐसे व्यंक
संवेत किये हैं विनके प्रबन्धमें उमड़ा व्यवस्थन रमाभिष्यदवता का दन निनता है किन्तु उनके

अतिरिक्त भी ऐसी अनेक विधियाँ हैं जिनका परिचय करने से कथावचन में प्रबलकार आता है। नामानिषुण कवियों के मानस में हर विषय की स्वतः स्फुरण होती है कि वे अपनी हुनि को सर्वांगीण भावन्य प्रदान कर सके और अपनी श्रवित्रा में अतिरिक्त अभ्यास, अनुशति यथा मापुरात्म-निषेदण द्वारा अपनी रचना को अधिकाधिक भीवित्यपूर्ण बनाने में समर्थ हों। अनुभावों के लौचित्य-शान्त रे कथावचन का परिपाठ्य होता है। यदि जिसी विदि ने ऐनिहासिक अथवा पौराणिक पटना को अपने प्रबन्ध काव्य का आधार बनाया है तो उसे इस बात का भी व्याप रचना चाहिए कि वह इतिहास-प्रसिद्ध कथाओं में से वेवल उन्हीं थंगों को प्रहृष्ट करे जिनमें विभावादि का औचित्य हो तथा जो अभिजात अभिवृति का आद्वादन करने में समर्थ हो सके। केवल पटना-वर्णन अथवा साथारण हचि या अनुरंजन ही कथा-चयन का मुख्य आधार नहीं रहा जा सकता। अतिरिक्त कथावचन की निर्माणवृत्तजवला प्रदान करने के लिए तो विदि को और भी अधिक साक्षात् रहने की व्याख्यकता है अन्यथा उसमें उसका मन्युत्पत्ति-प्रदर्शन ही होता है। इस विषय में निमानिषित श्लोक उद्भूत करने योग्य है जिनमें कवियों को इस बात का परामर्श दिया गया है कि वे कल्पित कथावचन का निर्माण ऐसी मुशायासा से बरें जिससे विभावादि का औचित्य और रो-प्रहृति का यातावरण बन सके। अनुनाः कवियों द्वारा स्वेच्छाचारिता की भी एक रसगीत और प्रसादपूर्ण मर्यादा होनी चाहिए, जिनका आभास इन श्लोकों से मिल सकेगा—

‘कथाशोरमुत्पाद’ वस्तु कार्य तथा उच्चा
वया रसमर्द सर्वदेव तत्प्रतिभासते ।
सन्ति विद्वरसप्रस्था ये च रामावणादयः ।
कथाप्रदयाः च हैर्योऽप्य स्वेच्छा रसविशेषिनी ॥

अर्थात् कल्पित कथावचन का निर्माण इस विधि ने करना चाहिए कि वह यथूर्जदान रथगम ही प्रतीत हो। यह रसों के गमन (यथः भास्त्रादपाद योग्य न कि भावनीय या परिकल्पनीय) कथाओं के आधय जो रामायण आदि इतिहास हैं, उनके साथ रक्षितोऽप्तिनी स्वेच्छा का प्रबोग नहीं करना चाहिए।

कथा का रहानुकूल संस्करण और औचित्य निर्धार्ह

प्रबन्ध काव्य के रसव्यवक्ता के लिए कथा का रसानुकूल संस्करण भी अनिवार्यीय है। ग्रामः देखा जाता है कि प्रबन्ध की कथावचन् रेतिहासिक परम्परा से अनुबद्ध होने पर भी अनेक स्वतों पर ऐसी भी ही सकती है जिनमें रह-विरोधी तत्त्व समाविष्ट हो जाएँ। यहसी परिस्थिति में रसविद् कवियों को इस बात का अधिकार होता है कि वे रह-विरोधक कथाओं का परिचय कर-

ऐसी व्यापा का निर्माण करें जो अभीष्ट रस की समिदि में महापक हो। संनार के समस्त महारवियों ने इस प्रदार की अभीष्ट योजना करते हुए अपनी इतिहासों को अमरत्व प्रदान किया है। वस्तुत निमुण विवि जितना अधिक रम-यरसत्र होता है, उतना वस्तुपरता नहीं। रस की समिदि ही उसपा चरम लक्ष्य है, अतः ऐतिहासिक घटनाओं में जिनी भी प्रदार की रमविरोधिनी समावना देख-कर उन्हें प्रयोजनीय स्वतन्त्र रमविधान प्रदान कर सकता है। इसी बात को व्याप में रघुनर आवायों ने कहा कि इतिहासिक घटनाओं में जितना अधिक रस-यरसत्र नहीं होता व्यापक उमड़ी मिदि के लिए तो इतिहास-चर्चा ही पर्याप्त है। (नहि इवेतिहासिक घटनाओं की विविध व्यापों की वस्तुपरता वा विश्लेषण करते हुए प्रस्तुत विषये जा सकते हैं। महारवि बाल्निदाम ने 'रमुवग' में अजादि राजाओं का दिवाह-बणेन तथा 'अभिज्ञानशाकुनल' में शब्दुत्ता के प्रत्याह्यान की व्यापोजना में यही बात अपने व्याप में रखी है। वस्तुत बाल्निदाम को अमरवृत्ति दुष्प्रति की उत्तरता नायक बनाना अभीष्ट या जिसके लिए उन्होंने अपने नाटक में दुर्वासा के शाप तथा अगृही के द्वारा जाने में शापशमूल-विस्मृति की योजना की है। महारवि भवभूति के 'उत्तररामचरित' नाटक में शृतीय बद में 'दायानींता' की वस्तु ऐसे परामरण की सूष्टि करना है जिससे 'अपि प्राचा रोदित्यपि दलति वस्त्रम् हृदय' की दविन सायंक बन सके। अभिप्राप यह है कि प्रबन्ध बाव्य में रम-व्यवना की निष्पत्ति के लिए रामानुष्य वन्नु-मरिकर्तन का अधिकार विवि के लिए नितात प्रयोजनाय है।

विवेचन के इसी प्रभाग में इस बात का उत्तेजक करना भी आवश्यक है कि बाव्य-रचना करते हुए समय विवि बाव्य शास्त्रीय सिद्धान्तों को अपना आदर्श बनाकर अपनी रचना किया में प्रवृत्त नहीं होता जितु पह तो अपने सायोद्धेर के बारण अपनी सवेदनाओं को ही शब्दरूपता प्रदान करता है। बाव्य हति वा निर्माण होने के पश्चात् उमड़ी कृति का शास्त्रीय विवेचन भरे ही किया जाय, यिन्तु रचनान्वार में तो विवि का अत्यरिक्त उन प्राचीनिता देवर प्रत्यवित (रमविगतित) नहीं होता। इसपा एक प्रभाषण यह है कि जिन शास्त्र-व्यवियों ने शास्त्रोत्तर विधि से बाव्याचित मधियों और मन्त्रयों को शास्त्रान्वय देवर अपनी रचनाएँ भी हैं ये नामपरियपन के स्पष्ट में भरे ही गमन कर्ता जा सके, यिन्तु उनसे रस-व्यवना का प्रयोजन तो मिदि नहीं होता। बान यह है कि जिन प्रकार अव्ययों का सकृति गम्यान हो हमें तब तर व्यवितरण की समीक्षा नहीं प्रदान कर सकता जब तब कि उम्मे आमचेतना का प्रस्तुर्यप न हो, उगो प्रकार जिनी भी बाव्यनृति का निर्माण वेवज शास्त्र-मर्यादा का पान बरने की दृष्टा में किया जाता है तो उगमें रसाभिव्यक्ति की शमाता उद्भूत नहीं हो गती। हम

तो कवि का कर्म इतना अधिक गुणनाल और महान् प्रतीत होता है कि उसकी अरमं तिद्वि विरेत कवियों में ही दृष्टिगोचर होती है। प्रश्नय काव्य में तो उनकी राजन-गद्दि और भी अधिक असाधारण और सोकोसर होनी चाहिए बरोहि उमके डारा किंग अनीरा भी निषाति की जाती है, उसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि कवि उसमें रसांतर का उद्दीपन देखकर उसं पुनः प्रतिष्ठित करने की विष्टा करे जिसमें प्रधान रस विच्छिन्न होते-होते बन जाए। सफल कवि अपनी प्रश्नय-धारणा में इसी बात का भी ध्यान रखते हैं कि वे अलबार प्रथोग की पूर्ण शरित रखते हुए भी अपनी रचना में केवल दन्ही अनंकारों की धोजना करें जो रसाभिव्यजन के अनुष्टुप्य हैं। जो कवि अलबार-निर्वाचन में ही माल होकर अपना रचनाभौगोलक प्रदर्शन करना पाहते हैं, उनको कृति आनंकारिक छटा के उत्तर्य और कलावेदार्य के प्रकार से भले ही अभिनदनीय स्त्रीकार कार सी जाय, किन्तु रसाभिव्यजन की दृष्टि से सो वह गरिमामय नहीं समझी जायगी। यस्तुत, काव्य में प्रवद्यव्यवहरण का सफल निर्वाह करना उत्कृष्ट कवियों की धमता का ही काम है और इसीलिए इस विषय में सभी आचार्य सहमत हैं कि उसमें रसवद्य के ओचित्य का परिपालन तो होना ही चाहिए। उसकी राजनवाच का शेष कला-परीक्ष और अलंकार संयोजन को उतना नहीं है जितना रम-बमहार और थंगड़-विभुजा को। यहने दो आवश्यकता नहीं कि इस तत्त्व का निष्पृष्ठ नेवल ओचित्य-धोजना से ही संभव है तभी तो आचार्यों ने बार-बार ओचित्य-निर्वाह में काव्य को गरस सपनता और अनोचित्य में रसभंग-हेतु निष्पत्ति किये हैं। आपार्य आनंदवद्यन का तो उपर्युक्त गत है :

अनोचित्यादृते नान्यद् रसभंगस्य कारणम् ।
प्रसिद्धोचित्यवंधमन्तु रसस्योपनिषत् परा ॥

संस्कृत काव्यशास्त्र का वैचारिक विकास

‘काव्यशास्त्र’ के पर्यादिवाची शब्द

भारतीय वादमय में ‘काव्यशास्त्र’ के निए ‘अलवारशास्त्र’ ‘बाव्यालवार’ ‘साहित्यिक्षणा’, ‘बाव्यतक्षण’ और ‘क्रियावल्प’ आदि अनेकानेक पर्यादिवाची शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जिनमें ‘अलवारशास्त्र’ शब्द सर्वाधिक प्राचीन और बहुप्रचलित प्रतीत हाता है। काव्यसमीक्षा ने एक विशेष रूप में इस शब्द की व्याख्या इतनी अधिक थी कि उसमें तथाकथित अलवारों के अतिरिक्त रूप, रीति, गुप्त और वक्तोक्ति आदि विषयों का भी अन्तर्भाव वर तिया गया था और साहित्य-शास्त्रीय ग्रन्थों को ‘अलवारशब्द’ तथा उनके निर्गताओं को ‘अलवारिक’ बहा जाता था। इसका प्रमाण भामह, उद्भट, यामन और रुद्र आदि आधारों द्वारा रखित वे काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ हैं जिनमें बाव्य-न्याय, शब्द-गुदि, रीति विवेचन और रस-निष्पत्ति आदि विषयों की विवेचना होत हुए भी उनके नाम क्रमशः ‘काव्यालवार’ ‘काव्यालवारसारसंश्लेष्ट’, ‘काव्यतत्त्वारमूलवृत्ति’ तथा ‘काव्यालवार’, आदि रखे गये हैं जिनसे अलवार शब्द की अर्थव्याख्या सिद्ध होती है। इन आधारों के परवर्ती वान में एतद्विषयक ग्रन्थों के नामालेल में मुछ मिल दृष्टिकोण रहने लिया गया है जिनके पात्रवरूप काव्यागों के निष्पत्ति ग्रन्थों के नाम ‘काव्यसीमासा’, ‘काव्यप्रकाश’, ‘काव्यादिगं’, और ‘काव्यानुग्रासन’ आदि रखे गये हैं। काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों की परम्परा में काव्य विवेचन के लिये विशिष्ट अनु या लेनदेन जो प्रत्येक लिये गये हैं, उनके नाम ‘प्लन्यालोक’, ‘व्यक्तिविवेक’, ‘हृदयटर्पण’ और औचित्य विचार-चर्चा, आदि हैं जिनमें व्रजश घटनि, व्यजना रस और औचित्य मन्त्र मिलान्तों का विशेषण हुआ है। रुद्र ने पश्चात् ‘काव्य’ के स्थान पर ‘साहित्य’ नाम घटाकृत होने लगा था जिसे ध्यान में रथ वर राजसेनार ने ‘काव्यशास्त्र’ के स्थान पर ‘साहित्य विद्वात्’ रुद्र का प्रयोग लिया और उसे परमी विद्वा की अभिधा प्रदान की। उन गमय पर्यंत ‘साहित्य’ शब्द ‘काव्य’ की ही भाँति प्रचलित हो गया था, जिसके प्रमाण में गधर वडि, मुकुलभट्ट, प्रतिहारेलुराज, थोमेन्ड, करब और भोज आदि विद्वानों की उक्तियाँ

उद्दून की जा गानी है।¹ रघुराम ने काव्यों के विवेदक 'काहित्य-मीमांसा' नामक स्वतन्त्र प्रत्यक्ष तथा 'ध्वनिविवेद' की टीवा में 'काहित्य' शब्द की जो व्याख्या की है, वह अधिकांश भूलक की मान्यता के ही बनुपर है इसके उपरे 'काहित्य' के तिए 'गुण्यकालालेन अस्त्राणातिरिक्तम्' की विवादतो उद्भूत है। 'काहित्य' के स्थान पर 'काहित्य' शब्द की व्यवहारिति होने के बारण ही विवेदक ने अपने वर्तमानस्त्रीय प्रत्यक्ष का नाम 'काहित्यदर्शण' रखा था जिसमें शब्द की दृष्टि नामक द्विविध व्याख्यों के बंधों का संडानिक विवेदन हुआ है।

'काव्यतत्त्व', 'काव्यशरण' और 'कियाकल्प'

यद्यपि 'काव्यतत्त्व' के लिए 'काव्यतत्त्व' शब्द के शब्दों की परम्परा अत्यंत परिमित रही है तथापि उसका उच्चेष्ठ करना जावशक है। भाग्न ने अपने 'काव्यतत्त्वार' नामक प्रत्यक्ष में 'अवगम्य त्वं क्षया च काव्यतत्त्वम्' तिव्र कर 'काव्य तत्त्वम्' शब्द को 'काव्यतत्त्वार' का पर्याय माना है तो इडी में उपरोक्त 'काव्यतत्त्वम्' में 'मया सामग्र्यमस्माभिः कियते काव्यतत्त्वम्' द्वारा एक शब्द से भाग्न के पूर्वोक्त कथन का ही समर्थन किया है। जिन प्रकार काव्यतत्त्वार के विवेदक वाचायों के लिए 'काव्यतत्त्वारिक' शब्द प्रचलित रहा है, उसी प्रकार 'काव्यतत्त्वम्' तथा 'काव्यतत्त्वार' के विवेदकों के लिए छन्दों अव्यालोकनार्थी अवन्दवर्धन द्वारा 'काव्यतत्त्वारारौ' 'काव्यतत्त्वविविधारौ' तथा 'काव्यतत्त्वविविधारौ' जादि शब्द प्रयुक्ति किये गये हैं।' काव्यतत्त्व के लिए 'कियाकल्प' शब्द का प्रयोग भी हुआ है, किन्तु उसका प्रबन्धन कदाचित् लोकविद्युत नहो रहा। पात्मादण ने अपने 'वामगूत्र' नामक प्रत्यक्ष अन्वर्तन लिए 64 कलाओं की मण्डना की है उनमें कियाकल्प भी एक है। उनके भाग्नुसार 'कियाकल्प' का अर्थ है काव्यकलाएँ के विषयम अर्थात् काव्यालकार कागूत्र के टीकाकार पश्चोद्धर ने अभियाप्तोप भीर छन्दों भान के भावनाय कियाकल्प को भी काव्यकला की जगमूल कला कह कर काव्यतत्त्वार्ण तथा काव्य-परिवीक्ष-हेतु उसको उपरोक्ता निदित्त की है। यदोपर के भाग्नुसार 'काव्यविद्या' का अर्थ है काव्यतत्त्वार्ण और 'किया-कल्प' का अर्थ है काव्यकलाएँ-विद्यि। भाग्न ने विवाकरण के स्थान पर 'काव्यतत्त्वार' शब्द का प्रयोग किया है तो इडी ने 'कियाविद्यि' का। अन्ततः, 'विद्यि' और 'कल्प'

1. विद्या न काहित्यविद्याशरत्र गुणः कवचित् परते विवेदनम्।

(मुकुल, शिल्पाचारित)

पदवाकप्रमाणेषु तदेत्तमनिक्षिप्तम्।

दो वोक्यति काहित्ये तत्त्वं काणी प्रसीदति ॥

(मुकुल भट्ट, विद्यावृत्तिमालका)

थुलाभिनवालुहायान् काहित्य बोध-वारिष्ठे (दोमेन वौचित्यविचारचत्र)

शब्द समानार्थ हैं, अतः वाच्यादर्श के टीकाकारों ने दोनों के लिए 'क्रिया-विधात' रचनाप्रकार तथा 'वाच्यवृण्डविधि' जादि शब्दों का भी प्रयोग किया है। 'क्रियारूप' शब्द वा विगेप स्पष्टीकरण वाल्मीकीय रामायण के उस प्रसंग से होता है जहाँ महर्षि ने रामसभा में यज्ञ और पूजा द्वारा रामायण-गति किये जाने के समय उपस्थित श्रोताओं में पौराणिक ग्रन्थवेत्ता, गाथवेत्ता, वाल्मीकि और छन्द-शास्त्रवेत्ता के सापेक्ष 'क्रियारूपविधि' व्यक्तियों वा भी उल्लेख किया है।¹ उस प्रसंग से स्पष्ट है कि 'क्रियारूपविधि' वस्तुतः 'वाच्य-समीक्षा' ही होते थे। वाल्मीकि ने वाच्य-रचना के लिए 'क्रिया' शब्द के प्रयोग की एक रुद्धि, सी प्रवत्तित हो गई जिसना उल्लेख वालिदातात् 'मातृविवाहिनिमित्त' तथा 'विक्रमीवंशीय' नामक नाटकों में भी मिलता है।² सभव है, 'क्रियारूप' शब्द 'वाच्यविधाततः' का ही उक्तिपूर्व हो।

सम्भूत वाच्यशास्त्र की परम्परा

सम्भूत वाच्यशास्त्र की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। गणोची में समान उसका उद्गम-स्थल अथवा गूडग और प्रारम्भिक प्रवाह अत्यन्त सीमित है जिन्हें यान नदी से वह विलूप्त और व्यापक धन वर गयासागर के रूप में परिवर्त हा याया है। शोऽवतारी ने उसका मूल उत्तर वैदिक साहित्य में बन्धेपित वर उसके विवाग जी विवेचना की है विवाग तथ्यपरता के माथ-नाथ तत्त्वमीमांसा के भी सद्प्रपत्त तत्त्वालिक हैं। उसों द्वारा भाग्यीय चितरों के उच्चर मरितिष्ठ वी प्रोड ज्ञानिन का गहन ही अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने वाच्यशास्त्र के कर्तवर में वाच्यात्मकीया का वरते हुए उत्तर सागर। प्रश्ना के उत्तर देने का प्रयास किया है जो वाच्य के स्वरूप और उत्तर अंगोंपांगों में नम्बद्ध है। सहस्राधिक वयों की अवधि में अनुव्याप्त भारतीय मतोपियों की विकासमयी ज्ञान-गरिमा ने ज्योतिर्मन्त्र स्फुरित उत्तरी चर्चाओं में प्रोद्धसित है। रग, अवनार, रीति, वत्तोक्ति, इति और अविचित्र नाम त्रयागत वाच्य-सिद्धान्ती द्वारा वाच्य-पुरुष के विराट् व्युत्पन्न के अग-प्रयोगों का पर्यवर्धी प वरते हुए उन भाचारों ने अपनी सिद्धान्तिक विवेचना प्रस्तुत की है और अपने मतव्यों की संपुष्टि के लिए यथा-प्रसंग उदाहरणों का भी सामाप्तिक लिया है। उनकी विवेचनाओं में विसी भी

1. वाल्मीकीय रामायण, उत्तरपाठ 94/5-7

2. भाससोमिन्द्रविपुलार्दीना प्रवधानात्मिक्य वत्तमानवते वालिदातास्त्र विगादा वथ यदृपान। (भासविवाहिनिमित्त)

प्रणयिषु वा वाक्यिष्यान् अथवा सद्वस्मु यदृपानात्।

यदृपुत जना अवधानात् विवाहिनिराकालिदासस्त्र ॥ (यित्रमोक्षंशीय)

भारतीयन्त्र के निए भवित्वित 'विषय' विशेष, पूर्णपक्ष, उत्तरणीय और निषंख नामक पंचों का कमिक निवाह भी हुआ है जिसमें उनके अध्ययन की सत्त्विता, प्रव-स्थित, तत्त्वपरक, तत्त्वज्ञानी और वैज्ञानिक प्रणाली का बोध होता है। यह उनकी साधना का ही मुकुल है कि काव्य-विवेचन में शास्त्र का ऐसा विशिष्ट हप धारण कर सिया है जिसमें व्यवसाय, नीतिशास्त्र, वाचार-गाम्भीर्य आदि पर्यों की विवितिवेध प्रणाली की भावित शाखा का भाव न हाँकर व्याप्ति के 'शंखन्' का भाव है। उसके विवेचक हमारे सम्मुख अभिभावक, मित्र, मन्त्री और अनुचर आदि विविध हपों में भावें हैं जिनकी शास्त्र-वर्चा हमारे निए गिराव के साथ-साथ चिन्ता-अनुरोद या भी विषय होती है। आपनी अधिवहन वाने भव्यताओं को उन पर्यों के आधान से परमानन्द वी सी उपलब्धि होती है और उनका चेतना उन विद्वान गवीषियों की प्रतिपत्ति और सत्त्वाभिवितिता के सम्मुख श्रद्धामय से प्रहृता विनाश हो जाता है। समृद्ध काव्यशास्त्र की उस मुद्रीय परमारण का एक भवान् इतिहास है जिसका व्यापक विस्तैरण करना हमारा मुख प्रयोगन नहीं है। हमने हाँ उम्मेद विजुल वाइ-थर्य से केवल उन्हीं तत्त्वरूपों का सचयन करने का प्रयत्न किया है जो संस्कृत काव्य-गाम्भीर्य के वैयाकरिक विकास को स्वाद बरने के निए मुभित या काम दे सकते हैं।

वैशारिक विकास के विविध चरण

'कियाहल्य' की अवधारणा

भरतमुनि से लेकर पद्मिनीहुज व्यालालाल तक सहजा काव्यशास्त्र का विकास विस अनुक्रम में हुआ, उसकी कालावधि प्राय दो सूत्र दर्पं है। इस कार्यकाल में काव्यशास्त्र ने विविध प्रकारों से अपना स्वल्प-विकास प्रदर्शित किया है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में नाट्यशैषण्य की रचना से लेकर नाट्यसिद्धि वर्यना श्रयोजनीय नाट्यप्रयोग के जिन आगे वाँ विवेचन किया गया है, उसके प्रकट है कि नाट्यशास्त्र का स्वाहा प्रयोग-प्रधान रहा और उसमें ओ-ओ सैदातिक चर्चा दृष्टि किया-विधान हुआ है, वह केवल मिथ्राणा में ही था। नाट्य-काव्य की भवी तो इसके वाचिक अभिनव का एक आनुयायिक अवगता है जिसमें यथाप्रवर्त्त काव्य-नक्षत्र, काव्यावकाश और गुण-दोषों का भी स्वरूप लिंगिट हुआ है। उस विवेचन से प्रकट है कि भरतमुनि ने काव्य-नक्षत्रों का स्वरूप निर्दिष्ट करने में विरक्त और योगमार्गम्यों से भी पर्याप्त गत्वायता ली है। बालुत, घरत का 'नाट्यशास्त्र' काव्यवर्चा के थेत्र में उसकी 'कियाहल्य' अवधारणा का ही दीर्घक है जिसकी शामान्पत्रा कियाहल्य को काव्यकरण के नियमों का पर्यावरणीय शब्द कहा जा सकता है।

'काव्य तत्त्व' और उसकी वैचारिक सूझामता

भरतमुनि से लेकर आचार्य भास्मह और दण्डी तक जिस काव्य-चर्चा का विवाग हुआ, वह 'प्रियाकर्प' की अवस्था न होकर 'काव्यलक्षण' की अवस्था है। उस काल में काव्य-चर्चा का स्वतन्त्र मन्त्रिपद बनने लगा था और उसे नाट्य के अग्रहण में चित्रित करना पर्याप्त नहीं समझा जाता था। यही काल काव्य-लक्षणों का अलवारों में रूपान्तरण होने का था और 'प्रियाकर्प' के स्थान पर 'काव्यलक्षण' पद का प्रयोग काव्यशास्त्रीय दृष्टि से अधिक उपयुक्त रामबादा जाता था। भास्मह और दण्डी के पश्चात् आचार्य रुद्रट तक जिस काव्यशास्त्र का विवाग हुआ, उसमें लिए 'काव्यानकार' शब्द विशेष रूप से स्वीकृत हुआ। इस काल में काव्यगत सौन्दर्य धर्म अथवा सौन्दर्य-निर्माण के साधन के रूप में 'अलवार' शब्द छढ़ भा हो गया और आचार्यों ने काव्यांगों के रूप में विशिष्ट अलवारों के साप-साप गुण और रस जादि का भी विवेचन किया। तदनन्तर आचार्य आनन्दवद्यन से लेकर मम्मट पर्यंत जो काव्यशास्त्रीय विवेचना हुई, उसमें काव्य का शब्दार्थों का साहित्य कह कर शब्दों और अंगों के 'विशेष' व्याख्यात नियम गये। पस्तुन यही समय काव्यशास्त्र के विपासन के चरमोत्तरण का काल था। इस काल के पश्चात् जो काव्यशास्त्री हमारे सम्मुख आये, उन्होंने पूर्व-निर्धारित काव्यतत्त्वों का विशेषण नवीन पद्धतियों से दिया और उनसी परम्परा पनिंडितपाज जगन्नाथ तथा चन्द्री रही। इस परम्परा का सम्बद्ध आकाशन बरने से प्रगट होता है जिस काव्य चर्चाएं तक तत्वविमर्श की पद्धति क्रमण उसमें सूक्ष्म आतर धर्मों के विशेषण की ओर उमुख रही है। आचार्य भरतमुनि ने रस-निष्पत्ति का जो सूत्र नाट्यार्था के एक श्रीकरण अथवा संयाग की अवस्था में निष्पत्ति किया था, वह बैंकल वही तक सीमित न रह कर शब्दार्थों के समूहों साहित्य तक व्याप्त हो गया और काव्य मीमांसा में इस विषय पर विशेष शब्द दिया जाने लगा कि काव्य और शास्त्र में समान शब्दार्थ होने पर भी काव्य-प्रयुक्त शब्दार्थों का पर्वतवरात आनन्द में होता है जबकि शास्त्र चर्चा में सिए यह अनिवार्य तत्त्व नहीं है। इस काल में व्यापरण को बैंकल शब्द-मस्तार का शास्त्र वह कर उसकी सीमा में अर्थसम्बार भी वह प्रथम नहीं दिया गया जो काव्य शास्त्र की अभीष्ट था। उग समय के विद्वानों न इस बात को विशेष रूप से सम्मृत बरने का प्रयत्न किया रिक्त का गोन्दर्य बैंकल शब्दों और उनमें छढ़ समेतों तक ही सीमित नहीं है अग्रिम वह मीमांसका यी संक्षणा और तद-समूत बनोत्तिं से भी अधिक व्याप्त है। काव्य-सौन्दर्य की उस विशेषता को व्यक्त बरने के लिए भास्मह ने 'वरोत्तिं' दण्डी ने 'समाधि' गुण और उद्भव ने 'अमुद्यवृत्ति' वै पश्चिमेश्य मध्यनी विवेचनाएं प्रयग्नुा की हैं। बास्मन ने काव्य-सौन्दर्य का पुनः विवेचन वर इस बात की पुष्टि की रिक्त का सौन्दर्य बैंकल

असंकारों पर आधूत न होकर गुणों पर अधिष्ठित है तो उनके उत्तरवर्ती आचार्य शृङ्खला ने रत्न को काल्प के विजेता गुण के रूप में निरूपित करना ही अपेक्षकर समझा। यद्यपि इन विवेचनों की मान्यताओं में सामैक्षिक दृष्टिभेद भी था, किन्तु इस विषय में प्राप्त शम्भवी आचार्य शृङ्खला ने कि मध्यायों में लाये जाने वाले पुण्यसंकारों के विशिष्ट घटों के बारण ही रस की निष्पत्ति होती है। शृङ्खला के प्रत्यक्षी आचार्यों ने अपनी विवेचना धर्मयुग से करनी चाहित न गमना कर आचारार्थ-मुद्दे सम्पादन से करनी अधिक तत्त्वविद्या समझी। इन दोनों में आचार्य आनन्ददर्शन का नाम विशेष हृषि से इन्द्रेष्वनीय है वर्णकि वे पृथग्युक्त से काल्पमीर्माण करते हुए यह तत्त्वोपलक्षित कर सके ये कि रस की निष्पत्ति अथवा अनुष्टुपित न होकर अभिव्यक्ति होनी है। उनके अनुमार्त काल्पनात तबदी का पर्यावान व्यष्ट अथवा रस में हो मानते हुए काल्पाणी की शास्त्र-व्यवस्था करनी चाहिए। आचार्य के तक ने काल्प की मीमांसा 'कविव्यापारमुद्द' से तथा भृत्य नायक ने 'रसिकव्यापारमुद्द' से करते हुए अपनी गाम्भीर्या श्रियों प्रतिष्ठित कीं विनामी परिष्कृता भूमिका अभिनवगुप्त की कृतियों में प्रदर्शित हुई। काल्पशास्त्र का यह व्यवस्था विवेचन वस्तुतः अत्यन्त अभिनन्दनीय है क्योंकि उसमें क्षमणः स्फूतता से मूढ़पता की ओर प्रयाण करने का सदृश्यता परिवर्तित होता है।

काल्प के वार्ताकाण्ड के द्रष्टि परिवर्तित दृष्टिकोण

यहाँ एक बात उत्तेजकीय है कि काल्पशास्त्रीय विकास की इस वैचारिक परामर्श में काल्प के वर्गीकरण के प्रति भी विविध दृष्टिकोण रहे हैं। आचार्य भास्मह से शृङ्खला पर्यन्त काल्प का वर्गीकरण गद्य-पद्य, निबद्ध-मुक्त तथा सर्वेव्य-अधिनेत्रार्थ आदि दृष्टिकोण से किया गया, जबकि द्विनिकार ने उसे व्याप्त, गुणीभूत व्याप्त और चित्र आदि भेदों में वर्गीकृत कर विभाजन की दिशा ही परिवर्तित कर दी। 'द्विग्यालोक' का यह विचार-दर्शन निष्पत्ति ही अधिक व्यापक और सुप्राप्त था, क्योंकि उसमें न केवल पूर्ववृत्त विभाजन की ही समुचित व्यवस्था थी अगली उसे एक प्रौढ़ और शास्त्रीय अधिविदान भी प्राप्त हुआ था। कहने की अवश्यकता नहीं कि वर्गीकरण के इस नूतन दृष्टिकोण ने काल्प-चर्चा की पद्धति में भी परिवर्तन ला दिया जिसकी फलस्थुति भूमिका के 'काल्पकाला' में स्पृश्यतया परिवर्तित होनी है। मम्मटोत्तर काल में विवेचन का यह दृष्टिकोण सूक्ष्मवत् होता गया है, यद्यपि काल्प-चर्चा की विमर्श-पद्धति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। आचार्य जानकार्यालय ने द्विनि का जो विप्रकारत्व विशेषीकृत किया था, वह अभिनवगुप्त द्वारा 'रस एव वस्तुत आमा' वस्त्रवलकार घटी तु सर्वेषां रस प्रति पर्यवर्त्येते' के हृषि में निरूपित हुआ तथा भूमिकृत रस

वा अधीक्षण में निर्देश विभजनाथ के बाब्य' राजात्मक प्राव्यम्' गुग में राज्याम-
तव के हय भ मरोतिर हुआ। पन्दितराज जगन्नाथ वा बर्णवरण या तो अधि-
जात मम्मट की मान्यताजो । दोढ़ म गिरपिन है जिन्हु उर्हने चिक्काव्य
वं अर्थात् चिक्क तथा शब्दचिक्क नामक दो रथतत्त्व नेट परत हुए बाल्य के बर्णवरण
को जो सृष्टिता प्रदान वी है वह निर्वय ही पुरोगामी है। जहोंगे चिक्कव्य
तथा एहाक्षरवन्ध सज्जर बाब्य-भद्र सीकार ही नहीं पिये हैं।

संदातिक विचारणाओं की संयोजन प्रणाली

पाठ्य चर्चा के इस विभाग श्रम में यह दात भी उल्लेखनीय है कि भामह से
भवत उद्भव तव (वामन वी छाटपर) जिसे भी पाठ्य दिवेचन आजार्ह हुए,
उन मव न अपनी संदातिक विचारणाओं के स्पष्टीकरण म बेवत स्वरूपित
समृद्ध छन्दा के उदाहरण ही प्रत्युत किय हैं जबकि आधार्य आनन्दवर्धन से
यह श्रम परिवर्तित हो जाता है। आनन्दवर्धन ने पाठ्य-चर्चा के विमर्श म जिन
सदाहरणों का उदाहृत किया है, वे उनमें द्वारा रचित न होकर विभिन्न सुप्रसिद्ध
विद्या न हैं। उदाहरणों के यह परिवर्तित दृष्टिशोण इन तथ्य वा निर्देशव
है कि आनन्दवर्धन ने पूर्व 'शास्त्र विवरण' की प्रवृत्ति ही प्रदान थी जबकि
उनमें समय म शास्त्र वी पुनर्व्यवस्था एवम् तत्त्वपरीक्षा की प्रवृत्ति प्रमुख बन
गई। घटनितत्त्व की विवरण वरत हुए आधार्य आनन्दवर्धन ने ग बेवत अपने
पूर्वदर्ती आधार्यों द्वारा प्रतिष्ठित मान्यताओं का ही जातीडन विलोडन विद्या,
अपिनु समृद्धि में साधनाथ प्राप्त वाय व भी ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत
रिय जिनक आधार पर वे प्रवित्त-तत्त्व वा विवरण मूढ़य दृष्टि रा कर सका।
समृद्ध व राय-नाथ प्राप्त भाषा में काम्पोदाहरण की यह परम्परा आधार्य
मम्मट की कृतियों से लेपर हेमचन्द्र तथा पिल्लाय तथा चन्द्री रही है जिसमें
हेमचन्द्र न ती शाम्य अपमग्न वी भी उत्तरे अदर्शत चयोचित स्थान दिया है।
यह एक विचित्र निन्हु सहत्वपूर्ण दात है कि परवर्ती गुग में हपगोत्यामी, मधु-
मूदन गार्म्यनी, अण्य दीक्षित तथा पन्दितराज जगन्नाथ आदि आधार्यों ने बेवत
समृद्ध पूर्या क ही उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, जिसका यारण उनकी साम्प्रदायिक
मान्यताएं, घटनित अगिरचि और मस्तृत वे आभिज्ञात्य का प्रतिष्ठान बना
है। यद्यपि ये आधार्य श्रावन तथा अपग्रन्थ वी विभाग वायानिधि में भी मुप-
रिक्षण में तथावि उद्धनि देवत मस्तृत में प्रति ही अपनी मन भिति रखी और
आवश्यकता पड़न पर श्रावन उन्होंना समृद्धीवरण बरने में भी मरोन नहीं
तिया। इस प्रवृत्ति से मस्तृत धाय में अनेक नवीन अर्थ-छविया रा नयोदत
हुए, जिन्हु श्रावन और अपग्रन्थ वी नैमित्ति राय-धारा की भाव-नहरियों में
अवगाहन बरने वा मार्ग अवरद सा हो गया।

काव्यशास्त्र का वैचारिक विकास भवित्व और द्वितीय है

मानव वैचारिक विकास की सेकर जो सामाजिक वैचारिक विद्या, उगारे रखत है कि विकास की उस गुरुरीपं परम्परा में प्राप्त दो शास्त्राधिकरों के काव्यशास्त्र में विविध वाद-प्रयोग समाप्त होता है। यदि भरत-मुनि का काव्यशास्त्र इतने रो गतान्ती गुरुं माना जाय और यात्रोपरायुक्त वाद-प्रयोग-विवरन् वहा तात्त्विक्याविभाषण के प्रबलंगों के नाम पौराणिक तथा भारत-मुनि लेनिलृपिक माने जायें, तब तो उगारा प्रबलंग-पाठ और भी गुरुरीपं विद्या होता है। विकास की द्वारा विस्तृत सौमार्गिया पं काव्यविवेचना का मार्ग अनेक बहार की बाताओं और समरणाओं का विविध कर भवनी प्रणाली प्राप्त कर देता है। भरतमुनि का काव्यशास्त्रप विवेचन जिस काव्यशास्त्रों की कोड में विवित हुआ, वह कालान्तर में काव्यशास्त्रारों के रघुप-प्रधान और फलदान का आधार बना था। भरतमुनि के पश्चात् ऐसा प्रतीत होने सम्भव कि काव्यार्थों का ध्यान इस विषय की ओर खोपृष्ठ हो रहा था कि काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्रार और काव्यशुल्कों में तात्त्विक अन्तर रखत रखत विद्या याना परम बोछील और उप-योगी है। आचार्य भास्मह के रचनाकाल से काव्यशास्त्रीय विवेचना ने इतन्य अस्तित्ववाद धारण करते ही उपर्युक्त विकास की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं हुई। काव्यशास्त्रीय विवेचना में यह भी एक अवधन्ता रोकन और विचारकीय विषय है कि नाट्यशास्त्र के लक्षण वपनी उत्तरवर्ती सीधा से अलंकारों का परिधान धारण कर क्यों संभवित हुए? यह अस्पन्न उत्तरणीय बात है कि भास्मह और इष्टों के काम-शब्द में काव्यशब्दी अथवा काव्यविवेचना 'नाट्य' का अंग न होकर अंगी बन गई थी और उन आचार्यों ने 'नाट्य' को भी काव्य के एक भेद के रूप में प्रतिष्ठित करना ही मुक्तिमुक्त समझा था। काव्य-विवेचना के स्वतन्त्र विवास वा एक कारण यह भी था कि यस्तुत, शाहू और अपनी आदि आचार्यों वे प्रगति, मुक्तिक और यद्यन्तवशास्त्रों के विविधपरक काहिन्य का विभाग इतनी अधिक व्यापकना और विविधता से होने लगा था कि काव्य-शास्त्रियों ने उनके विभाग के लिए स्वतन्त्र पाठ और स्वतन्त्र दृष्टि का महब गिराना प्राप्त किया। अदृ, अदृ और अन्य के नाम से प्रत्यात काव्य-विवेचना विवेचन अनेकानेक सुरक्षियों में किया जाने लगा। कचा और आद्याधिका तथा निवृद्ध और अनिवृद्ध के नाम से काव्य के जो भेदोपभेद किये गये, वे काव्य-विवेचना के स्वतन्त्र प्रणिधान थे। अब काव्य को वाचिक वर्गितय को अनु-परिक भूमिका में निरूपित करना उचित नहीं समझा जाता था। अभियाय यह है कि भास्मह, इष्टों, उद्भट और आजन आदि आचार्यों के सदृश्यतानों ने संरक्षित काव्य-शास्त्र के वैचारिक विकास को नवोज्ञ प्राप्तुरेण प्राप्त हुआ था जो अग्रणी जीवन का लक्ष्य हुआ। काव्य के स्वदृग्भौति से अनेक मौतिक उत्तरों का

समापोदन कर सका ।

मन्त्रित काव्यशास्त्र के वैचारिक विकास के जो दिमिन्न चारण निर्धारित किये गये हैं, उनकी क्षेत्रसीमा में अनेक महत्वपूर्ण जागायों वा हृत्-त्व भग्नाहित होता है। उन जागायों के द्वन्द्यों और उनमें प्रतिपादित विचार-भाषणियों का हस्त-चिन्तन इतना गम्भीर और व्यापक है कि उनका सम्बद्ध निस्पत्त वरता विवरण के इस लघु वनेवर में सम्भव नहीं है। वैचारिक विकास की उस विश्लेषण परिसीमा में भास्त्र, रण्डी उद्भट और बास्तन के विनियित रूप, जानन्दवधन, अधिनवगुण, राजशेष्ठर, धनन्यय, धनिक, कुंवर, भहिम भट्ट, भोज, क्षेत्र, मम्पट, रथ्यव विज्ञनाय और पन्दितगवद् जगन्नाय आदि प्रकृत्यु लालायों की गणना होती है। जिनकी हृतियों वा भग्नक् आवलन और अध्ययन वरते के पश्चात् सम्भृत काव्यशास्त्र वा वैचारिक विकास वा वह तत्त्व-विन्दु यहूँ परिया जा सकता है जिसने वपना क्रमिक विस्तार प्राप्त करते हुए काव्य-वर्षा के गम्भीर विषय को स्थूलता में मूल्यता की ओर उन्मुख विया था। दोई नवीन-तावादी और अपरिपत्त चुंडि जाकोषक पुरातनता को जटाता और परम्परा को अवरोध वा प्रतीक मान वर सम्भृत काव्यशास्त्र ने वैचारिक विकास को 'सम्बद्ध-याहु' और निरयंत्र मिढ वरेन वी भने हो। यद्यन्ता वरे, विन्तु उम्में भग्नाय-दिवेचना की जो 'आत्मनला शोदृभासित हृदि है, वह युव-युग यदेन्त विर नवीन तथा विश्व-भाटिय विमर्श के बालोद-विन्दुओं से अनुप्राप्ति रहेगी।

'काव्य-पुरुष' का तत्त्व-निष्पंद

स्वहृष्टनिहपण के प्रयत्न

शब्दार्थ-क्रम में परिचयिते काव्य-पुरुष के स्वहृष्ट-बोध का विवेचन भी देशों के साहित्य में दिविधि दृष्टियों से किया गया है। इस दोष में मंस्कृत काव्यशास्त्र का महत्व विगिष्ठ प्रवार का है क्योंकि उसमें अनंतार-चर्चा में लेनकर रस-ध्वनि पर्यंत जो कुछ भी विमर्श हुआ है वह अत्यन्त गुह्य-गम्भीर और उन्नरोत्तर विकास का मंसूचक है। उस विवेचन में मुख्य बात यह है कि काव्य-शास्त्रियों का दृष्टिकोण स्थूल तथ्य प्रहृष्ट करने की दिशा से सूझम तत्त्व-बोध की ओर उन्मुख एवं शरीरस्थानीय प्रवृत्ति में आत्मस्थानीय भावना की ओर वंतमूँही धनता जाया है। अलंकार, रीति, वक्त्रोक्ति, रस, ध्वनि और औचित्य आदि काव्य-सिद्धान्त एक प्रकार से काव्य-पुरुष के स्वाध्य-निहपण को दिशा में ही किये गए मुख्यात्म हैं। इन सिद्धान्तों की विकासक्रम में भी एक ऐसा अन्तर्भूत विषयमान है जिससे स्पष्ट होता है कि वे एक दूसरे के एकांततः विरोधी न होकर पूरक मात्र हैं। यदि अलंकारवादियों ने मौल्य को अलंकार का पर्याय कहकर काव्य-पुरुष के आत्मबोध के आन्तरिक प्रकार की ओर दृष्टिपात्र किया है तो रसध्वनिवादी आचार्यों ने औचित्य की ही रस-निष्पन्नता का एक प्रमुख कारण माना है। ही, यह बात अवश्य है कि इन आचार्यों ने अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुहृष्ट अपने अभिप्रेत काव्य-सिद्धान्त को अगी तथा इतर काव्यभिदालों को अंगभूत हृष्ट में उत्पन्न किया है जिसके कारण यामान्यतया उनमें विरोध सा प्रतीत होता है। अनुत्तर तथाकथित भी वाचस्पदान्तों में किन्तु काव्य-सम्प्रदायों की अभिधा भी प्रदान की गई है, काव्य-पुरुष के स्वहृष्टोद्घाटन का ही यदृश्यत्व है। भरत मुनि से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक सभी आचार्यों ने रस की गणिता किसी न किसी हृष्ट में अदरक द्वीकार की है जिसका परिणाम यह निकला है कि अन्ततः रस-सिद्धान्त को काव्य-पुरुष के आत्मबोध का सर्वोपरि प्रतिमान निश्चित किया गया। छवनिवादियों ने रस-ध्वनि को सूझात्य मिथित प्रदान की तो वक्त्रोक्ति, रीति औचित्यवादियों ने भी रस-निष्पंदक उकियों का गुण-संस्तान किया। कालांतर में तो काव्य के भेदोपभेदों का विवेचन भी रसमुख से किये जाने लगा।

वाच्य-पुराप वा रित्य भाग्यान्

भारतीयों की आनिक भावना ने अन्य विद्याओं की भीति वाच्य विद्या वा भी मन्त्रवन्ध दिव्य चरित्रों वे साथ मयोजित वर दिया है। राजशेष्वर ने उपनी 'वाच्यमीमांसा' (कविरहस्य) के प्रथम अध्याय के प्रारम्भ में ही इस बात वा स्पष्ट उल्लेख किया है कि भगवान् श्रीकण्ठ (महादेव) ने वाच्य पित्ता वा सर्व-प्रथम उपदेश परमपटी और वैकुण्ठ आदि अपने चौमठ शिष्यों को दिया। उस विद्या की द्वितीय वार्ता उपदेश भगवान् स्वयम्भू (परमेष्ठी) द्वारा उनके द्वच्छान्न्य (अयानिज) किप्पा को दिया गया जिनमें देववद्य सरस्वती-मुत्र-वाच्य-पुराप भी एक था। वाच्यानुग्रह को विराजन और दिव्य द्वितिसम्पन्न जान वर वहाँ ने उसे यह आज्ञा दी कि वह सर्ववनहित की भावना से भू, भुव और स्वर्गनिवासी प्रका में वाच्य-विद्या के प्रबोहन का शुभारम वरें। वाच्यपुराप ने वाच्य-विद्या को अठारह भागों में विभक्त वर सहवास्त्र आदि दिव्य स्नातवों को उपदिष्ट किया। उन गिर्या ने वाच्यविद्या के पृथक्-पृथक् भागों में विशेष योग्यता प्राप्त वर पृथक्-पृथक् प्रका की रचना की जिताया विवरण राजशेष्वर ने इस प्रकार दिया है —

'तत्र कविरहस्य महस्त्राधा नमाम्नाभीत्, औस्तिरमुक्तिपरमः, रीतिनिर्णय सुवर्णनाभा, अनुप्रामिक प्रचेता यमा यमकानि, चित्र चित्रागद, मन्दस्त्रेष शेष, वास्तव पुलस्त्य, वौपन्यभौपकायन, अतिशय पारासार, अर्थस्त्रेषगुतव्य, उमयानपारिक मुवेर, वैनोदिक वामदेव, रूपविहस्त्रणीय भरत, रसाधि-कारिक नन्दिकेश्वर, दोषाधिनरण पिपण, गुणी पादानिक मुपमन्यु, औप-नियदिवं बुचमारं इति ।'

दिव्योत्पत्ति वा तात्त्विक विप्लेषण :

राजशेष्वर ने वाच्य-पुराप की उत्पत्ति, सबूद्धि, गिर्या-दीदा, मनोदृति और विवाट-गस्तार आदि विद्यों को जिग स्प में प्राप्तुन विद्या है, उससे वाच्य के स्वरूप-नदान तथा उसकी वृत्तिया ये गम्य-स्प में बनेव प्रकार के महवृपूर्ण तप्प उपत्रप्त होते हैं। प्रता ति वहाँ वे वरदान ने देवी सरस्वती को वाच्य-पुराप की पुष्ट-स्त्र में ग्राहित का वाच्यान वाच्य की दिव्यता और अनीकिता का प्रतीक है। जन्म लेते ही वाच्य-पुराप द्वारा छन्दोवद्य भाषा में मातृचरणवदन वाच्य और छन्द की एवात्मवना वा शूचव है। वाच्य पुराप वा यह बत्तन कि 'सारा वा इन्द्र विश्व उपरे हाग अर्थ स्प में परिणित हो जाता है', निश्चय ही वाच्य-

1. वाच्यमीमांसा कविरहस्य प्रथमोऽश्वाय, शास्त्रग्रह,

मुहूर के अवित्तन का निदेश है। इस आध्यात्मिक द्वारा राजेश्वर ने सौक्रियकालीन की उत्पत्ति की और एकेत विषय है क्योंकि देश में ही छन्दोबद्ध वाणी का प्रयोग अपौर्वक हा में हुआ है, किन्तु तौरें इनमें काव्य-वाचन की छन्दो-बद्धता विशेष प्रकार का विशिष्ट रूप ही है। इस आध्यात्म में प्रतीत होता है कि सौक्रियकालीन में गण-रचना की परमात्मा पद्म-रचना की परमात्मा में प्राचीन थी, तभी तो राजेश्वर ने उत्तरकी के मुद्य से कहनाया है—‘१७. पूर्व हि विद्वांगो वर्द्धं दद्युन्ते पदम् । दद्युपज्ञामशनि छन्दस्यद्वच्च प्रवत्स्यन्ति ।’¹ अर्थात् ‘हुम से पूर्ववर्ती विद्वानों ने वर्द्ध की सुनिधि की है, पद की नहीं। इस छन्दोबद्ध वाणी के प्रयम आविष्टतरक तुम्ही हो।’

राजेश्वर ने भास्तवी द्वारा काव्य-मुहूर के अंग-प्रत्यंगों और गुणों के अनिरिक्षित उपरोक्त आहमतय का भी परिचय प्रस्तुत कराया है जो अत्यत गार्हणीय और कथ्यपूर्ण है। उसके द्वारा काव्य के नात्रिक नवहर के साथ-साथ तत्त्वज्ञीन काव्य-विद्यान का भी बोध होता है उसके अनुसार शब्द और अर्थ काव्य-मुहूर के बारीर, संस्कृत भाषा मुङ्ग, श्रावृत भाष्यरै, भुजारै, वप्प्रभा भाषा जप्त, पिशाच भाष्यरै दोनों चरण और नियमभाष्यरै वधस्पल है। समवा, प्रसुन्तता, मधुरता, उदात्ता और ओजस्विता को काव्य की गुणनिधि कहा जा सकता है। उसकी वाणी सदैव उत्कृष्ट है जिसका अभिशय यह है कि काव्य में उदात्त तत्त्व का संगुणन स्वतः गृह्णता है। रस की काव्य की जाता रूपा छद्मो की उपरोक्त रौप्य कहा गया है। अत्योल्प अहुतिकाओं तथा समव्याप्तिर्थी काव्य के वाचनिनोद है। अनुप्राप्त और उत्तमा आदि अनंकारों द्वारा वह विभूतित किया जाता है। उपकी महना वा इससे अधिक अन्य प्रमाण क्या हो सकता है कि भावी अर्थों की अभिधार्यी पृति (विद्वास्त्र) भी उसकी सुनिधि करती है²। राजेश्वर ने इसी प्रसंग में काव्य संरक्षण के प्रयाण में जो वेदमन्त्र³ उद्दृत किया है वह अत्यन्त रहस्यमय है क्योंकि उसके द्वारा काव्य का व्यापक भाष्यान शंकर से उपलिखित किया गया है। उस मन्त्र को आचार्य साधन ने यह पक्ष में और पर्तिव्रति ने व्याकरण-भृत्य में विवेचित किया है, किन्तु हमें वो भारतमूर्ति के नाट्यार्थ के १७ वें अध्याय की व्याख्या अपील है जिससे आवाये राजेश्वर भी सहमत हैं।

1. काव्य मोमामा, तृतीय वध्याय, पृष्ठ १४

2. काव्यमीमांसा, तृतीय आध्याय, पृष्ठ-१४

3. लक्ष्मारि श्रुत्यावदो वस्त्रं पादा हे शीर्जं नप्त्वाहस्तासौ अस्मि ।

निधा वद्मो वृपमे रोत्तीति वहुरेणी मल्यंगा विवेश । (ऋग्वेद, २-८-१०)

दिव्योत्तरि के आल्यान में काव्य-सर्जना के प्रेरक तत्त्व विद्यमान हैं

राजशेष्ठर ने काव्य-मुहूर्ष की प्रेरणा से महामुनि उग्रनस् द्वारा छन्दोबद्ध पाणी की प्रयोग-क्रिया वा उत्सेष कर यह सत्य घटनित विद्या है कि बविदों के मानन में काव्य-सर्जना की प्रेरणा दिव्य होती है और वे आभ्यतरित अङ्गति के साथ-साथ वहिंगत से भी अत्यधिक प्रभावित होते हैं। सरस्वती को मूकिण्डेनु से उपर्युक्त करते हुए उसकी जो विशेषता निर्दिष्ट थी गई है, वह बस्तुत वास्तेवता की मूल आत्म-चेतना है।¹ भारतीय वादमय की परम्परा में कही मौषालनदन शृणु रो दोष्या बना वर तत्वज्ञान वा निष्पद्व विवेचित इत्या गया है तो कही कानिदास ने कुमारसम्भव के प्रथम सर्ग वे अन्तर्गत हिमालय-वर्णन में धरिनी की दोटन-क्रिया का रूपद बोला है। इसी परम्परा के अनुपालन में वविधों यो मौषाल भान वर उनके द्वारा मूकिण्डेनु सरस्वती का दोहन रखाना कोई नवीन और विचित्र वत्पना क्षेत्रे कही जा सकती है? व विग्रह चाहे दिनना ही दुर्घट निष्पद्वित वर्ते, विन्तु कामधेनु सरस्वती तो अदुग्रामी ही प्रतीठ होती है। भला उसका रहस्य बौत जान सकता है? राजशेष्ठर ने छन्दोबद्ध वाणी को वविद्यमान क्रमुद्य तत्त्व वह वर उग्रनस् क्रपि का पर्यायवाची शब्द 'इवि' निर्दिष्ट विद्या है जिनका अभिधार्य यह है दि वाव्य-रचना के लिए छन्दोविधान अविवार्य तत्त्व है। उनका मत है कि ववि शब्द 'वच्-वर्णे धातु ने व्युत्पन्न दूध्रा है जिसका अर्थ है इवि-कर्म अर्पात् वाव्य-रचना। वाव्यमय होने वे वारप ही सरस्वती के पुत्र की साधारण रूप में काव्य-मुहूर्ष बहा गया था।²

राजशेष्ठर द्वारा वर्णित आल्यान से ज्ञान होता है कि महर्षि उग्रनस् को सो वाव्य-रचना की दिव्य प्रेरणा स्वतः प्राप्त हुई थी, किन्तु महर्षि वाल्मीकि दो खोणापाणि द्वारा छन्दोबद्ध रचना करने वा वरदान मित्रा वा वयोरि उन्ही महर्षि द्वारा सरस्वती ने वाव्य-मुहूर्ष वा पत्रा बननाया था। सरस्वती द्वे उम वरदान द्वे क्रियागत बनाने में चौचतुर्प्र द्वीप उपर्युक्त दूष्टियाँ गे रहस्यमय और

1. या दुग्रामी अपि न दुग्रघेव वविदोग्धभिरन्वर्हम् ।

हृदि न सलिलयां सा मूकिण्डेनु सरस्वती ॥

2. वविग्रहश्च वच्-वर्णे इत्यस्य द्वाना वाव्यदमेष्टो न्पम् । वाव्येवहृपवात् तच्च गारम्बने य अपि वाव्यमुहूर्ष इति भवता प्रयुजन ।

(वाव्यमीमांगा, पृष्ठ 15)

3. मा नियाद प्रतिष्ठा त्यमगम शास्त्रठी समा ।

यन्त्रीचमियुनादेव मदधी वाव्यमीहितम् ॥

महावून है। दिग्नों में उसके विषय में ऐसी आधा बरी हुई है कि उस अधीक द्वारा प्रयगतः यात्रावन करने से कोई भी व्यक्ति सारथित करि बग सकता है। वसी भाँड़ के महार्णि शास्त्रोक्ति को रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी जाय उसी का गर्वप्रथम अदावन कर द्वाण द्वेषायन मुनि देवधाम के फल साहृदी महामारत-संहिता का निर्माण किया। यदि कोई युद्धिक्षी उस इनोक के प्रति 'यात्रिक आधा' न भी रखे तो भी उसके द्वारा यह तत्व तो उपलब्ध कर ली जाएगा है कि राम-भारतों के मूल में कषाया, बातमध्यमार, उदात्र शामकाशना और आरामाभिशक्ति भादि विविध तत्व विद्यायान रहते हैं।

काव्य-नुष्ठय की विषयता के सौकिल संकेत

काव्य-नुष्ठय की उत्पत्ति मने ही दिव्य हो, किन्तु उसका विधिवत् भूलोक ही यह है। अपनी दिव्य गुणमालनाता में भी यह लोकिक रति के आधारम से ही उत्पत्ति का आधार प्राप्त करता है। जब तक काव्य में प्रेमतत्व का सुर्योग न हो, तब तक यह सरल और महादेवजनप्राप्त नहीं बन सकता। श्रीवेन्न-साहृदयों प्रेयमी की रुति का मुलाय विमे उपलब्ध नहीं हुआ, यह भला प्रेप के रहस्य की अनुमूलि कींसे कर सकता है? काव्य-नुष्ठय के विशेष और विषय मन की अनुरक्षण और सम्मान बनाने के प्रयोजन से ही पार्वती द्वारा साहित्य-विद्या-वधु की सृष्टि की गई थी। राजेन्द्र ने काव्य-नुष्ठय की जीवन-व्यापा में यह आवश्यन ओहर कर बनेक महाव्यूर्ध संकेत किए हैं। पार्वती 'शक्ति' की ग्रीष्मी है और 'क्षमिता' ही काव्य-निकलन का साधन जूटा सकती है। काव्य के आराधक-सम्मान-मूरुदमूरु प्रेम-साधना का आशय लेकर ही काव्यपुरायोत्तम को बज्जीभूत कर सकते हैं। 'रति' का अन्त अन्य समस्त बन्धनों से विचित्र और असुधारण है। काव्य-नुष्ठय और काव्य-विद्या के संगम में ही हस्तक्षती की सर्वता साजड़ होती है। काव्य-नुष्ठय की दिव्य उत्पत्ति में जीवन का श्रेय और सर्वांगोक के अधिवापन में जीवन का प्रेम सम्मिलित है। काव्य-प्रसादन में 'आवर्णन' भी एक आवश्यक ढाँच है। पद्मपि काव्य का प्रतिगात विषय एक ही राजा है, किन्तु उसकी अवैत्य-प्रसादी में धनोक प्रकार की विभिन्नताओं की स्थिति भी सहज समझ है। विभिन्न देशों के काव्यकारों ने अपनी-जपानी जूकित, अशिक्षि, धमता, प्रोण्यता और प्रदूषित के बगुहा ही काव्य-न्यायों की हैं, वर्तमान में करते हैं त्रिष्णा भविष्य में भी करते हैं। इस प्रकार के अनेक तत्व काव्यभौमासा में दर्शित काव्य-नुष्ठय की उत्पत्ति सौर्योक्त विद्याय में निश्चिदित किये जा सकते हैं। राजेन्द्र ने उस काव्यान के माध्यम से इस विषय को अवर्त्त रोचक और मुश्किल बना दिया है। उसमें काव्य-नुष्ठय की मात्रा और साहित्य-विद्या-वधु के साथ काव्य-विद्या स्वातंक मुनिवतों का अनुगमन हमारे देश की विजालता और

व्यापकता का दिव्यशंन कराने में सहज समर्थ है। उक्त व्याचिक से यह निष्पर्य निकलता है कि राजशेखर वे समय पर्यन्त भारत के पूर्वी भाग की काव्य-रचना में मानधी प्रवृत्ति, भारती धृति और गोडीया रीति वा प्रयोग होता था, पांचाल देश में पांचाली मध्यमा प्रवृत्ति, सातवती या आरभटी धृति तथा पांचाली रीति प्रयुक्त होती थी। उनके मतानुसार अवती देश में आवनी प्रवृत्ति, सातवती और कैशिकी धृति प्रचलित थी तो दक्षिण देश में दक्षिणात्मा प्रवृत्ति, कैशिकी धृति और बैदर्मी रीति वा प्रचार था। यो तो उम भमय और भी ऐसे अनेक प्रदेश थे जिनमें काव्य रचना होती थी, जिन्हुंने राजशेखर ने काव्य-रचना की दृष्टि से उपर्युक्त चार प्रदेशों के आधार पर उसके चार विभागों को ही महत्व प्रदान किया है। काव्य की रीति, प्रवृत्ति और सघटना आदि को लेकर भरतमुनि, भास्मह, दण्डी और आनन्ददद्दन आदि आचार्यों ने भी अपने वाव्यशास्त्रीय ग्रंथों में विवेचना की है। राजशेखर ने “पूर्व दिशा में साहित्यवद्य काव्यपुरुष को आवृत्ति नहीं कर सकी, जिन्हुंने तदनन्तर उसके प्रति काव्य-पुरुष का आवृत्ति बढ़ने लगा” लिखते हुए यही आशय व्यवत किया है कि काव्य की रचना प्रवृत्ति में ब्रह्मण गुधार होता गया और अत में बैदर्मी रीति की ही सर्वोल्लङ्घना प्रदान की गई। राजशेखर ने काव्य-पुरुष की उत्पत्ति तथा उसके विवास वे वयानक की वल्पना जिस व्यालकारिक हृष्ट में की है, उम पर पुराणों की शैली वा प्रभाव है। उनके पूर्व भी इस प्रकार की वया में सूत्र वाम-पुराण, महाभारत और हृष्टचरित में विवीण थे जिनका ममुचित उपयोग करते हुए उन्होंने अपनी वया वो प्रथम प्रदान किया। वाष के ‘हृष्टचरित’ के प्रारम्भ में भी सररक्ती के पुत्र की उत्पत्ति वा वर्णन हुआ है, जिन्हुंने राजशेखर ने उसका उपस्थापन भिन्न दृष्टिकोण से किया है। काव्य पुरुष की यात्रा का विवरण देने में उन्होंने अपनी वल्पना में वाम लिया है। वम्नुत वे भी भरतमुनि तथा भास्मह आदि आचार्यों की भाँति काव्य की रीतियाँ, धृतियाँ और प्रवृत्तियाँ वर्णित करता चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने काव्य-पुरुष की यात्रा वा याहनाद्यूर्ण प्रसाग वर्णित किया। उनके वर्णन द्वारा भिन्न भिन्न जनपदों की अभिरचि, ससृति, आचार-व्यवस्था, वेशभूषा और जीवन-दृष्टि का भी सहज ही दोध हो जाता है। राजशेखर ने इस विवरण में दो उल्लेखनीय बातें कही हैं और वे हैं कि ‘काव्य पुरुष और साहित्य विद्या अपने प्रभावमय शरीर से विद्या के हृदय में निवास करते हैं तथा उन दोनों के लिए विद्यों रूपी नवीन स्वर्ग की मूर्छिकी गई है जिसमें विवित व्याव्यमय शरीर में मर्यादनों में और दिव्य शरीर से स्वर्ग लोक में प्रलय पर्यन्त निवास करते हैं।’ राजशेखरहृत यह विवेचन काव्य के स्वरूप-बोध में पूर्वपीठिका वा भव्य निदर्शन प्रस्तुत बरता है। उनके द्वारा वर्णित काव्य पुरुष और साहित्य विद्या-वप्तु के परिणय-वल्लन में

निम्नलिखित उद्दरण से इन वाचन की पुष्टि की जा सकती है—

“तथास्ति यनोदयननो देवस्य श्रीदावासो विद्यमेषु वत्तगुल्म नाम नामरम् ।
तत्र गारस्वतेपस्तामीदेषी गप्तवंवत्तरिणिनाम् । तत्सत्तद्वधूदर विनिवृत्य तेषु
प्रदेशेषु विहरमाणं तु पारगिरिमेशाङ्गामन्यम् शोरी मारस्वती च मिथ् सम्बन्धि-
त्योः तस्यनुः । तो च हृतवंदनो दम्पती द्वचाऽगिय प्रभावमयेन वधुशो कविमात्रस-
निवासिनी चत्रनुः । तथोऽन्य कविसोऽकाशवर्णसंगतमहत्यता, यत्र काव्यमयेन शरीरेण
मत्यंतोऽमविवसंतो दिव्येन देहेन कवय आकृत्य भोवते ॥¹

1. काव्यमीमांसा : तृतीय अध्याय, पृ० 22-23

नाट्यशास्त्र का काव्याख्यान

'नाट्यशास्त्र' का गतिषय

भारतमुनि-विरचित 'नाट्यशास्त्र' भारतीय काव्यशास्त्र का एक अत्यन्त प्रसिद्ध और महाव्यूह आदि प्रथ है। यद्यपि उसके रचना-काल के सम्बन्ध में भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों की विचारधारा में पर्याप्त भरोभेद है तथापि इस बात को तो सभी विद्वान रचीबार रखते हैं कि उसकी रचना लाज से प्राप्त दो सदृश वर्ष पूर्व वज्रश्व हुई थी जब कि विश्व-मम्यता और सस्ति का आदि पृष्ठ भी बालों में नहीं आया था। जिस प्रकार उसका रचना इल विवादप्रस्तर है, उसी प्रकार उसके निर्माण भी विवादप्रणा के शिष्य हैं। इसका वार्ष्य मह है कि भारत में दुष्यन् पुष्प भरत, रामानुज भरत, आदि भरत, बृद्ध भरत और जड़ भरत आदि एक ही अभिया वामे रनोऽवस्थित हुए हैं, जिनमें पारण उनका निर्णय बरते में समस्या उत्पन्ना हो जाती है। भावप्रशान्तवार शारदानन्द का भन है कि 'आदि भरत' या 'बृद्धभरत' विरचित नाट्यशास्त्र वर्तमान नाट्यशास्त्र से डिग्गिन सा था, अत उसे 'द्वादश-साहस्री सहिता' भी कहा जाता है। भरत मुनि ने उसका महिम्बीकरण पट् सहस्र लोकों भे विद्या, जिसके कारण वर्तमान समय में उपलब्ध नाट्यशास्त्र का नाम 'पट् साहस्री सहिता' हो गया।¹ नाट्यशास्त्र में अध्ययन से इस बात का भी अनुमान होता है कि उसके लोकों भे आनुबन्धवृद्ध भी होनी रही है। याम्भ दैव जिस प्रकार महाभारतवार 'व्याम दैव' जट्ट व्यामपीठ का भी दोष है, उसी प्रकार 'भरत' जट्ट भी विसी व्यक्ति विशेष का न होनार नाट्याचारों की इसी विशेष परम्परा का निर्देश हो। कुछ विद्वानों ने भरत मुनि का नाम बत्तित मात्र माना है।

नाट्यशास्त्र के वर्ण विषय

'नाट्यशास्त्र' नाम से तो ऐसा आभासित होता है कि इस प्रथ में नेवल नाट्य की विधियों और त्रियमों का ही वर्णन होगा, बिन्दु उसके आवस्तन से

1 एव द्वादशमाहस्रं श्वोऽरेव बृद्धयंत ।

यदग्नि लोकमहस्री यो नाट्यवेदस्य रथह ॥

(शारदानन्द, पात्र प्रकाशन, पृ० 28)

इस भाष्यका का नियामण हो जाता है। इस अकलर से उस अन्य को लिखत वृथा उपर्योगी वक्ताओं का 'विश्वासेद' कहा जा सकता है, जिनके लिए कोई भी ग्रन्थ, ग्रन्थ, विद्या, बन्धा, योग और कर्म नहीं है जो नाट्यशास्त्र में विवेचित न हुआ है।¹ यह एन्य 36 वाच्याओं में विभक्त है, जिनमें ग्रन्थ नाट्योत्तमि, भण्डर, रंगदेवत-भूजन, सामुद्रवन्दित्य, पूर्वत्रयविद्यान, रस, भाव-भूजन, व्याप्तिशिन्य, उर्जाग्रन्थिन्य, मण्डवविद्यर्य, गणितचार, वाच्याप्रतिक्रियम, वाचकादि अधिनय, छन्दोविद्यान, भाग्य-उष्णेन, दशहरकम्भश्य, संघिनिहयग, वृत्तिविशेषज्ञ ग्रन्थाभ्याग्रन्थिन्य, पात्र-प्राप्ति, चित्राभिनय, विहृति-विकल्प और संगीत-शास्त्र आदि विभिन्न प्रियों का सारोऽसंग विशेषण किया गया है। इन संग प्राप्त साम्बादन और प्रकाशन विविध विद्वानों और संस्थानों द्वारा किया गया है, जिनमें भाष्यकाला सीरीज, निर्णयकाल ऐति, चर्चाएँ एशियाटिक सोसाइटी, कनकता आदि के प्रकाशन महत्वपूर्ण हैं। इस बन्ध और विदेशी विद्वानों ने भी शोए-नामे किया है, जिनमें समूर्ण नाट्यशास्त्र का विवेचन तो नहीं हुआ है किंतु एकूण तथा प्रकीर्तक शोध-निर्बन्धों तथा नाट्यशास्त्र के कठिन्य वाच्याओं के सम्बादन या कार्य उल्लेखनीय है। यस्तु ग्रन् 1826 से सेकर अवावधि ग्रन्थाधिक वर्षों में इस बन्ध पर भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने जो अनुशीलन, अनुसंधान, मान्यताधन और समोद्दास प्रस्तुत की है, उसका पूर्ण सुनपनीय करते हुए यदि समन्वयात्मक दृष्टि से समायोजित कार्य किया जावे तो 'नाट्यशास्त्र' का एक ऐसा विशद् और यस्तीर दृष्टि विद्वानों के समझ आ सकता है जो अनुशूल्य हो। यह कार्य अवलम्बन परिवर्तनशास्त्र और सांख्यनामूर्ण है जिसका निर्वाह प्रमूख धैर्य और अवलोक द्वारा ही समर्पय है।

नाट्यवेद के पीराणिक लाल्यान को काव्य-विद्युति

भरतमुनि-विरचित 'नाट्यशास्त्र'² में यद्यपि काव्यन्वची का विषय उसके परदली शंखों से गिन रुप में विवेचित हुआ है, उसमें उसनी वर्णन-प्रकाशी के आधार पर काव्य के स्वरूप-विवरणक अनेक तप्ती की लत्वसमान अभिज्ञता की या उक्ती है। यो तो काव्यमीमांसा अवल माहित्यशास्त्र की दृष्टि से नाट्यशास्त्र के 6, 7, 16, 18, 20 तथा 22 संदर्भक वाच्याओं का विशेष महत्व है, तथापि अन्य अध्यायों द्वारा भी काव्य-विमर्श की उपलब्धित लाम्ही कर देव किया जाता सहज है। भरतमुनि ने नाट्यवेद की उत्पत्ति के विषय में जो

1. व लक्ष्मान तत्त्वज्ञल न या विद्या न सा कला।

2. सं योगो न तत्कामं यन्नान्त्येस्मिन् दृश्यते ॥ (नाट्यशास्त्र 1-116)

पौराणिक आद्यान प्रस्तुत किया है, वह काव्यशास्त्रीय दृष्टि से भी अत्यन्त उपरोक्त है। उमडे प्रारम्भ में ब्रह्माजी से को गई इन्द्रादि की यह प्रार्थना है—
 ‘श्रीदण्डकमिल्लामो दृश्य शब्दं च यद् भवेत्’ इस तर्थ की ओर सरेत करती है कि सहृदय वाद्य-भावको की यह उत्तर अभिलाषा होती है कि वे काव्यस्त्रटा (ब्रह्मा) द्वारा शब्द वर्ण के लिए मधुर एवम् दर्शन के लिए मुन्दर श्रीदण्डस्वरूप वाद्य की उपलब्धि करें। इस उकित में वाद्य के दोनों रूपों (शब्द और दृश्य) को और सरेत है और दोनों के लिए ‘श्रीदण्डपञ्च’ पद का प्रयोग करते हुए भरतमुनि ने उनकी मूलभूत विशेषता निर्दिष्ट कर दी है। इस विषय में हम इतना ही बहुत चाहते हैं कि ‘श्रीदण्ड’ शब्द अपनी अर्थ प्रक्रिया में अत्यन्त व्यापक है और इस के अन्तर्गत जितने भी मुण्ड अथवा व्याघारिक धर्म रामाचिष्ट होने वालीय हैं, वे सब शब्द तथा दृश्य वाद्य के अन्तर्गत हो सकते हैं।

नाट्याद्यान वा रहस्योद्घाटन

भरतमुनि द्वारा वर्णित उपर्युक्त आद्यान में ब्रह्मा द्वारा चारों वेद से यथोचित सामग्री ग्रहण करने हुए नाट्यवेद की रचना विग्रहक जो बात नहीं गई है उससे स्पष्ट है कि यस्तुत वेद ही अपने व्युत्तितत्त्व अर्थं तथा ज्ञान-सामग्री के वारण समस्त विद्याओं और उपविद्याओं के गतिशील हैं और यदि उन्होंने निष्पद हारय नाट्यवेद की उत्तरति मात्री जाय तो गवंथा सम्पूर्ण ही है। उन्होंने लिए तो पेढ़ों में नाट्यवेद की उत्पत्ति वर्णित यों गई है, जिन्होंने द्वारा वाद्य मान के सूजन अथवा निर्माण का तथ्य भी घटनित हुआ है। नाट्यवेद की रचना के लिए शूर्पेद से ‘पाठ्य’, यजुर्वेद से ‘अभिनय’, रामवेद से ‘गीति’ और अथर्ववेद से ‘रस’ लिए वाजो आद्यान प्रस्तुत किया गया है, यह नाट्यवेद अथवा नाट्यवाद्य परी चार भौतिक विदेशनामां या निर्देशव होने के साथ-साथ वाद्य-गवंथा में लिए अभीष्ट वभावस्तु और उनकी गयोजन विधि वा भी हासान्य सरेत वरती है। वन्युन उम्मे वाद्य-नामाहित्य का अनुभूति-पद्धति और अभिव्यक्ति-पद्धति व्यक्ति है। यह तो ही ही पाठ्य और अभिनय के वाद्यगत अर्थ-प्रवन्नन की बात। गीति और रस-नाट्य की वाद्यगत गहता के निरूपण की विशेष आवश्यकता नहीं है, वयोऽपि वाद्य और सगीत वा संधुर सम्बन्ध तो अनादि बाल ही से चला आ रहा है, जिनके संवेदनापूर्ण ममन्वय में गवन ही प्रमुखित होने वाली रस-मयी धारा ही वाद्य वा चारम स्त्रय अथवा परम व्येष्य है जिनके आनन्दमयाह में ही वाद्य-नरजन और वाद्याम्बाद वा प्रयोगन कीमूल होता है। अभिन्नाय यह है कि इसी भी श्रेष्ठ वाद्य वो गपटना के लिए उग्रावस्त्रु-विद्यास, रचना-पौश्ल, गीति मयोजन और रमास्वाद आदि ऐसे महत्वपूर्ण रूप हैं जिनकी

हांगे समन्विति में ही राष्ट्र-राजनीति अथवा राष्ट्र-प्रश्न परीक्षा-क्षण का शार्तेभन्ना अंतिमिति है।

भरतसुनि ने शास्त्रवेद को विग्रहये में 'राजनेत्राणाह्य' कहा है वह अत्यन्त सारान्वित और उचित है। उसने इन्होंने बहुत जो इतना दिव्य यथा धारों का कि 'गुण भोगों में जो गुणस, विद्या, प्रश्नम् और विवरण हो, उन्हें यह शास्त्रवेद है द्वे'— यह अपने निवाला जा सकता है कि राष्ट्रानुगीतम् एव काष्ठ-प्रश्नोग के गुणोऽप्य अधिकारी ये ही व्यक्ति हो सकते हैं, जिनमें काष्ठोऽचित् तु गुणसता विद्यापता, प्रश्नसता और विवरणसता के गुण रियालत है। देवताओं में इन गुणों का आविष्कार यतता वर भरतसुनि जाता उनके पुणी में लाश्ववेद के प्रयोग की ओर तपता निश्चित की गई है, यह भाष्यमान ते उद्भावक व्यवित्रयों को ऐसी प्राणिक विद्येपता है जिसमें वे राष्ट्रान्वाद अथवा राष्ट्रहम् के मध्यात् राष्ट्रम् में राजन होते हैं। भारती, भारती और मातृत्वी बृत्तियों ने युक्त नाट्य-प्रयोग की विशेष सकृदान्ता के लिए विग्रहये विविती वृत्ति के उपयोग की बात कही पड़ी है, उससे प्रारंभ है कि जब तक राष्ट्र अथवा नाटक ने कंशिकी अवधारू, सलिल वृत्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, सब तक राजनांविद्या में गाँधिक अथवा सौन्दर्य वा सुचार हो ही नहीं सकता। यस्मात् कीशिकी वृत्ति 'सौन्दर्योऽप्योगी व्यापार' की प्रतीक है, व्योगिक उसी के द्वारा गवात् रसों की व्यभिचारित में घौम्यर्थ जगता वैचित्र्य का गवार होता है।

भरतसुनि ने 'इन्द्रज्ञवेद' नामक उत्तम पर लिये गए गांधी प्रयोग के द्वारा एव देवताओं की विजय निश्चित कर एक प्रकार से गाँधीय जगते को ही समिति की है। असुखे द्वारा पहुँचाइ हुई वार्ता यो सत्कार्य में उपलिखा होने वाली विज्ञ-वापाही के उपर्याम किया जा सकता है। उसने विश्वरात्र नामक दैवत द्वारा द्वारा जी पर अवगति यो पश्चवात् पूर्ण लालन का वल्लेय कर यह तम्य व्यनिव लिया है कि पश्चि काष्ठ-रक्षना में किसी के गुणात्मक द्वारा उपर्याम के अनु होती, गिन्तु संकृतियों और जामुरी वृत्तियों याति व्यक्ति अपनी जनोवृत्ति के अनु होती, कूल उत्तमे छिद्रान्वेषण करने का जापार अनुपस्थित कर ही लेते हैं। दैवतों की कानुपृष्ठपूर्ण ग्राहकांक के निवारण-हेतु द्वारा जी ने शास्त्रवेद की जो विवेकार्थं कानुपृष्ठपूर्ण ग्राहकांक की है, वे एक प्रकार से काव्य-तिर्मीता द्वारा जानी सक्षम हैं अविद्याप्राप्ति की है, वे एक प्रकार से काव्य-तिर्मीता द्वारा जानी सक्षम हैं अविद्याप्राप्ति के समर्थन की ही परिचयक हैं। उनमें यह तत्त्व लिहित किया गया है कि काव्य-नार्तना एक अत्यन्त पुनोत्त और अवस्कर सुर्खित है जिसके द्वारा अन्य देवों को अव-आप्ति प्रेषणारी विधि से की जा सकती है। नाट्य अथवा काव्य में अन्योनन के भावों का अनुसर्तन होने के साथ-साथ व्याम, गीता, अर्प, शम, हास्य, पुढ़, काम और वद्य आदि विधिय भावनाओं का जो अधिक्षिण रहता है, वह किसी वर्णनविशेष के लिए ही न होकर संदर्भान्वय बनी के लिए ही

अभीष्ट है। उसमें सगार के मुख-दुध-नामन्वित स्वभाव का चित्रण ऐसी रथगी-यता से किया जाता है, जिसे किसी भी रूप में साम्ब्रदायिक और पर्वंगत भाव-नामा वा पतीव नहीं कहा जा सकता। अभिप्राय यह है कि नाट्यशास्त्र में उल्लिखित उपर्युक्त आव्याप्ति अपना तात्त्विक महत्व रखता है और उसके द्वारा न देवता नाट्यवेद का अपितु वाक्य मात्र वा मूल प्रतिपाद्य विवेचित किया जा सकता है। उस आव्याप्ति से निम्नलिखित निष्कर्ष निवाने जा सकते हैं—

1. नाट्यवेद की भाँति वाक्यसर्जना भी एक अत्यन्त पुनीत एवं प्रेयसमन्वित रचना प्रक्रिया है जिसका सप्ता कवि चतुर्मुण्ड ब्रह्मा की भाँति महान् और अद्भुत चमत्कारविधायी बजामार होता है।

2. वाक्य-सर्जना वे मूल मन देवता 'स्वातं सुखाय' भाव का ही अभिव्यजन है, अपितु उसमें सर्वंजनहिताय की भावना भी निहित है।

3. वाक्य का आस्थादान वे ही व्यक्ति वर सकते हैं, जिनमें वाक्य-प्रहृष्ट वरन् वा नैपुण्य, वैदेश्य, प्रागलम्य और सौहार्द हो।

4. वाक्य मुख्यत मानव गुणभ मनोवृत्तिया का निर्देशक होने वे वारण सहदेवजना वे लिए ही प्रीतिकारक और चौर्तिप्रद होता है।

5. वृद्धिप्रयोग वाक्य रचना में भारती, भारमटी और सात्वती वृत्तियों का प्रयोग होता है, तिन्तु कैशीकी वृत्ति ने सर्वोजन द्वारा ही उसे रोदर्पंभयी चेतना प्रदान की जा सकती है।

6. पह्तन के लिए वाक्य-मूर्छित भरे ही शुगार प्रधान हो, यिन्तु उसकी शृणारिकता देवता मधुरभावपूर्वक रति वा ही प्रतिविम्ब नहीं, अपितु उसमें अन्य वृन्जिया वा भी शृणारम्भ विलास निहित रहता है। यदि ऐसा न होता तो सहदेवजन भववान् वे सर्वंशक्तिमान और हुष्टविद्वाराकारी रूप में शीत और सौदर्य के दर्जन रैम करते ?

7. वाक्य का प्रयोगजन किसी वर्ग किणेप वी ही धित्तविश्राति नहीं, अपितु वह प्राणिमात्र वे प्रगाढ़न अथवा चित्ताहारदान वा साधन है। उसे गर्वंजनप्राप्त योगदोष वा अभिव्यजन कहा जा सकता है।

8. जो व्यक्ति वाक्य सर्जना वे प्रति विद्वेष भावना रखते हैं, वे वस्तुत अपनी ही मरींग मनोवृन्जिया का प्रवाणन करते हैं। उन्ट अपनी भातधारणाओं के वारण वाक्य वी वैनोस्य अपाप्त सत्ता में दूषणमान ही प्रदर्शित होते हैं।

9. वाक्य इसी व्यक्ति की निजी भावनाओं का स्वार्थमय प्रदर्शन नहीं, अपितु सोनंजीवन की भाव गम्भितियों का अभिव्यजन है। वह अपनी व्यक्तिपरता में भी वामन की विराट् भक्ति के तहत रोतोंये रखता है।

10. वाक्यान्वाद वी प्रक्रिया में व्यक्ति निरसेश्वरा वा भाव प्रधान है और 'स्वपरगत देशनालावन्योक्ता' उसके मार्ग वा मरणे वाला व्यवधान है।

11. काम में पर्दि वित्तिष्ठ व्यापारी का शरिकत से विचार जाए होती रहें व्यापार-विवेद भावनाओं से ही निर्दित किया जाता बाहिए ताकि गद्दव व्यापार अपनी भावनाओं का साधारणीकरण करते हुए उसकी वृत्तियों में तथ्य-मत्ता की अनुभूति कर सके।

12. वो कामकार पिटेगूर्ण भावनाओं से काम्य-मूलि रखा है, वह भावीयाता का व्यवहार साएक नहीं है और 'मुनेश्वर' का अधिकारी होता है।

13. कहने के लिए शाव्य-शटा और शाव्यावादिता से पृष्ठ-पृष्ठ लिखा है, जिन्हे तत्त्वज्ञः कामगाढ़ा ही वाय वा आदि जास्तादिता होता है। यद्यपि कामकार की गर्वना और आम्बादन से प्रतिवेत्तियों में मतर रहता है, जिन्हे प्रोत्तन में दोनों वृत्तियों के गमिष्ठता का एक ऐसा संघित भी है जहाँ इस प्रकार की दुविधाएँ लिखर रही रहती।

14. गिरि शावर सोमस्तमाव का आदेनव नाट्य है, उसी प्रकार लोक-वंशों की कुञ्जन प्रभियावित वाय। नाट्य-चतुरा में दोनों सोमपर्वी और काट्ट-पर्वी व्यापार उपर्युक्त भावतत्व और सौम्यवैधान के पूर्णता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार काव्य-चतुरा में स्वभावोवित और वक्तोवित का समुचित समंजस्य उपर्युक्ति की योजना ही सम्बन्ध बनता है।

15. प्रयोग और प्रशिदि में भिन्नता होने एवं भी बलतोषत्वा नाट्य वीर काव्य का हैन्, प्रयोग और चरम उद्देश एक ही है। दोनों की नफलता इसी प्रकार है कि वे मर्वार्थीप्रदि करते हुए पर्ने।

नाट्यमाल्यान की उपलब्धिग्रन्थ

इसने भारतमुवि-व्यापारिता विचारणा को जिस दृष्टि से काव्यता उन्नत-कर अभियन्त लिया है, उसे किसी भी रूप में अन्यथा नहीं समझना चाहिए। पर्याप्त नाट्यशास्त्र में काव्य भी शब्दवृच्छा का प्रयोग लिखण नहीं हुआ है, किन्तु उम्मी एथेक उपर्युक्त भी एम शहिमावयो नहीं है। नाट्यशास्त्र-विग्रह लोकादिता और नाट्यमित्ता के माध्यम से काव्य भी मणिषों और होदर्व-मणियों को उपर्युक्त विवेदित किया जा सकता है। बल्कुतः काव्य-सर्वोन्मान में दोनों की उपयोगिता है और वे दोनों याधाराईय-भावतत्व के साथ-साथ 'वार्गीकृति समृद्धिः' रहते हैं। जो धर्मों की वास्तविकता यदि काव्य को दोष-पूर्णिक प्रदान करती है तो नाट्य-पर्व की चालता उपर्युक्त वित्त-व्यवहारित के उप-करण जूटा देती है। किंवि वायवा नाट्य प्रयोक्ता को इस प्रकार का अधिकार होता है कि यह अपनी कृति को समझत और सजीव यन्माने के निए उसमें प्रयोगित परिकल्पन भी कर सके। जातार्थ अभिनवमूल ने दोनों की सापेक्षिक महत्ता का निष्पाप करते हुए उचित ही कहा है कि कविगत जपथा नद्यत्व वाग्मालकार-

रूप नाट्यशास्त्रमिता दियो भी कराहति वी प्राप्त चेतना कही जा सकती है। उनका वयन है—

'यस्मात् विग्रा नटगता चागयालवा रनिष्ठा नाट्यधर्मीस्था सर्वप्राप्तवती
वर्यात् इनि प्रपंचस्य वर्तते, सस्मात् सर्वन्वसवधी सहजोभावो लोकघर्मसक्षण
उष्णो भित्तिस्थानीयत्येन नाट्यधर्मी सहज सदादिवमंजु । अगवर्तनाटप गुण-
पक्षणानि च, अनुकारचष्टा अलवाच्च उपमादपर्च ।'

नाट्यशास्त्र-वर्णित 'काव्यसक्षण' काव्यालबारों के आदि-रूप हैं

भारतीय काव्यशास्त्र के विवेचित उपलब्ध ग्रंथों में भरतमुनि का नाट्य-
ग्रन्थ ही प्राचीनतम ग्रन्थ है। उस ग्रन्थ में जो मुछ भी काव्य-वर्चा दी गई है,
वह नाट्य की आनुपरिक मात्र है। भरतमुनि के पश्चात् आचार्य भास्मह ने सर्व-
प्रथम काव्यवर्चा को रखता विवेचना ना विषय बनाया जो थेनेड प्रकार के
विवास-मार्गों को पार कर पठिताज जगमाय पर्यन्त बजस्त रूप से प्रोढता को
प्राप्त होना गया। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि भरतमुनि ने 'नाट्यशास्त्र'
में दिन 'सप्तशूणा' का निरूपण किया था, वे ही बानातेर में अलबारों में परि-
वर्तित होते गये। यद्यपि उस परिवर्तन का एक श्रमद्भृत इतिहास उपलब्ध नहीं
है तथापि उन सप्तशूणों द्वारा अलबारों के तुलनात्मक अध्ययन से उनके साम्य वा
अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। सप्तशूणों और अलबारों के साम्य तथा
वैपर्य का विशद विवेचन करना हमें यहाँ अभीष्ट नहीं है। हम तो यहाँ पर
जेवल एक मामान्द गम्भीर करना चाहते हैं कि भरतमुनि-विवेचित सप्तशूणों में
जलशारा ने भावों दिवास का जलबीज विस्त प्रसार अनुभ्याप्त है। उदाहरणार्थ
वहा जा सकता है कि 'शामा' नाम का स्वरूप 'तुल्ययोगिता' अलबार में मिलता-
जुलता है तो 'निरक्षन' सप्तशूण में 'अर्धान्तरस्यास' अलबार का बीज अतिनिहित
है। इसी प्रकार गम्भीर लक्षण से 'मदेह' अलबार तथा 'दृष्ट' में 'स्वभावोक्ति'
अलबार की व्युत्पत्ति समझी जा सकती है। 'गुणातिपान' तथा 'गहणा' सप्तशूण
का मध्यस्थित यदि 'व्याजस्तुनि' अलबार में विद्यमान है तो मनोरथ सप्तशूण में
'अपम्नुय प्रगमा' तथा 'मूढम्' अलबार के तत्त्व-कानून सन्निहित हैं। इसी प्रकार
'प्राणि' में 'काव्यलिङ' निदर्शन से 'निदर्शना' मिथ्यापृष्ठवमाय से 'अपट्टनुति' प्रसिद्ध
से 'उदानूत्', प्रतिवोष में 'आशेष' अतिशय में 'अतिशययोक्ति' सेथा प्रियदर्शन से
'प्रेषन्' अलबार का साम्य रूपरूप दिया जा सकता है। आचार्य अभिनवगुप्त ने
नाट्यशास्त्र में वर्णित सप्तशूणों के मध्य दो दो तातिशारे प्रमुत ही हैं जिनमें
पृथक् पृथक् प्रणाली में प्रतिशालिका में 36 सप्तशूणों का निरूपण हृआ है जिन्हें
द्विगुणित करने में इन काव्यसक्षणों की गण्या 72 हो जाती है। इनमें 17 सप्तशूण
दोनों तातिशारों में समनिष्ठ हैं जिन्हें वस्त्र वस्त्र से दोनों तातिशारों में प्रति-

पाइन परानों वी संख्या 55 रह जाती। अभिनवगुल ने गुणवत्ता के प्राप्त तथा उपलब्धि दृढ़ में परिवर्तनों को मूल बताया है तथा उन पर चिह्नी ही ही दीरा वे अनुदृढ़ छड़ की वालिया का शास्त्र-व्याख्यान पर निर्भय रिक्षा है। उहाँने सदानों और अन्यदारों वी साम्यान्य गूणों भी प्रमुख ही हैं जिनमें इस विषय का दृढ़ ही परिवर्तन हो जाता है जि भारतीय वाय्य-शास्त्र की परवर्ता में प्रसामुचित वाय्यवाक्यानों का शाश्वत रिक्षा शार अलंकारगात्र के स्थाने दृष्टिगोचर हुआ। आजारं गट्टोर्ने इस विषय में उचित ही कहा है कि 'सदानों वे भावानाओं में वंचित् गिर होता है।' अभिनवगुल के वाय्यवाक्य थीमन वा विन्व-विन्वन व्याख्यान में नवोत्तर दीरे गर उगारी विन्व-विन्वन-मुपर्याएँ ही विविध अन्यदारों के उद्भव वा वाय्य बनती है।¹ सदानों का अन्यदारों की ओर इस प्रकार का प्रयोग भारतीय वाय्यवाक्य में विविध काव्य-धर्मों का एक प्रमुख स्रोत बनता जाता चाहिए।

काव्यसदानों और काव्यान्यदारों में उत्तम सम्बन्ध है

नाट्यवास्तव-विगत वाय्यवाक्य एक प्रकार से 'काव्यविषयाण' अथवा 'मूर्यणविगित' है। प्रत्यक्षार के रवाण्य-दिव्यवेषण के साथ उनका महत्व भव्यता अवैतित दिया जा बनता है। भरतमुनि ने विवेषण व्याख्या व्याख्यानोंमें अन्यान्यदो को सदान्युक्त बताया है और अन्य अन्यदारों को भी सदान्युक्तमें विवेषण का निर्देश दिया है। आचार्य अभिनवगुल का मत है कि ऐसे उत्तरां-मेंदों का मूलकारण 'हृदयत ग्राहीरसेद' है जो एक प्रकार से ग्राहीरत्याग ही है। यहि सदान्युक्त से अत्यन्त-न्यैक बरने का मूर्य गुणान्वयण समाप्त जिया जाय तो अत्यकार प्रयंत्र वा वित्तार करने में कोई विवेषण कठिनाई नहीं ही सकती। भरतमुनि ने बोगव्यापूर्वक तीन अशोलकारों (उत्तरा, रुपक तथा दीप्ति) में उत्तीर्ण लक्षणों का गोप्योग-विविध विविध कर तरज्जन्य शतसहस्र अलंकारों की परिकल्पना की है। उनके मतानुसार 'मूर्यण' नामक व्याख्या का स्वरूप ही मूलतः गुणालग्नयों के उचित सम्बन्धित का रूप है तो 'गुणानुवाद' नामक व्याख्या को एक प्रकार की उपरा ही रहा जा सकता है। उनी आदि वाचानों ने उपरा वा जो भेद-विस्तार दिया है, उसका भेदव अर्थ 'लक्षण' ही है। निश्चय ही शारणिक काव्यवच्चा 'लक्षणमूर्य' होनो भी दियके बारण काव्यालोचन की 'काव्यालंकार' के द्वार्चे 'काव्यसदानों' तथा उसके विवेकको की 'काव्यलक्षणकर्ता' तथा काव्यलक्षणविधायी कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि भरतमुनि विवरजित लक्षणसम्पत्त अलंकार-वक्त का प्रबलन दिया था वा, वह क्षमता विचारित होता हुआ कालातर में ऐसी वित्ति प्राप्त वर गका जिसमें ब्लेक

1. अभिनवगुल, अभिनवगात्री, 2/329

प्रवार के स्वतंत्र अलंकारों का समूद्रभव संभव हुआ। उन अलंकार-चक्रों में अनेक अलंकारन्दण भगवादिष्ट थे जिनके बैचित्र पर उनका विवरण हुआ था। अलंकारों का यह आध्यात्म प्रारम्भ में न तो अधिक जटिल था और न विवादास्पद ही, इन्हुंने शनि शनि शास्त्रचक्रों के विवास ने उसमें भी मत-वैशिन्य उत्पन्न कर दिया। उदाहरणार्थ भास्म ही और दण्डी के पूर्व हेतु, मनोरथ, और आमी संक्षणों से उन्हीं की अभिधा वारे जो अलंकार प्रवर्तित हुए, वे परवर्ती वाल म मात्र नहीं भगवे गये और आचारों ने मिल भिन्न दृष्टियों से अलंकारों का वर्ग विनाशन कर उनके संक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत किये। अलंकारों का यह प्रसार नाट्य के संघर्ष तथा बृत्यग पर मी आधारित था जिसका परिणाम आनायं दण्डी के 'बाच्यादर्थं' से विद्या जा सकता है। इहने भी आवश्यकता नहीं कि जिस प्रवार युगपरिस्थिति ने लक्षणों से अलंकारों के विवास का अप्रस्तुत किया था, उमीं प्रवार सह्य धर्षी ने शास्त्र-प्राची की विवेच्य-गामग्री को भी नवीन दिशा प्रदान की थी। बाल्य-माहित्य की परिवर्तित विद्याओं में सर्वविद्य महाकाल्य लर्वसचाहक बना जिसकी महत्ता के सम्मुख नाटक आदि का भृत्य गोप होने लगा। परिणाम यह हुआ कि भरतमुनि ने इस बाल्यचर्चा को नाट्य की आनुषंगिक गाना था, वह स्वतंत्र और प्रभुत्व बन कर उपस्थित हुई और आचार्य भास्म ह तथा दण्डी आदि विद्वान् स्पष्ट शब्दों में वहने लगे कि बाल्य का ही एक प्रैद मानाट्य है जिन पर अन्य विद्वानों ने धर्षण विमर्श कर दिया है, अत वे मूलतः बाल्य का ही विचार बरते हैं। बस्तुतः मत्स्वरूप और प्रापृति में लिये गये महाकाल्यों, मुद्रनकों और गद्य-प्रवद्धों की विशाल सामग्री ने बाल्यचर्चा को स्वतंत्र विवेचना का विषय बनाया और नाट्यशास्त्र-विज्ञिन वाचिक मध्यिनय की अपार्थन बाल्य-चर्चा ने बाल्यशास्त्र की स्वतंत्र अभिधा धारण की। भास्म और दण्डी के बाल्य-काल में नेतृत्व पठितराज जगन्नाथ पर्यन्त विवेचित बाल्य के विविध भेदोपभेदों में उन चर्चाओं का प्रमार है जिसका विस्तैपञ्च यदि ऐतिहासिक अनुग्रहान के विशामप्रम में किया जाय तो अनेक प्रवार के नवीन तथ्य उपलब्ध हो गते हैं।

'बाल्यतदाण' और 'काल्यात्मकार' में अवातर अर्थ भेद

छठर रोका है कि क्या लक्षणों के लगभग दर्ते अलंकार हैं अपकार उनमें अवातर अर्थ भेद भी है? इसका व्यावृत्तिक उत्तर तो यही है कि जब एक ही अर्थ के वाचक दो पर्यावाची शब्दों में भी जिसी न जिसी प्रवार का गूढ़म अन्तर अन्वेषित विद्या जा सकता है तो संक्षणों और अलंकारों की एकत्रिता वैसे स्वीकार्य ममग्री जा सकती है? बाल्यतदाणों के मर्वंप्रथम निष्पक्ष आचार्य भरत मुनि ने भी अलंकारों के माप उनका विनिद स्वीकार दिया है। यह एक ऐसा कौतिर प्रश्न है जिसे माधारण समझ कर उपेषित नहीं किया जा सकता। इस

में बाचार्य अभिनवगुप्त का पाठ उन्मैषतीय है। उन्होंने मुण्ड तथा अलंकारों को सम्बन्ध में सम्बन्धित वार्ता हुए सदाश वा सम्बन्ध पूर्णसंपैग लिखियापार से जोड़ा है। उनहाँ प्रथम है कि कवि के प्रश्नत में पाठ्य में गलायी द्वारा वैचित्र वाचा है, जिन्हें विस प्रश्नत से उग वैचित्र वीं संविदि होतो है, उसी वा नाम 'सदाश' है।¹ इस्तुः कवि-कव्य का ही नाम वाच्य है, प्रकः उस कव्य की गपनाला वा ऐप वैचाप लिखिहत प्रश्नतव्यापार को ही प्रश्नत लिया जाना चाहिए। वाचार्य अभिनवगुप्त ने वाच्य-गुण, वाच्य-सदाश तथा वाच्यालबार वा बल्वार एक अलंकार व्याख्यातिक उदाहरण में उपलब्ध किया है। उनवा वाचन है कि 'सामाच्य-वाच्य पूर्णस्त्रा अस्त्रा दीवरत्य एक गुण है, जिन्हें वह मुण्ड विदि स्तनों में हो तो वह स्तनों का सदाश है, हिन्हु विटप्रदेश में हो तो वह इसदाश हो जाता है। इसी प्रकार जिसी एक प्रश्नार से एही जाने वाली वस्तु एवं उसी पदार्थक्रम से रसोचित विभाषण से इस में प्रश्नत हो तो वह 'सदाश' होता है अन्यथा वह 'कुसदाश' पद वा अधिकारी तो ही हो। ऐसी वाचन है कि गुण और अलंकार सदाशमपुदायत से जिता ही वैचित्र लक्षण का सम्बन्ध लितना अधिक अैचित्र के साथ प्रतीत होता है उतना गुण और अलंकार के साथ नहीं।² यह तो यह है कि जिती काच्य-सदाश पा निर्धारण किया जाता है। अभिनवगुप्त ने लक्षण का विवेचन करते हुए "परमीविलक्षणपते प्रयोजन" द्वारा यह तथ्य उत्पादित किया है कि काच्य में औचित्र का दृश्यन ही सदाश का प्रयोजन है।³ यह काच्य-लक्षण का ही प्रयोजन है कि, कवि-व्यापार के बल में लौकिक वस्तु भी अलौकिक स्वयाव से काच्य-हर में प्रकट होती है। सदाश ही सदार्थमय वाच्य-शरीर है और उसे अलंकारों का अनुग्रहक भी बढ़ा जा गकता है।

"काच्य-सदाश" का मुन्नारायान

माचार्य अभिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र के 'वाच्य-सदाश' को एकान में रखाकर

1. इह अनेन शब्देन, अनाया इतिकालेव्यनपा, अमुना वाचेन, इत्युद्दित्वननाय द्युते, इति कवि, प्रयतंते। ए तथाभून् रसावत् काच्यं विष्वतो। तत्र चित्वद्यात्य त्वक रस सदाशते हठागोचितविभावात् वैचित्रसपादद् विविधोऽभिधाव्यापादः लक्षण शब्देन उच्यते।
2. यथा दीवरत्व स्तनयोर्द्दाश प्रयत्नस्व च कुलदाशं एव किञ्चिदभिगीपयान केनचिद्गैरे रसोचितविभावादिद्वैष तमेव पदार्थक्रम लक्षणे सदाश अन्यथा हुए लक्षण तेन गते अलंकारा गुणाः च तस्मभुदायात् विलक्षणा भवति।
3. एवं कविव्यापारवत्सात् यद्वर्जात् लौकिकात् स्वामावत् विद्ययान तदेव लक्षणप्रियुक्तवत्॥ काच्ये तावल्लक्षण शरीरम्।

चक्रवार पुनरावृत्ति से किया है। उन्होंने लक्षण दो ही शब्दार्थमय वाक्यशीरेर दृष्ट्यर प्रतार को उसकी सीन्दर्भ-वृद्धि का साथत माना है। उनका मत है कि जिस प्रवार पूर्वमूल हार से रमणी विश्वापित होती है, उगी प्रतार चन्द्र आदि पूर्ववृद्धि उपमाओं से रमणी वे मुख आदि का मौद्रिकतिशय प्रतीत होता है। ये तो रमणी पा मुप्र और उमरा उपमान चन्द्र दोनों पूर्ववृद्धि और सीन्दर्भ वाक्यमूर्ति हैं, किन्तु उनकी सीन्दर्भ मूर्ति में भी विविध प्रतीत होती है एवं ऐसा गादृश देखती है जिसके द्वारा व दोनों चर्तुर्वृद्धि परिपत्ति की होकर उपर्मधोपमान भाव के विविध गमनन्य से अभिव्यक्त हो जाती है जिसमें उनके सीन्दर्भ की गवृद्धि होती है। यसकुन वाक्य में बर्णनीय वर्णितावदान आदि की सीन्दर्भवृद्धि का एकगात्र रारण विवि की प्रतीत ही है जिसके द्वारा वह सोनोतर मूर्ति करने में समर्थ होता है। अभिनवगुप्त ने 'विवि व्यापार' को ही 'लक्षण' पह कर उसे एक प्रकार में 'विवि-प्रतीता' के शब्दार्थमय वाक्यभाव में हृष में पिकेचित किया है जिसमें स्पष्ट होता है कि 'लक्षण' द्वारा ही वाक्य-मूर्ति में सीन्दर्भ-वृद्धि होती है और उसी के द्वारा वाक्य के अलवार भी सार्थक बनते हैं। इस विषय में आचार्य अभिनवगुप्त ने उचित ही बहा है कि ये तो पार्थिव व्यवहार में सादृश्य, अभेद, अध्यवगाय और विरोध आदि अनेक प्रकार के सीन्दर्भ सम्बन्ध प्रदर्शित होते हैं, किन्तु अपनी वाह्यस्थाना में उन्हें वाक्यात्मकारों का प्रसरण गौरव प्रदान नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता तो 'विविव वद्य' में उपमा तथा स्वाणुर्वा 'पुरुषो था' में गदेह अनवार हो जाते। यसकुन इस प्रकार के प्रयत्न तो सीन्दर्भ सम्बन्ध मात्र हैं, किन्तु जब इन सीन्दर्भ सम्बन्धों के स्पष्ट में अधिकानभूत विवि-व्यापार का 'लक्षण' प्रतीत होता है तो उसे वाक्यात्मकारन्य की गणित्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार आचार्य अभिनव गुप्त ने 'वाक्यवर्षेषु वाक्यताणेषु गत्सु' द्वारा उस हेतु का निष्पत्ति किया है जो अत्येक असार और भूम में अनुस्पूत है। उनके इगी विचार की प्रतिघटना हमें पर्यावरी आवायी दाग निर्णित 'वैचित्र्ये गति' पद में मिलती है जिसमें अभाव में वाक्यात्मकारों का प्रयोग दिख ही ही नहीं आवता।

नाट्यग्रन्थ के पीराणिक वाक्यात्मा की पाठ्य-विवृति तथा उसमें वर्णित वाक्यात्मकों का जो विवरण किया गया, उगाच और प्रतार के तथ्य उपर्युक्त होते हैं। पहा के लिए तो नाट्यवेद का विमर्श सुध्यत भागतोऽय वाद्यमय की मूल प्रटृप्ति का द्योतक है, किन्तु उगाच वाक्य के औदात्य और आभिज्ञात्व के ऐसे अंतर अमान्य गुण भल्लनिर्दित हैं जिन्ह उपलक्षित कर किश्च-साहित्य का आदर्श निर्वाचित किया जा सकता है। नाट्यग्रन्थ की विशेषताएँ पाठ्य के विवरण में गुणों की विशेषताएँ हैं किन्तु आगुनिक गुण-जीवन के परिवर्ग में पुनरावृत्ति

करने पर काम्य-निराए के दृढ़दिष्ट नवीन पद अन्वेषित किये जा सकते हैं। भाट्टवेद की पौराणिक उत्पत्ति से बिन पन्नह निष्पत्ति का उल्लेख दिया दिया है, वह यदी दिशा में निष्पत्ति एक समु श्रयान् है। इसी प्रकार काम्य-सदागों की काम्यतान्तरणत परिचय भी अपने आप में एक अत्यन्त रचिकर और सौधर्यीय विषय है। काम्य-जाति है अध्येताओं की धड़ जीवन के नवीन बालों की अभिनव रसियों से काम्य-सिन्धु का सम्बन्ध करते हुए ऐसा विवेक-मूर्त उपलब्ध करना है जो पूर्वार्थदित दिरापियों के विषयमें का उपकाम्य कर सके। ऐसा करने पर ही भारतीय काम्य-जाति का वह पद उद्घाटित हो सकता, जिसमें यान्देवता का संस्तव करते हुए उसे त्रिपतिशुतनिष्ठदारित्वा, द्वीरकम्यी, अनन्दपरताना व्यीर तदासहाविता कहा गया है। वस्तुतः नाहुपवेव का हान्य-विषय और पुनराव्याप्त पूर्वसंरेतित मन्त्रम् के थीरपंथ का उपकम्य कर सकता है, पहीं मेरे कथन का मूल मन्त्रम् है और उसी दिशा की ओर अनुग्रहादेश करने की प्रेरणा से ही इस निष्पत्ति की रचना की गई है।

कवि-समय अथवा काव्य-रुद्धियाँ

इवि-समय का अर्थ और उपरोक्तिः

काव्य विवेचना के प्रसंग में कवि-मध्य का निरूपण भी एक आवश्यक विषय है। इवि-समय का सामान्य अर्थ है कवियों का आचार या सिद्धान्त। शास्त्रशास्त्र में इसका एक विशेष अर्थ है जिसका तात्पर्य-बोध कवियों को प्रचलित परम्परा के रूप में किया जा सकता है। कवि-समय की परम्परा अत्यह प्राचीन है जिसका प्रयोग विविध प्रकार की पात्र-वृत्तियों में किया गया है। राजेश्वर ने 'इवि-समय' का स्वरूप-निर्धारण करते हुए लिखा है "अशास्त्रीयमलौकिक च परम्परायात् यमर्थमुपनिवन्नन्ति व्ययं स विममय" अर्थात् अशास्त्रीय और अलौकिक तथा केवल परम्परा-प्रचलित, जिस अर्थ का कविजन उल्लेख करते हैं, वह इवि समय है।¹ इसका अभिप्राय यह है कि लोक और शास्त्र में ऐसी अनेक बातें हैं जो साधारणतया सत्य और वास्तविक नहीं प्रतीत होतीं, विन्तु शाव्यकारों ने उनका परम्परागत प्रयोग किया है जिसके पारण वे काव्यगत रुद्धियों या इवि-पौद्दीकियों बन गई हैं और उन्हें सत्यवत् स्वीकार कर दिया जाता है। उन परम्पराओं में मूल में सम्बन्ध सत्य का भी अर्थ हो, विन्तु गमन इवि-पौद्दीकियों को यथार्थ नहीं माना जा सकता। सभी देशों के काव्यकारों ने अपनी-अपनी सम्बूति के अनुकूल उन परम्पराओं का पालन किया है और वे सत्य न होते हुए भी गम से भी अधिक प्रभावशाली हैं क्योंकि उनका यहां पुछ सम्बन्ध हमारे परम्परागत मस्तानों से है। पौ सो साधारणतया सार और शास्त्र विरद्ध विषयों के बर्णन को एक प्रकार का काव्य-दोष माना जाता है, विन्तु 'इवि-समय' उसका अपवाद है क्योंकि वैसे बर्णनों से यन्त्र बार कवियों का उपकार ही होता है। ही, यह यात् अवश्य है कि 'इवि-समय' के नाम पर स्वैरपादी उच्छृङ्खला का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर काव्य-गम का अपवर्ण भी हो सकता है।

आचार्य राजेश्वर ने इवि-समय को कवियों का केवल उपकार ही नहीं, अपनु काव्य-मार्ग का प्रदर्शक भी माना है। वे उसे किसी भी स्थिति में काव्य-

दोष के हार में स्थीरतर बातें के लिए अनुरूप नहीं हैं। उनका मत है कि 'ग्रामीण विद्वानों ने सहजों आया जाने वेदों का साधारण अवधारण, शास्त्रों का अवधारण देषा देशान्तरों और द्विभाषितरों का परिप्रश्न कर जिन वस्तुओं को देख-मुन और गिरा कर उत्तिक्षिण दिया है, उन वस्तुओं को देख, काल और शारण-भेद होने पर अपना विचारीत हो जाने पर भी उसी श्रावतन और अविकृत हार में बर्णन करना कठिनमत है।'¹ राजेश्वर के मतानुसार 'कविन्समय' का मूल वर्त्य न जानने वाले तुष्ट लोगों ने उस शब्द का प्रयोग कैवल प्रयोग ही देख कर ही प्रतिज्ञित कर दिया है जिसके कारण वह सूक्ष्म हो गया है। उसके प्रयोगों में पुष्ट जाने ऐसी है जो शारण से तो कविसमय के नाम से शक्ति रही है, किन्तु तुष्ट जाने वाले घोड़ों ने राजेश्वर प्रतिस्पर्धा या स्वाधेशाधन के लिए ही प्रसिद्ध कर दी है।² कविन्समय का आदर्श निर्देशन महाकवि कालिदास की रचनाओं के अन्तर्यन द्वारा हृदयंगम निया जा सकता है। उसका जितना विशेष महूल राजेश्वर ने स्त्रीकार किया है, उतना अन्य आलकारियों ने नहीं। और तो और, आवार्य भाषण, उद्मट और दण्डी आदि आलकारियोंने तो कविन्समय के अन्तर्गत शास्त्रादिष्ट की जाने वाली अनेक उकियों को लोकशास्त्रविहृद दोष की खोणी में शाफ्तरात किया है। उनकी युक्तिसंबंध एरीग्राम करने के पश्चात् ही उन्हें मुश्यासु रूपज्ञा जा सकता है।

कविन्समय के प्रकार और जातिगत कविन्समय

आचार्य राजेश्वर ने तीन प्रकार का कविन्समय माना है:— 1. स्वेच्छा, 2. भौप और 3. पातालीय। इन तीनों में भीम कविसमय ही प्रधान है, क्योंकि उसका तेज, अत्यन्त विस्तृत है। भौप कविसमय के चार हृप हैं:— 1. जानि, 2. इच्छा, 3. गुण और 4. क्रिया। शब्दार्थ के चार प्रकार होने के कारण कविन्समय भी चार प्रकार वा होता है, जिनके अर्थों में प्रत्येक के तीन तीन भेद होते हैं:— 1. अस्ति का उल्लेख, 2. सत् का अनुलेख तथा 3. नियम। जो पदार्थ लोक और गम्भीर में देखा या सुना जा गया हो, उसका काल्पन्दनना में उल्लेख करना अस्ति का निवर्थन है। उसके विपरीत वास्तव और लोक में वर्णित पदार्थ का लालेख वा करना मत् का अनिवार्य है तथा शास्त्र और लोक के नियमों से नियन्त्रित एवम् बहुधा व्यवहृत पदार्थ का उल्लेख करना जातकारित नियम है। जातिगत अर्थ में जातात् के निवर्थन के उदाहरण नियमों में कमत और कुमुद आदि का दर्ज, समस्त जलाशयों में हूंस और भास्त्र आदि विद्यों का पर्णन तथा

1. राजेश्वर : काल्पकीर्मासा : प्र० विहार राष्ट्रभाषा परिपद, पटना

2. वही

सभी पर्वतों में, नुवर्ण और रत्न आदि की खानों का चिकित्सा है। मर्दापि नदियों में बमल आदि असत् हैं तथापि विविसमय के अनुसार उनका वर्णन सखिला-प्रवाह के प्रसाग में किया जाता है। इसी प्रवार न तो सभी जलाशयों में हम ही होते हैं और न सभी पर्वतों में नुवर्ण और रत्न आदि, तथापि विद्यों ने इन प्रवार का वर्णन इति-विम्मय-प्रस्तुता वा ही पालन किया है। काव्य वृत्तियों में जातिगत सत् के अनिवार्यता के भी अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। उदाहरणार्थ घनता में मानवी के होने पर भी उसका वर्णन न करना तथा चन्दन के वृक्षों में पुण्य-पत्र तथा अशोक में पत्र होने पर भी उन्हें पुण्यफलविहीन निहित करना बाब्दि। जातिगत नियम के अन्तर्गत ये व्यवहार बातें हैं जो अनेक स्थानों में प्रचलित होने पर भी एक ही स्थान में व्यवहृत किये जाते हैं जैसे मवर आदि वा बैदल रामुद में ही वर्णन करना नवा नागरणी नदी में ही भोजियों की उत्पत्ति घटलाना आदि।

इत्यगत विविसमय के नेत्र

जातिरूप विविसमय की मौति इत्यगत विविसमय के भी तीन प्रवार हैं। बसन् इत्य के उन्नेष्ठ का उदाहरण अन्धकार का मुष्टिग्राहात्म अथवा नूचीमेद्यरूप वर्णन करना एवम् ज्योत्स्ना वा कुम्भावपवाहत्व अर्थात् पठो में भर्य जाना विषित करना है। स्पष्ट है कि न तो अन्धकार मुटूठी में पकड़ा जा सकता है और न चौदानी ही घटों में भरी जा सकती है, फिर भी विद्यों ने विविसमय के अनुसार इस प्रवार के वर्णन किये हैं जो आज भी सहृदयममाज वा चित्तहादन करते हैं। सत् इत्य के अनिवार्यता के प्रमाण में हृष्ण पक्ष में ज्योत्स्ना की विद्यमानता होने पर भी उसका वर्णन न करना तथा मुख्लपक्ष में अन्धकार के होने पर भी उसका अनिवार्यता करना है। नव तो यह है कि प्रत्येक मास के मूक्त वर्ष और हृष्ण पक्ष में चौदानी का रूप तो प्रायः एक मा ही रहता है, पर सोक-व्यवहार की भाँति विविविवहार में भी एक को उज्जवल पक्ष और द्वूतरे को निमिर पक्ष बहा जाना है। यह वर्षन एक प्रवार ने 'विविसमय' वा ही अनुवर्तन है। इत्यगत नियम वा उदाहरण मन्याचर में ही चन्दन की उत्पत्ति तथा हिमालय में ही भूर्जपत्रों का उद्भव वर्णित करना है। ऐसा बरते समय विविसमय इस दृष्टि को और निचितमात्र भी व्याप्त नहीं होती कि चन्दन तथा भूर्जपत्र अन्य स्थानों पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। विविसमय वा पह निम्नान्त विविसमय नवीनं इत्यों में भी घटित होता है। उदाहरणार्थ सीरमसुद तथा कारमसुद को एवता निहित रखते हुए दोनों ही प्रवार के गमुदों में भगवान् दिल्लु वा शमन तथा सद्मी की उत्पत्ति वा वर्णन हरना। खान्दिविना तो यह है कि दीरहमसुद को ही उपर्युक्त दोनों वायों के अधिष्ठान वा थेय प्राप्त है। विन्तु विविसमय ने दीर-

गांगर और धारमगार की एकता निरूपित कर दी है। हाँ प्राचार गांगर तथा महामार में भी ऐसा वा निरूपण कर कवियोंने कवितामय का ही निर्वाह किया है क्योंकि गंगा आदि नदियों वा ताजाएँ सागर से होता है जबकि कवि एवं अपनी कविताएँ अथवा कवितामय-चुदाति का शास्त्र परते हृषे सागर के द्वापर ताजे तमुदों परी एकता वा भी वर्णन कर रहे हैं।

कियात कवितामयों के हृषे

हृषे में क्रियाएँ होतीं के भी लोक प्रशंसन कवितामय में वर्णित हैं। असहृषु कियात निरन्देश वा सम्बन्ध क्रियाएँ अपेक्ष्य करता है। कवितामय की सुदीर्घे परमाणु में राशिकात्मे चक्रवाक्निपुन का जलाशय के भिन्न-भिन्न तटों पर एवं दृष्टिकोण में रहना तथा चक्रों परी का ज्योत्स्नायात्रा करना ही ही प्रकार के निरन्देश का प्रमाण है। आदहारिक इष्टि के चक्रवाक्निपुन की दियोग-शिया और चक्रोरियों ही उन्निकापानशिया असहृषु है तथापि कवितामय के अनुसार हृषे प्रशंसन करना अनिवार्य है। क्रियाएँ अर्थ से सहृषु का अनिवार्यनाश भी अस्यत्वं प्रतिष्ठित है। उदाहरणात्मक दिन में नीलोत्सव (नीलनमस्त) का विकास न होना तथा रात्रि में जोकालिवा के पुणों का शावा से गिरना आदि वर्णन याकियत किये जा सकते हैं किनमें कवितामय निरूपित सिद्धान्त का ही अर्थन मारू दूधा है। क्रियात क्रियम के अन्तर्गत ग्रीष्म और वर्षा काल में भी हीने जाने वाली क्रियान्वयन का देवल धरन में ही वर्णन करना तथा समस्त शतुभ्रों में हीने जाने पश्च॑-नृत्य एवं देवी-छवियों को केवल वर्णात् निरूपित करना 'निरूप' के अन्तर्गत विषय है। अभिप्राय यह है कि कवितामय के अन्तर्गत जागित, द्रव्यगत और क्रियात होती के नील-दीन भेद होने से उनके नील हृषे बन जाने हैं।

गुणवत् कवितामय का विवेषण

राक्षोधर में गुणवत् कवितामय की स्वापना करते हृषे लिखा है कि 'असहृषु अर्थात् नीलमें अविद्यामान गुणों का निवापन करना, 'कवितामय' के अनुसार है'^१ इसका स्पष्टीकरण करते हृषे यह कहा जा सकता है कि भीतिह पदार्थों में दो शुक्तत्व, नीलत्व और पीतल आदि गुण होते हैं, किन्तु अमूर्त भावों में वे नहीं होते तथापि कवियों ने यह और हास्य विषयों का भी रूप-वर्णन करते हृषे उन्हें स्वेत यज्ञ के हृषे में विवेचित किया है जो कवितामय की परम्परा के ही अनुष्ठृप्त है। अप्राप्त और पाप आदि का वर्णन हृषेराह वे करना तथा ओध

और अनुराग आदि का वर्णन रखने वर्ण के रूप में बताना विश्व-समय का ही परि पालन है, क्योंकि इन पदार्थों की भावात्मक सत्ता होने के पारण बेबल उनकी अनुभूति ही की जा सकती है। विद्या को वृत्तिया में दग्ध की घबलता और हास्य की गुबलता के अनव उद्घाहरण उपलब्ध हैं। पाप और अयश की वासिमा समय व्रोध और अनुराग की वासिमा वा वर्णन बरते हुए विद्यों ने अनेक प्रकार के वर्णना चिन्ह-अवित्त स्थिर हैं। विद्यसमय के इस गुणविधान में एक बात उल्लेखनीय है और वह यह है कि यद्यपि समार म बुद्धिमत्तिया और वासियों के दोनों कारणवर्णन बमल विद्या का हरित वर्ण एवम् प्रियगु पुण्यों का पीतवर्ण प्रसिद्ध है, तथापि विद्या न इवि समय की प्रसिद्धि के अनुसार उनका वर्णन श्वेत और श्याम वर्ण के रूप में दिया है। इससे स्पष्ट है कि लोक में विद्यमान गुणों का अनिवन्धन विद्यसमय के अनुसार वर्णित होता है। यह भी देखा जाता है कि साधारणतः विश्व-रचना म र्माणविषय का रग लाल, पुण्या का श्वेत तथा मेष्ठो का वृष्ण वर्ण वर्णित बरते की परम्परा बेबल गुण-नियमा के अनुबूति है यद्यपि पुण्यों के अनव वर्ण होते हैं तथापि स्मिति के उपमान के रूप में पुण्यों के चिन्ह में उनका वेबल श्वेत रग ही उल्लिखित होता है। वृष्ण और नील, वृष्ण और हरित, वृष्ण और श्याम, रोत और रक्त तथा शुबल आर गोर रगों का समान रूप से वर्णन करना भी 'विद्यसमय' ही है। इसी प्रकार गिभित आदि वर्णों में भी एकता समझनी चाहिए। विद्या द्वारा आँखों वा भी श्वेत, श्याम, वृष्ण और मिथ्य आदि विविध वर्णों में वर्णन किया गया है जो विद्यसमय के ही अनुरूप है। राजगोचर ने विद्यसमय के अनुसार गुण वर्णन करने के अनेकविध उदाहरण प्रस्तुत दिये हैं, जिनम न बेबल उक्ति बमत्वार और आलहारिक उत्तर्य ही है, अपितु विविध विद्या और पदार्थों के गुण-वर्णन द्वारा उनकी वर्णाविन संगति भी सिद्ध बरत की जेष्ठा भी गई है। महाराज भाज की राजसभा में एक समस्या की पूर्ति बरत हुए एवं विश्व महादय का इस प्रयोजन से अपना मानसिक विपाद व्यक्त बरता पड़ा था कि उही महाराज भाज की यश-घबनिमा उनकी प्रिया की जलवावनी का भी घबनित न बना दे। वाय्य-रचनाओं में इस प्रकार को वाय्यदाय्यपरव और चाह चमन्वतिपूर्ण चमच्य रचनाएँ मिल सकती हैं।

श्वर्यं तथा पातालोय विश्व समय

विश्वभूमय-परम्परा में श्वर्यं और पातालोय विश्वसमय वर्णन की भी पढ़ति रही है, जिसका परिपाता बरते हुए विद्यों ने अपनी रचनाओं को इच्छ-हर और रमणीय बनाया है। उदाहरणार्थं चन्द्रमा में श्वर्य और मृग को विस्तै देखा है, किन्तु विद्या ने आरपित गुद्धना के गाय उनका काल्पयत वर्णन दिया है। इसी प्रकार वामदेव के एवं चित्र चित्र को उही मरत तथा उही मत्स्य रूप में चित्रित किया गया है जो उचित नहीं है, क्योंकि तावतः मत्स्य और मरत का

ऐसे समझ कर ही उनका पर्यावरण करना उचित होता है। कवियों का कार्यशाला है कि वे प्राकृतिकता के बर्षेन के समय इस बात का ध्यान रखें हि पुराणों में खदूषा ही उपस्थिति कही अथि एवं ऐसे देव रो परिचय हुई है और वही समुद्र-भयन की देवा में समुद्र है। ऐसी विचारिता में कवियों के लिए उचित है कि वे उनके पर्यावरण-प्रयोग को पृथक्-पृथक् न गमयें। यह भी एक कविसमय था ही प्रताप है कि बहुताहमेव पद्मपाम भवयन्त शंखर के महात्म पर बाल-रूप में ही विजय किया जाता है। कवियों ने न वेदन अनेक (कामदेव) का बर्षेन मूर्तीरूप में ही किया है अपितु ये अमूर्ते काम वा वर्षेन करने में भी हतहत्य हुए हैं। सूर्यशतककार मध्येर कवि का फल है कि यो सो तुराणों में द्वादश शूणों की प्रबढ़ता का वर्णन किया गया है, किन्तु कवि-रचनाओं में उन्हें एक ही समझना चाहिए। इसी प्रकार नारायण और यापद्रव का ऐस्य विभेद उही प्रकार कविसमय के अनुरूप है, यिस प्रकार कवयना और सम्पदा भी एकता का बर्षेन। कवि-समय में विचित्र इन व्याघ्र-विषयों को एकता के अतिरिक्त प्रातासीय कविसमयों का परिपालन भी कवियों भी गृहिणों में विद्यमान है। उदाहरणार्थं पाताल निवासी नाग और सर्प दोनों शिल्प-धिल्प जाति के हैं, यदोकि देव की नामराज तथा दामुकि को मार्णगाव बहा जाता है, किन्तु कवि-रचना के अनुरोध से प्राचीन कवियों ने दोनों का बर्षेन एक ही हप में किया है। इसी प्रकार देव, दानव और दागुर ये तीनों शिल्प-धिल्प जाति के हैं, किन्तु महाकवि दाष्टभट्ट ने काढ़-व्याघ्री के मंगलाकाश में तीनों का बर्षेन एक ही हप में किया है। उसके सभी देवों और दानवों को अगुर बहुता लवित नहीं है, यदोकि हिरण्यादा, हिरण्य-रमितु, प्रह्लाद, विरोधन, दली और वाण आदि देव हैं। विश्वचिति, शंखर, नदुर्विष और पुनोम आदि दानव हैं तथा बल, धूर एवं कृष्णवर्ण आदि असुर हैं। कवियों ने उनके मूल अंदर रह ध्यान रखे विना उनका जो शाल्यगत दर्शन किया है, वह केवल कविसमय के अभ्युक्त है। सारांश यह है कि राजनीतर ने कवि-समय जौर सहजरूपे विषय का दृष्टान्त भर निश्चय ही एक महत्वपूर्व कार्य किया है, यदोकि इस विषय की ओर या तो जन्य आवायों का ध्यान ही नहीं गया था या उन्होंने इसका महाव ही न समझ कर इसको उपेक्षा कर दी थी। राजनीतर ने इस विषय की महत्वा समझा कर उसे बाध्य-भुक्त नहीं रखा अपितु पुनः बाध्यन कर दिया।

उपसंहार

गूर्दं परिच्छेदों में कविसमय अथवा काष्ठ-हवियों का जो विवेचन किया गया, वह मुख्यतः हमारे भारतीय काष्ठ-नाहिय की असामाजिक परम्पराओं से सम्बन्धित है। उसके अतिरिक्त विश्व-शाहित्य के विशिष्ट हारों में भी इसी प्रकार का कविसमय निश्चित है जिसे अप्रेज़ी में 'पोइटिक कल्यानात' के हप में व्याख्यात

किया गया है। इन कवि-समयों का एक महत्वपूर्ण बाधार उनका सांस्कृतिक घटातल है। आज जब विश्वजीवन के बालोक में विश्व-समृद्धि और विश्व-दर्शन के समन्वय की चेष्टा की जा रही है तो बाड़मय के मधुरतम ह्या काव्य-साहित्य के डास्त में प्रवाहित कवि-समयों की मूल चेतना का अध्ययन और अनुशीलन करते हुए उसे मानव-भूत के सामान्य घरातल पर विवेचित करना क्या कम सृहणीय अथवा न्यून हचिवर होगा? काव्य के भृष्टेताओं को इस दिनों की ओर ध्यान देते हुए कवि-समयों के महासागर से समृद्धिवसूत रत्न-कणों के अनु-संशान वा अवस्थमेव प्रयत्न करना चाहिए।

काव्य-सर्जना में प्रतिभा का महत्व

'प्रतिभा' काव्य-विद्या के प्राचुरण की धारा है। आचार्यों ने काव्य-हेतुओं का विवेचन करते हुए उन सर्वोत्तम महत्व प्रदान की है। संस्कृत काव्य-शास्त्र में ही उग्रका गुण-वर्णन का विवरण दिया गया है। यों तो काव्य-वर्णना के हेतुनामों में ध्युतिभाव और अभ्यास की भी घोषणा शीरक शब्द था है किन्तु 'प्रतिभा' के सम्मुप वे भी नहीं आते हैं। इसका कारण यह है कि प्रतिभा काव्य-वर्णना की मूल शक्ति एवं बोलभाषा है, जिससे अभाव में घोषणा की कलाता भी ही नहीं जा सकती। काव्य के मत्य हेतुओं का सापेक्षिक महत्व होने वाले भी ऐसे प्रतिभा की भी चर्चामें देखा नहीं शामा कर सकते, यह एक सुनिश्चित पारणा है।

प्रतिभा का स्वरूप-विवेचन

संस्कृत काव्य-शास्त्र के प्राचीन आचार्यों ने प्रतिभा के स्वरूप-विवेचन और महत्व का प्रतिशोधन किया है। युहोवर ने काव्यनीतशास्त्र के अन्तर्गत प्रतिभा की वरिशापात्र करने हुए उसे "वा शब्दावसर्वभाव्यशर्वभासामुक्तिमाण-वस्त्रददि तथा विषयभिन्नददि प्रतिभासाहपि वा प्रतिभा" कहा है तो अभिव्यक्तुणा ने 'अपूर्ववस्तुनिर्वाचकादामा प्रज्ञा' की प्रतिभा का स्वरूप-नक्षत्र विस्तृत कर उनकी आठांगा 'वर्णनीयवस्तुविषयमनुत्तरोन्नेत्रवाचावित्वं' के रूप में की है। अभ्यास के अनुसार कवित्वकी द्रष्टव्य एक 'मन्त्रवाचविषेप एविनि' का नाम प्रतिभा है तो मन्त्रवाची के मत से 'नवनवोन्मेषणनिनी प्रज्ञा' की ही प्रतिभा कहा जा सकता है। बाष्पाद ने कल्पित की दस सर्वतोमुखी दुष्टि की प्रतिभा माना है जो 'प्रसन्नपदनव्याप्त-पुत्रस्तुद्वौषधिद्विष्टिनी' हैं जिसे के कारण अपनी सर्वात्र प्रस्तुत करती है। इस विषय में पंदितहराज जगन्नाथ अचार्या मौलिक अभिभव रखते हैं। उनके अनुसार 'काव्यपदनामुक्तलशब्दायोन्त्रिविति' की ही प्रतिभा की विभाष प्रदान की जा सकती है। आचार्यों के उपर्युक्त प्रतिभा-विषयक विचारों से यह निष्कर्ष लियलड़ा है कि कवि के विष्ट प्रतिभाशास्त्री होना अविवाप्त है आवश्यक है, बयोंकि प्रतिभा के अभाव में संक्षार्य का प्रस्तुत हो ही नहीं सकता। प्रतिभा में बल भी ही अभाव में संक्षार्य का प्रस्तुत हो ही नहीं सकता। प्रतिभा में बल भी ही अभाव में सूतन बलनाओं का उद्दोष और सौन्दर्यानुभूति की भावता उत्तम कवियों में नूतन बलनाओं का उद्दोष और

होती है। यदि मतवियों में प्रतिभा का जागरण न हो तो वे नवरसरचिर वाच्य का निर्माण नहीं सकते। प्रतिभा वे वारण ही विस्तार वे प्रजापाति कह जाते हैं और अचेतन पदार्थों में भी चेतना का सचार कर उनकी यथेचलाकूर्बंद स्पष्ट-रजनेना वर लेते हैं। काव्यान्वितयों ने वाच्य की अन्धर्यना में जो कुछ अनिश्चयान्वितपूर्ण मस्तक प्रस्तुत किया है, उसका बोझभूत आधार वियों का प्रतिभा-रौगन ही है। बस्तुत वाच्यवार एक ऐसा अद्भुत शब्द शिल्पी है जो प्रतिभा द्वारा अपना वाचिकारा प्रदर्शित करता हुआ जड़वन् पदार्थों में भी चेतना का अपूर्व मन निष्पक्षित वर उन्हें शब्दद्रव्यहृषि का दर्याय बना देता है। समार की अभद्र और गहिन बस्तुएँ भी विप्रतिभा का मरीग प्राप्त वर चमत्कृत मणि गत्वा की बाति धारण वर लेती हैं। यदि ऐसा न होता तो वरण, वीमन और भयानक आदि रण भना साकोत्तर आनंद की गिर्पति नैरो बरा सकते थे ? बस्तुत प्रतिभा के आधार पर ही विप्र का अहू आत्मप्रसार करता हुआ विश्वात्मतत्व के रूप में विगतित हो जाता है।

क्या प्रतिभा' ही वाच्य संबंध का एकमात्र मूल हेतु है ?

वाच्य-रजना का हेतु वेन्नल प्रतिभा को ही स्वीकार किया जाय अथवा प्रतिभा, व्युत्पति और अभ्यास के ममीहन स्वरूप क्यों ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर जाचार्यों न भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से अपना विवेचन प्रस्तुत किया है। कुछ जाचार्यों ने 'रावें पदा हस्तिपदे निमग्न' के अनुगार प्रतिभा का ही अगी रूप म माच्यदा प्रदान वर वन्य उपगरणों का उसके अग्रहण में निरपित किया है तो वित्तिय जाचार्य इन गवकी पृथक पृथक सत्ता मानते हैं। हमारे अनुगार वाच्य गर्जना का भीगित हेतु तो प्रतिभा तत्त्व ही है जो राजा के समान अपना शीर्षस्थान रखता है तथा व्युत्पत्ति और अभ्यासादि उपादान 'राजप्रियार' के समान उनके सहयोगी या शोभाधारक अग बनते हैं। जिस प्रकार जड़चेतन का मधानस्तरण हमारा व्यक्तित्व भीतिय और आनिक चेतनामा का नन्मित्रण है, जिसकी जड़चेतना और धात्मचेतना दो पृथक पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार वाच्य-रजना वे अद्यह स्वरूप में प्रतिभा आदि तत्त्वों का गयानन ऐसी अद्भुत रामायनिक प्रक्रिया में होता है जि उनकी भल्य-परीक्षा करना न तो समुचित ही है और न समावित ही। साहित्य के समन्वयात्मक स्वरूप वो भीति उसमें भी प्रतिभा आदि तत्त्वों का सम्मिलन रहता है, जिसमें जिसी भी प्रकार के साहित्य की कम्यना नहीं को जा सकती। अपने पथन की पुष्टि के लिए हम कुछ प्रमुख जाचार्यों के दिचार का प्रस्तुतीवरण आवश्यक समझते हैं, जिसमें इस विषय का स्पष्टीकरण हो रहे पि वाच्य-हेतुभा के रूप म प्रतिभा तथा उमर गहर्योगी उपादान बोन-बोत से हैं और उनकी सांस्कृति महत्ता का निरपण किया प्रकार किया जा सकता है ?

रिक्ति भाषणों के प्रतिपादन

रिक्ति के इस प्रयोग में उदाहरण गवेशन भाषण भाषण भाषण की ओर आया है जिन्होंने शास्त्र-वर्णना के लिए अध्यात्म हेतुओं का उनोंपर करते हुए भी एहु तथा अधीकार दिया है कि काव्य-वर्णना की धारणा किसी प्रतिपादन स्थिति में ही ही ही है। उन्होंने गवेशन, शास्त्रविद्यागत एवं दर्शन विवरण-वर्णन द्वाये घुटनिः तथा 'काव्यः शास्त्रविद्यादृ' द्वारा कव्याग की ओर भी उन्नेत्र दिया है, जिन्हुंने उन्होंने दृष्टि में वक्ति-प्रतिभा की गतिमा सर्वोच्ची है।¹ भाषण के प्रत्यक्षी भाषण एवं उन्होंने भाषण की भालि वक्ति-प्रतिभा का एकात्म सम्बन्ध न पर तीनों के समुदाय स्थान में ही काव्य-वर्णना का हेतु अनुभूति दिया है। उन्हांना पाया है कि यदि किसी शास्त्रार्थ में 'पूर्वांगवायुशानुवायी प्रतिभा' व भी हो, कोई भी वह अपनी घुटनिः और अन्याग द्वारा दीपी की जायाना पराया हुआ भाषणी-भाषण हा अनुदृष्ट ग्राहन कर सकता है² आचार्य वामन ने भोड़, विद्या और प्रसीर्ण नामक तीन चरोंमें गवेशन का व्यापों को विवरन कर, प्रयोग में सोहृद्युत्स-जाति, द्वितीय में गवेशन शास्त्र-वर्णन तथा तृतीय में सामाजिक, अधिष्ठोग, वृद्ध-सेषा, गवेशन प्रतिभान और अवधान नामक उह तीव्रों का उल्लेख करते हुए 'अधिष्ठोग' अवधान शास्त्र-वर्णन के उपर को 'वक्तिकृपार्थकारी' मानता है। उन्हांना गत है कि वृद्ध-सेषा वे रखियाँ में काव्य-विषयपक्ष वर्णनान्ति होती हैं, जो अपेक्षा से परों में स्वैर्यं तथा सुरक्षारी वीर विदि विलती हैं। अवधान द्वारा चित्त नुतन छर्चों के बोध में समर्पण होता है। वामन ने इन गवेशन काव्यगत सार्थकिक महत्व अवश्य सीनार दिया है, जिन्होंने वे भी इस तथ्य वीर अपहृता गहीं कर सके हैं कि काव्य-वादप के प्रतीक्षण के निए प्रतिभा ही वास्तविक बीज है। आचार्य द्वारा नें इसी प्रिय को मुठ दिल स्थान में विकेचित्रा दिया है। उन्होंने सहजा और उपेहा नाम से प्रतिभा के दो प्रकार विद्यारित कर अन्यान्य गहना प्रतिभा को ही अपेक्षा अत्यरिक्त है, उन्होंने अन्यान्य गहना प्रतिभा के परिष्कार और साक्षात् के लिए समुचित उपायों की अपेक्षा अत्यरिक्त है, उन्होंने प्रकार सहजा प्रतिभा के परिष्कार और साक्षात् के लिए गवेशन और घुटनिः भी शाफ्तीय है।³ इस विषय में आचार्य आवादवर्णन का कथन है कि यदि कवि

1. भाषण : काव्यान्तर्कार 1/15

2. वक्ति : काव्यवस्थां 1/104

3. चाष्ट : काव्यान्तर्कार 1/16

4. वही 1/14

मे प्रतिभा विद्यमान है तो वह गुरातन और परमारावण्डिन विषयों मे भी नवन-दोन्मेष दर समान है। उन्होंने व्युत्पत्ति की अपेक्षा शक्ति को महत्व देने हुए एक प्रशार से प्रतिभा की ही सम्मुति की है, और बतलाया है कि शक्ति के द्वारा अव्युत्पत्तिजन्म दोषों का भी निराकरण किया जा सकता है।

प्रतिभा के इष प्रकार

बाल्यमीमांसाचार राजशेष्यर न वारधित्री और सावधित्री के अभिधान से प्रतिभा के दो रूप माने हैं। वारधित्री प्रतिभा का सम्बन्ध विवि की बाल्य-निर्माण शक्ति से है तो भावधित्री प्रतिभा का सम्बन्ध भावव अथवा सहृदय की उद्भावन-शक्ति से। राजशेष्यर ने उन दोनों प्रकार की प्रतिभाओं की महत्ता और उपर्योगिता पर बत दिया है। उन्होंने प्रथम प्रकार वो प्रतिभा को नवि की उपक्रमी तथा द्वितीय प्रकार की प्रतिभा का विवि के थमाभिप्राय की उद्भाविका वहा है जिसमें वारण नवि का व्यापार-तर सफल बनता है। दोनों प्रकार वो प्रतिभाओं मे विष-प्रता के तत्त्व अतिविहित हैं। सच तो यह है कि प्रश्ना के माध्यम से ही प्रतिभा का परिचय प्राप्त होता है। राजशेष्यर ने बुद्धि के तीन रूप (स्मृति, मनि, प्रज्ञा) किंदिष्ट कर अतीत विषय का स्वरूप दर्शन वाली बुद्धि को 'स्मृति', वर्तमान का वोष वराने वाली बुद्धि को 'मनि' तथा बनागत का भान वराने 'प्रज्ञा' कहा है। बुद्धि के इन तीनों रूपों मे शक्ति भूत, वर्तमान और भविष्य के उद्वोषन की शक्ति विद्यमान है। यही एक यात स्मरण रखने योग्य है और यह पट है कि राजशेष्यर ने तो प्रज्ञा का सम्बन्ध वेवल बनागत युग से ही जोड़ा है, जितु वान्य प्रशार के टीकाकार थी विद्यापर चक्रदर्शी ने उसे 'वैरातिवी' कहा है जिसका अभिप्राय यह है कि स्मृति का सम्बन्ध अतीत से, यति ना अनागत से, युद्धि का वर्तमान से और प्रज्ञा का तीनों कालों से है। आचार्य विद्याधर ने शास्त्र और बाल्य की याणी के दो श्रीदार्शन भाववर शास्त्र मे प्रज्ञा का बनाय स्वीकार किया है तथा बाल्य मे प्रतिभा का गचरण। इम विवेचन से यही निष्पर्य निमत्तता है कि भारतीय आचार्यों द्वारा प्रतिभा के विभाल साम्भाल्य मे प्रज्ञा की अनुप्रेष्णा स्वीकृत है और इन दोनों का मणिशावन-संयोग पावर ही कोई भी विकार अपनी वृत्ति मे गफल हो सकता है।

'प्रतिभा', 'शक्ति' और व्युत्पत्ति का सम्बन्ध

राजशेष्यर ने उन्हीं विवियों को घेयस्वर माना है जो प्रतिभा और व्युत्पत्ति के गुणों से भमनित हों। उन गुणों के आधार पर उन्होंने विवियों के बमन- 'बाल्य-नवि' और 'शास्त्रविवि' नामक दो भेद बित्ते हैं और लिया है कि इन दोनों मे बोइ भी विवि इमी अन्य म हीनतर नहीं है। एक विशेष बान यह है कि राजशेष्यर ने अधिकार आचार्यों की भाँति 'प्रतिभा' और 'शक्ति' को अभिन्न

इस में इह न कर दोनों में अवैतर अप्य-भेद माना है। उनके मतानुगार 'सा साक्षिः वेषम् वायटेतुः' अर्यात् सक्षिः ही वाय में एकमात्र हेतु है। उन्होंने 'मन वी एकाप्ता' वी समाप्ति संक्षा में अभिहित कर उसे वाय-नार्जिला का बान्धिक प्रयत्न और 'अम्यान' वी वाट्य प्रयत्न पहा है। इन दोनों प्रयत्नों का प्रयोग्यन 'शक्ति' वी उद्भवित करना है। उन्हा मत है कि प्रतिभा और घुणात्मा द्वारा पवित्र-नविना पा प्रसार होता है। एक प्रकार से शक्तिमान कवि ही प्रतिभामध्यन प्रोत्त और मुलान पहा जा माना है। अभिदाय पह है कि राजेष्वर के मतानुगार प्रतिभा की अपेक्षा ही 'शक्ति' शब्द अधिक व्यापक है, यद्यपि औरतात्मिक दृष्टि से उन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। उन्होंने प्रतिभा के दो रूप (कारपिती और भावपिती) मान कर वारपिती के गहरा, आचार्या और औपदेशिकी संज्ञक तीन प्रकार माने हैं और बननाया है कि राहजा प्रतिभा पूर्व-सत्त्वार-काल कवि का ऐहिक जीवन होता है। राजेष्वर के विवेचन के सत्त्वार-काल कवि का प्रतिभा इसी जन्म के संस्कारों में उद्भुद होती है। उनके मत से औपदेशिकी प्रतिभा की उत्पत्ति के सद्भाव में मंगल और प्रयामदेव नामक विदानों के प्रतिभा-विषयक मतों का उल्लेख कर यन्माया है कि प्रतिभा और घुणात्मा के विषय में आचार्य मध्यन वा दृष्टिकोण आचार्य आनन्दवद्वंन से सर्वथा विपरीत है क्योंकि वे 'प्रतिभा' की अपेक्षा 'घुणात्मा' को ही वाय वा मूल वारण मानते थे। वह नहीं मानते कि आचार्य मंगल ने किस काल में कौन-सा काव्यशास्त्रीय रूप लिया। ही, राजेष्वर द्वारा उद्भूत किये गये उनके मत से इतना अनुमान अवश्य होता है कि वे निश्चय ही कोई बजातवृत्त आचार्य में जिन्होंने परमपरायत प्रवृत्ति का अनुगमन न कर स्वतंत्र रीति से वाय-समोक्षण किया था।

प्रतिभा के आचार पर कवियों के भेद

राजेष्वर ने महजा, आहार्या और औपदेशिकी संज्ञक तीन प्रकार की कारपिती प्रतिभाओं के वायार पर भी कवियों के अमग्नः तीन प्रकार (सारस्वत आम्यासिक और जीवदेशिक) माने हैं। सारस्वत कवि सहज मुदिमान होने के साय-साय जन्मान्तरीय संस्कारों से प्रेरित 'सुरमवतीक' होता है। आम्यासिक कवि की भारती शास्त्राम्याग द्वारा उद्भासित होती है। औपदेशिक कवि का काव्य-प्रस्तुतण मन्त्रोपदेश आदि अनुष्ठानो द्वारा किया जा मानता है। आचार्यों का मत है कि सारस्वतः और आम्यासिक कवियों की वायों द्राक्षा आदि की भौति प्रकृतिमधुरा होती है जिसके लिए तंत्रमंत्रादिपाणित संस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं होती। राजेष्वर के विचारानुसार यदि पूर्वोक्त दोनों प्रकार के कवि अन्य अनुष्ठान भी करें तो 'वधिकस्य अधिक फलम्' की भाँति विशेष

कामादन्वित भी हो सकते हैं, ज्योरि अनेक बार सहज बुद्धिमत्ता भी कमज़ोर हो और दौरी प्रक्रिया से और अधिक प्रोटोटाप्टिक हो जाती है। इन तीन प्रकार के विविधों में 'सारस्यत' कवि ही सर्वथेष्ठ है। उच्चवी रचना सर्वपा पूर्ण और स्वतंत्र होती है जबकि वास्तविक कवि वा निर्माण सीमित भी हो सकता है औपरोंगित कवि वो रचना मुन्दर होने हुए भी कभी-नभी सार्वजनिक हो जाती है। विद्वानों का जन है कि यो तो वाक्य-रचना बरने वाले कवि अनेक प्रकार के होते हैं, ऐन्तु नमस्त वाक्य विद्यारोगे में निष्णात, बुद्धिमान, इताभ्यास, मत्रानुलाभनिष्ठ और दैदी शब्दितमप्तन विविक्त ही होते हैं। बन्नुत ऐसे विविधों वो ही 'विद्याराज पद' में जन्म हुत दिया जा सकता है। वाचायोंने वाक्य-याक्रिया के प्रकार वो दृष्टि में भी विज्ञोटियों वा विचार विद्या है जिसके बनुनार कुछ विविधों का स्तोत्र उनके निजी वाप पर्यन्त ही व्याख्या होता है तथा कनिष्ठ विविधों का मुहूरदयनीयियों पर्यन्त। ऐसे कवि नो बहुत बड़े होते हैं जिनकी रचना भी प्रकार के सहृदयों को वाणों पर नतंन झरती हुई चले ग्रन्थरता और अमरता प्रदान बरती है। इस विषय में एक विद्वान का विवर है —

एवरय तिष्ठति नवेष्ठह एव वाक्य-
मन्यस्य गच्छति युहुद्भवनानि यावत् ।
मन्यविदिग्न्यवदनेषु पदाविशश्वत्
वस्यापि यन्वर्ति विश्वकूरुहलोव ॥

मुत्पत्ति और प्रतिभा पारस्परिक स्थृत्योगी हेतु हैं

यो तो विद्वानों ने प्रतिभा वो ही वाक्य संजना वा भूल हेतु माता है, ऐन्तु व्युत्पत्ति का महत्योग भी अतेक स्वतों पर अपेक्षित और बाढ़नीय होता है। वाक्य वृत्तियों के परिशेष और वाक्यग्रास्त्रीय प्रयोगों के लग्घयन से स्पष्ट है कि उन्हीं प्रतिभा और व्युत्पत्ति वा नुसनामन सामग्र विवेचित निया जाता है, कहीं प्रतिभा का पश्च अधिक प्रबन्ध और पुष्ट गिर होता है। अनेक बार कवियों भी प्रतिभा उनके व्युत्पत्तिविद्य ज्ञान को आदृत बर उनकी दुर्बलताओं को खोग यना होती है तो कभी-नभी वाक्यग्रन व्युत्पत्ति द्वारा उनकी प्रतिभावन्य ग्रन्थरता वो नवीन आणोरन्तामिन जाता है। जिनी भी वाक्य-हृति में प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अग्रों वा अनुपात दिस हृप में समाहित है, इसका अन्वेषण बरता तत्त्वाभिनिवेदी ममाक्षोवका के लिए महत्र मुलभ है। एवं विद्वान ने तो मन्त्र-शब्दिन के लाभाणिक अर्थ वो ही 'प्रतिभा' के नाम में अभिहित दिया है। बहुत कवि का प्रतिभा-प्राप्तर्थ्य तो व्युत्पत्ति की समता में अधिकवरेष्य है ही, यद्यपि मात्र आदि प्राचीन वाचायोंने व्युत्पत्ति को प्रतिभा की अरेशा देशी भी बहा

है। हमें यहीं इस विवाद में पड़ने से कोई साख प्रतीत नहीं होता कि उन दोनों में किसको प्रमुखता प्रदान की जाए। हमारे कदम का तो मूल मंतव्य इदना ही है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों ही काव्य के आवश्यक हेतु हैं और दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर परस्पर सहयोगी ही हैं। व्युत्पत्ति के बल पर कवि अपने अशक्तिहृत दोनों को पृच्छन एवं दिलाप्त कर देता है तो प्रतिभा के बल से व्युत्पत्ति-जन्य काव्य की किलणता और शास्त्र-की दुर्बंहता को काव्यसंवेदना प्रदान की जा सकती है। इस विषय में आचार्य राजेशेष्वर का यह निषेध हमें सर्वेषा भुमान्य प्रतीति होता है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों ही अबने मयूरन स्वरूप में काव्य-रचना की उपकर्ता होती हैं। सौकिक उदाहरण द्वारा दोनों का अन्योन्याभित भाव इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि जिस प्रकार लावण्य के अभाव में रूपसम्पदा शोभनीय नहीं होती और रूप के दिना लावण्य में उल्कर्ण नहीं आता, उसी प्रकार प्रतिभा के अभाव में व्युत्पत्ति और व्युत्पत्ति के बिना प्रतिभा में सर्वीयता नहीं आती। काव्य-मौन्दर्य की पूर्णता के लिए दोनों का सामेश्वक महत्व है। धेष्ठ कवियों की कृतियों में व्युत्पत्ति और प्रतिभा का माणिकावन योग होता है।

पंडितराज के भटानुसार प्रतिभा का लक्षण

पंडितराज जगन्नाथ ने प्रतिभा का लक्षण निर्धारित करने में काव्य-रिमाण के व्यावहारिक पक्ष को विशेषतः ध्यान में रखा है। उनका प्रतिभालक्षण काव्य-लक्षण के क्रोड में क्रीडा करता हुआ सा प्रतीत होता है। रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द को काव्य कहकर उन्होंने 'काव्यघटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति' को प्रतिभा कहा है, जिससे यह निष्पर्ण निकलता है कि काव्य को रचना के समय उसकी घटना के अनुरूप शब्दों और अर्थों की योजना पर विशेष व्यग दिया जाना चाहिए। पंडितराज के भटानुसार काव्याह्याद के लिए अर्थ की रमणीयता नितान्त वाँछनीय है और वह रमणीयता तभी संघटित हो सकती है जब उसके उपयुक्त 'प्रतिपादक' शब्दों का प्रयोग किया जाय। इस प्रकार का शब्द-प्रयोग केवल दही कर सकता है जिसकी प्रज्ञा में घटनानुकूल शब्द-योजना की स्फूर्ति हो। वस्तुतः काव्य का स्वरूप शब्दमूर्तिधर विषय के समान अनत और व्यापक है अतः अनुकूल शब्द योजना करने के काव्य में कवि का दायित्व कितना अधिक बढ़ जाता है, इसके विवेचन की को कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। सच तो यह है कि पंडितराज ने काव्य-लक्षण में शब्द का पक्ष प्रधान माना है, जिसके विशाल क्षेत्र में दाचक शब्द के साथ-साथ लक्षक और व्यजक शब्द भी समाविष्ट हो जाते हैं। प्रतिभासम्बल कवि ही शब्दों की प्राणशक्ति से सुपरिचित होने के कारण उनका समुचित प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं क्योंकि अपनी

वाद्य-साधना के द्वारा उन्हें अलौकिक शब्द सिद्धि प्राप्त होती है। थोस्वामी तुमसीदाम जी ने 'कविहृ अरथ आखर बन सौचा' का तथ्य निरूपित करते हुए इसी तत्व की ओर सरेत लिया है। कवि नी प्रतिभा में एवं प्रवार की ऐसी सून बूझ और जक्षिन निहित है जो घटनानुभूत शब्दार्थोपस्थिति करने में महज समर्पण है। कवि का शब्द-विद्वान् बुगल घगुर्धंधर के नाराच-नैपुण्य से वयमपि न्यूनतर नहीं होता जो यथादमर लद्य-साधन बरता हुआ कविन्दृति के सदनतः प्रदान भरता है। डीकेती ने इसी तथ्य को व्याख्या में रखने हुए ज्ञान के साहित्य वे ग्राथ-साथ शक्ति के साहित्य का सी निरूपण किया है। प्रतिभा के भरत-नीर दर अधिपति कविष्ठल प्राहृति भूच्छायस्त भाव-नौमित्रि दो रथ भजीवनी प्रदान कर सकता है। विश्व ने इतिहास में कवियोंने अव्यवस्था में व्यवस्था लाते हुए जो चमत्कार प्रदर्शित किया है वे इस मान्यता के सज्जोव प्रमाण हैं। यदि ऐसा न होता तो महाराज भी अपने राज्याभिन विद्वानों दो 'प्रत्यक्षर लक्ष ददो' की उविन सफल नहीं बनाते तथा उपर्युक्त शिवाजी महाराज भूषण से एवं ही छंद को बार-बार गुनाने के लिए अनुरोध नहीं करते। बस्तुत प्रतिभा ने बारण ही वाद्य-कृतियों में रमणीयता आती है जिनमें व्याख्या में रखते हुए 'क्षणे क्षणे या नवतामुपर्युक्ति तदेव रथ रमणीयताया' जैसी पात्वोपिति मुप्रसिद्ध हो गई है।

केवल कविष्ठल प्रतिभा ही काव्य का कारण है

पडितराज ने बेवल कविगत प्रतिभा को ही काव्य का कारण माना है। प्राचीन आनायों ने नवनवोन्नेमेषशानिनी प्रश्ना अपवा बुद्धि को प्रतिभा इहा पा, निन्तु पडितराज ने उमका लक्षण 'वाद्यघटनानुभूतशब्दार्थोपस्थिति' निर्धारित किया है, जिसका अधिकार्य यह है कि काम की संघटना अपवा रखना के अनुभूत सम्बोधी और अर्थों की उपस्थिति बरता प्रतिभा का वायं है। उनसे मतानुसार प्रतिभा में रहने वाला प्रतिभात्व एवं प्रवार का जातिकविगेप है जिसकी मिदि 'अनुग्रामाकार प्रतीति' में न हीमर इव्यत्त आदि जाति की 'अनुमान प्रतीति' की भाँति होती है। प्रतिभा या गमवाय रामदन्ध से वाद्य के प्रति कारण इहा या मरता है। उसे पर्याप्त मानने से तो उमकी अनित्यता भी स्वीकार बरती पढ़ती है, किन्तु उसे नियंत्र जाति मानने पर जिसी प्रवार को छोई क्षति नहीं होती। पडितराज ने वाद्यकारणा की अवच्छेद रक्ता ते उसे लिछ जाति किरेप और खड़ उपाधिल्प भी इहा है। उनका भन है कि काव्य की हेतुमूल प्रतिभा के दो कारण हैं जिनमें देवता अपवा भट्टापुर्णी की प्रगतिता में उत्पन्न अदृष्ट पुण्यविशेष, वित्तन स्मृत्तति और अन्यास आदि तीनों हेतुओं वा समीक्ष होता है। यह आवश्यक नहीं है कि ये तीनों मिलतर ही प्रतिभा के प्रति कारण बनें। वाद्यानुभीमन से प्रहट है कि वे नीनों पृथक्-पृथक् रथ से भी काव्य के कारण

रहे हैं। उदाहरणार्थ काव्य-संसार में यह एक प्रसिद्ध जनथ्रुति है कि पचवर्षीय कण्ठपूर के मुत्र में थीकृष्णचैतन्य ने अगुल्यप्रभाग को प्रविष्ट कर उसमें विलक्षण काव्य-शक्ति का प्रादुर्भाव कर दिया था जिसके कारण वह व्युत्पत्ति और अभ्यास के अधाव में भी उद्घट्ट काव्य-रचनाएँ करने में समर्थ हुआ। बसुतः तपोपूत महात्माओं और तिद्व पुरुषों की अलौकिक शक्ति और अनुग्रह-महिमा के कारण जब असम्भव कार्य भी सम्भव हो जाते हैं तो फिर किसी जड व्यक्ति में प्रतिभा का प्रस्फुरण करना उनके मिए कौन सी बड़ी बात है।

'छुलतिजन्य' प्रतिभा का सम्बन्ध नाना शकार के लोकवृत्, शास्त्र, काव्य और इनिहास प्रभृति विषयों के पर्यालोचन से प्रमूल निपुणता से है जिसका सतत् अभ्यास कवि-प्रतिभा में काव्यज्ञानप्रयोग्य विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति करता है। कहने के लिए प्रतिभा के प्रस्फुरण में अदृष्ट, व्युत्पत्ति और अभ्यास को सम्मिलित कारण माना जा सकता है, किन्तु इस मान्यता में कार्यकारणभाव के अभिघरित होने की व्येष्ट सम्भावना है। विद्वानों का एक वर्ग इस भूत का ममर्थक है कि उक्त तीनों कारण अपने-अपने स्वतन्त्र रूप में काव्य-संज्ञना के हेतु निर्धारित किये जाने चाहिए। विश्व में ऐसे अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने शास्त्रादि का अध्ययन किये बिना भी ऐसे अमर काव्यों की 'रचनाएँ' की हैं जो किसी भी व्युत्पन्न अथवा आभ्यासिक कवि के लिए सम्भव ही न थी। इसके विषद् काव्य-संज्ञना के प्रति अदृष्ट, व्युत्पत्ति और अभ्यास की श्रयी को सम्मिलित कारण मानने वाले विद्वानों का कथन है कि अदृष्टमात्र को ही प्रतिभा के उद्देक का कारण मानना पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि कोई कवि किसी एक जन्म में एकमात्र उसी के आधार पर अपनी काव्य-रचना करता है तो भी उसके मन में उसके पूर्व जन्मों के व्युत्पत्तिजन्य और अभ्यासगत संस्कारों की विचारना समावित की जा सकती है। 'अदृष्ट' को प्रतिभा के प्रस्फुरण का एकमात्र कारण मानने वाले विचारकों का कथन है कि पूर्वजन्मगत व्युत्पत्ति और अभ्यास की सिद्धि केवल अनुमान प्रमाण पर आधित है, जिसकी सत्त्वमंगति में कोई बहुत बड़ा बल नहीं है। यदि यह कहा जाय कि उक्त तीनों हेतुओं को कारण मानने बिना प्रतिभा की संसिद्धि नहीं होती, क्योंकि उनके सम्मिलित रूप का एक मुख्य आधार कार्यनुपर्पत्ति भी है तो भी उचित नहीं है, क्योंकि जब हम अदृष्टमात्र में कार्य-मिद्दि के दर्शन करते हैं तो कार्यनुपर्पत्तिरूप प्रमाण के लिए कोई अवकाश नहीं रह पाता। आस्तिकवुद्धि विद्वानों ने नास्तिक एन्थों में मंगला-चरण आदि के अभाव में भी इनकी निविधि समाप्ति में उपस्थित व्यभिचार की निवृत्ति के लिए जन्मान्तरीय मंगलाचरण की कल्पना की है, जिसे काव्य-प्रतिभा के प्रस्फुरण में अभ्यास और व्युत्पत्ति की जन्मान्तरीय संगति वे साथ संयुक्त नहीं किया जा सकता। पण्डितराज जगन्नाथ ने अदृष्टजन्य प्रतिभा का समर्थन करने

के लिए इस सिद्धान्त का प्रबल शब्दों में उल्लेख किया है कि मगलाचरण के अभाव में भी ग्रन्थों की निर्दिष्ट समाप्ति देख कर जन्मान्तरीम भगव द्वीप स्वरूप न बरने से वेदविहित प्रमाण वा व्यभिचार होने की सम्भावना है, जिन्हुंने प्रतिभा भी प्रस्फुरण में अदृष्ट आदि त्रितय वी सम्भिसित वल्यना वरना वेदादिवौधित न होनेर स्वप्नस्ति भाव है। वहाँ पर निसी व्यभिचार द्वीप उत्पन्नि न होने वे वारण जन्मान्तरीय व्युत्पन्नि और अभ्यास वी सिद्धान्त-संगति की बोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। अत एण्डिराज ने मतानुसार काव्य-प्रतिभा के विषय में गमुदित वारणता ज्ञान एक प्रवार का ग्रन्थ है, जिसमे वार्यज्ञनन का असामर्थ्य ही मानना चाहिए।

एण्डिराज द्वीप त्रितयवाद का सिद्धान्त गान्ध नहीं है

एण्डिराज द्वीप काव्य-स्फुरण में त्रितयवाद का सिद्धान्त किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। उन्होंने जिस प्रवार एकमात्र अदृष्ट द्वीप प्रतिभा के प्रस्फुरण वा हेतु निर्धारित किया है, उमी प्रवार व्युत्पत्ति और अभ्यास द्वीप व्यवहार में भी प्रतिभा वा उद्देश भावना है। अदृष्टमात्र द्वीप प्रतिभा वे प्रति सर्वं वारण नहीं गाना जा रहता, क्योंकि हमारे गम्भुय ऐसे विविधो वे वाव्य भी उपस्थित हैं जो अदृष्टमात्र के हेतुत्व से विरचित न होकर चिरकालिक व्युत्पत्ति और अभ्यास वे हेतुत्व से भी निर्मित हैं हैं। यदि यह वहा जाये कि ऐसे वाव्यों की सजंना में भी प्रतिभा-स्फुरण वा अदृष्ट हेतु गुप्त रूप से विद्यमान होता है तो भी उचित नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होता तो व्युत्पत्ति और अभ्यास द्वीप ही प्रति उत्पत्ति वा वारण स्वीकार वरना युक्तिसंगत ही सफता था, यदि यह कहा जाय कि प्रतिभोद्धव में मूल वारण लो अदृष्ट ही है, जिन्हुंने उसमे किसी-न-किसी प्रवार वा बोई प्रतिवन्धव अथ अपनी विद्यमानता वे वारण उम्बवा प्राप्तुरण नहीं होने देता और व्युत्पत्ति और अभ्यास वी साधना से उत्त प्रतिवन्धव वा विवरण हो जाता है जिसमे प्रवाशित अदृष्ट उनके साप सदृक्त होकर वाव्य प्रतिभा वा उन्नयन वरता है, तो भी इस तर्के में अपने परामर्थन वा आप्तमाद है। इस प्रवार द्वीप मान्यता में प्रतिभोत्पादन अदृष्ट तथा प्रतिभोत्पत्तिप्रतिवन्धव अदृष्ट नामक दो अदृष्टों की वरणना वरनो पहतो है जो व्यव्यं वा भावहन भाव है। लेक उचित तो यही प्रतीत होता है कि अदृष्ट तथा व्युत्पत्त्यम्भारा द्वीप व्युत्पत्त्यम्भ में प्रतिभा वे प्रवाशन वा वारण माना जाए। ऐसी मान्यता में विनी भी प्रवार वे दो वाव्यवारणमादी वा 'व्यतिरेक-व्यभिचार' भावना भी युक्ति-संवत नहीं है, क्योंकि अदृष्टजन्य प्रतिभा वे प्रति 'अदृष्ट' तथा व्युत्पत्त्यम्भाराजन्य प्रतिभा वे प्रति 'व्युत्पत्त्यम्भ' नामक दो पूर्वद-व्यव्यं वारण विद्यमान हैं, जिसमे दो पूर्वद-व्यव्यं भी गुनिश्चित रहे जा सकते हैं। यदि हम चाहें तो अदृष्ट-

जन्य तथा व्युत्पत्यम्भासजन्य दो प्रकार की प्रतिभामें द्वारा काव्यरूप एक ही काव्य की सिदि भी कर सकते हैं। उम समय हमें काव्यरूप काव्य की भाँति प्रतिभारूप कारण को भी एक ही मानना पड़ेगा और उसके अदृष्टजन्यत्व तथा व्युत्पत्यम्भासजन्यत्व नामक दो पृथक्-पृथक् विशेषण न देकर एक ही सामान्य कार्यकारणमात्र में यही कहना पड़ेगा कि काव्य-निर्माण के लिए प्रतिभामात्र अपेक्षित है। ऐसा भी देखा जाता है कि काव्य की हेतुभूत प्रतिभा किसी-किसी व्युत्पत्ति और अभ्यास वी निरन्तर साधना से भी प्रस्फुरित नहीं होती किसका कारण यह है कि उस साधना में अपेक्षित वैनक्षव्य का अभाव रहता है, जिसे विद्वानों ने 'विशिष्ट प्रकार का पाप-प्रतिबन्ध' कहा है। वह पाप-प्रतिबन्धक जब तक दूर नहीं हो जाता, जब तक प्रतिभा गमित कुठित रहती है। वह एक प्रकार का दुरदृष्ट है, जिसे सभी आधारों ने किसी-न-किसी रूप में प्रतिभा का अवरोगक माना है। पण्डितराज ने ऐसे प्रतिभामात्री कवियों का भी उल्लेख किया है जिन्होंने किसी काल-विशेष में उत्तमोत्तम काव्यों की रचना कर उच्चतम शैरव प्राप्त किया था, किन्तु जब उनके प्रतिवादी वाचिकों ने उपने मन्त्रबल से उनकी वाणी को स्तम्भित कर दिया तो उनकी प्रतिभा के विकास में बहुत बड़ा पाप-प्रतिबन्धक सा उपस्थित हो गया। आज के वैज्ञानिक युग में इस प्रकार के दुरदृष्ट प्रतिबन्धन को कपोल-कल्पना समझ कर उपेक्षित कर दिया जाये किन्तु किसी समय इस प्रकार की धारणाएँ लोकप्रचलित थीं, जिनकी वास्तविकता का सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता। हमारे कथन का अभिप्राय इतना ही है कि पण्डितराज जगन्नाथ ने प्रतिभामात्र को काव्य के प्रति कारण भाना है जबकि मम्मट आदि अन्य आचार्य 'शक्त्यादिसमुदित कारणतावाद' में विश्वास रखकर काव्य-कारणों का विवेचन करना अधिक उपयुक्त समझते हैं।

कारणिकी प्रतिभा ही काव्यसंज्ञा का एकमात्र हेतु है

पण्डितराज जगन्नाथ ने कारणिकी प्रतिभा का घण्टन करते हुए केवल उसे ही काव्य-संज्ञा का एकमात्र हेतु अथवा कारण निर्दिष्ट किया है। उनके अनुमार बदृष्ट, व्युत्पत्ति एवम् अभ्यास आदि तो कृतिभोत्पत्ति के केवल कारणरूप हैं। प्रतिभा को अदृष्ट उत्पत्ति के लिए उन्होंने देवता और महापुरुषों के वरदान एवम् प्रसाद आदि को स्वीकार किया है। उन्होंने बतलाया है कि किसी-किसी व्यक्ति में व्युत्पत्ति तथा अभ्यास के बिना भी बाल्यकाल में ही काव्य-संज्ञा की प्रतिभा नक्षित होती है, जिसमें एष्ट है कि अदृष्ट प्रतिभा ही काव्य-संज्ञा का मूल हेतु है। सच तो यह है कि सहज कवि के लिए काव्य-संज्ञा के मूल में प्रतिभा के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपादान की आवश्यकता नहीं होती। संसार में ऐसे अतेक कवि हुए हैं, जिन्होंने व्युत्पत्ति एवम् अभ्यास का आव्यय

लिए बिना ही अलोकिक शाव्य-संज्ञें विद्या है, जिससे उनकी प्रतिभा वा चाह चमत्कार प्रदर्शित होता है। पण्डितराजन ने प्रतिभा के कारण-वर्ग में जिस 'अदृष्ट' हृद का प्रयोग विद्या है वह अत्यन्त रहस्यपूर्ण और सार्थक है। मीमांसा दर्शन के अनुसार 'अदृष्ट' शब्द में जन्म-जन्मान्तरों वे मम्मारों के साथ-साथ देवताओं के वरदान का भी रहस्य अनुत्तिहित है। पण्डितराज ने मीमांसा-दर्शन का यही मर्यादा अभिप्रेत है। उन्होंने तस्याश्च हेतु 'वदचिद्-देवतामहापुरप्रसादिदजन्मम-दृष्टम् 'तपा' बालादेस्ती धिनापि वेबतामहापुरप्रसादादपि प्रतिभोत्पत्ते' वह सर यही योग्यता विद्या है जिसका सहज प्रतिभा विद्येषत पूर्वजन्म के अदृष्ट ना फैल है। उनका विश्वास है जिसका वाव्य-प्रतिभा को प्राप्ति में हमारी पुण्यज्ञासिता बहुत बड़ा कारण है। इसका प्रमाण यह है जिसके व्यक्ति व्युत्पन्न दधा भास्यासित होने पर भी अपने पुण्यों के अभाव में भगवत्तों दीणापाणि वीरूपा के पात्र नहीं हो पाते। इसका यह अभिप्राय नहीं जिसके प्रदितराज प्रतिभा के क्षेत्र में मर्यादा 'अदृष्ट' का ही गुणगतान वरते हैं। उन्होंने अदृष्ट के अतिरिक्त व्युत्पन्न एम अन्यात वो भी प्रतिभा वीर उत्पत्ति के स्वतंत्र कारण मानते हैं जिससे म्पट है जिसके बाती मीमांसक न होकर योग्यता क्षेत्र में नैयायिक भी नहीं। यद्यपि वे सहज और अदृष्ट प्रतिभा के प्रबल मर्यादक हैं, किन्तु उन्होंने यह बात भी स्वीकार नहीं है जिसके निरतरकृत साधना में भी बाव्यकरण वीर शक्ति उद्भावित भी जा सकती है। उन्होंने बतलाया है जिसके पर भी यदि विमी में प्रतिभोदय न हो तो उसका कारण पा तो उसके जन्मातर या वीर पापात्मक अदृष्ट है या बाव्य प्रतिभा के मन्त्र के अनुरूप व्युत्पन्नि के एक विशिष्ट स्तर जी लभायि। वे प्रतिभा को 'शाव्यकारणतावच्छेदनता से मिद जातिविशेष वीर अदृष्ट' उपाधि बहुत उत्तमी विद्यिता के माध्यम से बाव्य भी विलक्षणस्वरूप विद्युत वरते हुए लियते हैं —

"प्रतिभात्व च विनाया यारणतावच्छेदन प्रतिभागतवैलक्षण्यमेद वा विल-
क्षणताव्यप्रतीति नाशापि सा। न य सतोरपि व्युत्पन्न्यमासयोग्यित्र न प्रतिभोत्पत्तिस्त-
त्राव्यमव्यभिचार इनिवाच्यम्। तत्र तथोमादृशवैनदाण्ये मानामावेन यारणावच्छेद-
नतावच्छिलत्वान् पापविशेषस्य तत्र प्रतिवधात्वात्यनादेष्य।"

प्रतिभा सम्पन्न वर्ति ही सजीव बाव्य का राष्ट्र है

गजीव बाव्य का राष्ट्र वर्ति निश्चय ही प्रतिभागम्पन होता है। वह अपनी प्रतिभा के प्रभाव से योग्य अनुभवों को भी नयीन तथा सोनोतर परिमार प्रदान करता है। प्रतिभा के ही कारण वर्ति का व्यक्तिगत दृष्टि अपनी 'परिमित प्रभासूता' का परित्याग कर उमे ऐंगी लोकगामान्य भावभूमि पर अधिनित वर देता है जो समस्त विश्व-भूमि व्याप्त हो जाते। उगरो प्रतीति 'रवात्मद्वारेण विश्व तथा परम्' के स्थि में इतनी महनीय या जाती है जिसकी घटना में

आत्मवाद वर्ता हुया उसमा अनुभव के बल सौकिक अनुभव न रहकर उसके आत्म-सत्त्व में व्याप्त हो जाता है जिसके कारण उसका भाव-जीवन अपनी सहज त्रिया में अभिव्यक्त होता राहदायमात्र का भावालोक बन जाता है। सच तो यह है कि जब तक कवि के माद-जीवन में इस प्रकार की आत्मविद्याति नहीं आती, तब तक वह उसे अव्याख्य हृष काव्य का अभिधान प्रदान कर ही नहीं सकता। उसकी मन स्थिति में निमित्त काव्य के शब्दशब्दहृष मौजे ही सौकिक हो, किन्तु वे कवि की आत्ममहज वाणी का आधार पा कर विश्वव्यापक प्रतीति कराने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। महवि यात्मीकि का 'शोक' जिस प्रक्रिया से 'श्लोकत्व' को गमागत हुआ, यह इस कथन पा जीवन्त प्रभाष है।

प्रतिभाशाली कवि के लिए काव्य की मौलिक सर्जना सर्वथा सम्भव है

काव्य-सर्जना की मौलिकता के विषय में विद्वानों में प्रबल मत विरोध है। जीवन के अन्य दो ओं की भाँति काव्य-सर्जना के प्रति भी निरावादी दृष्टिकोण लेकर चलने वाले विद्वानों का कथन है कि प्राचीन कवियों ने अपने प्रतिभा-प्रहर्षं द्वारा काव्यपद को इतना अधिक प्रत्युष्ण कर दिया है कि उसकी कोई भी कर्णनीय वस्तु उनके अलीकिं, तीरण और सूइम दृष्टिकोण से अस्पृष्ट नहीं रह सकी है। ऐसे विचारकों के मतानुसार काव्यविद्यों के मौलिक प्रतिष्ठान के लिए कोई दोष ही अवशिष्ट न होने के कारण नवीन कवियों के लिए केवल इतना ही सम्भव है कि वे पुराविणि काव्य-वस्तु को अपनी अभिव्यञ्जन-कला द्वारा सुतकृत और सुसज्जित करने के प्रयत्न में ही तत्पर रहे। काव्य की अजग्ग और विरंतन धारावाहिकता का विचार करने पर विचारकों के उक्त कथन में सत्य का आन्वेषण करना कोई कठिन कार्य नहीं है, किन्तु यह मत अपनी एकाग्रिता का उद्घोषण भी स्वतः कर देता है। वस्तुतः वाणी का स्रोत असीम और अनन्त है और सूष्टि के प्रारम्भ से लेकर अयावधि अनेक कवियों द्वारा उसका निरंतर प्रमार किये जाने पर भी उसकी नित्य-नूतनता में कोई लाति हुई हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। सूष्टि के उद्भव और विकास की प्रौति कविप्रतिभा में भी मौलिक प्रस्फुरण के असंद्य रहस्य अन्तर्निहित हैं जिनका ध्यावहारिक परीक्षण करना सुगम कार्य नहीं है। सत्त्वदृष्टि से काव्य के धर्षं विषयों की इष्टता तथा परिसीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्रतिभाशाली कवियों ने वाणी के अविभिन्न, निर्बाध और अनादि स्रोत से अनेक प्रकार के मौलिक तत्त्व प्रहृण किये हैं, कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। किसी काव्यकार अथवा विवेचक को काव्य-विषयों की परिसीमा लक्षित होती है तो उसका एक प्रमुख कारण उसका दृष्टिभूक्त अथवा सीमित अनुशीलन है। काव्य-सर्जना की मौलिक सूझा लेकर चलने वाले काव्यकारों का कर्तव्य है कि वे अपने पूर्ववर्ती दण्ड समकालीन कवियों की कृतियों का सम्बरोद्धा

व्याख्यन वरे जिससे उनको प्रतिभा और काव्यकला का अभिनव पौरीपार एवं नूतन उमेष हो। हमारे व्यावहारिक अनुभवों से भी सिद्ध है कि अन्य कवियों की रचनाओं का निल्तर अवगाहन बरने से अधिका कवियों को इस विषय का जान हो जाता है कि एक ही प्रकार के भावों का भिन्न भिन्न वल्पनाओं और प्रणालियों से किस प्रकार अभिव्यञ्जन किया जाता रहा है। उस अनुशोलन से उनकी नवनवोंमेंपश्चालिनी प्रक्रम में कोई भी लिंब कल्पना व्यवदा नवीन सबेदना भी भी सृष्टि हो सकती है। इस प्रकार का काव्यानुचितन वाच्य-निर्माणाओं को अनेक नवीन विषयों का उद्घोषण भी करा सकता है। सभद है, पुरातन कवियों के भाव-चित्र नवीन विषयों के मानस पटल पर ऐसी रहस्यमयी कल्पना-छवियों रेखाकृत वरे दे जिनके बारें के अभिनव उद्भावनाओं की क्रिया में सफल हो हो सके। यो तो तत्त्वदृष्टा भट्टाचार्य की भीनि सूक्ष्मशर्करा कवियों के विन्तन में भी समझाव का प्रमुखण हाना स्वाभाविक है और वे देशवाल की परिविसे विमुक्त होकर पिश्चात्मकाव वो सी अनुभूति बरने हैं जिसमें यथापि विना भी प्रकार का आदान-प्रदान नहीं होता तथापि उनका पारस्परिक विचार-विनिभय अथवा अध्ययन-अनुशोलन विमी-न-विसी प्रकार की नवीन उद्भाविता सामग्री भी प्रदान वर सकता है। ऐसी स्थिति में वाच्य सर्वेना के प्रति आशामयी वाच्या रथ कर ही चलना थेपस्तर है।

प्रतिशासाती रवि का सामाजिक दायित्व और गोरख

वहने लिए हम नाव्यहृति को भालाभिन्दविन को परिमोमा में मले ही नियन्ति वर दें। रिम्मु उमरी नामाचिक छपयोगिता की बड़ारि उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिस प्रकार प्रतिभासासी विका का व्यक्तिनव सामाजिक पक्ष ही उपेक्षा नहीं कर सकता, उनी प्रकार वाच्य हृति भी सामाजिक भस्तरां से बिहीन नहीं रह सकती। यही बारप है कि काव्य-रचनाओं का परीक्षण वरते नमय उनके सामाजिक यथा विचार प्रारम्भ हो से किया जाना रहा है। प्राचीन आचार्यी कह रही थी या वि पाच्य-प्रयन्त्र वी भमाजि के पश्चात् उसका प्रचार ऐसे स्पष्ट में होना थाहिए बिमे वह मना-नादाओं, विद्वानों और महायज्ञों के हृदय तद पढ़ने और वे उमरा तान्त्रिक सूक्ष्मावन वर सकें। महारवि वालिदास ने इसी दृष्टिरौप ने बारें 'प्रापत्तिनोपात् विदुपा न माधु मने प्रदोगविजानम्' लिखा है। अपने वाच्य को अधिकाधिक उदास और समाजदात्य बनाने के लिए विकि वो अनवरन माध्यना बरनी पड़ती है। कवियों का वत्तंस्य है कि वे ऐसे दृम्यतनों से दूर रहे जो वाच्य के पुनोन पृथ में बाध्य हों। वाच्य निर्माण के समय कवि की मना दिष्टति विमी भी समाधिस्य पोर्णों से उम नहीं होती, अतः उने अपने दायित्व को गुरता का अनुभव वर वाच्य-निर्माण की क्रिया में विसी भी प्रकार

या प्रमाद नहीं करना चाहिए। थैष्ट कवियों की रचनाएँ न केवल विद्वद्समाज के कण्ठों की ही एकावली होती हैं, अपितु वे अपनी प्रकृष्टता के कारण कवियों में भी ऐसी शक्ति का साचार करती हैं, जिनके द्वारा उनको प्रतिभा का परिकरण और काव्य-सौदेयं का संवर्धन होता है। बस्तुतः काव्यनिर्माण भी एक प्रकार की तपस्या है जिसकी सिद्धि के लिए कवि को निरालसभाव से कर्मत्वपर रहना चाहनीय है। जीवन के महारागर का यान बारने के लिए कवि को अगस्त्य की भाँति ही आश्रोशार्पण उत्तेजना में नहीं आना है अपितु उम्मेदार को भी सहज प्रहृण कर अपनो सज्जनों के हृष में अमृत-निष्पदिनी जीवन-धारा प्रदान करना है। कवि के कण्ठ में उत्तर कर जीवन का विष भी उसे भगवान् शंकर की सी नीलकण्ठना प्रदान करता है। वह अपनी मुक्तक रचनाओं में ही महान् नहीं होता, अपितु प्रबन्ध-काव्यों की व्यापकता में भी विभूतार्पण होता है। अपनी दिव्य शक्ति के कारण ही वह 'कविमंनीधी परिभू ख्यर्मभूः पद वा अधिकारी बना है। सूटि के प्रारम्भ ही से उसे समाज ने अमर सम्मान प्रदान किया है। उसे न केवल राजसमाजों में ही प्रतिष्ठा मिली है अपितु वह जनता-जनादेन के दृढ़य-सिंहासन पर प्रीतिपूर्ण समादर प्राप्त कर सका है। भारतीय समाज ने उसके गुणों की परीक्षा करने के उपरांत उसे सूटिकर्त्ता विद्याना के समकक्ष माना है। भारत में लिंग और वय की ओर व्यात न देते हुए गुण ही को पूजार्यान माना गया है और इसी नीति के बाधार पर कवियों को भी अलबृत किया है। राजगेहरकृत काव्यमीमांसा में प्रकट है कि प्रचीन काल में उज्जितिनी में काव्य-कारों की परीक्षा होती थी तथा पाटिपुत्र में शास्त्रकारों की। उन परीक्षाओं में उत्तम कोटि की सफलता प्राप्त करने के कारण ही कालीदास, आर्यसूर, भारति, हरिशचंद्र और चन्द्रगुप्त जैसे कवि काव्यकारों की महिमामयी थेणी में प्रतिष्ठित किए गये थे तथा उभवर्पं, पाणिनि पिण्डि, व्याढि, वररुचि और पतंजलि को शास्त्रकारों की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का गौरव उपनव्य हुआ था।

प्रतिभासम्पन्न सारस्वत कवि सर्वव वरेष्य है

प्रतिभासाली कवि का दृष्टिकोण अत्यंत गम्भीर और व्यापक होता है। उसके लिए न तो काव्योचित वर्ण विषयों की कमी है और न अभिव्यंजना-शिल्पों तथा कल्पना-न्यूनता की ही न्यूनता है। उसके कर्तृत्व-कोशल को देखते हुए न तो यह कथन ही उचित प्रतीत होता है कि काव्य का जो कुछ भी वर्ण है, वह प्रचीन कवियों ने चिह्नित कर दिया है और न वह मानवता ही मुक्तिसुगत सज्जती है कि केवल दूसरों की झूठियों का आकलन करने से ही काव्यशक्ति का उन्मेष होता है। हमारा तो विश्वास है कि जगन्नियन्ता परमेश्वर ने कवि को ऐसा ज्ञानमय सारस्वत घड़ु प्रदान किया है। जिसके द्वारा वह मन और वाणी

के अपेक्षा तनापि सता कर इस विषय का सहब योग्य हर सेता है कि बाद के लिए बौद्धना विषय अमुष्ट है। भारतीय जीवन की भास्त्रिक भास्त्रा ने जो यहीं नह त्वेवार विश्वा है वह भगवती वीष्मणालि के लक्ष्मी और बलोविद द्वनुष्ठ से उसके इत्प्राप्त महाविद्यों को सुपुणि व्यवस्था में भी बाल्वर्दनादुरु-ख्य राष्ट्रों जीर वर्धी वा सम्भव जात हो जाता है। इसके विपरीत यो व्यक्ति विद्वा विविदरक्षित ने दिहीन है, वे जाग्रत व्यवस्था में भी लघुचक्षु है। सामुद्र व्यक्तियों वो यह अद्वितीय विशेषता होती है कि इन विद्यों पर अन्य कर्त्ताओं ने लिखा है उन्हें वे उच्चिष्ठ तथा दृष्टि समझ कर स्पाच देते हैं और उनकी दिव्य दृष्टि ऐसे-ऐसे तर्कों तत्त्वों वी प्रोत्त अभावित होती है जिनको बतलाएँ बरना भी अन्य विद्यों के लिए सम्भव नहीं है। सच तो यह है कि अपनी नृवन-देता में रसिद्ध विवि भहसीध बन जाते हैं और भगवान शक्ति की माँति उनका आनन्द त्रृतीय नेत्र सामान्यिक परिवताओं और स्वार्थमय चन्द्रनों को दिनेष्ट कर ऐसी दिव्य आभा विवीण बरता है जिसमें वीष्मियों की समाधि और नश्वरजी पूर्मिरा वी लिपति या जाती है। महाविद्यों के अतिर्दर्पण में सम्मत विश्व विविदिमिति होता है और उनके सम्मुख शहर और अपें परस्पर अद्वित्यसंघों की भावना रख कर अट्टपूर्विकावृत्ति से उत्तरपंक चरते हैं। दम्भुत इन विद्यों को समाधिमिद योगी दिव्य दृष्टि से देखने हैं, उन्हीं विद्यों में हमारे रसिद्ध विवि-जन वाणी द्वारा विचरण करते हैं। प्रतिभाष्म्यन्त भगवाविद्यों की इन दक्षीविद विशेषताओं का पूर्ण विवेचन करना, असम्भव सा है, जबकि हम उन्हें सभी त्यागियों में वन्दीय समझ कर उनके प्रति अपने अद्वा-मुमन समर्पित करते ही सहपत्ताम बरना पर्याप्त समझते हैं।

भारतीय जीवन-दर्शन और काव्य

'दर्शन' शब्द के मूल में 'दृश्' धारु है जिसका अर्थ है देखना। सामान्यतया दर्शन शब्द इन्द्रियजन्य निरीक्षण का बोचक है, किन्तु उसके अतिरिक्त हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा व्यंग्यदर्शन का भाव भी गणित है। उसका सम्बन्ध घटनाओं के गृह्य निरीक्षण, ताकिक परीक्षण तथा आत्मदृष्टि से भी है। तथाकथित दर्शन-पास्त्र की आवृत्तिचालनकारी प्रवृत्तियों तथा पद्धतियों के साप-साप जीव, जगत् प्रकृति, माया, आत्मा और परमात्मा आदि से सम्बद्ध अनेक प्रकार की धारणाओं का विवेचन भी उसके अंतर्गत आता है। उनका तात्त्विक सम्बन्ध हमारे अनुदृष्टि-जन्य अनुभव से विशेष रूप में है जिसकी पूर्वि ताकिक ग्रनाणों द्वारा की जाती है। द्वैत से अद्वैत वा और अपमर होने के जिनमें भी माये हैं, वे यदि दर्शनशास्त्र की विज्ञान परिधि में गमाविष्ट होयें हैं। गायी देशों के याद-पत्र में दर्शन की मिन-मिन प्रगतियाँ प्रचलित रही हैं। इस सेप्र में भारतीय दृष्टि का महत्व सर्वोन्नति वहाँ ज्ञा गमता है। यहाँ के धर्मनिष्ठ महात्माओं ने प्राचीन काल से ही परखत्ता का साधात्मक करने की भावना से जीवन और जगत् की जिन समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा की है, वह उनके भावत्वत्व का एक ऐसा उम्बल प्रकाश है जो विश्वात्महृषे के साथ तादात्म्य स्थापित करने की दिशा में सफल हो सका है। यहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों और क्रिया-कलाओं ने दर्शनशास्त्र की विविधः सर्वाश्रयों को स्फूर्तिशायिनी ब्रेताणे प्रदान की है। यहाँ का दर्शन जीवन की अंत सत्तिता से साथ प्रवाहित रहा है जिसकी प्रबुद्धता और आत्म-चेतना शाश्वत वंदीय है। उसे प्रारम्भ ही में तकनीकित्रित आस्था का बल प्राप्त है जिसका प्रसार अनेकविध दार्शनिक प्रपत्तियों में हुआ है। सांख्य, योग, वैशेषिक, शूर्व-भौमीका, न्याय और वेदात के अतिलिङ्ग जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शनों की अध्योर तथा व्यापक रहस्यमयता की अनुभूति जिन प्रमाताओं ने की है, वे इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय मनोधा ने जीवन के लैकिक तथा पारस्लैकिक तत्वों का अनुसंधान करने से अपनी साधना का सुधारनोदय कितनी दूरी और निष्ठा के साथ किया था। यहाँ के धार्मिक जीवन ने त केवल सामाजिक आदानों का निर्माण करने में ही अपना सहयोग दिया है अपितु वह उदार दृष्टिकोण से भी परिष्कारित रहा है जिसको व्यापकता में इसी प्रकार के अन-

वादियों को अर्थात् प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। जो सोन मारतीय जीवन-दृष्टि को मनुचित और इटिस्ट मानते हैं, वे इन तथ्यों गे मनुचित अनभिज्ञ हैं कि उसके अनेकत्व में भी एकत्व तथा विविधता में भी एकात्मता के भाव सम्भित हैं। यदि ऐसा न होता तो वहाँ की दिव्योपम भूमि में आस्तिक तथा नास्तिक, भौतिक-वादी और जानवादी, हेतुवादी और स्वतन्त्र तथा संगमवादी और विधमी आदि सभी प्रवार के विषारकों की समानुपातिक स्पष्ट से एक ना महत्व और योरव प्राप्त नहीं होता।

मारतीय जीवन में दर्जन अथवा तत्त्वमीमांसा का स्वतन्त्र एवं प्रमुख स्थान रहा है। प्राकृतिक वरिस्थितियों की अनुकूलता तथा जीवन-संग्राम की संरक्षण ने वहाँ के तत्क्षेत्र महर्पियों को गूढ़ार्थ चिन्तन के प्रति विशेष आकृष्ट बिला है। यूनान तथा रोम आदि पश्चिमी देशों के विशेष कालों में जहाँ दर्जन को राजनीति, नीतिशास्त्र, दक्षिणात्म, यमावशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान तथा परमार्थ विद्या की विविध सरणियों में विवेचित रिया गया था, वहाँ मारतीय विचार धारा में वह मनुचित अज्ञन-विषय, स्वतन्त्र और ज्ञान-विज्ञान की अनेकविध धाराओं-प्रशास्त्राभागों के निए मार्गदर्शक बनकर उपस्थित हुआ। मुण्डकोपनिषद् में उसे 'ब्रह्म विद्या' के नाम से व्याख्यात वर समस्त विज्ञानों का आधार अथवा ममूर्ण विद्याओं का प्रतिष्ठात्मक बना गया है, जिसके द्वारा उसका सर्वोत्तम स्थान स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। भारत के महान् नीतिशास्त्र चारों ने आन्वीक्षिकों के नाम से दर्शनशास्त्र की विवेचना बरते हुए उसे अन्य समूर्ण विषयों का प्रदीप तथा समस्त वर्तन्य-वर्मों का पद-प्रदर्शन भाना है, जिसका समर्थन आधार द्वयवद्यों ना द्वारा भी दिया जा सकता है। वस्तुतः दर्जन विषयों भी देश अपका जाति के साकृतिक विषाम का नवनीत अथवा अमृतोपम निष्पद है जिसके द्वारा हम उसके बौद्धिक तथा आध्यात्मिक स्तर का परीक्षण कर सकते हैं। मारतीय जीवन के विकास-वस्त्र का आतोचनात्मक अध्ययन बरतने से महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि यही के 'दर्जन' की आध्यात्मिकता ने मारतीयों को बठोखम परिस्थिति में भी धर्म-स्वतन्त्र होने से रोका तथा वहें-वहें राजनीतिक विषयों और सामाजिक बान्दोलनों से बात्याचक्रों से भी वे प्रवर्भित होने से बचे रहे। असत्य का बहिर्भाव उसका 'सत्यमेव जयते' की प्राण-शतिष्ठा वरने में यही की दाननिर उपलब्धि विषयों भी गरवत चेतना से कम स्फूर्तिदायिनी नहीं रही है। पराधीनता के बानावरण में जिस भवित-माध्यना की व्यज्ञय परस्तिनी ने यही के गुरुप्राप्त भानप में आगा को जिन आनदेहरियों का सचार रिया, वे यही वी दार्गेनिर प्रतिपत्तियों का मूल रम नेतर के ही तो उड्डेतित हुई थी। गीता और उपतिष्ठी वा ताज्ज्ञान तथा पुराणा और महाभाष्यों के आध्यात्म अपनी छाप्रमुष्यो बत्सनामो द्वारा जिन हसों में मारतीय भानप का आह्वान

करते रहे हैं, वे सब यहाँ के दर्जनों के आत्मवित्तन के ही तो मुफ़्त हैं। यहाँ के सास्कृतिक आनंदोत्तम और सामाजिक मुधार भी दर्जनों द्वारा भूमिका में अस्पृष्ट नहीं हैं। यहाँ ताकि भारतीय जीवन में त्रिम प्रकार को सहिष्णुता, सर्वभूत-हिंदूपश्चात्य नाथा कर्मवादी विचारधारा का प्रावचन्य सचारित है, वह सब यहाँ की दर्जनोंगाहीय पान्पताओं का ही प्रताप है। कुछ विद्वानों ने भारतीय धर्मसाधना को लृष्टियस्त तथा हठवादिनायुग कहकर उसे दुराप्रदमूलक रिद्द करने की चेष्टा की है, किन्तु जो तत्त्वमीमांगक उको प्रश्न स्वरूप ने परिचित हैं, वे इस बात को भली-भांति जानते हैं कि यहाँ की धर्मसाधना कभी भी एकाग्री और पूर्वाश्रिती नहीं रही अरिन्तु यहाँ की तत्त्वमीमांगा में 'धर्म' एक ऐसा युक्तियुक्त मंत्रलेपण रहा जिसने दार्शनिक प्रगति के साथ-साथ अपने अतर्जीविन में नित्य-नृत्य विचारों का अभिनवेश करने में गोपन नहीं किया। यहाँ के धार्मिक आनंदोत्तम के बीच व्यायवी कालनाशों अथवा निरग्राह आरथाओं के प्रतिकल न होकर ठोस दर्कंभूमि पर अधिष्ठित रहे हैं, जिनके मूल में कोई न-कोई दार्शनिक विचारधारा अनुभाषित रही है। सब तो पह है कि यहाँ की धर्मसाधना में जब जब जड़वादी दृष्टिरौप का प्रावचन्य हुआ तब-तब बुद्ध, महावीर, व्यास और शक्ति प्रभूत्युग पुरुषों ने भारत बमुधरा पर व्यक्तीय होकर यहाँ के धार्मिक और आध्यात्मिक दोष में नवीन उत्क्रातियों की जिनके कलन्द्वय यहाँ का सास्कृतिक जीवन पुनर्स्थान की लृप्तियों से आनंदोन्नित हो उठा। गीता के महान् उपदेशक भगवान् श्रीकृष्ण ने धर्म की ग्लानि तथा अवर्म के अमुल्यान की बेला में व्यवतारवाद के जिस सिद्धान्त का समर्थन हिला है, वह इस तथ्य का प्रतीक है कि भारत में धर्म का व्यष्टि प्रानवकर्त्त्वों का निर्देशक और लौकिक अनुदय के साथ-साथ नि-धेष्ट सिद्धि वा प्रतिष्ठापक रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय जीवन के सास्कृतिक निर्माण में धर्म, समाज और दर्शन की दिव्योपम त्रिवेणी ने जो सहयोग प्रदान किया है, वह यहा के काथ्य-साहित्य के शब्दार्थों में प्रवाहित है और जब तक उसका अतर्वेद्य नहीं किया जाता, तब तक भारतीय चाड़्मय की मूल चेतना सहज भाव से आत्मसात् नहीं की जा सकती।

यो तो भारतीय मस्तिष्क तथा जीवन-दर्जनों की प्रवृत्ति रशिमयों ज्ञान-विज्ञान के विविध पदों के बाह्य तथा आन्तर रस्वरूप को आलोकित करने की दिशा में प्रयासत्तर रही है, किन्तु अन्ततोगत्वा उसने जीवन का चरम लक्ष्य 'आप्यान विद्वि' के सिद्धान्त में ही स्वीकार किया है। तर्कं शास्त्र, व्याकरण, अल्कार, भाषा-विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, प्राणिशास्त्र, भौतिकी तथा कलाओं के विविध थायमों में परिच्छम बनने के पश्चात् भारतीय दृष्टि ने बहुविद्या अथवा दर्शनशास्त्र की अध्यात्म-वेतना को ही जीवन का परम साध्य निर्णीत कर उसे अपने ज्ञान-चक्र का नेत्र माना है। यहाँ का कोई भी शिल्प, ज्ञान कला-

कौशल तथा विषय ऐसा नहीं वहा जा सकता। जिसका पर्यावरण आत्मविज्ञा में न हुआ हो। ज्ञान, कर्म और उपासना का जन्तरत्रयम् रहस्य उसी के तत्त्वबोध में सफलतामयी चरितार्थता प्राप्त करता रहा है। मन की चेतन, ज्ञेतन और अवजेतन विद्याओं के साथ-साथ नुडि और भन्तकरण की जितनी भी स्यूल और मूटम् बृत्तियों हो सकती है, वे सब उसके परिपाशवै में गम्भीर होकर ही अपनी शीबनगत उपरोगिता सिद्ध कर सकते हैं। परिचय के मानवा-विज्ञान द्वारा प्रस्तुत प्राधार-सामग्री में इतनी शक्ति अवश्य नहीं जो उसके अनन्त प्रभाव का अन्तविरोध बार सके। जागरित, स्वन और मुषुप्ति का जो खेतविज्ञान भारतीय नस्तिक ने प्राप्तु लिया है, वह अद्भूत और विस्मयकारी है। गणित, गत्य, भौतिकी और ज्योंतिष के चमत्कारों की समस्ता भै विषय का कौन-सा प्राचीन देश भारत के अतीतकालीन गोरख में प्रतिष्ठित किया जा सकता है? यहाँ के मस्तिष्क की विस्त्रेतामुक्त और सफ्लेपणात्मक प्रक्रियाओं ने विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में जो उपलब्धियाँ की हैं, वे देश-विदेश के मूद्दें विद्वानों द्वारा प्रशंसित और सम्मुख हुई हैं। यहाँ हमें इन विषय का व्यापक और अमोर विवेचन करना अभीष्ट नहीं है कि भारतीय नस्तिक ने स्पूलातिस्यूल विषयों से लेकर मूद्दमाति-मूद्दम विषयों तक अपनी उर्वरा शक्ति का प्रभाव और प्रभार जितनी चमत्कृति के साथ प्रदर्शित किया था। हम तो इस प्रमाण में केवल इतना संकेत करना ही पर्याप्त समझते हैं कि भारतीय काव्य-गाहित्य तथा वाङ्मय का अध्येता जब तक भारतीय हृदय और नस्तिक की मूल बृत्तियों से परिचित नहीं हो जाता, तब तक न हो वह यहाँ के काव्य-तात्त्विक वे निर्माण की सहज प्रेरणाओं को ही मान-रागमय कर सकता है और न उसके भास्याद-विषयों के नर्म को ही जान सकता है। भारतीय काव्य के स्वरूप-बोध की विवेचना के पुर्व भारतीय ज्ञान-विज्ञान और जीवन-दर्शन की विधियः प्रक्रियाओं और प्रणालियों का जितना अधिक निर्देशनीय अभिज्ञान हम प्राप्त होगा उक्ता उतना ही अधिक नुस्पष्ट अन्तर्बोध करने में हम समर्थ हो। महेन।

भारतीय काव्य के स्पृण-निर्माण में यहाँ की प्राहृतिक व्यिति ने पर्याप्त योगदान दिया है। यहाँ की दिव्योगम् प्रहृति ने यहाँ के विषयासियों को न केवल जीवन-निर्दाह के भौतिक साधनों की प्रचुर सामग्री ही प्रदान की है, अपितु उन्हें एक मुद्रार्थ कानून-पर्याप्त विदेशी भाक्रमणों से बनाकात भी रखा है जिसके कारण व अपना शार और निर्देश जीवन व्यतीत करने में समर्थ हुए हैं। नगाधिराज हिमालय अपनी सप्तन पर्यावरताओं और उत्तम गिराव-राशियों से जहाँ उदीची दिजा ने एक अट्ट प्रहृती के रूप में देश का सारदारण करता रहा है तो दक्षिण की ओर जनत लहूर में विस्तीर्ण महामागर उसके चरणों का प्रशालन करता हुआ एक कर्मनिष्ठ युवक भी भाँति अपने कर्तव्यपालन में सतत जागरूक रहा है।

प्रहृति की सहज उदारता और अनुकूल्यावश वहाँ के निवासियों के लिए न तो धार्य पदार्थों का अभाव रहा और न वे कठोर परिश्रम और जीवन-संघर्ष के अटिन प्रश्नों में ही ग्रस्त हुए। यहाँ के स्नानिय जलीत काल में लोगों को इस शात का विशेष अनुभव ही नहीं हुआ कि उसार मी एक ऐसा युद्धोत्र है जिसमें शक्ति, समर्पण और प्रभुत्व की प्राप्ति के लिए गंधर्व करना पड़ता है। यहाँ के भनीयियों का उच्चर मस्तिष्क प्रहृति के गर्भ में जधिकाधिक नाभसाधन प्राप्त करने तथा समार की शक्तियों को निपत्रित करने की दिशा बी लोटा जिसी भी प्रकार की सोभवागता से आष्टट नहीं हुआ तथा वे भौतिकता की तश्वर तथा ससीम पृथग-मरीचिका के चमुन में फैस कर अपनी आत्म-शक्ति के प्रस्फुरण में ही विशेषतः दत्तचित्त रहे। अन्युत यहाँ की सम्यता और संस्कृति का विकास प्रेमाण्डा सहिताओं के सुरम्य पुलिनों पर अधिष्ठित उन बन-प्रदेशों में हुआ है, जहाँ के उपर कुंजों और उन्मुक्त पर्यावरणों ने उन्हें आत्मविश्वाति के दाणों में धेयनवलित आत्मचित्तन की प्रभूत प्रेरणाएँ प्रदान की हैं। निश्चय ही प्रहृति का वह पुनोत प्रांगण शोकविद्यम नामसों के शान्त्यर्थ मुखीतल वारिधारा का अजल प्रवाह बन कर उनके लिए आनन्दायक अनुभेदन का हृष रहा है, जहाँ पर उन्होंने क्लातं जीवन की कर्मसंकुलता से परिवारण प्राप्त किया है। भारतीय संस्कृति के छोड में सन्निहित तीर्थयात्राओं का यह भी लो एक यूलवर्ती रहस्य है, किंतु सुराणन कर यहाँ के निवासी 'जननी जन्मभूमिरच स्वगांडपि गरीयसी' का स्तोऽ-निनाद करते हुए समस्त देश का परिप्रेषण करने में जीवन की सार्थकता और पुरुषार्थ-चतुष्टय की उपलब्धि का प्रेय प्राप्त करते रहे हैं। प्रहृति का शुचितापूर्ण वाता-वर्ण और उमकी साधन-सम्भवता, जीवन की सुरक्षित स्थिति और चिन्ता-विमुक्ति तथा दावित निर्याह वी नरत विवृति तथा परमार्थ-भावना ने यहाँ के जीवन-दर्शन पर जो अभिट छाप अंकित की है, वह भारतीय कार्य-साहित्य की आधारशिला कही जा सकती है।

लाज के भौतिक संघर्ष और वस्तुपत्रक दृष्टिकोण ने भारतीय जीवनदर्शन के विविध हृषों को भले ही अभिभूत कर लिया हो, किन्तु यह एक सुदृढ़ सत्य है कि उसकी मूल चेतना और आम्यंतरिक जीवित निश्चय ही अध्यात्म-परक है। यहाँ के वाङ्-नय के अनन्त वित्तार में जिन दार्शनिक प्रतिपत्तियों का अनुभुमन गहूङ बूति में उपलब्ध होता है, वह इस तथ्य का अंगूचक है कि भारतीय भनीयियों का अधिमानस केवल धूधा और काम की भौतिक तृप्ति पर्यन्त ही सीमित न रह कर उम लोकोत्तर भूमि में भी विचरण करने के लिए सूदैव लालायित रहा है जो जीवन का परम प्राप्त और प्रेयमय व्येष प्रदान करने में उपनीय तिथि का कार्य करती रही है। भारतीय जीवन-दर्शन के आत्मरिक तत्त्वों ते अपरिचित अथवा अद्विरचित व्यक्ति उसे केवल मिथ्यापत्रक तथा

अवर्मन्य वहार उमडा उपराम वर सुनते हैं, जिन विचारों में उसकी आन्तरिक व्यवस्थाओं को बुद्धिगम्य एवम् हृदयगम दिया है, वे उमडी अद्भुत उपनिषद्या ने प्रा अद्वावनद्वृण् विना नहीं गृ भवते। यहाँ या वाच्य-नाहित्य तो भारतीय दर्शन की तत्त्वभीमासा की मुविज्ञता वे दिया धूर्णस्पेष स्पाट दिया ही नहीं जा सकता। बन्दुन भारतीय दर्शन की इम गोलिक विशेषता का परीक्षण उन्हें वेदवाचीन वाइम्य से सेवर आधुनिकवालीन वाच्य-नाहित्य के विवासानुक्रम की परम्परा के आधार पर दिया जा सकता है। तब तो यह है कि भारतीय विचारणा में गोलिक दर्शन अथवा जाग्यात्मिक अतदृष्टि पा उदात्त स्वरूप ऐसी परिमा से अभिभवित है जिसकी समता के उदाहरण मिलने दिल्ल है। मैंने इस तथ्य का सर्वेत नाभिप्राप्त दृष्टिवोल में बताते हूए इस बात का उल्लेख बरता जावस्यक समझा है कि वाइम्य के अनुक्रम से विवित भारतीय साहित्य का स्वरूप तब तब देशद्युवेद विधि से स्पष्ट नहीं दिया जा सकता, जब तब यहीं की जग्यात्म चेतना या सम्बद्ध ज्ञान उम्हें जिज्ञानु जग्यताओं की न हो। निश्चय ही वैदिक शूद्धियों की देवोपम वाणी, उपनिषदों की रहस्यमयी गूढ़किञ्ची तथा महाकाव्यकाल की व्यापक जीवन दृष्टि में जो लोकोत्तर प्रमत्तार दियाजान है, वह परबनी वाच्य-नाहित्य के विवाम-चरणों में तिए मनत श्रेरणा का विषय रहा है। यह एक ऐसा महावूर्ण तत्त्व है, जिन्हा चिन्तनावूर्ण बांध दिये दिया भारतीय जीवन-दर्शन और वाच्य-नाहित्य की भूमिका स्पष्ट नहीं ही नहीं जा सकती।

